

सर्वोदय

गांधीजी

सम्पादक

भारतन् कुमारप्पा



नवजीवन प्रकाशन मन्दिर

अहमदाबाद - १४

मुद्रक और प्रकाशक
जीवणजी डाह्याभाई देसाई
नवजीवन मुद्रणालय, अहमदावाद - १४

© नवजीवन ट्रस्ट १९५५

पहली आवृत्ति ३०००, १९५५
पुनर्मुद्रण ५०००, १९५८
पुनर्मुद्रण ७०००

Accession No... **050827**
Shantarekshita Library
Tibetan Institute-Sarnath

₹ २.००

अप्रैल, १९६३

सम्पादकका निवेदन

गोगोकी तरफसे जोरदार भाग होनेके कारण नवजीवन प्रकाशन मदिरने १९५१ मे 'सर्वोदय उसके सिद्धान्त और कार्यक्रम' नामक एक छोटीसी पुस्तिका प्रकाशित की थी। उसका मुख्य उद्देश्य कुछ ही पृष्ठोमे सर्वोदय समाजके सिद्धान्तो और कार्यक्रमके बारेमे जानकारी देना था। गाधीजीके निधनके पश्चात् उनके अनुयायियोने यह भ्रातृमंडल वर्धामे शुरू किया था। वर्तमान पुस्तकमे सर्वोदय अथवा सबके कल्याणकी चर्चा की गई है और यह बताया गया है कि वह कैसे सिद्ध किया जा सकता है।

गाधीजीके मतानुसार सर्वोदयका अर्थ आदर्श समाज-व्यवस्था है। इसका आधार सर्वव्यापी प्रेम है। इसलिए इसमे निरपवाद रूपसे राजा और रक, हिन्दू और मुसलमान, लून और अलून, काले और गोरे, सन्त और पापी सबके लिए स्थान है। किसी भी व्यक्ति या समूहका दमन, शोषण या विनाश नहीं किया जायगा। इस समाज-व्यवस्थामे सब बराबरके सदस्य होंगे, सबको उनकी मेहनतकी पैदावारमे हिस्सा मिलेगा, बलवान दुर्बलोकी रक्षा करेंगे और उनके ट्रस्टीका काम करेंगे तथा प्रत्येक सदस्य सबके कल्याणका ध्यान रखेगा।

चूकि प्रेमका एक मुख्य लक्षण प्रेमपात्रके खातिर आत्म-समर्पण करना सर्वस्व दे देना या मर मिटना है, इसलिए सर्वोदयकी सिद्धिके लिए सयम और कष्ट-महन एक मुख्य शर्त है। भारतमे सदियोसे त्याग और कठोर आत्म-सयमकी परंपरा चली आई है, इसलिए वह सर्वोदयके लिए सबसे अनुकूल भूमि है। इसके ठीक विपरीत पाश्चात्य देशोमे आराम, आवश्यकताओकी वृद्धि और भोग-विलासका मोह है।

गाधीजीने पश्चिमी सभ्यताके इस प्रवाहका प्रबल विरोध केवल इसी-लिए किया कि वे जानते थे कि यह हमे सर्वोदय अथवा सामाजिक न्यायकी दिशामे नही ले जायगा, यह सिर्फ लोभ, सघर्ष और बलवानो द्वारा निर्बलके दमन और शोषणको ही जन्म देगा, चाहे व्यवस्था पूजीवादी हो या साम्यवादी।

इस प्रकारके सर्वव्यापी और त्यागमय प्रेमके तत्त्वज्ञानके लिए गहरे आध्यात्मिक आधारकी जरूरत होती है। इसका अर्थ यह है कि उस सर्वव्यापी शक्तिमे हमारी सजीव श्रद्धा होनी चाहिये। इसके लिए कडे समय, तालीम और आत्मबलके विकासकी भी जरूरत है। अपने इस बुनियादी आध्यात्मिक आधारके कारण ही यह साम्यवादसे बिलकुल उलटी चीज है, क्योंकि साम्यवाद निश्चित ही भौतिकवादी है, यद्यपि लक्ष्य सर्वोदय और साम्यवादका एकसा ही है।

सर्वोदयका आधार आध्यात्मिक होनेके कारण उसकी सिद्धिके साधन भी आध्यात्मिक हैं। साम्यवाद यह आशा दिलाता है कि आदर्श समाज-व्यवस्था तभी स्थापित की जा सकती है, जब शोषकका पशुबलमे नाश कर दिया जाय। इसके लिए वह अपनी रचना वर्ग-द्वेषके आधार पर करता है और समय समय पर निष्कासन (पर्ज) और युद्धका आश्रय लेता है। इसके विपरीत, गाधीजीको यह तरीका बिलकुल निरर्थक मालूम हुआ, क्योंकि द्वेष और हिंसा देर-सबेर लौटकर अपने जन्मदाताओ पर वार किये बिना नही रहते, वे और ज्यादा द्वेष तथा हिंसाको जन्म देते हैं। इसलिए उनका विश्वास था कि अन्यायको मिटानेवाला सच्चा तरीका यह है कि अपने कष्ट-सहन और उच्च चरित्र द्वारा अत्याचारीकी अन्त-रात्मा और बुद्धिको प्रभावित करके उसके विचार बदले जाय और उसे स्वेच्छापूर्वक नई समाज-व्यवस्थाका सहायक बनाया जाय। इस कामके लिए उन्होंने जिस कार्य-पद्धतिको विकास किया, वह सत्याग्रहकी अर्थात् स्वयं अवर्णनीय कष्ट उठाकर और मृत्युका भी आलिंगन करके सत्य और

अहिंसा पर अटल रहनेकी पद्धति है। यह गांधीजीकी विशिष्ट देनोमे से एक है और उनकी शिक्षाका केन्द्रबिन्दु है।

गांधीजी आदर्श समाज-व्यवस्थाके निरर्थक चित्र खींचनेमें विश्वास नहीं रखते थे। इस आदर्शको वे जीवनके ध्रुवतारेसे अधिक नहीं मानते थे, जिसकी सहायतासे मानव-जीवनके तूफानोमे से खेकर जीवन-नैयाको पार लगाया जा सकता है। दूरके दृश्य उन्हें लुभाते नहीं थे। इसलिए उन्होंने हमें आदर्श समाज-व्यवस्थाका विस्तृत चित्र देनेका प्रयास नहीं किया। उन्हें साधनोकी अर्थात् इस बातकी ज्यादा चिन्ता थी कि आदर्शको ध्यानमें रखते हुए वर्तमानका निर्माण कैसे किया जाय। उन्हें विश्वास था कि अगर हम अपने तात्कालिक वर्तमान कालको दृष्टिमें रखकर अपने आदर्श पर अमल कर सकें, तो हमारा उद्देश्य अवश्य सिद्ध होगा। तदनुसार वे रोजमर्रा सामने आनेवाली समस्याओको सर्वोदयके दृष्टिकोणसे हल करनेका प्रयत्न करते थे। उदाहरणके लिए, वे समस्याएँ उद्योगवाद, पूजा और श्रम, जमींदार और किसान वर्गोंकी थी, जिनका इस पुस्तकमें विवेचन किया गया है।

गांधीजीके इस प्रकारके मूलतः यथार्थवादी और व्यावहारिक दृष्टिकोणसे आश्चर्यजनक लाभ हुआ है, क्योंकि उनके अवसानके बाद उनके अनुयायियोंने राष्ट्रके सामने आनेवाली तात्कालिक समस्याओ पर उनके सत्य और अहिंसाके महान सिद्धान्त लागू करनेका काम हाथमें ले लिया है। इनमें सबसे बड़ी समस्या बेशक लोगोंको दरिद्रता और अभावसे मुक्त करनेकी आर्थिक समस्या है। स्वयं गांधीजीने ग्रामोद्योगोंको पुनर्जीवित करके इसे हल करनेकी कोशिश की थी। हाथ-कताई इन उद्योगोंका प्रतीक थी, जिसका गांधीजीके आर्थिक कार्यक्रममें प्रथम स्थान था। गांधीजी खेतीका महत्त्व न समझते हो ऐसी बात नहीं थी। परन्तु वे जानते थे कि विदेशी सरकारके हाथमें सत्ता रहते हुए किसानकी हालत सुधारनेकी दिशामें अधिक काम नहीं हो सकता, क्योंकि वह काश्तकारी कानूनों और हृदयहीन लगान-व्यवस्था तथा ग्राम-शासनके

भारसे बुरी तरह दबा हुआ है। परन्तु स्वाधीनताके आते ही गांधीजीके अनुयायियोंने भूमिकी समस्याको हाथमे लिया। भूमिकी समस्या किसानोके लिए जीवन-मरणका सवाल है, जो हमारे राष्ट्रकी रीढ़ है।

सर्वोदयमे निहित प्रेमके सिद्धान्तका यह तकाजा है कि वह आदमी, जो खेतीका काम करता है, उत्पादनके साधन भूमिसे वंचित नहीं रखा जाना चाहिये। किसानको जमीन देनेसे इनकार करना उसे आजीविकाका साधन देनेसे इनकार करना है और उसे ऐसी लाचारीकी हालतमे फसा देना है जिसके कारण वह शोषण और गुलामीका गिकार बन जाता है। परन्तु उस जमींदारको मिटाये बिना, जो मुफ्तखोर बनकर भूमिहीन मजदूरोके श्रम पर जिन्दा रहता है, भूमिहीनोको भूमि कैसे दिलाई जाय ?

इसी समस्याको हल करनेका काम श्री विनोबा भावेने, जो १९१६ से गांधीजीके निकटके साथी और शिष्य रहे हैं, अप्रैल १९५१ मे भारतके एक हिसाग्रस्त और साम्यवादी प्रदेश (तेलगाना) मे हाथमे लिया। उनका हल गांधीजीकी शिक्षाके अनुसार है। उन्होने भूस्वामियोकी उदात्त भावनाओको अपील करके भूदान प्राप्त किया। इस प्रकार उनके महान और पवित्र भूदान-आन्दोलनका आरभ हुआ, जिसने अपनी विलक्षण सफलतासे ससारको चकित कर दिया है। अभी तक लगभग २० लाख एकड़ भूमि इस उपायसे भूमिहीनोके लिए प्राप्त की जा चुकी है और यह आशा की जाती है कि १९५७ तक ५ करोड़ एकड़ जमीन भारतके ५ करोड़ भूमिहीन श्रमिकोके लिए जुटानेका लक्ष्य पूरा कर लिया जायगा, ताकि उस वर्ष तक भारतमे कोई बेजमीन मजदूर न रह जाय। यह एक ऐसी रक्तहीन क्रान्ति है, जिसकी संसारके इतिहासमे कोई मिसाल नहीं है। इस अहिंसक क्रान्तिके जरिये शोषककी हत्या करने और उसकी सगठन-शक्ति और व्यवस्था-शक्तिसे अपनेको वंचित करनेके बदले उसका हृदय-परिवर्तन करके और उसकी योग्यताका समाजके

कल्याणके लिए उपयोग करके सर्वोदयकी दिशामे कदम उठाया जाता है।

चूकि यह और इसके बाद शुरू हुआ विनोबाका सपत्तिदान आन्दोलन गाधीजीके सर्वोदय आन्दोलनसे पैदा होनेवाली एक महत्त्वपूर्ण घटना है, इसलिए नवजीवन ट्रस्टने हाल ही मे एक अलग पुस्तक प्रकाशित की है, जिसका नाम 'भूदान-यज्ञ'* रखा गया है। इसमे भूदान और सपत्तिदानके विषय पर विनोबाके लेखो और भाषणोका संग्रह है। इसलिए हमने उस विषयको यहा सम्मिलित नही किया है, यद्यपि वह सर्वोदय आन्दोलनका आवश्यक अंग है।

भूदान और सपत्तिदानसे सतोष न करके विनोबाने हालमे ही श्रमदान भी सुझाया है। इससे सब लोग — न केवल भूस्वामी और रुपयेवाले ही, बल्कि वे भी जिनके पास देनेको केवल श्रम है — असहायो और गरीबोके कल्याणके लिए किये जानेवाले सेवा और त्यागके इस आन्दोलनमे भाग ले सकेंगे।

इस व्यावहारिक विकासके सिवा विनोबा और गाधीजीके कुछ और निकटके साथियोने गाधीजीके सर्वोदय-सबधी विचारोको, खास तौर पर आर्थिक समता, शरीर-श्रम, अपरिग्रह और योजना-कार्यके बारेमे कुछ और आगे बढ़ाया है। उनमे से कुछ चुने हुए विचार इस ग्रथके दूसरे भागमे यह दिखानेको दिये गये है कि सर्वोदय-सबधी गाधीजीके विचारोका विकास कैसे हो रहा है। इस भागमे वह कार्यक्रम भी शामिल कर दिया गया है, जिसकी गाधीजीकी मृत्युके बाद सर्वोदयी कार्यकर्ताओके लिए हिमायत की जा रही है। इस कार्यक्रममे हमने भूदानको शामिल नही किया है, यद्यपि आजकल सर्वोदयी कार्यकर्ताओका सबसे ज्यादा ध्यान इसी एक कार्यमे लगा हुआ है। इसका एकमात्र

* यह पुस्तक हिन्दीमे भी इसी नामसे नवजीवनसे प्रकाशित हुई है।

कारण यह है कि वह भूदानके विषय पर प्रकाशित उपरोक्त पुस्तिकामें आ जाता है।

पाठकोकी सुविधाके लिए हमने गांधीजीके तीस सालसे अधिक समयके लेखों और भाषणोंमें से सिर्फ वे ही अंश चुने हैं, जिनसे सर्वोदय-संबंधी उनकी शिक्षाके खास खास पहलुओं पर रोशनी पड़ती है। प्रस्तुत ग्रंथके पहले या बड़े भागमें इन्हींका संग्रह किया गया है। जो पाठक गांधीजीके विचारोंको और भी विस्तारसे जाननेके लिए उत्सुक हों, उन्हें गांधीजीकी दूसरी पुस्तकें जैसे 'अहिंसक समाजवादकी ओर', 'हमारे गांवोंका पुनर्निर्माण', 'रचनात्मक कार्यक्रम', 'बुनियादी शिक्षा', 'स्त्रियाँ और उनकी समस्याएँ', 'शान्तिवादियोंके लिए', 'साम्प्रदायिक एकता', 'शराब, मादक द्रव्य और जुआ' आदि पढ़नी चाहिये।

गांधीजीके 'यग इडिया' और 'हरिजन' साप्ताहिकोंसे जो अंश यहां उद्धृत किये गये हैं, उनके नीचे तारीखें दी गई हैं। गांधीजीकी पुस्तकोंके उद्धरणोंके बारेमें यह जानना दिलचस्पीकी बात होगी कि 'हिन्द स्वराज्य' १९०९ में लिखी गई थी, 'मंगल-प्रभात' १९३० में, 'सर्वोदय' पहले-पहल गुजरातीमें १९०८ में और अंग्रेजीमें 'अन्टु दिस लास्ट ए पैराफ्रेज' के नामसे १९५१ में तथा 'आत्मकथा' १९२७ में और १९२९ में। 'गांधीजीज़ राइटिंग्स एण्ड स्पीचेज़' का पहला संस्करण १९१७ में और चौथा १९३३ में मद्रासकी नटेशन एण्ड कंपनीने प्रकाशित किया था।

सामाजिक तत्त्वज्ञानमें सर्वोदयको भारतकी विशेष देन माना जा सकता है। इसकी जड़ें तो लगभग ३००० वर्ष पहले पड़ चुकी थी, जब बुद्ध और महावीरने प्रेम या अहिंसाका उपदेश देनेके लिए भ्रमण किया था और प्राचीन ऋषियोंने सदियों तक तप और सयमकी शिक्षा दी थी, उनका आचरण किया था तथा सम्मिलित परिवार, वर्ण और ग्राम-संगठन द्वारा व्यक्तियोंमें इन गुणोंके सस्कार डाले थे। परिवार, वर्ण और ग्राम-समाजके जीवनमें व्यक्ति अपने समूहके खातिर खुद

अपनी इच्छाओका दमन करना, अपनी पैदावारमे दूसरोको हिस्सा देना, उनके साथ सहयोग करना, समूहके प्रति बफादारी महसूस करना और उसके अनुशासनको स्वीकार करना सीखता था। वह आर्थिक सुरक्षितताका उपभोग करता था, क्योंकि समूहकी ओरसे उसे काम और अल्पतम आवश्यकताओकी पूर्तिका विश्वास दिलाया जाता था। परिवारकी तरह उसके और उसके समूहके दूसरे आदमियोके बीच आत्मीयता और समानताकी भावना रहती थी। वह साम्यवादकी हिंसासे रहित ग्राम-साम्यवाद था। इन्ही स्रोतोसे गांधीजीने सर्वोदय अथवा आदर्श समाज-व्यवस्थाकी प्रेरणा ली थी, हालांकि तात्कालिक रूपमे यह प्रेरणा उन्हें रस्किनके 'अन्टु दिस लास्ट' को पढनेसे मिली थी। गांधीजीका पक्का विश्वास था कि अगर व्यक्ति और समाजके जीवनका आधार इस प्रकार प्रेम और ऊँचे नैतिक तथा आध्यात्मिक सिद्धान्तो पर नहीं होगा तो कितना ही उपदेश दीजिये, शान्तिके लिए कितने ही विश्व-सगठन बनाइये और लडाईका कितना ही विरोध कीजिये उससे कोई लाभ नहीं होगा। क्योंकि शांति आखिरमे हमारे दैनिक जीवनका ही परिणाम है। इसलिए उन्होने यह दिखानेकी जी-तोड कोशिश की, जैसी कि हमारे पूर्वजोने भूतकालमे की थी, कि अगर हमे आदर्श समाज-व्यवस्थाकी ओर प्रगति करनी है, तो व्यक्ति और समाजका कायापलट कैसे किया जाय।

मानव-जातिके सामने आज प्रश्न यह है कि हम सबके लिए शांति और स्वतंत्रता कैसे प्राप्त कर सकते हैं। क्या हम भोग-विलासके और ससारकी साधन-सामग्री तथा बाजारोकी लालचवाले आक्रमणकारी उद्योगवादके मार्ग पर अग्रसर रहकर और अपने स्वार्थके लिए दूसरोको बशमे रखनेके खातिर सैनिक बलके जरिये भीमकाय सगठन बनाकर इन्हे प्राप्त कर सकेंगे, या इन्हे प्राप्त करनेके लिए हमे गांधीजीके सादगी और आर्थिक स्वयंपूर्णतावाले छोटे सामाजिक सगठनके उस मार्ग पर चलना चाहिये, जिसमे व्यक्ति सेवा और त्यागके द्वारा सबके लिए जियेगा? दोनो मार्ग हमे एक-दूसरेसे बिलकुल उलटी दिशाओमे ले जाते हैं। इसमे समझकी कोई भूल नहीं है। एक मार्ग अनिवार्य रूपमे

द्वेष, युद्ध और विनाशकी ओर ले जाता है और दूसरा प्रेम, शान्ति और सबके समान कल्याणकी तरफ ले जानेवाला है। इन दो मार्गोंमें से किसी एकको चुनने पर मनुष्यका भविष्य निर्भर करता है। समय आ गया है कि भारतवासी और दूसरे देशोंके लोग ठहर कर इन बातों पर गभीर विचार करें। इसी उद्देश्यसे यह पुस्तक सकलित की गई है। इसका लक्ष्य ससारके सामने गांधीजीका मार्ग या दूसरे शब्दोंमें गांधीजीका शान्ति और स्वतंत्रताका सदेश पेश करना है — उस ससारके सामने जो आपसी संघर्षसे छिन्नभिन्न हो रहा है और जिस पर आत्मघाती युद्ध और सत्ताके अत्यधिक केन्द्रीकरणका भूत दिनोदिन अधिक सवार होता जा रहा है।

मूल अंग्रेजी पुस्तकका हिन्दी अनुवाद श्री रामनारायण चौधरीने किया है।

भारतन् कुमारप्पा

अनुक्रमणिका

सम्पादकका निवेदन ३

पहला भाग — गाधीजी

पहला विभाग : सर्वोदयका अर्थ

१ प्रास्ताविक	३
२ सर्वभूतहिताय	४
३ सर्वोदयकी रूपरेखा	५

दूसरा विभाग : इसका आध्यात्मिक आधार

क — प्रास्ताविक

१ साधनोका सबसे बडा महत्त्व	६
२ अधिकार नही कर्तव्य	७
३ नैतिक साधन अत्यावश्यक	८

ख — आवश्यक सद्गुण

१ सत्य	९
२. अहिंसा या प्रेम	१०
३ ब्रह्मचर्य	१२
४ अभय	१३
५ अस्तेय	१४
६. अपरिग्रह	१५
७ खानपानमें समय	१७
८ वैराग्य और आत्मत्याग	१९
९. शरीर-श्रम	२०
१० स्वदेशी	२४

११	सब धर्मोंके लिए आदर	२८
१२	अस्पृश्यता-निवारण	३१

तीसरा विभाग : आर्थिक व्यवस्था

क — अहिंसक अर्थ-व्यवस्था

१	अहिंसात्मक आधार	३२
२	आर्थिक क्षमताके लिए मानव-तत्त्व अत्यावश्यक	३३
३	मनुष्य ही सम्पत्ति है, सोना-चादी नहीं	३५
४	न्यायपूर्ण मजदूरी	३६
५	आर्थिक समानता	३८
६	आयकी समानता	३९
७	विकेन्द्रीकरण	४०
८	अहिंसक धन्धे	४१
९	प्राचीन भारतमें सर्वोदय	४३

ख — उद्योगवाद

१	उद्योगवाद एक अभिशाप	४५
२	मशीनें	४६

ग — पूजा और श्रम

१	पूजा और श्रम	५२
२	कोई नैतिक अधिकार नहीं	५३
३	ट्रस्टीशिप	५४
४	गांधीजीका ट्रस्टीशिपका सिद्धान्त	५६
	प्यारेलाल	

घ — जमींदार और किसान

१	एक आदर्श जमींदार	५७
२	जमींदारोसे	५८
३	भूमिका स्वामित्व	५९
४.	किसान और जमींदार	६०
५.	सहकारी खेती	६०

चौथा विभाग : समाज-व्यवस्था

क — मर्यादित समाज : मनुष्य

१ अहिंसा — एक सामाजिक सद्गुण	६१
२ व्यक्ति बनाम समाज	६१
३ अस्पृश्यताके लिए स्थान नहीं	६२
४ वर्णाश्रम	६२
५ वर्णके रूपमे जाति	६३
६ अन्तर्जातीय विवाह	६४
७ स्त्रियोका स्थान	६५
८ स्त्री-पुरुषके समान अधिकार	६८
९ विवाह	६८
१० वैधव्य	७०
११ तलाक	७०
१२ गर्भ-निरोध	७१

ख — विशाल समाज : पशु

१ गोरक्षा	७२
२ पशुओके प्रति अहिंसा	७४
३ विश्व-बन्धुत्व	७५
४ पशुबलि	७६

पांचवां विभाग : राजनीतिक व्यवस्था

क — सर्वोदयी राज्य

१. चरित्र आधार होगा	७७
२ सर्वोदयी लोकतंत्र	७९
३ छ्येय	८०
४ हिन्दुस्तानी गवर्नर	८१
५ राजनीतिक सत्ता	८२
६ स्वशासन	८४
७. अल्पसंख्यकोका अधिकार	८५

८ मताधिकार	८६
९ प्रान्तीयता	८६
१० राज्य धर्म-निरपेक्ष हो	८७

ख — उसके वैदेशिक सम्बन्ध

१. ब्रिटेनके साथ साझेदारी	८८
२ दूसरे राष्ट्रोंके साथ सम्बन्ध	८९
३ आन्तर-राष्ट्रीय शातिसन्ध	९०

छठा विभाग : बुराईका विरोध

क — सत्याग्रहकी पद्धति

१ प्रेमका प्याला	९१
२ सत्याग्रह	९२
३ कायरताकी गुजाइश नहीं	९३
४ दबाव नहीं	९४
५ सत्याग्रहका बल कैसे बढ़ता है	९६
६ सत्याग्रहियोंके लिए नियम	९७
७ नम्रता	९७
८ उपवास	९८
९. धरना न दिया जाय	९९
१० जबरदस्ती या असहिष्णुता नहीं	१००
११ सत्याग्रह कौन करे ?	१०१
१२ सत्याग्रहका ढग	१०१
१३ सभ्याका महत्त्व नहीं	१०२
१४ सत्याग्रह — अंतिम उपाय	१०२

ख — आर्थिक असमानता

१ असहयोग	१०३
२. वर्ग-विग्रह	१०६
३. मजदूर-संगठन	१०९
४ सरकारी कार्रवाई	११२

ग — सामाजिक अव्यवस्था

१ दूगे	११६
२ चौरिया	१२२
३ स्त्रियो पर हमले	१२५

घ — राजनीतिक बुराइया

१ बुरा राज्य	१२७
२ वाहरी हमला	१३०

सातवां विभाग : कार्यकर्ता और कार्यक्रम

क — कार्यकर्ता

१ मर्बोदयी कार्यकर्ताकी योग्यताए	१३३
----------------------------------	-----

ख — कार्यक्रम

१ कितान	१३८
२ श्रम	१३९
३ ग्राममेवा	१४०
४ खादी और कताई	१४८
५ शिक्षा और सस्कृति	१५५
६ आरोग्य और आरोग्यशास्त्र	१६१
७ शराब और नशीले पदार्थोंकी बुराई	१६२
८ स्त्रिया	१६७
९ साम्प्रदायिक एकता	१६८
१० अस्पृश्यता-निवारण	१६९
११ आर्थिक समानता	१७०

दूसरा भाग — विनोबा भावे और अन्य लोग

आ वा विभाग : नई क्रान्ति

१ नई क्रान्ति	विनोबा	१७५
---------------	--------	-----

नवां विभाग : आर्थिक समानता

१ आर्थिक समानता	विनोबा	१७८
-----------------	--------	-----

२	न्यायपूर्ण मजदूरी	जे० सी० कुमारप्पा	१७९
३	विवेकपूर्ण समानता	विनोबा	१८१
४	समानता और दया	विनोबा	१८२
५	साम्यवाद और सर्वोदयमे भेद	कि० घ० मशरूवाला	१८४

दसवां विभाग : आधार रूपया नहीं, श्रम

१	श्रमका गौरव	विनोबा	१८७
२	मध्यमवर्गके लोगोसे	च० राजगोपालाचार्य	१८७
३	उत्पादक श्रमकी आवश्यकता	विनोबा	१८९
४	खादी - स्वावलम्बी श्रमका प्रतीक	कि० घ० मशरूवाला	१९१
५	शरीर-श्रम		१९२
६	पैसेसे मुक्ति	विनोबा	१९३
७	अपरिग्रह और मस्थाए	विनोबा	१९३
८	रूपयेका दान नही	विनोबा	१९४

ग्यारहवां विभाग : ग्राम-सर्वोदयकी दिशामें

१	हिस्सेदारीका सिद्धान्त	कि० घ० मशरूवाला	१९५
२	गावकी व्यवस्था	विनोबा	१९९
३	सर्वोदयी शिक्षा	विनोबा	२००
४	प्रौढ-शिक्षा	विनोबा	२०६
५	सर्वोदयकी रूपरेखा	विनोबा	२०६
६	आर्थिक समताकी ओर	जे० सी० कुमारप्पा	२०७
७	सर्वोदयी योजना	कि० घ० मशरूवाला	२०९

बारहवां विभाग : कार्यक्रम

१	पचसूत्री कार्यक्रम	कि० घ० मशरूवाला	२१३
२	समग्र सेवा	विनोबा	२१५
३	बहिष्कार — रचनात्मक कार्यक्रमके अगके रूपमे	धीरेन्द्र मजूमदार	२१६
	परिशिष्ट कहानी		२१९
	सूची		२२१

सर्वोदय

पहला भाग

गांधीजी

पहला विभाग : सर्वोदयका अर्थ

१

प्रास्ताविक

विद्यार्थी-जीवनमे पाठ्यपुस्तकोके अलावा मेरा वाचन नहीके बराबर समझना चाहिये। और कर्मभूमिमे प्रवेश करनेके बाद तो समय ही बहुत कम रहता है। इस कारण आज तक भी मेरा पुस्तक-ज्ञान बहुत थोडा है। मैं मानता हू कि इस अनायासके या जबरदस्तीके सयमसे मुझे कुछ भी नुकसान नही पहुचा है। पर हा, मैं यह कह सकता हू कि जो भी थोड़ी पुस्तके मैंने पढी है, उन्हें ठीक तौर पर हजम करनेकी कोशिश अलबत्ता मैंने की है। और मेरे जीवनमे यदि किसी पुस्तकने तत्काल महत्त्वपूर्ण रचनात्मक परिवर्तन कर डाला है, तो वह रस्किनकी 'अन्दु दिस लास्ट' पुस्तक ही है। बादमे मैंने इसका गुजरातीमे अनुवाद किया था और वह 'सर्वोदय' के नामसे प्रकाशित भी हुआ है। मेरा यह विश्वास है कि जो चीज मेरे अतरतरमे बसी हुई थी, उसका स्पष्ट प्रतिबिम्ब मैंने रस्किनके इस ग्रथरत्नमे देखा और इस कारण उसने मुझ पर अपना साम्राज्य जमा लिया और अपने विचारोके अनुसार मुझसे आचरण करवाया। हमारी अत स्थ सुप्त भावनाओको जाग्रत करनेका सामर्थ्य जिसमे होता है वह कवि है। सब कवियोका प्रभाव सब पर एकसा नही होता, क्योकि सब लोगोमे सभी अच्छी भावनाए समान मात्रामे नही होती।

'सर्वोदय' के सिद्धान्तको मैं इस प्रकार समझा हू

१ सबके भलेमे अपना भला है।

२ वकील और नाई दोनोके कामकी कीमत एकसी होनी चाहिये, क्योकि आजीविका पानेका हक दोनोको एकसा है।

३ सादा मजदूरका और किसानका जीवन ही सच्चा जीवन है। पहली बात तो मैं जानता था। दूसरीका मुझे आभास हुआ करता था। पर तीसरी तो मेरे विचार-क्षेत्रमे आई तक न थी। पहली बातमे पिछली दोनो बाते समाविष्ट है, यह बात 'सर्वोदय' से मुझे सूर्य-प्रकाशकी तरह स्पष्ट दिखाई देने लगी। सुबह होते ही मैं उसके अनुसार अपने जीवनको बनानेकी चिन्तामे लगा।

आत्मकथा, भाग ४, अध्याय १८

सर्वभूतहिताय

बात यह है कि अहिंसाका पुजारी उपयोगितावाद (बडीसे बडी मख्याका ज्यादासे ज्यादा हित) का समर्थन नहीं कर सकता। वह तो 'सर्वभूतहिताय' यानी सबके अधिकतम लाभके लिए ही प्रयत्न करेगा और इस आदर्शकी प्राप्तिमे मर जायगा। इस प्रकार वह इसलिए मरना चाहेगा कि दूसरे जी सके। दूसरोके साथ-साथ वह अपनी सेवा भी आप मर कर करेगा। सबके अधिकतम सुखके भीतर अधिकाशका अधिकतम सुख भी मिला हुआ है। और इसलिए अहिंसावादी और उपयोगितावादी अपने रास्ते पर कई बार मिलेगे, किन्तु अन्तमे ऐसा भी अवसर आयेगा जब उन्हें अलग-अलग रास्ते पकडने होंगे और किसी-किसी दशामे एक-दूसरेका विरोध भी करना होगा। तर्कसगत बने रहनेके लिए उपयोगितावादी अपनेको कभी बलि नहीं कर सकता। अहिंसावादी हमेशा मिट जानेको तैयार रहेगा।

हिन्दी-नवजीवन, ९-१२-'२६

सर्वोदयकी रूपरेखा

यदि हम चाहते हैं कि हमारा सर्वोदय* अर्थात् सच्चे लोकतन्त्रका सपना सच्चा साबित हो, तो हम छोटेसे छोटे भारतवासीको भारतका उतना ही शासक समझेगे जितना देशके बड़ेसे बड़े आदमीको। इसके लिए शर्त यह है कि सब शुद्ध हो, या न हुए हो तो शुद्ध हो जाय। और शुद्धताके साथ-साथ बुद्धिमानी भी होनी चाहिये। तब कोई भी अपने दिलमें जाति-जाति और मवर्ण-अवर्णके बीच भेदभाव नहीं रखेगा। हरएक सबको अपनी बराबरीका समझेगा और उन्हें प्रेमके रेशमी जालमें बाध रखेगा। कोई किसीको अछूत नहीं मानेगा। हम मेहनत करनेवाले मजदूर और धनी पृजीपतिको समान समझेगे। सबको अपने पसीनेकी कमाईसे ईमानदारीकी रोजी कमाना आता होगा और वे मानसिक और शारीरिक श्रममें कोई फर्क नहीं करेगे। यह आदर्श स्थिति जल्दी लानेके लिए हम अपने-आपको स्वेच्छासे भगी बना लेंगे। जिस किसीमें भी बुद्धि होगी वह कभी अफीम, शराब या किसी नशीली चीजको नहीं छुएगा। प्रत्येक पुरुष स्वदेशीका पालन जीवन-त्रतके रूपमें करेगा और हरएक स्त्रीको, जो अपनी पत्नी नहीं है, उसकी उम्रके हिसाबसे अपनी माता, बहन या पुत्री समझेगा और अपने हृदयमें उसके प्रति कभी काम-वासना नहीं रखेगा। जब जरूरत पड़ेगी वह अपने प्राण देनेको तैयार होगा मगर दूसरेकी जान लेनेकी कभी इच्छा नहीं करेगा।

हरिजन, १८-१-'४८

* यहा पचायत राज्य शब्द काममें लिया गया है, जिसका अर्थ गाधीजीकी दृष्टिमें वही था जो सर्वोदयका है। — सं०

दूसरा विभाग : इसका आध्यात्मिक आधार

क — प्रास्ताविक

१

साधनोंका सबसे बड़ा महत्त्व

ध्येयकी सबसे स्पष्ट व्याख्या और उसकी कद्रदानीसे भी हम उस ध्येय तक नहीं पहुँच सकेंगे, अगर हमें उसे प्राप्त करनेके साधन मालूम नहीं होंगे और हम उनका उपयोग नहीं करेंगे। इसलिए मुझे तो मुख्य चिन्ता साधनोंकी रक्षाकी और उनके अधिकाधिक उपयोगकी है। मैं जानता हूँ कि अगर हम साधनोंकी चिन्ता रख सकें, तो ध्येयकी प्राप्ति निश्चित है। मैं यह भी अनुभव करता हूँ कि ध्येयकी ओर हमारी प्रगति ठीक उतनी ही होगी, जितने हमारे साधन शुद्ध होंगे।

यह तरीका लम्बा, शायद हृदसे ज्यादा लम्बा दिखाई दे, परन्तु मुझे पक्का विश्वास है कि यह सबसे छोटा है।

अमृतबाजार पत्रिका, १७-९-'३३

अधिकार नहीं कर्तव्य

अगर सब लोग केवल अधिकारोका आग्रह रखे और कर्तव्यो पर जोर न दे, तो चारो तरफ बडी गडबडी और अव्यवस्था फैल जायगी। यदि अधिकारोके आग्रहके बजाय हरएक अपना कर्तव्य पालन कर, तो मानव-जातिमे तुरत व्यवस्थाका राज्य स्थापित हो जाय। यदि आप यह सादा और सार्वत्रिक नियम मालिको और मजदूरो, जमीदारो और किसानो, राजाओ और उनके प्रजाजनो या हिन्दुओ और मुसलमानो पर लागू करे, तो आप देखेगे कि भारत और ससारके दूसरे भागोमे जीवन और व्यवसायमे आज जैसी पाई जाती है वैसी अशान्ति और अस्तव्यस्तता पैदा किये बिना जीवनके तमाम क्षेत्रोमे अत्यत सुखद सम्बन्ध स्थापित किये जा सकते है। जिसे मैं सत्याग्रहका कानून कहता हूँ, वह कर्तव्योको पूरी तरह समझने और उनसे पैदा होनेवाले अधिकारोसे उत्पन्न होगा।

उदाहरणार्थ, एक हिन्दूका अपने मुसलमान पडोसीके प्रति क्या फर्ज है? उसका फर्ज इन्सानके नाते उससे दोस्ती करना, उसके सुख-दुखमे शरीक होना और सकटमे उसकी सहायता करना है। तब उसे अपने मुसलमान पडोसीसे वैसे ही बरतावकी आशा रखनेका हक होगा, और बहुत करके उसकी तरफसे आशानुसार ही उत्तर मिलेगा। मगर मान लीजिये कि बहुतसे हिन्दुओके ठीक बरतावका थोडेसे मुसलमान वैसा ही बदला न दे और हर काममे लडाईका ही रख दिखाये, तो यह उनकी गैर-इन्सानियतकी निशानी होगी। तब बहुसंख्यक हिन्दुओका क्या धर्म होगा? अवश्य ही बहुतोके पशुबलसे उन्हें दबा देना हिन्दुओका धर्म नहीं होगा। यह तो बिना कमाये अधिकारको हडप लेना होगा। उनका फर्ज होगा कि वे मुसलमानोके गैर-इन्सानियतके व्यवहारको उसी तरह रोके, जिस तरह वे अपने सगे भाइयोके ऐसे व्यवहारको रोकेगे।

हरिजन, ६-७-४७

नैतिक साधन अत्यावश्यक

पश्चिममें लोगोकी आम राय यह है कि मनुष्यका एकमात्र कर्तव्य अधिकांश मानव-जातिकी सुखवृद्धि करना है, और सुखका अर्थ केवल शारीरिक सुख और आर्थिक उन्नति माना जाता है। यदि इस सुखकी प्राप्तिमें नैतिकताके कानून भंग किये जाते हैं, तो उसकी बहुत परवाह नहीं की जाती। इस विचारधाराके परिणाम यूरोपके चेहरे पर स्पष्ट अंकित हैं।

शारीरिक और आर्थिक लाभकी यह एकांगी खोज, जो नैतिकताका कुछ भी खयाल रखे बिना की जाती है, ईश्वरी कानूनके विरुद्ध है, जैसा कि पश्चिमके कुछ बुद्धिमान मनुष्योंने बता दिया है। इनमें से एक जॉन रस्किन था। उसने अपनी 'अन्टु दिस लास्ट' नामक पुस्तकमें दावा किया है कि मनुष्य तभी सुखी हो सकते हैं, जब वे नैतिक कानूनका पालन करें।^१

दुनियाके सभी धर्मोंमें सदाचार एक आवश्यक अंग माना गया है, परन्तु धर्मोंके अलावा हमारी साधारण समझ भी नैतिक नियमोंके पालनकी आवश्यकता बताती है। उनका पालन करके ही हम सुखी होनेकी आशा कर सकते हैं।

(रस्किन-कृत 'अन्टु दिस लास्ट' के गांधीजीके अनुवादकी भूमिकासे, १९५१, पृ० ९-११)

ख — आवश्यक सद्गुण

१

सत्य

हमारी सारी प्रवृत्तियोंका केन्द्र सत्य होना चाहिये। सत्य हमारे जीवनका प्राण होना चाहिये। धर्मयात्रीकी प्रगतिमें जब एक बार यह मजिल आ जाती है, तब सही जीवनके और सब नियम अनायास आ जाते हैं और उनका पालन स्वाभाविक बन जाता है। परन्तु सत्यके बिना जीवनमें किसी भी सिद्धान्त या नियमका पालन असंभव है।

सत्य ईश्वरका सही नाम है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य अपने ज्ञानके अनुसार सत्यका पालन करे, तो उसमें कुछ भी बेजा नहीं है। बेशक, वैसा करना उसका कर्तव्य है। फिर अगर इस प्रकार सत्यपालनमें किसीसे कोई भूल हो जाती है, तो वह अपने-आप ठीक हो जायगी। क्योंकि सत्यकी खोजमें तप — स्वयं कष्ट सहनेकी जरूरत होती है, कभी कभी उसके पीछे मर मिटना होता है। इसमें स्वार्थके लिए किंचित् भी गुजाइश नहीं हो सकती। सत्यकी ऐसी निस्वार्थ खोजमें कोई बहुत समय तक पथभ्रष्ट नहीं हो सकता। ज्यों ही वह गलत रास्ते जाता है, त्यों ही ठोकर खाकर गिरता है और इस प्रकार फिर सही मार्ग पर लग जाता है।

मंगल-प्रभात, १९४५, पृ० २-३

अहिंसा या प्रेम

अहिंसा ऐसी स्थूल चीज नहीं है जैसी बताई गई है। बेशक, किसी प्राणीको चोट न पहुँचाना अहिंसाका एक अंग है। परन्तु वह तो उसका छोटेसे छोटा चिह्न है। अहिंसाके सिद्धान्तका भग हर बुरे विचारसे, अनुचित जल्दबाजीसे, झूठ बोलनेसे, घृणासे और किसीका बुरा चाहनेसे भी होता है। दुनियाके लिए जो वस्तु जरूरी है, उस पर अधिकार जमानेसे भी इस सिद्धान्तका भंग होता है।

अहिंसाके बिना सत्यकी खोज और प्राप्ति असंभव है। अहिंसा और सत्य आपसमें इतने ओतप्रोत हैं कि उन्हें एक-दूसरेसे अलग करना लगभग असंभव है। वे मिक्के या इससे भी बेहतर किसी चिकनी चकतीके दो पहलुओंकी तरह हैं। कौन कह सकता है कि उनमें कौनसा पहलू उलटा और कौनसा सीधा है? फिर भी अहिंसा साधन है, सत्य साध्य है। साधन तभी साधन है जब वे हमारी पहुँचके भीतर हो, और इसलिए अहिंसा हमारा सर्वोपरि कर्तव्य है। यदि हम साधनोकी सावधानी रखें तो आगे-पीछे हमारी साध्य सिद्धि होकर रहेगी। जब एक बार हमने इस मुद्देको अच्छी तरह समझ लिया, तो अन्तिम विजय असंदिग्ध है।

मगल-प्रभात, १९४५, पृ० ७-९

जब अहिंसाको हम जीवनका सिद्धान्त मान लेते हैं, तो वह हमारे सारे जीवनमें व्याप्त हो जानी चाहिये, केवल विशेष मौकों पर ही उसका उपयोग नहीं होना चाहिये। यह मानना गहरी भूल है कि अहिंसा केवल व्यक्तियोंके लिए ही अच्छी है, और जनसमूहके लिए नहीं।

हरिजन, ५-९-३६

यदि हम लिखित इतिहासके आदिकालसे लेकर हमारे अपने समय तकके क्रम पर नजर डालें, तो हमें पता चलेगा कि मनुष्य अहिंसाकी

तरफ बराबर बढ़ता चला आ रहा है। हमारे प्राचीन पुरखे मानव-भक्षी थे। फिर एक समय ऐसा आया जब लोग मानव-भक्षणसे ऊब गये और शिकार पर गुजर करने लगे। आगे चलकर मनुष्यको आवारा शिकारीका जीवन व्यतीत करनेमें भी शर्म आने लगी। इसलिए वह खेती करने लगा और अपने भोजनके लिए मुख्यतः वह घरती माता पर निर्भर हो गया। इस प्रकार एक खानाबदोगकी जिन्दगीको छोड़कर उसने सभ्य और स्थिर जीवन अपनाया, गाव और शहर बसाये और एक परिवारके सदस्यसे वह समाज और राष्ट्रका सदस्य बन गया। ये सब उत्तरोत्तर बढ़ती हुई अहिंसा और घटती हुई हिंसाके चिह्न हैं। इससे उलटा होता तो जैसे बहुतसे निचली श्रेणीके प्राणियोंकी जातियां लुप्त हो गयीं, वैसे ही मानव-जाति भी लुप्त हो गई होती।

पैगम्बरों और अवतारोंने भी थोडा-बहुत अहिंसाका ही पाठ पढाया है। उनमें से एकने भी हिंसाकी शिक्षा देनेका दावा नहीं किया। और करे भी कैसे? हिंसा सिखानी नहीं पडती। पशुके नाते मनुष्य हिंसक है और आत्माके रूपमें अहिंसक है। जब मनुष्यको आत्माका भान हो जाता है, तब वह हिंसक रह ही नहीं सकता। या तो वह अहिंसाकी ओर बढ़ता है या अपने विनाशकी ओर दौडता है। यही कारण है कि पैगम्बरों और अवतारोंने सत्य, मेलजोल, भाईचारा और न्याय आदिके पाठ पढाये हैं। ये सब अहिंसाके गुण हैं।

यदि हमारा यह विश्वास हो कि मानव-जातिने अहिंसाकी दिशामें बराबर प्रगति की है, तो यह निष्कर्ष निकलता है कि उसे उस तरफ और भी ज्यादा बढ़ना है। इस ससारमें स्थिर कुछ भी नहीं है, सब कुछ गतिशील है। यदि आगे बढ़ना नहीं होगा, तो अनिवार्य रूपमें पीछे हटना होगा।

हरिजन, ११-८-४०

ब्रह्मचर्य

अब ब्रह्मचर्यकी व्याख्याको — उसके अर्थको ले। उसका धात्वर्थ यो किया जा सकता है वह आचरण जिससे ईश्वरके साथ सम्पर्क स्थापित होता हो।

यह आचरण है सब इन्द्रियो पर सपूर्ण नियन्त्रण। इस शब्दका यही सच्चा और ठीक अर्थ है।

आम तौर पर इसका अर्थ जननेन्द्रिय पर केवल शारीरिक नियन्त्रण किया जाता है। इस सकुचित अर्थसे ब्रह्मचर्यकी अधोगति हुई है और उसका पालन लगभग असभव बन गया है। सारी इन्द्रियो पर ठीक काबू हुए बिना जननेन्द्रिय पर काबू पाना असभव है। वे सब एक-दूसरे पर निर्भर हैं। निम्न स्तर पर मन भी इन्द्रियोमें शामिल है। मनु पर काबू पाये बिना निरा शारीरिक नियन्त्रण थोड़ी देरके लिए हो भी सकता हो, तो उसका बहुत थोडा या कुछ भी उपयोग नहीं है।

हरिजन १३-६-'३६

अस्वाद-व्रतका ब्रह्मचर्य पालनके साथ बडा गहरा सबध है। मैंने अनुभवसे पाया है कि यदि स्वाद पर काबू पा लिया जाय, तो ब्रह्मचर्यका पालन बहुत आसान हो जाता है।

मगल-प्रभात, १९४५, पृ० १५

अगर कोई पुरुष एक स्त्रीको या कोई स्त्री एक पुरुषको अपना प्रेम प्रदान कर देती है, तो फिर बाहरकी दुनियाके लिए और रह ही क्या जाता है? इसका सीधा-सा अर्थ यह है, “हम दो पहले और दूसरे सब बादमें।” चूकि पतिव्रता पत्नीको अपने पतिके लिए सर्वस्व बलिदान करनेको तैयार रहना ही चाहिये और एकपत्नीव्रती पतिको अपनी पत्नीके खातिर सब कुछ त्याग करनेको तैयार रहना ही चाहिये, इसलिए

स्पष्ट है कि ऐसे व्यक्ति विश्वप्रेमकी ऊँचाई तक नहीं पहुँच सकते या समस्त मानव-जातिको अपना परिवार नहीं समझ सकते। क्योंकि वे अपने प्रेमके चारो ओर एक दीवार खड़ी कर देते हैं। उनका परिवार जितना बड़ा होगा उतने ही वे विश्वप्रेमसे दूर रहेंगे। इसलिए जिसे अहिंसा-धर्मका पालन करना है, वह विवाह नहीं कर सकता। फिर विवाह-बधनके बाहर विषय-भोगकी बात तो कर ही कैसे सकता है?

तो फिर जो विवाह कर चुके हैं उनका क्या हो? क्या वे सत्यके दर्शन कभी नहीं कर सकेंगे? क्या वे मानवताकी बेदी पर कभी सर्वस्वका बलिदान नहीं कर सकते? उनके लिए भी एक मार्ग है। वे ऐसा व्यवहार करे मानो उनका विवाह हुआ ही नहीं। जिन लोगोंने यह सुखद अवस्था भोगी है, वे इसकी गवाही दे सकेंगे। मेरी जानकारीमें अनेकोने सफलतापूर्वक यह प्रयोग किया है। यदि दम्पती एक-दूसरेको भाई-बहन समझ लें, तो वे विश्वसेवाके लिए मुक्त हो जाते हैं। ससारकी सारी स्त्रियां मेरी बहनें, माताएँ या पुत्रियाँ हैं—यह विचार ही मनुष्यको तुरत उदात्त बनाकर उसके बधन तोड़ डालेगा। इसमें पति-पत्नी कुछ भी नहीं खोते, इससे उनकी पूजा और उनका परिवार बढ़ता ही है। उनका प्रेम वामनाकी अपवित्रतासे मुक्त होकर और भी प्रबल बन जाता है।

मगल-प्रभात, १९४५, पृ० १०-११

४

अभय

अन्य उच्च गुणोके विकासके लिए अभय अनिवार्य है। निर्भयताके बगैर कोई सत्यकी खोज कैसे कर सकता है? या प्रेम कैसे कर सकता है? जैसे प्रीतम कहता है, 'हरिका मार्ग वीरोका मार्ग है, कायरोका नहीं।' हरिका अर्थ यहा सत्य है और वीर वे है जिनके पास निर्भयताका शस्त्र है।

मगल-प्रभात, १९४५, पृ० २७

अस्तेय

यह असंभव है कि कोई मनुष्य चोरी भी करे और साथ साथ सत्यको जानने या प्रेमधर्मको पालनेका दावा भी करे। फिर भी हम सब जाने या अनजाने थोड़े-बहुत चोरीके अपराधी हैं। यह समझकर कोई चीज ले लेना कि वह किसीकी संपत्ति नहीं है चोरी है। सड़क पर पड़ी हुई वस्तुएँ राजाकी हैं या स्थानीय सत्ताकी।

दूसरेले कोई चीज उसकी इजाजतसे लेना भी चोरी है, अगर हमें दरअसल उसकी जरूरत न हो। इस प्रकारकी चोरीका विषय आम तौर पर खुराक होता है। किसी फलकी मुझे जरूरत न हो तो उसका खाना या आवश्यकतासे अधिक मात्रामे खाना मेरे लिए चोरी है। हमें सदा अपनी वास्तविक जरूरतका पता नहीं होता और हममें से अधिकांश अपनी जरूरतें बेजा तौर पर बढ़ा लेते हैं और इस प्रकारसे अज्ञात रूपमें चोर बन जाते हैं। अगर हम इस विषय पर कुछ विचार करें, तो हमें पता चलेगा कि हम अपनी बहुतसी जरूरतें कम कर सकते हैं। अस्तेय-व्रतका पालन करनेवाला धीरे-धीरे अपनी आवश्यकताएँ घटा लेगा। इस संसारका अधिकांश दुःखदायी दारिद्र्य अस्तेय-सिद्धान्तके भंगसे पैदा हुआ है।

जो अस्तेय-सिद्धान्तका पालन करता है, वह भविष्यमें प्राप्त की जाने-वाली वस्तुओंकी चिन्ता नहीं करेगा। बहुतसी चोरियोंकी जड़में भविष्यकी यह दुश्चिन्ता ही पाई जायगी। आज हमें किसी वस्तुकी केवल प्राप्तिकी इच्छा होती है, कल हम उसकी प्राप्तिके लिए संभव हो तो अच्छे और आवश्यक हो तो बुरे उपाय भी काममें लेने लगते हैं।

भौतिक पदार्थोंकी तरह ही विचार भी चुराये जा सकते हैं। जो अहंकारपूर्वक किसी अच्छे विचारका प्रवर्तक होनेका दावा करता है,

लेकिन असलमे उस विचारको जन्म देनेवाला नहीं होता, वह विचारोकी चोरीका दोषी है।

इसलिए जो अस्तेय-व्रत धारण करता है, उसे नम्र, विचारशील, जागरूक और सादी आदतोवाला बनना चाहिये।

मगल-प्रभात, १९४५, पृ० १९-२२

६

अपरिग्रह

अपरिग्रहका अस्तेयके साथ चोली-दामनका सबध है। कोई चीज वास्तवमे चुराई न गई हो तो भी अगर हम आवश्यकताके बिना उसका मग्नह करते हैं, तो वह चोरीका माल समझा जाना चाहिये। परिग्रहका अर्थ है भविष्यके लिए सग्नह करना। सत्य-शोधक, प्रेमधर्मका पालन करनेवाला कलके लिए कोई चीज सग्नह करके नहीं रख सकता। ईश्वर परिग्रह नहीं करता। वह जिस समय जितनी चीजकी जरूरत है, उससे अधिक कभी उत्पन्न नहीं करता। इसलिए यदि हमे उसकी दया पर भरोसा है, तो हमे निश्चिन्त रहना चाहिये कि वह नित्य हमे खानेको देगा अर्थात् हमारी सब जरूरतें पूरी करेगा। सन्तो और भक्तोकी, जिन्होंने ऐसा श्रद्धापूर्ण जीवन बिताया है, यह श्रद्धा सदा उनके अनुभवसे सही साबित हुई है। जिस ईश्वरीय कानूनसे मनुष्यको नित्य आजीविका प्राप्त होती है, लेकिन उससे अधिक कुछ नहीं मिलता, उसके अज्ञान या उपेक्षाके कारण दुनियामे असमानताएँ और उनके साथ लगी हुई तमाम विपत्तियाँ उत्पन्न हुई हैं। धनवानोके पास तो जिन चीजोकी उन्हें जरूरत नहीं है उनका फालतू भंडार भरा होता है। इस कारण उनकी परवाह नहीं की जाती और वे बरबाद होती हैं। दूसरी तरफ लाखो लोग जीविकाके अभावमे भूखसे मर जाते हैं। यदि हरएक अपनी जरूरतकी चीजे ही रखे, तो किसीको कमी नहीं रहेगी और सब सतोषपूर्वक जीवन बिता सकेंगे। वर्तमान स्थितिमें

तो अमीर-गरीब सभी समान रूपसे असंतुष्ट हैं। गरीब आदमी लखपति बनना चाहता है और लखपति करोड़पति। सर्वत्र सतोषकी भावना फैलनेकी दृष्टिसे अमीरोंको परिग्रह छोड़नेमें पहल करनी चाहिये। यदि वे अपनी निजी सपत्तिको साधारण मर्यादामें रखे, तो भूखोंको आसानीमें खानेको मिल जाय और वे धनवानोंके साथ-साथ सतोषका पाठ सीख जाय।

बुद्ध सत्यकी दृष्टिसे शरीर भी एक परिग्रह है। इस प्रकार हम सपूर्ण त्यागके आदर्श तक पहुँच जाते हैं और जब तक शरीर है तब तक उसे सेवाके लिए ही काममें लेना सीखते हैं—यहाँ तक कि रोटी नहीं, बल्कि सेवा ही हमारे जीवनकी सच्ची खुराक बन जाती है। इस प्रकारकी मनोवृत्ति हमें सच्चा सुख प्रदान करती है।

मगल-प्रभात, १९४५, पृ० २३-२५

हमारी रोजमर्राकी जरूरतके लिए प्रकृति काफी उत्पन्न करती है, और यदि प्रत्येक मनुष्य अपने लिए आवश्यकतासे ज्यादा न ले, तो इस ससारमें न तो दारिद्र्य रहे और न कोई भूखसे मरे। लेकिन जब तक हममें यह असमानता है, तब तक हम चोरी ही करते हैं। मैं समाजवादी नहीं हूँ और जिनके पास सपत्ति है उनसे मैं सपत्ति छीनना नहीं चाहता। परंतु मैं यह जरूर कहता हूँ कि हममें से जो लोग व्यक्तिगत रूपमें अधिकारमें से प्रकाशकी ओर जाना चाहते हैं, उन्हें यह नियम पालना पड़ेगा। मैं किसीकी सपत्ति छीनना नहीं चाहता। ऐसा करूँ तो मैं अहिंसाके नियमसे विचलित हो जाऊँगा। यदि किसीके पास मुझसे अधिक परिग्रह है तो भले रहे। परंतु जहाँ तक मेरी अपनी जिन्दगीको नियमित बनानेका सवाल है, मैं जरूर कहता हूँ कि जिस चीजकी मुझे जरूरत नहीं है उसे रखनेका मुझे साहस नहीं होगा। भारतवर्षमें हमारे यहाँ तीस लाख आदमी ऐसे हैं, जिन्हें एक जूत खाकर सन्तोष करना पड़ता है और उस खानेमें सिर्फ एक सूखी रोटी और चिमटी भर नमक ही होता है। आपको और मुझे वास्तवमें अपने पासकी किसी वस्तुको रखनेका तब तक अधिकार नहीं है, जब तक इन तीस लाख व्यक्तियोंको अधिक अच्छा अन्न-वस्त्र न मिलने लगे। आपको और मुझे, जिन्हें अधिक ज्ञान

है, अपनी जरूरतें नियमित करनी चाहिये और स्वेच्छापूर्वक भूखे भी रहना चाहिये, ताकि इन लोगोकी सेवा-शुश्रूषा, भोजन और वस्त्रकी व्यवस्था हो सके।

स्पीचेज एण्ड राइटिंग ऑफ महात्मा गांधी, चतुर्थ संस्करण, पृ० ३८४

७

खानपानमे संयम

नशीले पदार्थों और सभी प्रकारके खाद्यो, विशेषत मासका सेवन न करनेसे बेशक आत्माके विकासमे बड़ी सहायता मिलती है। परन्तु यह स्वयं कोई साध्य नहीं है। बहुतसे लोग, जो मासका सेवन करते हैं और सबके साथ खाते-पीते हैं, परन्तु ईश्वरसे डर कर रहते हैं, उस मनुष्यकी अपेक्षा अपने मोक्षके ज्यादा निकट हैं जो मास और कई दूसरी चीजोका धर्मभावसे परहेज तो रखता है, परन्तु अपने प्रत्येक कर्म द्वारा ईश्वरका तिरस्कार करता है।

यग इंडिया, ६-१०-२१

मैं यह जरूर महसूस करता हू कि किसी मजिल पर आध्यात्मिक प्रगतिका यह तकाजा अवश्य होता है कि हम अपनी शारीरिक आवश्यकताओकी पूर्तिके लिए अपने साथ रहनेवाले प्राणियोकी हत्या बन्द कर दे। जब मैं आपसे अपनी शाकाहारी सनकका जिक्र करता हू, तो मुझे गोल्डस्मिथकी सुन्दर पक्तिया याद आती है, जिनका भावार्थ है

‘जो पशुसमूह घाटीमे स्वतंत्र विचरण करते हैं, उन्हें मैं हत्याका दंड नहीं देता, क्योंकि जो सत्ता मुझ पर दया करती है, उससे शिक्षा लेकर मैं इन पर दया करता हू।’

इंडियाज केस फॉर स्वराज, १९३२, पृ० ४०२

अनुभव यह सिखाता है कि मासाहार उन लोगोके लिए अनुकूल नहीं है, जो अपने विचारोका दमन करना चाहते हैं। परन्तु चरित्र-निर्माण

या इन्द्रिय-जयमे भोजनको अत्यधिक महत्त्व देना भी भूल है। आहार एक ऐसा प्रबल तत्त्व है, जिसकी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिये। परन्तु सारे धर्मका निचोड़ भोजनमे ही मान बैठना, जैसा भारतमे अकसर किया जाता है, उतना ही गलत है जितना भोजन-सम्बन्धी सारे सयमकी उपेक्षा करना और मनभाता खाना-पीना है।

यग इडिया, ७-१०-'२६

अहिंसा केवल खाद्याखाद्यका ही विषय नहीं, यह उससे परे है। मनुष्य क्या खाता-पीता है, इसका बहुत थोड़ा महत्त्व है। महत्त्व उसके पीछे रहनेवाले आत्मत्याग और आत्म-सयमका है। खाद्य पदार्थोंके चुनावमे जितना भी सयम रखना हो जरूर रखे। यह मयम प्रशसनीय है, जरूरी भी है। परंतु इसमे अहिंसा नाममात्रकी है। मनुष्य भोजनके मामलेमे काफी छूट रखकर भी अहिंसाकी जीती-जागती मूर्ति हो सकता है और हमारे आदरका पात्र बन सकता है, यदि उसका हृदय प्रेमसे उमड़ता हो दूसरेके दुःखसे द्रवित होता हो और रागद्वेषादि विकारोसे मुक्त हो गया हो। इसके विपरीत, वह मनुष्य खानपानमे जरूरतसे ज्यादा सावधान रहते हुए भी अहिंसासे सर्वथा अपरिचित है और दयनीय प्राणी है, जो स्वार्थ और विकारोका दास है और कठोर-हृदय है।

यग इडिया, ६-९-'२८

यद्यपि गांधीजीका यह आग्रह है कि ग्रामसेवक ग्रामीणोंके भोजन पर गुजर करे और उसका तीन आने रोजसे ज्यादा खर्च न हो, पर उनका यह आग्रह कदापि नहीं है कि ग्रामसेवक भूखो मरे या अपनी देहका व्यर्थ दमन करे। एक कार्यकर्ताने दिनमे केवल एक बार खानेका कठोर व्रत ले लिया है। उसके भोजनमे १५ तोला उबले हुए चावल, आमटी और छाछ रहती है और उसका खर्च केवल एक आना रोज पड़ता है। गांधीजीने उसे लिखा

“तुम्हारा खाना बहुत कम है। यह भूखो मारनेवाला भोजन है। मेरी रायमे तुम शरीररूपी यत्रका, जो ईश्वरने तुम्हारे सुपुर्द किया है, पूरा उपयोग नहीं कर रहे हो। क्या तुम्हे बाइबलकी सिक्कोवाली

कहानी मालूम है, जिसमें उस मनुष्यसे सिक्के वापस ले लिये गये थे, जो उनका उपयोग नहीं जानता था, या जानते हुए भी उन्हें काममें नहीं लेता था? देहका दमन तब आवश्यक है जब वह हमारी आत्माके विरुद्ध विद्रोह करे। किन्तु जब वह हमारे वशमें आ जाय और सेवाके साधनके रूपमें उसका उपयोग किया जा सके तब उसका दमन करना पाप है। दूसरे शब्दोंमें कहे तो देह-दमनमें स्वयं कोई नैसर्गिक गुण नहीं है।”

हरिजन २-११-३५

८

वैराग्य और आत्मत्याग

वैराग्यका यह अर्थ नहीं कि ससारको छोड़कर जगलमें रहने लग जाय। वैराग्यकी भावना जीवनकी समस्त प्रवृत्तियोंमें व्याप्त होनी चाहिये। कोई गृहस्थ यदि जीवनको भोग न समझकर कर्तव्य समझता है, तो वह गृहस्थ मिट नहीं जाता। जो व्यापारी अपना काम त्यागकी भावनासे करता है, उसके हाथोंसे भले ही करोड़ों रुपयेका लेनदेन होता हो, फिर भी वह यदि अपने धर्मका पालन करता हो, तो अपनी योग्यताका उपयोग सेवाके लिए करेगा। इसलिए वह किसीको धोखा नहीं देगा, सट्टा नहीं करेगा, सादा जीवन व्यतीत करेगा, किसी प्राणीको दुःख नहीं पहुँचायेगा और लाखों रुपये खो देगा मगर किसीको हानि नहीं पहुँचायेगा।

त्यागमय जीवन कलाका उत्तम प्रतीक और सच्चे आनन्दसे परिपूर्ण होता है। जो सेवा करना चाहता है, वह अपने आरामका विचार करनेमें एक क्षण भी व्यर्थ खर्च नहीं करेगा। क्योंकि उसे वह प्रभुकी इच्छा पर छोड़ देता है। इसलिए वह जो कुछ हाथ लग जाय उसीको बटोर कर अपना बोझ नहीं बढ़ायेगा, सिर्फ उतना ही लेगा जितनेकी उसे सख्त जरूरत है, और बाकी छोड़ देगा। असुविधा होने पर भी वह मनमें

शान्त, क्रोधरहित और अविचलित रहेगा। सद्गुणकी भाति उसकी सेवा ही उसका पुरस्कार होगा और वह उसीसे सतुष्ट रहेगा।

दूसरोकी स्वेच्छापूर्वक सेवामे हमारी शक्तिया लगनी चाहिये और उसे अपनी सेवासे तरजीह मिलनी चाहिये। असलमे शुद्ध भक्त अपने लिए कुछ भी न रखकर अपनेको मानव-सेवामे समर्पित कर देता है।

मगल-प्रभात १९४५, पृ० ५७-६०

अपने त्याग पर हमे कोई दुःख अनुभव नही होना चाहिये। जिस त्यागसे पीडा होती है, उसकी पवित्रता नष्ट हो जाती है और अधिक जोर पडने पर वह खतम हो जाता है। मनुष्य उन वस्तुओका त्याग करता है, जिन्हे वह हानिकारक मानता है, इसलिए त्याग करनेसे उसे सुख होना चाहिये।

यग इडिया, १५-७-'२६

९

शरीर-श्रम

शरीर-श्रम मनुष्यमात्रके लिए अनिवार्य है, यह बात पहले-पहल टॉल्स्टॉयके एक निबन्धसे मेरे गले उतरी। इतने स्पष्ट रूपसे इस बातको जाननेसे पहले रस्किनका 'अन्टु दिस लास्ट' पढकर मै फौरन ही उस पर अमल करने लगा था। शरीर-श्रम अग्रेजी शब्द 'ब्रेड लेबर' का अनुवाद है। 'ब्रेड लेबर' का शब्दश अनुवाद है 'रोटी (के लिए) श्रम'। रोटीके लिए हर आदमीको श्रम करना, हाथ-पैर हिलाना चाहिये, यह ईश्वरीय नियम है। यह मूल खोज टॉल्स्टॉयकी नही, पर उसकी अपेक्षा बहुत कम परिचित रूसी लेखक बोन्दरेव्हकी है। टॉल्स्टॉयने इसे प्रसिद्धि दी और अपनाया। इनकी झलक मुझे भगवद्गीताके तीसरे अध्यायमे देखनेको मिलती है। यज्ञ किये बिना खानेवाला चोरीका अन्न खाता है, यह कठोर शाप अयज्ञके लिए दिया गया है। यहा यज्ञका अर्थ शरीर-श्रम या रोटी-श्रम ही अच्छा लगता है, और मेरी रायमे निकल भी

सकता है। जो भी हो, हमारे इस ब्रतकी यह उत्पत्ति है। बुद्धि भी इस वस्तुकी ओर हमें ले जाती है। शरीर-श्रम न करनेवालेको खानेका क्या अधिकार हो सकता है? बाइबल कहती है, “अपनी रोटी तू अपना पसीना बहाकर कमाना और खाना।” करोड़पति भी अपने पलग पर लोटता रहे और मुहमें किसके खाना डाल देने पर खाये, तो वह बहुत दिनों तक न खा सकेगा। उसमें उसके लिए आनन्द भी न रह जायगा। इसलिए वह कसरत वगैरा करके भूख उत्पन्न करता है और खाता तो है अपने ही हाथ-मुह हिलाकर। तो फिर यह प्रश्न स्वभावतः उठता है कि यदि इस तरह राजा-रक सभीको किसी न किसी रूपमें व्यायाम करना ही पडता है, तो रोटी पैदा करनेकी ही कसरत सब लोग क्यों न करे? किमानसे हवा खाने या कसरत करनेको कोई नहीं कहता। और सप्ताहके ९० प्रतिशतसे भी अधिक मनुष्योका निर्वाह खेतीसे होता है। शेष १० प्रतिशत मनुष्य इनका अनुकरण करे, तो सप्ताहमें सुख, शान्ति और आगोय कितना बढ जाय? यदि खेतीके साथ बुद्धिका मेल हो जाय, तो खेतीके काममें आनेवाली अनेक कठिनाइया सहजमें दूर हो जाय। इसके सिवा शरीर-श्रमके इस निरपवाद नियमको सभी यदि मानने लगे, तो ऊच-नीचका भेद दूर हो जाय। इस समय तो जहा ऊच-नीचकी गध भी न थी, वहा भी अर्थात् वर्ण-व्यवस्थामें भी वह घुस गई है। मालिक-मजदूरका भेद सर्वव्यापक हो गया है और गरीब अमीरमें ईर्ष्या करने लग गया है। यदि सब अपनी रोटीके लिए मेहनत करे, तो ऊच-नीचका भेद दूर हो जाय। और फिर जो धनी वर्ग रह जायगा, वह अपनेको मालिक न मानकर उस धनका केवल रक्षक या ट्रस्टी मानेगा और उसका उपयोग मुख्यतः लोकसेवाके लिए करेगा। जिसे अहिंसाका पालन करना है, सत्यकी आराधना करनी है, ब्रह्मचर्य-पालनको स्वाभाविक बनाना है, उसके लिए तो शरीर-श्रम रामबाणरूप हो जाता है। यह श्रम वास्तवमें देखा जाय तो खेतीसे ही सबध रखता है। पर आजकी जो स्थिति है उसमें सब उसे नहीं कर सकते। इसलिए खेतीका आदर्श ध्यानमें रखकर आदमी बदलेमें दूसरा श्रम जैसे कताई, बुनाई, बढई-गिरी, लुहारी इत्यादि कर सकता है। सबको अपना अपना भगी तो

होना ही चाहिये। जो खाता है उसे मलत्याग करना पडता है। मलत्याग करनेवाला ही अपने मलको गाडे, यह इस विषयमे सबसे अच्छी बात है। यह न हो सके तो समस्त परिवार मिलकर इस विषयमे अपना कर्तव्य पालन करे। मुझे तो वर्षोसे ऐसा मालूम होता रहा है कि जहा भगीका अलग धन्धा माना गया है, वहा कोई महादोष घुस गया है। इसका इतिहास हमारे पास नहीं है कि इस आरोग्यवर्धक कार्यको किसने पहले नीचसे नीच ठहराया। ठहरानेवालेने हम पर उपकार तो नहीं ही किया। हम सब भगी है, यह भावना हमारे दिलमे बचपनसे दूढ हो जानी चाहिये और इसे करनेका सहजसे सहज उपाय यह है कि जो समझे हो वे शरीर-श्रमका आरभ पाखाना-सफाईसे करे। जो ज्ञानपूर्वक ऐसा करेगा वह उसी क्षणसे धर्मको आजसे भिन्न और सच्चे रूपमे समझने लगेगा। बालक, वृद्ध और रोगसे अपग बने हुए यदि परिश्रम न करे, तो उसे कोई अपवाद न माने। बालकका समावेश मातामे हो जाता है। यदि प्राकृतिक नियमका भंग न हो, तो बूढे अपग न होंगे और रोग तो भला हो ही कैसे सकता है ?

मगल-प्रभात, १९४५, पृ० ३५-३७

यज्ञ कई प्रकारके हो सकते हैं। उनमे से एक शरीर-श्रम भी हो सकता है। यदि सब अपने ही श्रमकी रोटी खाये, तो सबके लिए पर्याप्त भोजन और पर्याप्त अवकाश उपलब्ध हो जायगा। तब न तो अत्यधिक आबादीकी चिल्लाहट मचेगी, न कोई रोग फैलेगा और न हम आज चारो ओर देखते हैं वैसी कोई विपत्ति सतावेगी। ऐसा श्रम ऊचेसे ऊचे प्रकारका यज्ञ होगा। बेशक, लोग अपने शरीरसे या बुद्धिसे अन्य बहुतसी बातें करेगे, परन्तु वह सारा परिश्रम लोक-कल्याणके प्रेमसे करेगे। तब कोई अमीर-गरीब नहीं होगा, कोई ऊच-नीच नहीं होगा और कोई छूत-अछूत नहीं रहेगा।

यह आदर्श अप्राप्य हो सकता है। परन्तु इस कारण हमें इसके लिए अपनी कोशिश छोड देनेकी जरूरत नहीं। यदि यज्ञके सपूर्ण नियमका अर्थात् हमारे जीवन-नियमका पालन किये बिना हम अपनी जीविकाके

लिए भी काफी शरीर-श्रम कर ले, तो हम उस आदर्शकी दिशामे बहुत आगे बढ जायेगे।

यदि हम ऐसा करेगे तो हमारी आवश्यकताए कमसे कम रह जायगी और हमारा भोजन सादा होगा। तब हम जीनेके लिए खायेगे, खानेके लिए नही जियेगे। इस कथनके ठीक होनेमे जिस किसीको सन्देह हो, वह अपनी गेटीके लिए पसीना बहाकर देख ले, उसे अपनी मेहनतसे पैदा की हुई रोटीमे कुछ और ही मजा आयेगा, उसका स्वास्थ्य सुधर जायगा और उसे पता लग जायगा कि जो बहुतसी विलासकी चीजे उसने अपने पर लाद रखी थी वे बिलकुल बेकार थी।

क्या मनुष्य अपने बौद्धिक श्रमसे अपनी आजीविका नही कमा सकते? नही। शरीरकी आवश्यकताए शरीर द्वारा ही पूरी होनी चाहिये।

केवल मानसिक और बौद्धिक श्रम आत्माके लिए और स्वयं अपने ही सतोषके लिए है। उसका पुरस्कार कभी नही मागा जाना चाहिये। आदर्श राज्यमे डॉक्टर, वकील और ऐसे ही दूसरे लोग केवल समाजके लाभके लिए काम करेगे, अपने लिए नही। शारीरिक श्रमके धर्मका पालन करनेसे समाजकी रचनामे एक शान्त क्रान्ति हो जायगी। मनुष्यकी विजय इसमे होगी कि उसने जीवन-संग्रामके बजाय परस्पर सेवाके संग्रामकी स्थापना कर दी। पशुधर्मके स्थान पर मानव-धर्म कायम हो जायगा।

देहातमे लौट जानेका अर्थ यह है कि शरीर-श्रमके धर्मको उसके तमाम अगोके साथ हम निश्चित रूपमे स्वेच्छापूर्वक स्वीकार करते है। परन्तु आलोचक कहते है, 'भारतकी करोडो सताने आज भी देहातमे रहती है, फिर भी उन्हें पेटभर भोजन नसीब नही होता।' अफसोसके साथ कहना पडता है कि यह बिलकुल सच बात है। सौभाग्यमे हम जानते है कि उनका शरीर-श्रमके धर्मका पालन स्वेच्छापूर्ण नही है। उनका बस चले तो वे शरीर-श्रम कभी नही करे और तजदीकके शहरमे कोई व्यवस्था हो जाय तो वहा दौड कर चले जाय। मजबूर होकर किसी मालिककी आज्ञा पालना गुलामीकी स्थिति है, स्वेच्छासे अपने पिताकी आज्ञा मानना पुत्रका गौरव है। इसी प्रकार शरीर-श्रमके नियमका विवश होकर पालन करनेसे दरिद्रता, रोग और असतोष उत्पन्न

होते हैं। यह दाम्बिकी दशा है। शरीर-श्रमके नियमका स्वेच्छापूर्वक पालन करनेमें सतोष और स्वास्थ्य मिलता है। और तदुरुस्ती ही असली दौलत है न कि सोने-चादीके टुकड़े। ग्रामोद्योग-सध स्वेच्छापूर्ण शरीर-श्रमका ही एक प्रयोग है।

हरिजन २९-६-'३५

प्र० — हमारा यह आग्रह क्यों होना चाहिये कि कोई रवीन्द्रनाथ या रमण शरीर-श्रम द्वारा ही अपनी रोटी कमाये? क्या यह उनकी बौद्धिक शक्तिकी निरी बरबादी नहीं है? दिमागी काम करनेवालोको शरीर-श्रम करनेवालोके बराबर ही क्यों न समझा जाय, जब दोनों ही समाजका उपयोगी काम करते हैं?

उ० — बौद्धिक कार्य महत्त्वपूर्ण है और जीवनकी योजनामें उसका निश्चित स्थान है। परन्तु मेरा आग्रह शरीर-श्रमकी आवश्यकता पर है। मेरा दावा है कि किसी भी मनुष्यको इस दायित्वसे मुक्त नहीं होना चाहिये। इमसे उसके बौद्धिक कार्यकी श्रेष्ठता बढ जायगी।

हरिजन, २३-२-'४७

१०

स्वदेशी

स्वदेशीका उपासक अपने निकटके पडोसियोकी सेवाको प्रथम कर्तव्य मानकर उसमें अपनेको समर्पित कर देगा। इसमें बाकीके लोगोके हितोको छोडने या कुर्बान करनेकी भी नौबत आ सकती है, परन्तु यह छोडने या कुर्बानी करनेकी बात केवल आभासमात्र होगी। अपने पडोसियोकी शुद्ध सेवा चीज ही ऐसी है कि उससे दूरवालोकी कुसेवा हरगिज नहीं हो सकती, बल्कि सेवा ही होती है। 'यथा पिण्डे तथा ब्रह्माण्डे' एक अचूक सिद्धान्त है, जिसे हमें हृदय पर अकित कर लेना चाहिये। इसके विपरीत, जो मनुष्य दूरके लोगोकी सेवाके लालचमें फसकर पृथ्वीके उस छोर तक सेवाके लिए दौडता है, वह न केवल

अपनी महत्वाकाक्षामे विफल होता है, परन्तु पड़ोसियोंके प्रति अपने कर्तव्यमे भी चूकता है। एक प्रत्यक्ष उदाहरण लीजिये। जिस विशेष स्थानमे मैं रहता हूँ वहाँ कुछ लोग मेरे पड़ोसी, कुछ रिश्तेदार और कुछ आश्रित हैं। उनका यह महसूस करना, और यह उनका हक है, स्वाभाविक है कि उनका मुझ पर कोई अधिकार है, और वे सहायता व सहारेके लिए मेरी ओर देखते हैं। अब मान लीजिये कि मैं उन्हें अचानक छोड़ कर किसी दूरकी जगहके लोगोंकी सेवाके लिए चला जाता हूँ। मेरे निश्चयसे पड़ोसियों और आश्रितोंकी मेरी छोटीसी दुनिया अस्तव्यस्त हो जायगी और बहुत संभव है कि मेरे इस दूरकी सेवाके मोहसे नये स्थानका वातावरण अशान्त हो जाय। इस प्रकार अपने पासके पड़ोसियोंकी दोषपूर्ण उपेक्षा और जिनकी सेवा मैं करना चाहता हूँ उनकी अनचाही कुसेवा स्वदेशीके सिद्धान्तके मेरे भगके पहले परिणाम होंगे। इसीसे 'स्वधर्मे निधन श्रेय परधर्मो भयावह' वचन कहा गया है। इसका अर्थ जरूर ऐसा किया जा सकता है 'स्वदेशीका पालन करते हुए मृत्यु भी हो जाय तो अच्छा है, परदेशी तो भयानक है ही।' यहाँ स्वधर्मका अर्थ है स्वदेशी।

हानि तभी होती है जब स्वदेशीके सिद्धान्तका गलत अर्थ समझ लिया जाता है। मसलन्, यह स्वदेशीके सिद्धान्तका विपर्यास होगा कि मैं अपने परिवारका मोह रखकर उसका लाड लडानेके लिए भले-बुरे सभी उपायोसे रुपया बटोरनेमे लग जाऊँ। स्वदेशी धर्मका तकाजा है कि मैं न्यायपूर्ण साधनों द्वारा अपने परिवारके प्रति केवल अपने उचित फर्ज अदा करूँ। इससे मुझे सर्वव्यापक धर्मका पता लग जायगा। स्वदेशीके अमलसे कभी किसीकी हानि नहीं हो सकती, और अगर होती है तो मेरा माना हुआ धर्म स्वधर्म नहीं बल्कि अहंकार है। इसलिए वह त्याज्य है।

ऐसे अवसर आ सकते हैं जब स्वदेशीके भक्तको सबकी सेवाके लिए अपने परिवारका बलिदान करनेकी जरूरत हो जाय। उस समय स्वेच्छासे किये जानेवाले आत्मोत्सर्गका यह कार्य परिवारकी उच्चतम सेवा होगी। यह हो सकता है कि जिस तरह हम अपनेको खोकर अपनी रक्षा

कर सकते हैं, उसी तरह कुटुम्बको खोकर कुटुम्बकी रक्षा कर सके। दूसरा दृष्टान्त ले। मान लीजिये कि मेरे गावमे प्लेग फैल जाता है और इस महामारीके शिकारोको बचानेके प्रयत्नमे मै, मेरी पत्नी, बच्चे और घरके और सब लोग फना हो जाते हैं, तब ऐसा नहीं कहा जायगा कि अपने प्रियतम और निकटतम लोगोको अपने साथ आनेके लिए राजी करके मैने अपने परिवारके नाशकका काम किया, बल्कि यह कहा जायगा कि मैने उसके सच्चे हितैषीका काम किया। स्वदेशीमे स्वार्थकी गुजाइश नहीं है, और यदि उसमे कोई स्वार्थ हो तो वह सर्वोच्च प्रकारका है, जो उच्चतम परोपकारसे भिन्न नहीं है। स्वदेशी अपने शुद्धतम रूपमे परमार्थकी पराकाष्ठा है।

इस तर्कप्रणाली पर चलनेसे ही मुझे यह सूझा कि स्वदेशीके सिद्धान्तको समाज पर लागू करनेका आवश्यक और सबसे महत्त्वपूर्ण परिणाम खादी है। मैने अपने मनसे पूछा कि 'वह कौनसी सेवा है जिसकी इस समय भारतके करोडो लोगोको जरूरत है, जिसे सब लोग आसानीसे समझकर उसकी कद्र कर सकते हैं, जो आसानीसे की जा सकती है और जो हमारे करोडो अधभूखे देशवासियोको जिन्दा रख सकती है?' उत्तर मिला. केवल खादी या चरखेको सर्वव्यापी बनानेसे ये शर्तें पूरी की जा सकती हैं।

कोई यह न समझ ले कि खादी द्वारा स्वदेशीके पालनसे विदेशी या भारतीय मिल-मालिकोको नुकसान पहुंचेगा। किसी चोरसे उसकी चोरी छुडवा दी जाय या चुराया हुआ माल वापस करवा दिया जाय, तो इससे उसको हानि नहीं बल्कि लाभ होता है। इसी प्रकार यदि ससारके सारे अफीमचियो और शराबियोको अपनी बुरी लत छोड देनी पडे, तो अफीम या शराबके दुकानदार घाटेमे नहीं रहेंगे। सच्चे अर्थमे वे फायदेमे ही रहेंगे। पापकी कमाई उठ जानेसे सबधित व्यक्ति या समाजको कभी नुकसान नहीं होता, वह तो शुद्ध लाभ है।

यह मान लेना सबसे बडा भ्रम है कि केवल थोडासा सूत कात लेने या उसकी बनी हुई खादी पहन लेनेसे स्वदेशी धर्मका पूरा पालन हो जाता है। समाजके प्रति स्वदेशी धर्मके पालनमे खादी पहला अनिवार्य

कदम है। परन्तु हमे अकसर ऐसे लोग मिलते है जो खादी पहनते है, मगर और सब बातोमे विलायती मालका छूटसे उपयोग करते है। ऐसे आदमियोके लिए यह नही कहा जा सकता कि वे स्वदेशीका पालन करते है। वे केवल फैशनके पीछे चलते है। स्वदेशीका उपासक अपने चारो ओरकी परिस्थितिका सावधानीसे अध्ययन करेगा और स्थानीय माल दूसरी जगहकी बनी हुई वस्तुओसे घटिया या महंगा होगा तो भी उसे तरजीह देकर, जहा कही सभव होगा, अपने पडोसियोकी सहायता करनेका प्रयत्न करेगा। वह स्थानीय चीजोके दोष दूर करनेकी कोशिश करेगा, परन्तु दोषोके कारण उन्हे छोडकर विदेशी वस्तुओको नही अपनायेगा।

परन्तु अन्य अच्छी चीजोकी भाति स्वदेशीका भी बिना सोचे-विचारे पालन किया जाय तो उससे नुकसान हो सकता है। इस खतरेसे बचना चाहिये। विदेशी मालको सिर्फ विदेशी होनेके कारण अस्वीकार करना और अपने देशमे ऐसी चीजे तैयार करनेमे राष्ट्रका समय और धन बरबाद करना, जिनके लिए वहा अनुकूलता नही है, बहुत बडी मूर्खता और स्वदेशीकी भावनाका भंग है। स्वदेशीका सच्चा उपासक कभी विदेशियोके प्रति अपने मनमे दुर्भाव नही रखेगा। वह ससारमे किसीके प्रति भी वैरभाव नही रखेगा। स्वदेशी धर्म घृणाका धर्म नही है। वह नि स्वार्थ सेवाका सिद्धान्त है, जिसकी जड शुद्धतम अहिंसा अर्थात् प्रेममे है।

(स्वदेशी पर ये विचार १९३० मे यरवडा जेलमे नही लिखे गये थे, परन्तु गाधीजीकी १९३१ मे हुई रिहाईके बाद बाहर आकर लिखे गये थे।)

मगल-प्रभात, १९४५, पृ० ६३-६७

स्वदेशीकी व्यापक व्याख्या यह है कि विदेशी वस्तुओको छोडकर सारी वस्तुए देशकी बनी हुई इस्तेमाल की जाय। देशी वस्तुओका उपयोग देशके उद्योगोकी रक्षाके लिए जरूरी है, खास तौर पर उन उद्योगोकी रक्षाके लिए, जिनके बिना भारत दरिद्र हो जायगा। इसलिए मेरी रायमे जो स्वदेशी धर्म प्रत्येक विदेशी वस्तुका, भले ही वह कितनी

ही उपकारक क्यों न हो और किसीको दरिद्र भी क्यों न बनाती हो, बहिष्कार करता है वह सकुचित स्वदेशी धर्म है।

यग इंडिया, १७-६-'२६

११

सब धर्मोंके लिए आदर

दुनियाके विभिन्न धर्म एक ही स्थान पर पहुचनेके अलग-अलग रास्ते हैं। जहा तक हम एक ही उद्दिष्ट स्थान पर पहुचते हैं, हमारे भिन्न-भिन्न मार्ग अपनानेमे क्या हर्ज है? वास्तवमे जितने व्यक्ति हैं उतने ही धर्म हैं।

हिन्द स्वराज्य, १९४६, पृ० ३५-३६

अहिंसा हमे सिखाती है कि हम दूसरोके धर्मोंका वैसा ही आदर करे जैसा हम अपने धर्मका करते हैं। इस प्रकार हम अपने धर्मकी अपूर्णताको स्वीकार करते हैं। कोई भी सत्यशोधक, जो प्रेमके कानूनका अनुसरण करता है, तुरन्त यह स्वीकार कर लेगा। यदि हमे सत्यका सपूर्ण दर्शन हो जाता, तो हम निरे शोधक न रहकर ईश्वरके साथ तादात्म्य स्थापित कर लेते, क्योंकि सत्य ईश्वर है। परन्तु केवल शोधक होनेके कारण हम अपनी खोज जारी रखते हैं और अपनी अपूर्णताका हमे भान रहता है। और अगर हम खुद अपूर्ण हैं, तो हमारी कल्पनाका धर्म भी अवश्य अपूर्ण होना चाहिये। जैसे हमने ईश्वरका साक्षात्कार नहीं किया है, वैसे ही धर्मका सपूर्ण रूपमे साक्षात्कार नहीं किया है। इस प्रकार हमारी कल्पनाका धर्म अपूर्ण होनेके कारण उसका सदा विकास होता रहता है और उसके अर्थमे परिवर्तन होता रहता है। सत्यकी दिशामे, ईश्वरकी दिशामे, प्रगति ऐसे विकासके कारण ही सम्भव है। और जब मनुष्य-कल्पित सभी धर्म अपूर्ण हैं, तो उनके बीच तुलनात्मक गुण-दोषोका प्रश्न ही नहीं उठता। सभी धर्मोंमे सत्यका दर्शन होता है, परन्तु सब अपूर्ण

है और सबसे भूले हो सकती है। दूसरे धर्मोंका आदर करनेमें उनके दोषोंके प्रति आखे मूढ़नेकी जरूरत नहीं। हमें स्वयं अपने धर्मके दोषोंके प्रति खूब जागरूक रहना चाहिये। लेकिन इस कारण उसे छोड़ नहीं देना चाहिये, बल्कि उन दोषोंको दूर करनेका प्रयत्न करना चाहिये। सब धर्मोंके प्रति समभाव रखते हुए हम दूसरे धर्मोंकी लेने जैसी हर वस्तुको अपने धर्ममें लेनेमें न केवल सकोच नहीं करेगे, बल्कि उसे लेना अपना फर्ज समझेगे।

जैसे हर वृक्षका एक ही तना होते हुए भी बहुतसी डालियां और पत्तियां होती हैं, उसी प्रकार सच्चा और संपूर्ण धर्म एक ही है। परन्तु जब वह मानवीय माध्यमसे होकर गुजरता है, तब उसके अनेक रूप बन जाते हैं। वह संपूर्ण धर्म वाणीसे परे है। अपूर्ण मनुष्य अपनी-अपनी भाषामें उसे रखते हैं और उनके शब्दोंका अर्थ दूसरे उतने ही अपूर्ण मनुष्य करते हैं। तब किसका अर्थ सही माना जाय? प्रत्येक मनुष्य अपने ही दृष्टि-कोणसे सही है, परन्तु यह असंभव नहीं कि सभी गलत हो। इसलिए सहिष्णुता और समभावकी आवश्यकता है। परन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि हम अपने धर्मके प्रति उदासीन हो, बल्कि उसके लिए अधिक ज्ञानपूर्ण और अधिक शुद्ध प्रेम रखे। सहिष्णुतासे हमें आध्यात्मिक प्रकाश मिलता है, जो धर्मान्धतासे उतना ही दूर है जितना दक्षिणी ध्रुवसे उत्तरी ध्रुव। धर्मका सच्चा ज्ञान भिन्न-भिन्न धर्मोंके बीचकी दीवारें तोड़ डालता है।

मगल-प्रभात, १९४५, पृ० ३८-४०

परन्तु सब महान धर्मोंका अध्ययन करते समय एक नियम हमेशा ध्यानमें रखना चाहिये। वह यह कि सबधित धर्मोंके प्रसिद्ध अनुयायियोंकी रचनाओं द्वारा ही उनका अध्ययन करना चाहिये। उदाहरणार्थ, यदि कोई भागवतका अध्ययन करना चाहे, तो उसे किसी विरोधी आलोचकके किये हुए अनुवादसे नहीं करना चाहिये। परन्तु किसी भागवत-प्रेमीके अनुवादसे करना चाहिये। बाइबलका अध्ययन हमें धर्मनिष्ठ ईसाइयोंकी टीकाओं द्वारा करना चाहिये। अपने धर्मके सिवा दूसरे धर्मोंके इस अध्ययनसे हमें सब धर्मोंकी मूलभूत एकताका

ज्ञान हो जायगा और उस सर्वव्यापी तथा शुद्ध सत्यकी झाकी भी मिल जायगी, जो सप्रदायो और धर्मोंके दायरेसे परे है।

कोई क्षणभरके लिए भी यह डर न रखे कि दूसरे धर्मोंके आदरपूर्ण अध्ययनसे स्वयं अपने धर्मके प्रति हमारी श्रद्धा कमजोर हो जायगी। हिन्दू दर्शनशास्त्र मानता है कि सब धर्मोंमें सत्यके तत्त्व मौजूद हैं और उन सबके प्रति वह आदर और पूजाका भाव रखनेका आदेश देता है। इसमें यह चीज तो मान ही ली गई है कि हमारा अपने धर्मके प्रति आदर हो। दूसरे धर्मोंके अध्ययन और उनकी कद्रदानीसे यह आदर घटना नहीं चाहिये। बल्कि इस आदरके फलस्वरूप दूसरे धर्मोंके प्रति हममें आदरका भाव पैदा होना चाहिये।

यग इंडिया, ६-१२-'२८

मैं यह नहीं मानता कि लोग दूसरोको, खास तौर पर धर्म-परिवर्तनकी दृष्टिसे, अपने धर्मोंके बारेमें कहे। धर्ममें कहनेकी गुजाइश नहीं होती। उसे जीवनमें उतारना होता है। तब वह अपना प्रचार, स्वयं कर लेता है।

यग इंडिया, २०-१०-'२७

धर्म अत्यंत व्यक्तिगत वस्तु है। हमें अपने ज्ञानके अनुसार जीवन व्यतीत करके एक-दूसरेकी उत्तम बातें ग्रहण करनी चाहिये और इस प्रकार ईश्वरको प्राप्त करनेके मानव-प्रयत्नोंके कुल योगमें वृद्धि करनी चाहिये।

हरिजन, २८-११-'३६

अस्पृश्यता-निवारण

कोई भी जन्मसे अछूत नहीं हो सकता, क्योंकि सभी उस एक आगकी चिनगारिया हैं। कुछ मनुष्योंको जन्मसे ही अस्पृश्य समझना गलत है।

यह व्रत केवल 'अछूतो' से मित्रता करके ही पूरा नहीं हो जाता, इसमें सभी प्राणियोंको आत्मवत् प्रेम करनेका समावेश होता है। अस्पृश्यता-निवारणका अर्थ सारे ससारके लिए प्रेम और उसकी सेवा है और इस प्रकार वह अहिंसामे समा जाता है। अस्पृश्यता-निवारणका अर्थ है मनुष्य-मनुष्यके बीचकी और भिन्न-भिन्न श्रेणीके प्राणियोंके बीचकी दीवारे तोड़ डालना। हम देखते हैं कि ससारमे सर्वत्र ऐसी दीवारे खड़ी कर दी गई हैं।

मगल-प्रभात, १९४५, पृ० ३१, ३३, ३४

तीसरा विभाग : आर्थिक व्यवस्था

क — अहिंसक अर्थ-व्यवस्था

१

अहिंसात्मक आधार

नये दृष्टिकोणके अनुसार हम न केवल जो मिल सके उसे पानेका विचार छोड़ देगे, परन्तु जो सबको न मिल सके उसे लेनेसे इनकार कर देगे। मेरा खयाल है कि अर्थशास्त्रकी भाषामे हमारे लिए आम लोगोके सफलतापूर्वक अपील करना कठिन नहीं होना चाहिये। और यह प्रयोग खासा सफल हो जाय, तो इससे बहुत बडे और अज्ञात आध्यात्मिक परिणाम निकलेगे। मेरी यह मान्यता नहीं कि आध्यात्मिक कानून केवल अपने ही क्षेत्रमे काम करता है। इसके विपरीत, वह जीवनकी साधारण प्रवृत्तियोके द्वारा ही अपनेको प्रकट करता है। इस प्रकार वह आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रो पर भी अपना प्रभाव डालता है।

यग इडिया, ३-९-'२५

आर्थिक क्षमताके लिए मानव-तत्त्व अत्यावश्यक

मनुष्य एक इज्जत है और उसको गति देनेवाली शक्ति आत्मा है। यह अजीब इज्जत अधिकसे अधिक काम बेतनके लिए या दबावसे नहीं करेगा। यह तभी संभव होगा जब गति देनेवाली शक्ति अर्थात् प्राणीकी इच्छाशक्ति या आत्मामे उसीके सही ईंधन प्रेम द्वारा अधिकसे अधिक बलका संचार किया जायगा। इस मामलेमे सार्वत्रिक नियम यह है कि मालिक और नौकरमे शक्ति और बुद्धि एक निश्चित मात्रामे विद्यमान मान ली जाय, तो उनसे अधिकतम भौतिक परिणाम आपसके वैरभाव द्वारा प्राप्त नहीं होगा, बल्कि एक-दूसरेके प्रति प्रेमसे प्राप्त होगा। नि स्वार्थ व्यवहारसे अत्यंत कारगर ननीजा निकलेगा। अगर आप नौकरसे मेहरबानीका बरताव उसकी कृतज्ञतासे लाभ उठानेके विचारसे करेंगे, तो आपको बदलेमे न कृतज्ञता मिलेगी और न अपनी मेहरबानीकी कोई कीमत। क्योंकि आप इसीके पात्र हैं। इसके विपरीत, आप कोई आर्थिक हेतु रखे बिना नौकरके साथ कृपापूर्ण व्यवहार करेंगे, तो आपके सारे आर्थिक हेतु पूरे हो जायेंगे। यहा भी और जगहकी भांति जो अपनी जान बचायेगा वह खोयेगा और जो खोयेगा वह पायेगा।

मान लीजिये कोई फौजी अफसर यह चाहता है कि वह अपनेको कुछ भी कष्ट न देकर केवल अनुशासनके नियम लागू करके अपनी टुकडीको अत्यंत कारगर बना ले, तो वह किन्ही भी नियमोंसे इस स्वार्थपूर्ण सिद्धान्तके आधार पर अपने मातहतोंकी पूरी शक्तिका विकास नहीं कर सकेगा। परन्तु यदि अपने आदमियोंके साथ वह गहरे संबंध कायम करता है, उनके हितोंका अधिकसे अधिक ध्यान रखता है और उनके प्राणोंकी अधिकसे अधिक कीमत करता है, तो वह अपने प्रति उनके स्नेह और अपने चरित्रमे उनके विश्वासके द्वारा उनकी कारगर शक्तिको इतनी मात्रामे बढ़ा देगा जितनी और किसी उपायसे नहीं बढ़ा सकता।

अपने आफिसके कर्मचारियोंके शासककी हैसियतसे किसी व्यापारीको पिताका अधिकार और जिम्मेदारी प्राप्त होती है। अधिकांश मामलोंमे

किसी व्यापारिक पेढीमें प्रवेश करनेवाला युवक घरके वातावरणसे बिलकुल अलग हो जाता है। उसके मालिकको उसका पिता बन जाना चाहिये। अन्यथा घरमें हमेशा मिलनेवाली व्यावहारिक सलाह-सूचना और सहायताके लिए वह पिताका अभाव महसूस करता है। इसलिए मालिकके पास अपने नौकरोंके साथ न्याय करनेका एकमात्र साधन यह कठोर आत्म-निरीक्षण ही है कि 'मैं अपने मातहतोंके साथ वैसा ही बरताव करता हूँ या नहीं, जैसा मैं अपने लड़केके साथ सयोगवश उसके इसी तरहकी स्थितिमें पड़ जाने पर करता।'

मान लीजिये किसी जहाजके कप्तानको मजबूर होकर अपने ही पुत्रको एक साधारण नाविककी स्थितिमें रखना पड़ता है। उस समय जो बरताव वह अपने लड़केके साथ करेगा, वही अपने मातहत काम करनेवाले हर आदमीके साथ करना उसका धर्म है। इसी तरह फर्ज कीजिये कि किसी कारखानेके मालिकको अपने ही लड़केको मामूली मजदूरकी स्थितिमें रखनेको विवश होना पड़े। तब अपने प्रत्येक मजदूरके साथ हमेशा वैसा ही व्यवहार करना उसका धर्म है, जैसा वह अपने पुत्रके साथ करेगा। अर्थशास्त्रका यही एकमात्र कारगर, सही या व्यावहारिक नियम हो सकता है।

और जैसे किसी जहाजके टकराकर टूट जाने पर कप्तानका यह धर्म हो जाता है कि वह सबके बाद जहाजसे हटे और अकाल पड़ने पर अपने मल्लाहको खिलाकर अंतिम कौर स्वयं खाये, उसी प्रकार किसी व्यापारिक सकटमें उद्योगपतिका यह धर्म है कि वह अपने आदमियोंके कष्ट-सहनमें न सिर्फ शरीक हो, बल्कि अपने आदमियोंको जितना कष्ट महसूस होने दे उससे अधिक कष्ट खुद उठा ले। वह ऐसा ही करे जैसे कोई पिता अकालके समय, जहाजके टूट जाने पर या युद्धमें अपने पुत्रके लिए खुदको बलिदान कर देता है।

ये सब बातें बहुत अजीब मालूम होती हैं। फिर भी इस मामलेमें कोई सच्ची विचित्रता है तो वह यही कि ये बातें ऐसी लगती हैं, क्योंकि वे शाब्दिक और व्यावहारिक दृष्टिसे सब सच हैं।

गाधीजीज पैराफ्रेज ऑफ 'अन्टु दिस लास्ट', १९५१, पृ० ८-११,
२१-२३

मनुष्य ही संपत्ति है, सोना-चांदी नहीं

असलमे धनके नामसे जो चीज चाही जाती है वह है मनुष्यो पर सत्ता। सीधे-सादे शब्दोमे उसका अर्थ है, वह सत्ता जिससे हमे अपने लाभके लिए नौकर, व्यापारी और कलाकारका श्रम मिल जाय। इसलिए साधारण अर्थमे धनवान बननेकी कला सिर्फ अपने लिए बहुतसी दौलत इकट्ठी करनेकी ही कला नहीं है, बल्कि ऐसी युक्ति आजमानेकी कला है जिससे हमारे पड़ोसियोके पास हमसे कम दौलत रहे। ठीक शब्दोमे कहा जाय तो यह 'अपने पक्षमे अधिकसे अधिक असमानता कायम करनेकी कला' है।

चूँकि सपत्तिका सार मनुष्यो पर सत्ता कायम करना है, इसलिए क्या यही निष्कर्ष नहीं निकलता कि जिन मनुष्यो पर उसकी सत्ता है वे जितने ऊँचे और सख्यामे अधिक होंगे, उतनी ही सम्पत्ति अधिक होगी? शायद थोड़े विचारके बाद यह भी मालूम हो सकता है कि वे मनुष्य स्वयं ही सपत्ति हैं, न कि सोना-चांदी। सपत्तिकी वास्तविक धमनिया नीली है और वे पत्थरोमे नहीं परन्तु मासमे हैं। सपत्तिमात्रकी अंतिम सिद्धि यही है कि अधिकसे अधिक सशक्त, तेजस्वी आखोवाले और प्रसन्न-हृदय मनुष्य पैदा किये जाय। ऐसा समय भी आ सकता है जब इंग्लैंड गोलकुण्डाके हीरोसे गुलामोको सजाकर अपनी दौलतका प्रदर्शन करनेके बजाय ग्रीसके एक नामांकित पुरुषके कहे अनुसार अपने नीतिमान महापुरुषोको दिखाकर यह कह सके कि

'ये है मेरे रत्न।'

गाधीजीज पैराफ्रेज ऑफ 'अन्टु दिस लास्ट', १९५१, पृ० २८, २९, ४१, ४२

इसलिए जीवन ही सम्पत्ति है। वह देश सबसे ज्यादा समृद्ध है, जो अधिकसे अधिक सख्यामे सज्जन और सुखी मानवोका भरण-पोषण करता है। वह आदमी सबसे ज्यादा समृद्ध है, जिसने अपने जीवनके

कार्योको अधिकसे अधिक पूर्ण बनाया है और जिसका दूसरोके जीवन पर व्यक्तिगत रूपमे और अपनी सम्पत्तिके जरिये अधिकसे अधिक व्यापक प्रभाव है।

गाधीजीज पैराफ्रेज ऑफ 'अन्टु दिस लास्ट', १९५१, पृ० ५७

४

न्यायपूर्ण मजदूरी

यदि मैं अपने आदमीको उचित मजदूरी देता हू, तो मैं अनावश्यक धन जमा नहीं कर सकूंगा, भोग-विलास पर रुपया बरबाद नहीं कर सकूंगा और ससारमे दरिद्रताकी मात्राको नहीं बढ़ा सकूंगा। जिस मजदूरको मुझसे उचित मजदूरी मिलती है, वह अपने मातहतोके साथ न्यायको व्यवहार करेगा। इस प्रकार न्यायकी धारा सूख नहीं जायगी परन्तु जैसे-जैसे आगे बढ़ेगी वैसे-वैसे बल-सचय करेगी। और जिस राष्ट्रमे ऐसी न्याय-भावना होगी, वह सुखी और खुशहाल होगा।

इस प्रकार हम देखते हैं कि अर्थशास्त्री यह सोचनेमे भूल करते हैं कि किसी राष्ट्रके लिए स्पर्धा या होड अच्छी है। स्पर्धासे सिर्फ खरीदारको मजदूरकी मजदूरी अन्यायपूर्ण ढंगसे सस्ती मिल जाती है। नतीजा यह होता है कि धनवान अधिक धनी और निर्धन अधिक गरीब बनते हैं। अन्तमे इसका परिणाम राष्ट्रके लिए विनाशकारी ही हो सकता है। मजदूरको अपनी योग्यताके अनुसार न्यायपूर्ण मजदूरी मिलनी चाहिये। तब भी एक प्रकारकी स्पर्धा तो होगी ही, परन्तु लोग सुखी और कुशल होंगे, क्योंकि उन्हें मजदूरी पानेके लिए एक-दूसरेसे कमसे कम दर पर काम नहीं करना पड़ेगा, बल्कि उन्हें रोजगार हासिल करनेके लिए नये-नये कौशल प्राप्त करने होंगे। सरकारी नौकरियोके आकर्षक होनेका यही रहस्य है, क्योंकि उनमे वेतन ऊचे-नीचे पदोके अनुसारा तय होता है। उनके लिए एक उम्मीदवार दूसरेसे कम तनख्वाह

लेनेका प्रस्ताव नहीं करता, परन्तु यही दावा करता है कि वह अपने प्रतिस्पर्धियोंसे अधिक योग्य है। जल और स्थल सेनामें भी यही हाल है, जहा बहुत थोडा भ्रष्टाचार है। परन्तु व्यवसाय और उद्योगमें हृद दर्जेकी प्रतिस्पर्धा है और उसका परिणाम धोखेबाजी, धूर्तता और चोरीमें आता है। रद्दी माल तैयार किया जाता है। उद्योगपति, मजदूर और खरीदार सब अपने-अपने स्वार्थका ध्यान रखते हैं। इससे सारा मानव-व्यवहार विषैला हो जाता है। मजदूर भूखो मरते हैं और हडताल कर देते हैं। कारखानेदार मक्कार बन जाते हैं और ग्राहक भी अपने आचरणके नैतिक पहलुकी उपेक्षा करते हैं। एक अन्यायसे दूसरे अनेक अन्याय पैदा होते हैं और अन्तमें मालिक मजदूर और ग्राहक सब दुखी होकर बरबाद हो जाते हैं। लोगोका धन ही उनमें अभिशापका काम करता है।

सच्चा अर्थशास्त्र न्यायका अर्थशास्त्र है। लोग जितने न्याय करना और सदाचारी बनना सीखेंगे उतने ही सुखी होंगे। अन्य सब बातें न केवल व्यर्थ हैं, बल्कि सीधी विनाशकी ओर ले जानेवाली हैं। येन केन प्रकारेण लोगोको धनवान बनना सिखाना उनकी महान कुसेवा करना है।

गाधीजीज पैराफ्रेज ऑफ 'अन्टु दिस लास्ट,' १९५१, पृ० ५०-५३

जो अर्थशास्त्र धनकी पूजा करना सिखाता है और कमजोरोको हानि पहुंचाकर सबलोको दौलत जमा करने देता है, वह झूठा और भयानक अर्थशास्त्र है। वह मृत्युका दूत है। इसके विपरीत सच्चा अर्थशास्त्र सामाजिक न्यायकी हिमायत करता है, वह सबकी — जिनमें दुर्बलसे दुर्बल भी शामिल है — समान रूपसे भलाई चाहता है और सम्य जीवनके लिए अनिवार्य है।

हरिजन, ९-१०-'३७

आर्थिक समानता

समाजकी मेरी कल्पना यह है कि जहा हम सब समान पैदा हुए हैं — अर्थात् हमे समान अवसर प्राप्त करनेका हक है, वहा सबकी योग्यता एकसी नहीं है। यह कुदरती तौर पर असभव है। उदाहरणार्थ सबकी ऊंचाई, रंग या बुद्धिकी मात्रा वगैरा एकसी नहीं हो सकती, इसलिए कुदरतकी रचना ही ऐसी है कि कुछ लोगोमे अधिक कमानेकी और दूसरोमे उनसे कम कमानेकी योग्यता होगी। बुद्धिशाली लोग अधिक कमायेगे और वे इस कामके लिए अपनी बुद्धिका उपयोग करेगे। यदि वे अपनी बुद्धिका उपयोग दयाभावेसे करे, तो वे राज्यका ही काम करेगे। ऐसे लोग सरक्षक बनकर जीते हैं, और किसी तरह नहीं। मैं बुद्धिशाली मनुष्यको अधिक कमाने दूंगा और उसकी बुद्धिको कुठित नहीं करूंगा। परन्तु जैसे पिताके तमाम कमाऊ बेटोकी कमाई परिवारके सम्मिलित कोषमे जाती है, ठीक वैसे ही उसकी अधिकाश कमाई राज्यकी भलाईमे काम आनी चाहिये।

यग इडिया, २६-११-'३१

आर्थिक समानताका सच्चा अर्थ है जगतके सब मनुष्योके पास एक समान सपत्तिका होना यानी सबके पास इतनी सपत्ति होना, जिससे वे अपनी कुदरती आवश्यकताएँ पूरी कर सकें। कुदरतने हमें एक आदमीका हाजमा अगर नाजुक बनाया हो और वह केवल पाच ही तोला अन्न खा सके और दूसरेको बीस तोला अन्न खानेकी आवश्यकता हो, तो दोनोको अपनी-अपनी पाचन-शक्तिके अनुसार अन्न मिलना चाहिये। सारे समाजकी रचना इस आदर्शके आधार पर होनी चाहिये। अहिसक समाजको दूसरा आदर्श नहीं रखना चाहिये। पूर्ण आदर्श तक हम शायद नहीं पहुँच सकते, मगर उसे नजरमे रखकर विधान बनाये और व्यवस्था करे। जिस हद तक इस आदर्शके पास हम पहुँच सकेंगे, उसी हद तक सुख

और सतोष प्राप्त करेगे और उसी हद तक सामाजिक अहिंसा सिद्ध हुई कही जा सकेगी।

हरिजन, २५-८-'४०

६

आयकी समानता

अपनी बुद्धिको रुपये-आने-पाईमें बदलनेके बदले देशकी सेवामे लगाइये। यदि आप डॉक्टर है तो भारतमे इतनी बीमारिया है कि आपके सारे चिकित्सा-कौशलकी उसमे जरूरत है। अगर आप वकील है तो हिन्दुस्तानमे काफी मतभेद और झगडे-टटे है। अधिक झगडे खडे करनेके बजाय आप उन झगडोको निपटाइये और मुकदमेवाजी बन्द कीजिये। यदि आप इजीनियर है तो हमारे गरीब लोगोकी हैसियत और जरूरतके अनुसार और फिर भी स्वास्थ्यप्रद और शुद्ध हवावाले नमूनेदार मकान बनाइये। आपकी सीखी हुई कोई भी चीज ऐसी नहीं है, जिसका उपयोग न किया जा सके। (जिस भाईने गाधीजीसे यह प्रश्न पूछा था, वह एक चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट था। गाधीजीने आगे उससे कहा था) सब जगह कांग्रेस और उससे सबधित सस्थाओके हिसाब जाचनेके लिए हिसाब-परीक्षकोकी सख्त जरूरत है। आप भारत आ जाइये — मैं आपको काफी काम दगा और ४ आने रोज पारिश्रमिक भी दगा, जो भारतके लाखो लोगोकी आमदनीसे अवश्य ही बहुत ज्यादा है।

यग इडिया, ५-११-'३१

वकालतका पैसा करनेका यह मतलब नहीं होना चाहिये कि एक देहाती बढईकी मजदूरीसे ज्यादा पैसा लिया जाय।

हरिजन १३-७-'४०

मेरे स्वप्नोका स्वराज्य गरीब आदमीका स्वराज्य है। जीवनकी आवश्यक वस्तुए आपको भी वैसे ही उपलब्ध होनी चाहिये, जैसे राजाओ

और धनिकोको है ! लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आपके भी उनके जैसे महल हो। सुखके लिए महल जरूरी नहीं है। आप या मैं तो उनमें खो ही जायेंगे। परन्तु आपको जीवनकी वे तमाम साधारण सुविधाएँ मिलनी चाहिये जो अमीरोको प्राप्त हैं। मुझे जरा भी शक नहीं कि जब तक स्वराज्यमें आपके लिए ये सुख-सुविधाएँ निश्चित नहीं बनाई जाती, तब तक वह पूर्ण स्वराज्य नहीं है।*

यग इडिया, २६-३-'३१

एक प्रश्नके उत्तरमें गांधीजीने कहा कि अगर भारतको स्वाधीनताका ऐसा आदर्श जीवन व्यतीत करना है जिससे सप्ताह ईर्ष्या करे, तो तमाम भगियो, डॉक्टरों, वकीलों, शिक्षकों, व्यापारियों और दूसरे लोगोंको दिन भरके प्रामाणिक कामकी एकसी मजदूरी मिलेगी। संभव है भारतीय समाजको यह ध्येय कभी प्राप्त न हो। परन्तु यदि भारतवर्षको सुखी देश बनना है, तो प्रत्येक भारतीयका कर्तव्य है कि वह इस लक्ष्यकी ओर बढनेका प्रयत्न करे।

हरिजन, १६-३-'४७

७

विकेन्द्रीकरण

मेरा कहना है कि भारतको अगर अहिंसक ढंगसे अपना विकास करना है, तो उसे बहुतसी चीजोंको विकेन्द्रित करना होगा। काफी सेना रखे बिना न तो एक जगह सारी सत्ता केन्द्रित की जा सकती, न उसकी रक्षा की जा सकती है। सीधे-सादे घरोंमें ले जाने जैसी कोई चीज नहीं होती, इसलिए उनके लिए पुलिस रखनेकी जरूरत नहीं होती। अमीरोके महलोंको डकैतोंमें बचानेके लिए मजबूत पहरोकी आवश्यकता होती है। इसी तरह बड़े-बड़े कारखानोंको भी उनकी आवश्यकता होती है।

अहमदाबादके मजदूर-संघमें दिये गये भाषणसे।

ग्रामीण ढंगसे सगठित भारतको गहरी रचनावाले तथा जल, स्थल और वायु-सेनासे सुसज्जित भारतकी अपेक्षा विदेशी आक्रमणका कम खतरा रहेगा।

हरिजन, ३०-१२-'३९

आप कारखानोकी सम्पत्ता पर अहिंसाका निर्माण नहीं कर सकते, लेकिन वह स्वावलम्बी और स्वाश्रयी ग्रामोके आधार पर निर्माण की जा सकती है। मेरी कल्पनाकी ग्रामीण अर्थ-रचना शोषणका सर्वथा त्याग करती है और शोषण हिंसाका सार है। इसलिए अहिंसक होनेके पहले आपको ग्रामीण मानसवाले बनना होगा, और ग्रामीण मानसवाले बननेके लिए आपको चरखेमें श्रद्धा रखनी होगी।

हरिजन, ४-११-'३९

साधना इस लक्ष्यकी होनी चाहिये कि मानव सुखी हो और उसके साथ-साथ उसका पूरा मानसिक और नैतिक विकास हो। नैतिक विशेषणका प्रयोग मैं आध्यात्मिकके अर्थमें कर रहा हूँ। यह ध्येय विकेन्द्रीकरणमें प्राप्त हो सकता है। केन्द्रीकरणका पद्धतिके रूपमें समाजकी अहिंसक रचनाके साथ मेल नहीं बैठता।

हरिजन, १८-१-'४२

८

अहिंसक धंधे

सच प्छा जाय तो कोई प्रवृत्ति और कोई भी उद्योग, चाहे कितना ही छोटा हो, थोड़ी-बहुत हिंसाके बिना सम्भव नहीं। कुछ न कुछ हिंसाके बिना जिन्दा रहना भी असम्भव है। हमें करना यही है कि हम उसे यथासम्भव ज्यादासे ज्यादा घटाये। वास्तवमें अहिंसा शब्दका, जो नकारात्मक है, अर्थ ही यह है कि जीवनमें जो हिंसा अनिवार्य है उसे छोड़ देनेका वह प्रयत्न है। इसलिए जो कोई अहिंसामें विश्वास रखता है, वह ऐसे धंधोंमें लगेगा जिनमें कमसे कम हिंसा हो। इस

प्रकार, उदाहरणके लिए, यह कल्पना नहीं की जा सकती कि अहिंसामे विश्वास रखनेवाला कोई आदमी कसाईका धधा करेगा। यह बात नहीं है कि मासाहारी अहिंसक नहीं हो सकता। परन्तु अहिंसामे विश्वास रखनेवाला मासाहारी भी शिकार नहीं करेगा और न वह युद्ध या युद्धकी तैयारिया करेगा। इस प्रकार अनेक प्रवृत्तियाँ और धधे ऐसे हैं, जिनमे हिंसा अवश्य होती है और जिनसे अहिंसक मनुष्यको बचना चाहिये। परन्तु खेती ऐसी है जिसके बिना जीवन असंभव है, और उसमे कुछ न कुछ हिंसा होती ही है। इसलिए निर्णायक तत्त्व यह है क्या धधेकी बुनियाद हिंसा पर है? परन्तु चूंकि प्रवृत्तिमात्रमे कुछ न कुछ हिंसा होती ही है, इसलिए हमारा काम इतना ही है कि उसमे होनेवाली हिंसाको हम कमसे कम करनेका प्रयत्न करें। अहिंसामे हार्दिक विश्वास हुए बिना यह संभव नहीं। मान लीजिये एक ऐसा मनुष्य है जो प्रत्यक्ष हिंसा नहीं करता, और अपनी रोजीके लिए श्रम करता है, परन्तु दूसरोके धन या वैभव पर सदा ईर्ष्यासि जलता रहता है। वह अहिंसक नहीं है। इस प्रकार अहिंसक धधा वह धधा है, जो बुनियादी तौर पर हिंसासे मुक्त हो और जन्ममे दूसरोका शोषण या ईर्ष्या नहीं हो।

मेरे पास इसका ऐतिहासिक सबूत तो नहीं है, परन्तु मेरा विश्वास है कि भारतवर्षमे एक समय ऐसा था, जब ग्रामीण अर्थ-व्यवस्थाका संगठन इस तरहके अहिंसक धधेके आधार पर, मनुष्यके अधिकारोके आधार पर नहीं परन्तु मनुष्यके कर्तव्योके आधार पर होता था। जो इन धधोमे लगते थे वे अपनी रोजी बेशक कमाते थे, परन्तु उनके श्रमसे समाजकी भलाई होती थी। उदाहरणार्थ, एक बड़ई गावके किसानकी जरूरतें पूरी करता था। उसे कोई नकद मजदूरी नहीं मिलती थी, परन्तु गाववाले उसे अपनी पैदावारमे से हिस्सा देते थे। इस व्यवस्थामे भी अन्याय हो सकता है, परन्तु वह अत्यंत कम किया जा सकता है। मैं साठ वर्षसे भी पहलेके काठियावाडी जीवनकी निजी जानकारीसे कह रहा हूँ। उस समय लोगोकी आखोमे आजकी अपेक्षा अधिक तेज था, उनके हाथ-पैर आजसे ज्यादा मजबूत थे। उस जीवनका आधार अहिंसा थी, हालांकि इसका लोगोको भान नहीं था।

शरीर-श्रम इन घघो और उद्योगोकी जान था और बडे पैमाने पर कोई कल-कारखाने नहीं थे। कारण, जब मनुष्य उतनी ही जमीन रखकर सतोष मान लेता है जिसे वह खुद मेहनत करके जोत सकता है, तब वह दूसरोका शोषण नहीं कर सकता। दस्तकारियोमे शोषण और गुलामीकी गुजाइश नहीं होती। बडे पैमाने पर चलनेवाले कारखाने एक आदमीके हाथोमे धन इकट्ठा कर देते हैं और वह बाकी लोगो पर, जो उसके लिए गुलामो जैसे काम करते हैं, प्रभुत्व जमा लेता है। समभव है वह अपने मजदूरोके लिए आदर्श स्थिति उत्पन्न करनेका प्रयत्न कर रहा हो, परन्तु फिर भी वह शोषण ही है, और शोषण हिंसाका एक रूप है।

ऋरिजन, १-९-'४०

९

प्राचीन भारतमे सर्वोदय

सदाचारका पालन करनेका अर्थ है अपने मन और विकारो पर प्रभुत्व पाना। हम देखते हैं कि मन एक चंचल पक्षी है। उसे जितना मिलता है उतनी ही उसकी भुख बढ़ती है और फिर भी उसे सतोष नहीं होता। हम अपने विकारोका जितना पोषण करते हैं, उतने ही निरकुश वे बनते हैं। इसलिए हमारे पूर्वजोने हमारे भोगकी मर्यादा बना दी थी। उन्होने देखा कि मुख बहुत हद तक मानसिक स्थिति है। यह जरूरी नहीं कि कोई मनुष्य धनवान होनेके कारण सुखी हो और निर्धन होनेके कारण दुःखी हो। धनवान अकसर दुःखी और गरीब अकसर सुखी पाये जाते हैं। करोडो लोग सदा निर्धन ही रहेंगे। यह सब देखकर हमारे पुरखोने हमें भोग-विलाससे और ऐश-आरामसे दूर रहनेका उपदेश दिया। हमने हजारो वर्ष पहलेके हलसे ही काम चलाया है। हमारी ओपडिया अब भी उसी किस्मकी है जैसी पुराने जमानेमे थी, और हमारी देगी शिक्षा अब भी वैसी ही है जैसी पहले थी। हमारे यहा जीवन-नाशक

स्पर्धाकी प्रणाली नहीं रही। हरएक अपना-अपना धधा या व्यवसाय करता था और नियमित मजदूरी लेता था। यह बात नहीं कि हमें यत्रोका आविष्कार करना नहीं आता था। परन्तु हमारे बापदादा जानते थे कि अगर हमने इन चीजोंमें अपना दिल लगाया, तो हम गुलाम बन जायेंगे और अपनी नैतिक शक्ति खो बैठेंगे। इसलिए उन्होंने काफी विचार करनेके बाद निश्चय किया कि हमें केवल वही करना चाहिये जो हम अपने हाथ-पैरोसे कर सकते हैं। उन्होंने देखा कि हमारा सच्चा सुख और स्वास्थ्य अपने हाथ-पैरोको ठीक तरह काममें लेनेमें है। उन्होंने यह भी कहा कि बड़े-बड़े शहर एक फदा ओर व्यर्थका भार हैं और लोग उनमें सुखी नहीं रहेंगे, वहा चोर-डाकुओंकी टोलिया लोकोको सतायेगी, व्यभिचार व बदीका बाजार गर्म रहेगा और गरीब लोग अमीरो द्वारा लूटे जायेंगे। इसलिए वे छोटे-छोटे गावोंमें सतुष्ट थे। उन्होंने देखा कि राजा और उनकी तलवारे नीतिकी तलवारसे घटिया हैं और इसलिए वे पृथ्वीके सम्राटोको ऋषियों और फकीरोसे नीचा मानते थे। इस प्रकारके विधानवाला राष्ट्र दूसरोसे सीखनेके बजाय उन्हें सिखानेके लिए अधिक योग्य है। इस राष्ट्रके पास अदालत, वकील और डॉक्टर थे, परन्तु वे सब मर्यादाओंके भीतर रहते थे। हरएक जानता था कि ये पेशे खास तौर पर श्रेष्ठ नहीं हैं, साथ ही, वे वकील और वैद्य लोकोको लूटते नहीं थे। वे लोकोके आश्रित माने जाते थे न कि उनके मालिक। न्याय काफी निष्पक्ष था। साधारण नियम तो अदालतोसे दूर ही रहनेका था। लोकोको फुसलाकर अदालतोमें ले जानेवाले कोई दलाल नहीं थे। यह बुराई भी राजधानियोंके भीतर और उनके आसपास ही दिखाई देती थी। साधारण लोग स्वतंत्र जीवन व्यतीत करते और अपना खेतीका धधा करते थे। वे सच्चे स्वराज्यका उपभोग करते थे।

हिन्द स्वराज्य, १९०९, अध्याय १३

ख— उद्योगवाद

१

उद्योगवाद : एक अभिशाप

मुझे भय है कि उद्योगवाद मानव-जातिके लिए अभिशाप बन जानेवाला है। उद्योगवाद सर्वथा इस बात पर निर्भर है कि आपमें शोषण करनेकी कितनी शक्ति है, विदेशी मडिया आपके लिए कहा तक खुली है और प्रतिस्पर्धियोका कितना अभाव है। चूकि इग्लैण्डके लिए ये बातें दिनोदिन कम हो रही हैं, इसलिए उसके यहा बेकारोकी सख्या रोज बढ़ रही है। भारतीय बहिष्कार तो केवल मामूली-सी बात है। और जब इग्लैण्डकी यह हालत है तो भारत जैसे विशाल देशको तो उद्योगीकरणसे लाभ होनेकी आशा ही नहीं की जा सकती। सच तो यह है कि भारत जब दूसरे राष्ट्रोका शोषण करने लगेगा—और उसके यहा उद्योगीकरण हो गया तो वह जरूर शोषण करेगा—तब वह अन्य राष्ट्रोके लिए शाप और ससारके लिए खतरा बन जायगा। तब दूसरे राष्ट्रोका शोषण करनेके लिए भारतमें कल-कारखाने बढ़ानेका मैं क्यों विचार करूँ? क्या आप यह करण स्थिति नहीं देख रहे कि हम अपने ३० करोड़ बेकारोके लिए काम जुटा सकते हैं, परन्तु इग्लैण्ड अपने ३० लाखके लिए कोई काम मुहैया नहीं कर सकता, और उसके सामने ऐसी समस्या खड़ी है, जिसके आगे इग्लैण्डके बडेसे बडे बुद्धिमान चक्कर खा रहे हैं? उद्योगवादका भविष्य अधकारमय है। अमरीका, जापान, फ्रांस और जर्मनी इग्लैण्डके सफल प्रतिस्पर्धी हैं। भारतकी मुट्ठीभर मिले भी उसकी प्रतिद्वंद्वी हैं। और जैसे भारतमें जागृति हो गई है, वैसे ही दक्षिण अफ्रीकामें भी जागृति होगी। और वहा तो प्राकृतिक, खनिज और मानवीय साधन भी कही अधिक विपुल हैं। अफ्रीकाकी बलवान जातियोके सामने जबरदस्त

अग्रेज बिलकुल पिट्टी दिखाई देते हैं। आप कहेंगे कि अन्तमें तो वे भले जगली ही हैं। वे भले जरूर हैं परन्तु जगली नहीं, और शायद कुछ ही सालमें पश्चिमी राष्ट्रोंको अफ्रीकामें अपने मालका सस्ता बाजार मिलना बन्द हो सकता है। और यदि उद्योगवादका भविष्य पश्चिमके लिए अधकारमय है, तो क्या भारतके लिए वह और भी अधकारमय नहीं होगा ?

यग इंडिया, १२-११-'३१

वर्तमान कष्ट नि सन्देह असहनीय है। दरिद्रताका नाश होना ही चाहिये। परन्तु उद्योगवाद इसका सही इलाज नहीं है।

यग इंडिया, ७-१०-'२६

२

मशीनें

मशीनोंका अपना स्थान है, अपनी उन्होंने जड जमा ली है। परन्तु उन्हें जरूरी मानव-श्रमका स्थान नहीं लेने देना चाहिये। मुघरा हुआ हल अच्छी चीज है। परन्तु यदि सयोगमें कोई एक आदमी अपने किसी यांत्रिक आविष्कार द्वारा भारतकी सारी भूमि जोत सके और खेतीकी तमाम पैदावार पर नियंत्रण कर ले और यदि करोड़ों लोगोंके पास कोई और धधा न हो, तो वे भूखों मरेंगे और निकम्मे हो जानेके कारण जड बन जायेंगे, जैसे कि आज भी बहुत लोग बन गये हैं। हर क्षण यह डर रहता है कि और भी अनेक लोगोंकी वैसी ही दुर्दशा हो जायगी।

मैं गृह-उद्योगोंकी मशीनोंमें हर प्रकारके सुधारका स्वागत करूंगा। परन्तु मैं जानता हू कि विद्युत-शक्तिसे चलनेवाले तकुए जारी करके हाथसे कातनेवाले लोगोंको हटा देना जुर्म है, यदि इसके साथ करोड़ों किसानोंको उनके घरोंमें कोई धधा मुहैया करनेकी हमारी तैयारी न हो।

यग इंडिया, ५-११-'२५

यन्त्रोका वही उपयोग उचित है, जो सबकी भलाईके लिए हो।

यग इडिया, १५-४-'२६

मैं अधिकसे अधिक विकसित यन्त्रोके उपयोगका भी समर्थन करूंगा यदि उसमे भारतकी दरिद्रता और उससे पैदा होनेवाला आलस्य मिट सके। मैंने सुझाया है कि हाथ-कताई ही दरिद्रताको भगानेका तथा काम और धनके अभावको असभव बनानेका एकमात्र सुलभ उपाय है। चरखा स्वय एक कीमती मशीन है और मैंने अपने नम्र ढगसे भारतकी विशेष परिस्थितिके अनुसार उसमे सुधार करनेका प्रयत्न किया है।

यग इडिया, ३-११-'२१

‘क्या आप यन्त्रमात्रके विरुद्ध हैं?’

मेरा जोरदार उत्तर ‘नहीं’ है। परन्तु मैं उनकी विवेकहीन वृद्धिके खिलाफ हूँ। मैं यन्त्रोकी ऊपरी विजयसे प्रभावित होनेसे इनकार करता हूँ। मैं तमाम नाशकारी यन्त्रोका कट्टर विरोधी हूँ। परन्तु सीधे-सादे औजारो और ऐसे यन्त्रोका, जिनसे व्यक्तियोका परिश्रम बचता हो और लाखो झोपडियोका भार हलका होता हो, मैं स्वागत करूंगा।

यग इडिया, १७-६-'२६

मुझे आपत्ति स्वय मशीनो पर नहीं, बल्कि उनके लिए पागल बनने पर है। यह पागलपन श्रम बचानेवाले यन्त्रोके लिए है। लोग श्रम बचानेमे लगे रहते हैं, यहा तक कि हजारो लोगोको बेकार करके भूखसे मरनेके लिए छोड़ दिया जाता है। मैं भी समय और श्रम बचाना चाहता हूँ, मगर मानव-समाजके एक अंशके लिए नहीं, बल्कि सबके लिए। मैं भी धन इकट्ठा करना चाहता हूँ, मगर थोडेसे आदमियोके हाथोमे नहीं, बल्कि सबके हाथोमे। आज तो मशीने मुट्ठीभर लोगोको करोडोकी पीठ पर सवार होनेमे ही मदद करती है। इस सबके पीछे प्रेरक शक्ति श्रम बचानेकी उदात्त भावना नहीं, बल्कि लोभ है। मैं इसी प्रकारकी व्यवस्थाके विरुद्ध अपनी सारी शक्ति लगाकर लड़ रहा हूँ।

‘तो आप यन्त्रोके विरुद्ध नहीं लड़ रहे हैं, परन्तु उनकी जो बुराईया आज इतनी अधिक प्रकट हो रही है, उनके विरुद्ध लड़ रहे हैं?’

मैं नि सकोच कहूंगा कि 'हा', परन्तु मैं इतना और कहूंगा कि सबसे पहले वैज्ञानिक सत्यो और आविष्कारोको निरे लोभके साधन नहीं रहना चाहिये। तब मजदूरोको हृदसे ज्यादा काम नहीं करना पडेगा और मशीने बाधक बननेके बजाय सहायक होगी। मेरा उद्देश्य यत्रोका सर्वथा नाश नहीं, परन्तु उनकी सीमा बाधना है।

'क्या इस विषयके अन्त तक जाने पर यह न कहना पडेगा कि बिजलीसे चलनेवाले सारे पेचीदा यत्र खतम हो जाने चाहिये?'

यह सभव है। मगर मैं एक बात साफ कर देता हू। मुख्य विचार मनुष्यका है। हमे यह देखना होगा कि मशीन मनुष्यको बिलकुल पशु न बना दे। उदाहरणार्थ, मैं समझदारीके साथ कुछ अपवाद रखूंगा। सिगरकी सीनेकी मशीनको ही लीजिये। जो थोडीसी उपयोगी चीजे आविष्कृत हुई है, उनमे से एक यह भी है और उसकी योजनाके बारेमे एक प्रेमकथा है। सिगरने अपनी पत्नीको हाथोसे सीने और बखिया लगानेकी नीरस क्रिया पर परिश्रम करते देखा और केवल उसके प्रति अपने प्रेमके कारण सीनेकी मशीनका आविष्कार किया, ताकि वह अनावश्यक परिश्रमसे बच जाय। परन्तु उसने न केवल उसीका परिश्रम बचाया, बल्कि ऐसे प्रत्येक व्यक्तिका परिश्रम बचा दिया जो सीनेकी मशीन खरीद सकता है।

'परन्तु उस हालतमे इन सिगर मशीनोको बनानेके लिए कारखाना खडा करना होगा। और उसमे साधारण ढगकी बिजलीसे चलनेवाली मशीनरी रखनी होगी।'

हा, परन्तु मैं यह कहने जितना समाजवादी जरूर हू कि ऐसे कारखाने राष्ट्रकी सपत्ति या राज्यके नियंत्रणमे होने चाहिये। उनका काम अत्यन्त आकर्षक और आदर्श परिस्थितियोमे होना चाहिये। वह मुनाफेके लिए नहीं, परन्तु मानव-जातिके फायदेके लिए होना चाहिये और उसका हेतु लोभके स्थान पर प्रेम होना चाहिये। मैं केवल मजदूरोकी काम करनेकी हालतोमे तबदीली चाहता हू। यह धनकी पागल दौडधूप बन्द होनी चाहिये और मजदूरको न सिर्फ जीवन-वैतनका ही, बल्कि ऐसे दैनिक कामका भी, जो केवल नीरस बेगार न हो, आरवासन मिलना

चाहिये। ऐसी परिस्थितिमें यत्र उस पर काम करनेवाले मनुष्यके लिए उतना ही सहायक होगा, जितना राज्यके लिए और अपने मालिकके लिए होगा। वर्तमान पागल दौड़धूप बन्द हो जायगी और, जैसा मैंने कहा है, मजदूर आकर्षक और आदर्श स्थितियोंमें काम करेगा। मेरे ध्यानमें जो अपवाद है, उनमें से यह केवल एक है। सीनेकी मशीनके पीछे प्रेम था। व्यक्तिका खयाल सबसे ज्यादा रखा जाना चाहिये। व्यक्तिके परिश्रमकी बचत मशीनका लक्ष्य होना चाहिये और प्रामाणिक मानव-कल्याणका विचार, न कि लोभ, उसका हेतु होना चाहिये। लोभके स्थान पर प्रेमको विठा दीजिये, फिर सब ठीक हो जायगा।

यग इडिया, १३-११-'२४

‘मैं समझा, आप इस यत्रयुगके विरुद्ध हैं।’

यह कहना मेरे विचारोको तोड़-मरोड़कर रखना है। मैं यत्रमात्रके विरुद्ध नहीं हूँ, परन्तु जो यत्र हमारा स्वामी बन जाय, उसका मैं सख्त विरोधी हूँ।

‘आप भारतमें उद्योगीकरण नहीं करेगे?’

मैं अपने अर्थमें कहूँगा। ग्राम-समाजोको पुनर्जीवित करना चाहिये। भारतके देहात भारतीय शहरो और कस्बोको उनकी जरूरतकी तमाम चीजे पैदा करके देते थे। हमारे शहर जब विदेशी मडिया बन गये और विदेशोसे ला-लाकर सस्ता और भद्दा माल यहा भरकर देहातका धन चूसने लगे, तब भारत निर्धन हो गया।

‘तो आप फिरसे प्राकृतिक अर्थ-व्यवस्था कायम करना चाहेंगे?’

हां। परन्तु मैं देहातका उद्योगीकरण दूसरे ही ढंगसे कर रहा हूँ।

हरिजन, २७-२-'३७

यह दावा किया जा सकता है कि देशका महान मिल-उद्योग एक भारतीय उद्योग है। परन्तु जापान और लकाशायरका मुकाबला कर सकनेके बावजूद वह एक ऐसा उद्योग है, जो आम लोगोका ठीक उतनी ही मात्रामे शोषण करता है और उनकी दरिद्रताको बढ़ाता है,

जितना वह खादी पर विजयी होता है। सपूर्ण उद्योगीकरणके आधुनिक पागलपनमें मेरे दृष्टिकोणकी उपेक्षा नहीं तो उस पर आपत्ति जरूर की जाती है। यह दलील दी जाती है कि उद्योगीकरणकी प्रकृतिके कारण जनसाधारणकी दरिद्रता बढ़ना अनिवार्य है और इसलिए उसे सहन कर लेना चाहिये। मैं इस बुराईको अनिवार्य नहीं समझता, उसे सहन करनेकी तो बात ही क्या ? चरखा-सघने सफलतापूर्वक दिखा दिया है कि देहातोमें भारतकी सारी जरूरतका कपडा तैयार किया जा सकता है और इसके लिए केवल राष्ट्रका अवकाशका ही समय कताई और उसके बादकी क्रियाओमें लगाना पडेगा।

हरिजन, २३-१०-'३७

मैं खुद तो बड़ी बड़ी कंपनियोके और लम्बी-चौडी मशीनरीके जरिये उद्योगोके केन्द्रीकरणके विरुद्ध हूँ। यदि भारत खदर और उसके सारे अर्थोको अपना ले, तो मैं यह आशा नहीं छोडूंगा कि भारत केवल उतने ही आधुनिक यंत्रोको दाखिल करेगा, जो जीवनकी मुख-सुविधाओके लिए और श्रम बचानेके लिए जरूरी समझे जायेंगे।

यग इडिया, २४-७-'२४

देहातोका पुनरुद्धार तभी संभव है जब उनका आगे शोषण न किया जाय। बडे पैमाने पर उद्योगीकरणका आवश्यक परिणाम देहातियोका निष्क्रिय अथवा सक्रिय शोषण होगा, क्योकि उससे होड और बाजार तलाश करनेकी समस्याए बीचमें खडी होगी। इसलिए हमे इस बात पर सारी शक्ति केन्द्रित करनी होगी कि गाव स्वाश्रयी बने और माल मुख्यत अपने उपयोगके लिए ही तैयार करे। अगर ग्रामीणोका यह स्वरूप कायम रखा जाय, तो ग्रामीणोके ऐसे आधुनिक यंत्रो और औजारोको काममें लेनेके बारेमें मेरा कोई एतराज न होगा, जिन्हे वे बना सकते हैं और जिनका उपयोग करनेकी उनकी शक्ति हो। शर्त इतनी ही है कि वे दूसरोके शोषणका साधन न बनाये जाय।

हरिजन, २९-८-'३६

मैं साफ शब्दोंमें अपना यह विश्वास जाहिर कर देना चाहता हूँ कि बड़े पैमाने पर माल तैयार करनेका पागलपन ही आजके विश्व-सकटके लिए जिम्मेदार है। क्षणभरके लिए मान लीजिये कि यंत्रोंसे मानव-जातिकी सारी जरूरतें पूरी हो सकती हैं, फिर भी उनके कारण विशेष प्रदेशोंमें उत्पादन केन्द्रित हो जायगा। और फिर आपको वितरणका नियमन करनेके लिए द्राविडी प्राणायाम करना होगा। इसके विपरीत, यदि उत्पादन और वितरण दोनों उन्हीं क्षेत्रोंमें हो जहाँ उन चीजोंकी जरूरत है, तो नियमन अपने-आप हो जाता है, उसमें धोखेबाजीको कम मौका मिलता है, और सट्टेको तो बिलकुल नहीं मिलता।

आप देखते हैं कि ये राष्ट्र (यूरोप और अमरीका) मसाराकी तथाकथित कमजोर या असंगठित जातियोंका शोषण करनेमें समर्थ हैं। एक बार इन जातियोंको प्रारम्भिक ज्ञान हो गया और उन्होंने यह निश्चय कर लिया कि अब हम अपना शोषण नहीं होने देंगे, तो वे जो कुछ स्वयं जुटा सकेंगी उसीसे सतुष्ट रहेंगी। तब कमसे कम जहाँ तक जीवनकी प्राथमिक आवश्यकताओंका सबब है, थोक उत्पादन खतम हो जायगा।

जब उत्पादन और खपत दोनों स्थानीय बन जाते हैं, तब अनिश्चित मात्रामें और किसी भी मूल्य पर उत्पादनकी गति बढ़ाना बन्द हो जाता है। तब हमारी वर्तमान आर्थिक व्यवस्थासे उपस्थित होनेवाली तमाम बेशुमार कठिनाइयाँ और समस्याएँ खतम हो जायगी।

थोड़ेसे लोगोंकी जेबोंमें पूजी इकट्ठी नहीं होने पायेगी और न शेष लोगोंके लिए विपुलताके बीच अभाव रह पायेगा।

‘तो आप भविष्यके आदर्श भारतमें थोक उत्पादनकी कल्पना नहीं करने?’

थोक उत्पादनकी कल्पना मैं जरूर करता हूँ, मगर उसका आधार बल नहीं होगा। आखिर चरखेका सदेश तो यही है। वह थोक उत्पादन ही है, परन्तु लोगोंके अपने घरोंमें है। यदि आप व्यक्तिगत उत्पादनको लाखों गुना बढ़ा दें, तो क्या वह विशाल पैमाने पर थोक उत्पादन नहीं हो जायगा? परन्तु मैं अच्छी तरह समझता हूँ कि आपका

‘थोक उत्पादन’ एक पारिभाषिक शब्द है, जिसके अनुसार कमसे कम सख्यामे मनुष्य अत्यत पेचीदा यन्त्रोकी सहायतासे उत्पादन करते है। मै मानता हू कि यह गलत है। मेरे यत्र अत्यत प्रारम्भिक ढगके ही होंगे, जो लाखो घरोमे रखे जा सकेगे।

‘तो आप यन्त्रोके विरुद्ध इसीलिए और तभी हैं, जब वे मूट्ठीभर लोगोके हाथोमे उत्पादन और वितरणका काम केन्द्रित कर देते है?’

आप ठीक कहते है। मुझे विशेषाधिकार और एकाधिकारसे घृणा है। मेरे लिए वह चीज निषिद्ध है, जिसमे सबका हिस्सा न हो। यही मेरी बातका सार है।

हरिजन, २-११-३४

ग—पूजी और श्रम

१

पंजी और श्रम

हम यह मानने लगे है कि पृथ्वी पर पूजी ही सब-कुछ है। परन्तु क्षणभरके विचारसे प्रगट हो जायेगा कि श्रमके पास वह पूजी है, जो पूजीपतिके पास कभी नहीं हो सकती। रस्किनने अपने जमानेमे यह शिक्षा दी कि श्रमके लिए अद्वितीय अवसर होते है। परन्तु उसकी बात किसीकी समझमे नहीं आई। इस समय सर डेनियल हेमिल्टन नामक एक अंग्रेज है, जो वास्तवमे यह प्रयोग कर रहा है। वह अर्थशास्त्री है और पूजीपति भी है, परन्तु अपनी आर्थिक खोजो और प्रयोगो द्वारा वह उन्ही परिणामों पर पहुचा है, जिन पर रस्किन अन्त प्रेरणासे पहुचा है। और वह श्रमके लिए एक अत्यत महत्त्वपूर्ण सदेश लाया है। वह कहता है कि यह खयाल करना गलत है कि घातुका टुकडा पूजी है। वह कहता है कि यह सोचना भी गलत है कि उत्पादनकी अमुक मात्रा पूजी

है, परन्तु वह यह भी कहता है कि यदि जडमे पहुँचे तो श्रम ही पूजा है, और वह जीवित पूजा अखूट है।

इंडियाज़ केस फॉर स्वराज, १९३२, पृ० ३९३

मैं पूजा और श्रम आदिके बीच सही सबधोकी स्थापनाके पक्षमे हूँ। मैं किसी एकका दूसरे पर प्रभुत्व नहीं चाहता। मैं नहीं मानता कि दोनोमे कोई जन्मजात वैर है।

यग इंडिया, ८-१-'२५

अगर पूजा ताकत है, तो श्रम भी ताकत है। दोनो ही ताकतोंका विनाश या निर्माणके लिए उपयोग किया जा सकता है। दोनो एक-दूसरे पर निर्भर हैं। ज्यो ही मजदूर अपने बलको अनुभव कर लेता है, उसकी स्थिति पूजापतिका गुलाम रहनेके बजाय उसका साझीदार बन जानेकी हो जाती है। अगर उसका उद्देश्य अकेले ही उद्योगका मालिक बन जानेका हो, तो वह बहुत करके सोनेका अडा देनेवाली मुर्गीको मार डालनेका काम करेगा।

यग इंडिया, २६-३-'३१

२

कोई नैतिक अधिकार नहीं

प्र० — मनुष्य भौतिक धन इकट्ठा करे या नैतिक, वह समाजके दूसरे सदस्योंकी सहायता या सहयोगसे ही ऐसा करता है। तब क्या उसे यह नैतिक अधिकार है कि वह उसका कोई हिस्सा मुख्यतः व्यक्तिगत लाभके लिए काममे ले?

उ० — नहीं, उसे कोई नैतिक अधिकार नहीं।

हरिजन, १६-२-'४७

ट्रस्टीशिप

प्र० — आपने धनवानोसे सरक्षक (ट्रस्टी) बननेको कहा है। क्या इसका यह अर्थ है कि वे अपनी सम्पत्तिका व्यक्तिगत स्वामित्व छोडकर उसका ऐसा ट्रस्ट बना दे, जो कानूनकी नजरमे जायज हो और लोकतात्रिक ढंगसे संचालित हो? वर्तमान ट्रस्टीके मरने पर उसका उत्तराधिकारी कैसे निश्चित किया जायगा?

उ० — बरसो पहले मेरा जो विश्वास था वही आज भी है कि सब-कुछ ईश्वरका है, उसीने उसे बनाया है। इसलिए वह उसकी सारी प्रजाके लिए है, किसी खास व्यक्तिके लिए नहीं। जब किसीके पास अपने उचित हिस्सेसे ज्यादा हो, तो वह ईश्वरकी प्रजाके लिए उस हिस्सेका सरक्षक बन जाता है।

ईश्वर सर्वशक्तिमान है, इसलिए उसे सग्रह करके रखनेकी आवश्यकता नहीं। वह रोज पैदा करता है। इसलिए मनुष्यका भी सिद्धान्त होना चाहिये कि वह उतना ही अपने पास रखे, जिससे आजका काम चल जाय, कलके लिए वह चीजे जमा करके न रखे। अगर आम तौर पर लोग इस सत्यको जीवनमे उतार ले, तो वह कानून-सम्मत बन जायगा और सरक्षकता एक वैध सस्था हो जायगी। मैं चाहता हू कि यह भारतकी ससारको एक दिन बन जाय। फिर न तो कोई शोपण रहेगा और न आस्ट्रेलिया और दूसरे मुल्कोमे गोरो और उनकी सतानोके लिए कोई सुरक्षित स्थान और जमीन-जायदादका सवाल रहेगा। इन भेदभावोंमे पिछले दो महायुद्धोसे भी अधिक जहरीली लडाईके बीज है। रही बात उत्तराधिकारीकी, सो पदासीन ट्रस्टीको कानूनके मातहत अपना उत्तराधिकारी चुननेका अधिकार होगा।

हरिजन, २३-२-'४७

मेरा सरक्षकताका सिद्धान्त कोई क्षणिक वस्तु नहीं है, धोखाधड़ी तो हरगिज नहीं है। मुझे भरोसा है कि वह और सब सिद्धान्तोंके बाद भी जिन्दा रहेगा। इसके पीछे दर्शन और धर्मका बल है। धनवानोने इस सिद्धान्त पर अमल नहीं किया है, इसमें यह सिद्धान्त झूठा साबित नहीं हो जाता, इसमें धनवानोकी कमजोरी साबित होती है। अहिंसाके साथ और किसी सिद्धान्तका मेल नहीं बैठता।

हरिजन, १६-१२-'३९

प्र० — किसी सरक्षकका उत्तराधिकारी कैसे तय किया जायगा ? क्या उसे केवल नाम प्रस्तावित करनेका अधिकार होगा और अंतिम निर्णयका अधिकार राज्यको रहेगा ?

उ० — जैसा कि मैंने कल कहा था, उत्तराधिकारीका चुनाव उस मूल मालिकके हाथमें रहना चाहिये, जो पहले-पहल सरक्षक (ट्रस्टी) बना। परन्तु अंतिम चुनाव राज्य द्वारा किया जाना चाहिये। इस व्यवस्थासे राज्य और व्यक्ति दोनों पर अकुश रहता है।

प्र० — जब सरक्षकताके सिद्धान्तके अमलमें आनेसे व्यक्तिगत संपत्ति सार्वजनिक संपत्ति बन जाती है, तब स्वामित्व राज्यका होगा — जो हिंसाका एक साधन है — या ग्राम-पंचायतों और नगरपालिकाओं जैसी स्वेच्छासे खड़ी की गई संस्थाओंका होगा, जिन्हें अंतिम सत्ता राज्य-निर्मित कानूनोंसे प्राप्त होती है ?

उ० — इस प्रश्नमें विचारकी कुछ गड़बड़ है। बदली हुई सामाजिक स्थितिमें कानूनी स्वामित्व ट्रस्टीके पास होगा, न कि राज्यके पास। राज्य संपत्तिको जब्त न करे और समाजकी सेवाके लिए पूंजी या जायदादके मूल स्वामीकी योग्यता हककी रूमें समाजके हितार्थ काममें आवे, इसलिए ट्रस्टीशिपका सिद्धान्त काममें लाया जाता है।

मेरी यह राय भी नहीं है कि राज्यका आधार सदा हिंसा पर ही होना चाहिये। सिद्धान्त रूपसे ऐसा भले ही हो, मगर व्यवहारमें इस सिद्धान्तका तकाजा है कि राज्यकी बुनियाद अधिकतर अहिंसा पर हो।

हरिजन, १६-२-'४७

गांधीजीका ट्रस्टीशिपका सिद्धान्त

जेलसे छूटने पर हम लोगोंने इस प्रश्नको आगाखा महलकी नजरबन्द-छावनीमें जहा छोडा था वहासे फिर हाथमे लिया। किशोरलालभाई और नरहरिभाई भी सरक्षकताका एक सीधा-सादा और व्यावहारिक फार्मूला तैयार करनेमे शरीक हो गये। वह बापूके सामने रखा गया। उन्होने उसमे थोडेसे फेरबदल किये। अन्तिम मसौदा इस प्रकार है

१ सरक्षकता (ट्रस्टीशिप) ऐसा साधन प्रदान करती है, जिससे समाजकी मौजूदा पूजीवादी व्यवस्था समतावादी व्यवस्थामे बदल जाती है। इसमे पूजीवादकी तो गुजाइश नही है, मगर यह वर्तमान पूजीपति-वर्गको अपना सुधार करनेका मौका देती है। इसका आधार यह श्रद्धा है कि मानव-स्वभाव ऐसा नही है, जिसका कभी उद्धार न हो सके।

२ वह सपत्तिके व्यक्तिगत स्वामित्वका कोई हक मजूर नही करती, हा, उसमे समाज स्वयं अपनी भलाईके लिए किसी हद तक इसकी इजाजत दे सकता है।

३ उसमे धनके स्वामित्व और उपयोगके कानूनी नियमनकी मनाही नही है।

४ इस प्रकार राज्य द्वारा नियंत्रित सरक्षकतामे कोई व्यक्ति अपनी स्वार्थ-सिद्धिके लिए या समाजके हितके विरुद्ध सपत्ति पर अधिकार रखने या उसका उपयोग करनेके लिए स्वतंत्र नही होगा।

५ जैसे उचित न्यूनतम जीवन-वेतन स्थिर करनेकी बात कही गई है, ठीक उसी तरह यह भी तय कर दिया जाना चाहिये कि समाजमे किसी भी व्यक्तिकी ज्यादासे ज्यादा कितनी आमदनी हो। न्यूनतम और अधिकतम आमदनियोके बीचका फर्क

उचित, न्यायपूर्ण और समय समय पर इस प्रकार बदलता रहने-वाला होना चाहिये कि उसका झुकाव उस फर्कको मिटानेकी तरफ हो।

६ गांधीवादी अर्थ-व्यवस्थामे उत्पादनका स्वरूप समाजकी जरूरतसे निश्चित होगा, न कि व्यक्तिकी सनक या लालचसे।
हरिजन, २५-१०-'५२ प्यारेलाल

घ—जमींदार और किसान

१

एक आदर्श जमींदार

एक आदर्श जमींदार रैयत जो भार सह रही है उसमें से बहुतसा तुरन्त घटा देगा। वह किसानोके गाढ सपर्कमे आकर उनकी जरूरते जान लेगा और जो निराशा आज उनकी जीवन-शक्तिको नष्ट कर रही है, उसके स्थान पर उनमें आशाका संचार करेगा। उसे किसानोके सफाई और तटुर्स्ती सबधी नियमोके अज्ञानसे सतोष नहीं होगा। वह इस गरजसे कि किसानोके जीवनकी आवश्यकताएँ पूरी हो, अपने आपको दरिद्र बना लेगा। वह अपनी देखभालमे रहनेवाले किसानोकी आर्थिक स्थितिका अध्ययन करेगा और ऐसी पाठशालाएँ कायम करेगा, जिनमे किसानोके बच्चोके साथ साथ वह अपने बच्चोको भी शिक्षा दिलायेगा। वह गावके कुएँ और तालाबकी सफाई करेगा। वह स्वयं आवश्यक श्रम करके किसानोको अपनी सडके बुहारना और टट्टियाँ साफ करना सिखायेगा। वह अपने बाग-बगीचे किसानोके इस्तेमालके लिए निमकोच होकर खोल देगा। वह जिन आवश्यक मकानोको अपने सुखके लिए रखता है, उनमें से ज्यादातरका उपयोग अस्पताल और पाठशाला आदिके लिए करेगा। अगर पूँजीपति-वर्ग समयकी गतिको पहचान ले और अपनी

सारी संपत्तिके ईश्वर-प्रदत्त अधिकारके बारेमें अपने विचार बदल ले, तो आनन-फाननमें जिन सात लाख गोबरके टैरोको आज गावोका नाम दिया जाता है, वे शान्ति, स्वास्थ्य और सुखके धाम बनाये जा सकते हैं।

यग इंडिया, ५-१२-२९

जमीदार एक प्रणालीका अन्तमात्र है। उसके विरुद्ध आन्दोलन छेड़ना जरूरी नहीं है। जब तक जमीदार किसानोंके साथ अच्छा बरताव करते हैं, तब तक जमीदारोंसे हमारा कोई झगडा नहीं।

यग इंडिया, २६-११-३१

२

जमीदारोंसे

मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि उचित कारणके बिना संपत्ति-धारी वर्गोंकी खानगी जायदाद छीननेमें मैं शरीक नहीं होऊंगा। मेरा उद्देश्य तो आपके हृदयमें प्रवेश करके आपके विचार इस तरह बदल देना है कि आप अपनी समस्त व्यक्तिगत संपत्ति अपने किसानोंके सरक्षक बनकर अपने पास रखे और मुख्यतः उन्हींकी भलाईके कामोंमें उसका उपयोग करें। मुझे इसमें जरा भी शक नहीं है कि अगर हमारे करोड़ों लोगोंका बिलकुल प्रामाणिक और असदिग्ध मत लिया जाय तो वे पूँजीपति वर्गोंकी तमाम संपत्ति छीन लेनेके पक्षमें राय नहीं देंगे। मैं पूँजी और श्रम, जमीदार और किसानके सहयोग और मेलके लिए काम कर रहा हूँ।

परन्तु मैं चेतावनीकी एक बात जरूर कहूंगा। मैंने मिल-मालिकोंसे हमेशा कहा है कि वे अकेले ही कारखानोंके मालिक नहीं हैं, मजदूर भी उनकी बराबरीके मालिक हैं। उसी तरह मैं आपसे कहूंगा कि आपकी जमीनोंके मालिक जितने आप हैं उतने ही किसान भी हैं, और आप अपनी आमदनीको ऐश आराम या फिजूलखर्चीमें नहीं उडा सकते, बल्कि उसे

आपको रैयतकी भलाईमें खर्च करना चाहिये । आप एक बार अपनी रैयतको अपनेपनकी भावनाका अनुभव करा दें और यह महसूस करा दें कि एक ही परिवारके आदमियोंके नाते उनके हित आपके हाथोंमें सुरक्षित हैं और उन्हें कभी हानि नहीं पहुंचेगी, तो आप विश्वास रखिये कि उनमें ओर आपमें कोई झगडा नहीं हो सकता और न वर्ग-विग्रह ही होगा ।

मैं आपसे कहता हू कि आपके तमाम डर और सदेह आपके अपराधी अत करणके कारण हैं । आपने जाने-अनजाने जिन अन्यायोंको करनेका अपराध किया हो उन्हें मिटा दीजिये । स्वयं किसानोंकी शान्ति और आजादीके साथ जीनेसे अधिक कोई महत्त्वाकांक्षा नहीं है, और उन्हें आपकी सपत्तिसे कभी ईर्ष्या नहीं होगी, बशर्ते कि आप उसे उनके लिए इस्तेमाल करें ।

अमृतबाजार पत्रिका, २-८-'३४

३

भूमिका स्वामित्व

सच्चा समाजवाद हमें अपने पूर्वजोंसे उत्तराधिकारमें मिला है । उन्होंने हमें सिखाया है कि 'सब भूमि गोपालकी, यामें अटक कहा ?' सीमा मनुष्य बनाता है और वही उसे तोड़ सकता है । गोपालका शब्दार्थ है ग्वाला । इसका अर्थ ईश्वर भी है । आधुनिक भाषामें उसका अर्थ है राज्य अर्थात् जनता । यह सही है कि आज जमीनकी मालिक जनता नहीं है । परन्तु दोष इस शिक्षामें नहीं है । दोष हममें है, जिन्होंने उस पर अमल नहीं किया ।

मुझे कोई सन्देह नहीं कि हम इस समस्याको उतने ही अच्छे ढंगसे हल कर सकते हैं, जितना कि दूसरा कोई राष्ट्र — इसमें रूस भी शामिल है — और वह भी हिंसाके बिना ।

हरिजन, २-१-'३७

४

किसान और जमींदार

किसानोको यह सिद्धान्त अस्वीकार कर देना चाहिये कि उनकी जमीन सर्वथा उन्हीकी है, जमींदारोकी बिलकुल नहीं। वे एक ऐसे सम्मिलित परिवारके सदस्य हैं या होने चाहिये, जिसका मुखिया जमींदार है, जो उनके अधिकारोकी रक्षा करता है। कानून कुछ भी हो, जमींदारीका बचाव तभी संभव है, जब वह सम्मिलित परिवारकी स्थितिको पहुँच जाय।

यग इंडिया, २८-५-३१

५

सहकारी खेती

एक प्रश्नके उत्तरमे गांधीजीने कहा कि सहकारकी मेरी कल्पना यह है कि सब मालिक मिलजुल कर जमीन पर कब्जा रखें और जोतने, बोने फसल काटने वगैराका काम भी मिलजुल कर ही करें। इससे श्रम, पूँजी और औजार वगैराकी बचत होगी। मालिक मिलजुल कर काम करेंगे और पूँजी, औजार, जानवर और बीज वगैरा पर उनका मिलाजुला हक होगा। मेरी कल्पनाकी सहकारी खेतीसे जमीनका कायापलट हो जायगा और लोगोकी गरीबी और बेकारीका काला मुह हो जायगा। यह सब तभी संभव है जब लोग एक-दूसरेके मित्र और एक परिवारके सदस्य बन जाय।

हरिजन, ९-३-४७

चौथा विभाग : समाज-व्यवस्था

क—मर्यादित समाज : मनुष्य

१

अहिंसा—एक सामाजिक सद्गुण

मेरी रायमें अहिंसा केवल व्यक्तिगत सद्गुण नहीं है। वह एक सामाजिक सद्गुण भी है, जिसका विकास अन्य सद्गुणोंकी भांति किया जाना चाहिये। अवश्य ही समाजका नियमन ज्यादातर आपसके व्यवहारमें अहिंसके प्रगट होनेसे होता है। मेरा अनुरोध इतना ही है कि उसका राष्ट्रीय और आन्तर-राष्ट्रीय पैमाने पर अधिक विस्तार किया जाय।

हरिजन, ७-१-'३९

२

व्यक्ति बनाम समाज

मैं व्यक्तिगत स्वतंत्रताकी कीमत करता हूँ परन्तु आपको यह नहीं भूलना चाहिये कि मनुष्य मुख्यतः एक सामाजिक प्राणी है। अपने व्यक्तिवादको सामाजिक प्रगतिकी आवश्यकताओंके अनुकूल बनाना सीखकर वह अपने मौजूदा ऊँचे दर्जे पर पहुँचा है। अनियन्त्रित व्यक्तिवाद जगली जानवरोंका कानून है। हमें व्यक्तिगत स्वातंत्र्य और सामाजिक सयमके बीचके रास्ते पर चलना सीखना होगा। सारे समाजकी भलाईके लिए सामाजिक सयमको खुशीसे मानना व्यक्ति और समाज—जिसका व्यक्ति सदस्य है—दोनोंको समृद्ध करता है।

हरिजन, २७-५-'३९

३

अस्पृश्यताके लिए स्थान नहीं

यदि विश्वमें जो कुछ है वह सब ईश्वरसे व्याप्त है अर्थात् ब्राह्मण और भगी, पंडित और मेहतर, सबमें भगवान विद्यमान है, तो न कोई ऊंचा है और न कोई नीचा, सभी सर्वथा समान हैं, समान इसलिए कि सब उसी स्रष्टाकी सन्तान हैं।

हरिजन, ३०-१-'३७

४

वर्णाश्रम

मुझे हिन्दू धर्मका जो भी ज्ञान है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि वर्णका अर्थ अत्यंत सरल है। इसका सीधा-सादा अर्थ यह है कि हम सब अपने-अपने पूर्वजोंका परम्परागत धधा सिर्फ जीविकाके लिए ही करे, अगर वह पैतृक धधा मूल नैतिक धर्मसे असंगत न हो। आप महसूस करेंगे कि अगर हम सब इस वर्णधर्मका पालन करे, तो हमारी भौतिक महत्त्वाकाक्षाएँ मर्यादित हो जायगी और हमारी शक्ति उन विशाल क्षेत्रोंकी खोजके लिए मुक्त हो जायगी, जिनसे और जिनके द्वारा हमें ईश्वरका ज्ञान प्राप्त हो सकता है।

यग इंडिया, २०-१०-'२७

वर्णाश्रम धर्म इस पृथ्वी पर मनुष्य-जीवनके उद्देश्यकी व्याख्या करता है। वह रोज-ब-रोज धन बटोरने और आजीविकाके भिन्न-भिन्न साधन खोजनेके लिए पैदा नहीं हुआ है। इसके विपरीत, मनुष्य इसलिए पैदा हुआ है कि वह अपने प्रभुको जाननेके लिए अपनी शक्तिका एक-एक अणु काममें ले। इसलिए वर्णाश्रम धर्म उस पर यह पाबंदी लगाता है कि वह जीवित रहनेके लिए सिर्फ अपने बापदादोंका पेशा ही करे। यही वर्णाश्रम धर्म है—न कम, न ज्यादा।

यग इंडिया, २७-१०-'२७

६२

वर्णके रूपमे जाति

आर्थिक दृष्टिसे इसका किसी समय बहुत बडा महत्त्व था। इसमे पारंपरागत कौशलकी रक्षा होती थी। इससे आपसी प्रतिस्पर्धा मर्यादित होती थी। यह दरिद्रताका सबसे अच्छा इलाज था। और इसमे व्यवसाय-संघोके तमाम फायदे मौजूद थे। यद्यपि इसमे साहस या आविष्कारको पोषण नहीं मिलता था, फिर भी ऐसा नहीं मालूम होता कि इन दोनोंके रास्तेमे उमने कभी रुकावट डाली हो।

इतिहासकी दृष्टिसे कहे तो जातिको भारतीय समाजकी प्रयोग-शालामे मनुष्यका प्रयोग या सामाजिक मेल बिठानेका प्रयत्न माना जा सकता है। यदि हम इसे सफल सिद्ध कर सके, तो ससारके सामने हृदयहीन स्पर्धा और लोभ व लालचसे पैदा होनेवाले सामाजिक विग्रहके उत्तम उपायके तौर पर हम इसे पेश कर सकते हैं।

यग इंडिया, ५-१-२१

मैं मानता हूँ कि हर एक मनुष्य अमुक स्वाभाविक वृत्तियाँ लेकर इस ससारमे जन्म लेता है। प्रत्येक व्यक्ति कुछ निश्चित मर्यादाओके साथ पैदा होता है, जिन पर वह काबू नहीं पा सकता। उन मर्यादाओका ध्यानपूर्वक अवलोकन करके ही वर्णका कानून बनाया गया है। वह अमुक वृत्तियोवाले अमुक लोगोके लिए कार्यके अमुक क्षेत्र निश्चित करता है। इसमे सारी अनुचित स्पर्धा टल जाती है। मर्यादाओको स्वीकार करते हुए भी वर्णधर्ममे ऊच-नीचके भेदभावकी कोई गुजाइश नहीं, एक तरफ वह प्रत्येकको अपने परिश्रमके फलकी गारंटी देता है और दूसरी तरफ मनुष्यको अपने पडोसीको दबानेसे रोकता है। इस महान धर्मको नीचे गिरा दिया गया है और वह बदनाम हो गया है। परंतु मेरा पक्का विश्वास है कि आदर्श समाज-व्यवस्थाका विकास तभी होगा, जब इस धर्मके गूढ अर्थोको पूरी तरह समझकर उन पर अमल किया जायगा।

मॉडर्न रिव्यू, अक्टूबर १९३५, पृ० ४१३

अन्तर्जातीय विवाह

वर्णाश्रममे अन्तर्जातीय विवाह या खानपानकी न तो कोई मनाही थी और न होनी चाहिये ।

यद्यपि वर्णाश्रममे अन्तर्जातीय विवाह और खानपानका कोई निषेध नहीं है, फिर भी इस मामलेमे जबरदस्ती नहीं हो सकती । यह व्यक्तिकी अपनी मरजी पर ही छोड़ दिया जाना चाहिये कि वह कहा शादी करे या खाये । यदि वर्णाश्रम धर्मका पालन किया जाय तो जहा तक विवाहका सबध है, लोग अपने ही वर्णमे ब्याह-आदी करनेकी ओर झुकेगे ।

हरिजन, १६-११-'३५

जाति और प्रान्तकी दोहरी दीवार टूटनी चाहिये । अगर भारत एक और अखण्ड है, तो ऐसे कृत्रिम विभाजन नहीं होने चाहिये, जिनसे ऐसे असख्य छोटे-छोटे गुट बन जाय जो आपसमे न खानपान करे, न शादी-ब्याह करे ।

हरिजन, २५-७-'३६

प्र०—आप अन्तर्जातीय विवाहकी हिमायत करते हैं । क्या आप भिन्न-भिन्न धर्मावलम्बी भारतीयोंके बीच भी विवाह होनेके पक्षमे हैं ?

उ०—मैं स्वीकार करता हूँ कि हमेशा मेरी यह राय नहीं रही; फिर भी बहुत पहले मैं इस नतीजे पर पहुँच चुका था कि अलग-अलग धर्मवालोंके बीच विवाह होना अच्छी बात है । मेरी शर्त इतनी ही है कि यह सबध काम-वासनाका परिणाम न हो । मेरी रायमे ऐसा विवाह विवाह ही नहीं है । वह व्यभिचार है । मैं विवाहको एक पवित्र सस्था मानता हूँ । इसलिए दोनों पक्षोंकी परस्पर मित्रता होनी चाहिये और एक पक्षके हृदयमे दूसरे पक्षके धर्मके प्रति समान आदर होना चाहिये । इसमे धर्म-परिवर्तनका कोई प्रश्न नहीं । इसलिए विवाह-संस्कार दोनों

धर्मोंके पुणेहितो द्वारा कराया जायगा। यह सुखद घटना तब हो सकती है, जब जातिया अपना आपसका बैरभाव छोड दे और ससारभरके धर्मोंके प्रति आदरभाव रखे।

हरिजन, १६-३-४७

७

स्त्रियोंका स्थान

दोनो (स्त्री-पुरुष) एकसा जीवन बिताते है। दोनोकी एकसी भावनाए होती है। दोनो एक-दूसरेके पूरक है। एककी सक्रिय सहायताके बिना दूसरा जी नहीं सकता।

परंतु युगसे किसी न किसी तरह पुरुषने स्त्री पर अपना प्रभुत्व रखा है और इसलिए स्त्री अपनेको पुरुषसे नीचा समझने लगी है। उसने पुरुषकी इस स्वार्थपूर्ण सीखकी सचाईमे विश्वास कर लिया है कि वह पुरुषमे नीची है। परन्तु ज्ञानी पुरुषोने उसका बराबरीका दर्जा स्वीकार किया है। फिर भी इसमे कोई शक नहीं कि एक खास स्थान पर पहुचकर दोनोकी दिशा अलग-अलग हो जाती है। जहा मूल रूपमे दोनो एक है, वहा यह भी उतना ही सच है कि शरीर-रचनाकी दृष्टिसे दोनोमे गहरा अन्तर है। इसलिए दोनोका काम भी जुदा-जुदा ही होगा। स्त्रियोंके भारी बहुमत पर मातृत्वका कर्तव्य-भार सदा ही रहेगा, लेकिन उसके लिए जिन गुणोकी आवश्यकता है उनका पुरुषमे होना जरूरी नहीं है। स्त्री निवृत्ति-प्रिय है, पुरुष क्रियाशील है। स्त्री स्वभावसे गृह-स्वामिनी है। पुरुष रोटी कमानेवाला है। स्त्री रोटीका रक्षण और वितरण करनेवाली है। वह हर अर्थमे सभाल रखनेवाली है। मानव-जातिके शिशुओका पालन करना उसका विशेष और एकमात्र असाधारण अधिकार है। उसकी देखभालके बिना मानव-वश अवश्य लुप्त हो जायगा।

मेरी रायमे यह स्त्री और पुरुष दोनोके लिए पतनकी बात होगी कि स्त्रीसे घर छोडकर उसकी रक्षाके लिए बन्दूक उठानेको कहा जाय

या ललचाया जाय। यह तो फिरमे बर्बरताकी ओर लौटना और प्रलयका प्रारंभ कहा जायगा। जिस घोड़े पर पुरुष चढता है उस पर स्त्री भी चढनेकी कोशिश करती है, तो वह अपनेको और पुरुषको दोनोंको गिराती है। पुरुष अपनी सगिनीको उसका विशेष काम छोड देनेके लिए ललचायेगा या मजबूर करेगा, तो इसका पाप उसके सिर पर रहेगा। अपने घरको सुव्यवस्थित और साफ-मुथरा रखनेमे उतनी ही वीरता है, जितनी बाहरी आक्रमणमे उसकी रक्षा करनेमे है।

मैने लाखो किसानोको उनके प्राकृतिक वातावरणमे देखा है और आज भी मै छोटेसे गावमे उन्हे रोज देखता हूँ, उससे वलात् मेरे ध्यानमें दोनोके कार्यक्षेत्रके स्वाभाविक बटवारेकी बात आई है। स्त्रिया ल्हार और बढई नही होती। परन्तु स्त्री-पुरुष दोनो खेतोमे काम करते है और सबसे भारी काम पुरुष करते है। औरते घरको सभालती और उनकी व्यवस्था करती है। वे परिवारके अल्प साधनोमें वृद्धि करती है, परन्तु मुख्य कमानेवाला पुरुष ही रहता है।

कार्यक्षेत्रके विभाजनकी बात मान लेने पर जिन साधारण गुणो और सस्कृतिकी जरूरत है, वे लगभग दोनोके लिए एकसे ही है।

इस महान समस्याको हल करनेमे मेरा योग यह है कि व्यक्तियो और राष्ट्रों — दोनोके जीवनके हर क्षेत्रमे मैने सत्य और अहिंसाको अपनानेके लिए पेश किया है। मैने यह आशा बाध रखी है कि इस काममे स्त्रीका असदिग्ध नेतृत्व रहेगा और इस प्रकार मानव-विकासमें अपना योग्य स्थान पाकर वह अपनेको नीचा समझना छोड देगी।

मैने इन कालमोमे यह कहा है कि स्त्री अहिंसाका अवतार है। अहिंसाका अर्थ है असीम प्रेम, और प्रेमका अर्थ है असीम कष्ट-सहनकी शक्ति। यह शक्ति पुरुषकी मा — स्त्रीके सिवा अधिकसे अधिक मात्रामे और कौन दिखा सकता है? जब वह नौ महीने तक बच्चेको पेटमे रखती और उसका पोषण करती है और इससे होनेवाले कष्टमें आनंद मानती है, तब वह अपनी इसी शक्तिका परिचय देती है। प्रसव-पीडासे होनेवाले कष्टसे अधिक और कौनसा कष्ट होगा? परन्तु प्रजनन-कार्यके सुखमे वह उसे भूल जाती है। इसी तरह अपने शिशुको दिन-

दिन बढ़ता हुआ देखनेके लिए रोज-रोज कौन यातनाए सहन करता है ? वह अपना यह प्रेम सारी मानव-जातिको दे दे और भूल जाय कि वह कभी पुरुषकी काम-वासनाकी चीज थी या हो सकती है, तो फिर पुरुषके समक्ष उसकी माता, निर्माता और मूक नेता बननेका गौरवपूर्ण पद उसे प्राप्त हो जायगा। शान्तिरूपी अमृतके प्यासे इस युद्धरत ससारको शान्तिकी कला सिखानेका काम भगवानने उसीको सौपा है। वह सत्याग्रहकी नेता बन सकती है, क्योंकि उसमें पुस्तकीय ज्ञानकी जरूरत नहीं पड़ती। उसके लिए तो कष्ट-सहन और श्रद्धासे प्राप्त होनेवाले दृढ हृदयकी जरूरत होती है।

जब वर्षों पहले मैं पूनाके सासून अस्पतालमें रोगशय्या पर पड़ा हुआ था, तब मेरी भली परिचारिकाने मुझे एक स्त्रीका किस्सा सुनाया था। उसे एक कष्टदायी ऑपरेशन करवाना था। उस स्त्रीने बेहोशीकी दवा सघनेसे इसलिए इनकार कर दिया कि वह अपने पेटके बच्चेके प्राणोको खतरेमें नहीं डालना चाहती थी। बेहोशीकी एकमात्र दवा उसके पास अपने बच्चेका स्नेह था। उसे बचानेके खातिर वह किसी भी पीडाको बहुत बड़ी नहीं मानती थी। जिस स्त्री-जातिमें इस प्रकारकी अनेक वीरागनाए हैं, वह अपने आपको तुच्छ न समझे और न इस बातका अफसोस करे कि वे पुरुषके रूपमें पैदा नहीं हुईं। उस वीरागनाका खयाल करके मुझे अकसर स्त्रीके दर्जे पर ईर्ष्या होती है। जरूरत इतनी ही है कि वह अपने स्वरूपको पहचाने। जितना कारण स्त्रीके लिए पुरुष-जन्म पानेकी इच्छा करनेमें है, उतना ही पुरुषके लिए स्त्री-जन्म पानेकी इच्छा करनेमें है। परन्तु यह इच्छा व्यर्थ है। हम जिस स्थितिमें जन्मे हो उसीमें सुखी रहे और प्रकृतिने हमारे भाग्यमें जो कर्तव्य लिख दिया है उसे करे।

हरिजन, २४-२-४०

स्त्री-पुरुषके समान अधिकार

गाधीजीने कहा कि सामान्य नियमके तौर पर मैं जीवनभर एक पुरुषके लिए एक पत्नीके और एक स्त्रीके लिए एक पतिके पक्षमें हूँ। रिवाजके कारण तथाकथित उच्च जातियोंकी स्त्रियोंको लादे हुए वैधव्यका अभ्यास हो गया है। पुरुषोंके लिए इससे उलटा नियम है। इसे मैं बेहयाईकी बात कहता हूँ। परन्तु जब तक समाज इस दयाजनक स्थितिमें है, तब तक मैं तमाम युवा विधवाओंके लिए विधवा-विवाहकी हिमायत करता हूँ। मैं स्त्री-पुरुषकी समानतामें विश्वास रखता हूँ, इसलिए स्त्रियोंके लिए मैं उन्हीं अधिकारोंकी कल्पना कर सकता हूँ जो पुरुषोंको प्राप्त हैं।

हरिजन, १६-३-४७

विवाह

पत्नी पतिकी क्रीतदासी नहीं है, बल्कि उसकी जीवन-सगिनी और सहायक है और उसके तमाम सुख-दुःखमें बराबरका हिस्सा बटानेवाली है—वह स्वयं अपना मार्ग चुननेको उतनी ही स्वतंत्र है जितना उसका पति।

आत्मकथा, १९४८, पृ० ३८

मैं बाल-विवाहसे घृणा करता हूँ। मैं बाल-विधवाको देखकर काप उठता हूँ और जब किसी पतिको विधुर बनते ही पाशविक उपेक्षाके साथ पुनर्विवाह करते देखता हूँ, तो क्रोधके मारे कापने लगता हूँ। मुझे उन माता-पिताओंकी अपराधपूर्ण उपेक्षा पर दुःख होता है, जो अपनी लड़कियोंको सर्वथा अज्ञान और निरक्षर रखते हैं और उनका पालन-पोषण

सिर्फ इस गरजसे करते हैं कि किसी साधन-सपन्न युवकसे उनका ब्याह कर दिया जाय।

यग इडिया, २१-७-'२१

छोटे-छोटे बच्चोके विवाहमे कन्यादानके क्या मानी है? क्या किमी पिताका अपने बालको पर उसी तरह अधिकार होता है, जिस तरह जायदाद पर उसका अधिकार होता है? वह उनका मालिक नहीं, रक्षक है। और जब वह सरक्षितकी स्वाधीनताको बेचकर रक्षा करनेके अपने विशेषाधिकारका दुरुपयोग करता है, तो वह उस अधिकारको खो देता है।

जिन माता-पिताने किसी बच्चीको किसी वृद्धके साथ या कुमार अवस्थावाले लडकेके साथ ब्याह कर अपनी सरक्षकताका दुरुपयोग किया है, वे अपने पापके प्रायश्चित्तके रूपमे कमसे कम यही कर सकते हैं कि जब वह लडकी विधवा हो जाय तब उसका दुबारा ब्याह कर दे। जैसा मैं किसी पिछली टिप्पणीमे कह चुका ह, इस प्रकारकी शादिया शुरूसे ही रद्द मानी जानी चाहिये।

यग इडिया, ११-११-'२६

विवाह जीवनमे एक स्वाभाविक वस्तु है और इसे किसी भी तरह हेय समझना बिलकुल अनुचित है। आदर्श यह है कि विवाहको एक धार्मिक सस्कार माना जाय और इसलिए विवाहित जीवनमे समयका पालन किया जाय।

हरिजन, २२-३-'४२

१०

वैधव्य

कोई स्त्री, जिसने अपने जीवन-साथीके प्रेमका अनुभव कर लिया है, ज्ञान और स्वेच्छापूर्वक वैधव्यको अपनाती है, तो उमसे जीवनकी शोभा और गौरव बढ़ता है, घर पवित्र बनता है और स्वयं धर्मका उत्थान होता है। धर्म या रिवाजसे जबरन् लादा हुआ वैधव्य एक असह्य जुआ है और वह गुप्त पाप द्वारा घरको अपवित्र और धर्मको पतित बनाता है।

यदि हम शुद्ध होना चाहते हैं, हिन्दू धर्मको बचाना चाहते हैं, तो हमें जबरन् लादे जानेवाले वैधव्यके इस जहरसे छूटकारा पा लेना चाहिये। यह सुधार उनसे शुरू होना चाहिये, जिनके यहाँ बाल-विधवाये हैं। वे साहस जुटाये और यह देखे कि उनकी देखभालमें रहनेवाली बाल-विधवाओका केवल विवाह ही न हो, बल्कि बाकायदा और अच्छी तरह विवाह हो। वास्तवमें उनका कभी विवाह हुआ ही नहीं था।

यग इडिया, ५-८-२६

११

तलाक

विवाह दूसरे सब लोगोको छोड़कर दो जीवन-सगियोके मिलनके अधिकार पर स्वीकृतिकी मुहर लगाता है, जब अपनी सम्मिलित रायमें वे ऐसे मिलनको वाञ्छनीय मानते हों। परन्तु विवाह एक साथीको यह अधिकार नहीं देता कि वह अपनी मिलनकी इच्छाको दूसरे साथीसे जबरन् पूरा कराये। यह दूसरा प्रश्न है कि जब एक साथी नैतिक या अन्य कारणोंसे दूसरे साथीकी इच्छापूर्ति न कर सकता हो तब क्या करना चाहिये। मैं स्वयं तो अगर तलाकके सिवा दूसरा कोई उपाय न हो तो उसे बिना किसी सकोचके स्वीकार कर लूंगा, मगर अपनी नैतिक उन्नतिमें बाधा नहीं पड़ने दूंगा — बशर्ते कि मैं केवल नैतिक कारणोंसे ही सयम रखना चाहूँ।

यग इडिया, ८-१०-२५

गर्भ-निरोध

यदि यह कहा जाय कि सतति-नियमन अत्यधिक आबादीके कारण राष्ट्रके लिए आवश्यक है, तो मैं उसे नहीं मानता। इसे कभी साबित नहीं किया गया। मेरी रायमें उचित भूमि-व्यवस्था, सुधरी हुई खेती और सहायक उद्योगोंसे देश आजसे दुगुने लोगोंका पालन-पोषण कर सकता है।

यग इडिया, २-४-२५

प्र० — जिस माताका स्वास्थ्य अत्यधिक सन्तानोंके कारण नष्ट हो जाता है, उसके खातिर और स्वयं बच्चोंके खातिर क्या कृत्रिम उपायोंसे सतति-निरोधका आश्रय लेना आत्म-सयमके बाद दूसरे नबरकी अच्छी चीज नहीं हो सकती ?

उ० — स्त्रियोंको अपने पतियोंका विरोध करना होगा। अगर कृत्रिम उपायोंका आश्रय लिया जायगा, तो भयकर परिणाम होंगे। स्त्री-पुरुष केवल सभोगके लिए ही जियेंगे। वे दुर्बल मस्तिष्कवाले और असतुलित बन जायेंगे तथा उनका मानसिक एवं नैतिक ह्रास हुए बिना नहीं रहेगा।

प्र० — क्या अपवाद-स्वरूप मामलोमें भी, जहां स्त्रियां सन्तानोत्पत्तिके लिए अत्यधिक दुर्बल हैं या माता-पितामें से कोई एक रोगी है, यह तरीका नहीं अपनाया जा सकता ?

उ० — नहीं। उपरोक्त मामलोमें बेहतर यह है कि पति-पत्नी अलग अलग रहें।

मैं लोगोंको नपुंसक या वध्या बनानेका कानून लागू करना अमानुषिक मानता हूँ। परन्तु जीर्ण रोगीवाले व्यक्तियोंके बारेमें वे राजी हों, तो उनका ऐसा बनना वाञ्छनीय होगा। यह भी एक तरहका कृत्रिम उपाय है। और यद्यपि मैं स्त्रियोंके लिए ऐसे उपायोंके इस्तेमालके खिलाफ हूँ, फिर भी चूँकि पुरुष आक्रमणकारी हैं, इसलिए उसके स्वेच्छापूर्वक पुसत्वहीन बननेकी मुझे परवाह नहीं।

अमृतबाजार पत्रिका, १२-१-३५

मैं महसूस करता हू कि मेरे जीवनके शेष वर्षोंमें यदि मैं स्त्रियोंके हृदयमें यह सत्य अंकित कर सकू कि वे स्वतंत्र हैं, तो हमारे लिए भारतमें सतति-नियमनकी समस्या नहीं रहेगी। जिस वक्त उनके पति सभोगकी इच्छासे उनके पास आये, उस समय यदि वे केवल 'नहीं' कहना सीख जाय। असली समस्या यह है कि वे उनका विरोध नहीं करना चाहती। बात सारी शिक्षा पर आ टिकती है। मैं चाहता हू कि स्त्री विरोधका अपना प्रारम्भिक अधिकार सीख ले। अभी तो वह समझती है कि उसे यह अधिकार नहीं है। भारतकी स्त्रियोंको यह सत्य हृदयगम कराना सबसे मुश्किल है। यदि मैं अपनी शक्ति सतति-नियमनमें लगा दू, तो मुझे स्त्रियोंको यह प्राथमिक शिक्षा देनेका मौका नहीं मिलेगा।

अगर हम सतति-नियमनको छोड़ देते हैं, तो दूसरे अधिक अच्छे उपाय मिल जायेंगे। ज्यों ही हम अमुक साधनको हानिकारक मानकर छोड़ना स्वीकार कर लेंगे, त्यों ही हमें दूसरे उपाय अवश्य मिल जायेंगे।

(नवम्बर १९३५ के 'एशिया' में छपी मिसेज मार्गरेट सेगरकी रिपोर्टसे।)

ख — विशाल समाज : पशु

१

गोरक्षा

गोरक्षा मेरे लिए मनुष्य-जातिके विकासमें एक सबसे अद्भुत चमत्कारपूर्ण घटना है। यह मानवको अपनी स्वाभाविक मर्यादासे बाहर ले जाती है। मेरे लिए गायका अर्थ है समस्त मनुष्येतर सृष्टि। गायके द्वारा मनुष्यको तमाम प्राणियोंके साथ तादात्म्य अनुभव करनेका आदेश दिया गया है। गायको ही देवता क्यो माना गया, यह मेरे लिए स्पष्ट है। भारतमें गाय मनुष्यका उत्तम साथी है। वह कामधेनु है। वह न केवल

दूध देती है, बल्कि खेती भी उसीके कारण सभव है। गाय मूर्ति-रत्न करुणामयी कविता है। इस नम्र और निरीह पशुकी आखोसे कृष्णा टपकती है। भारतके करोडो लोगोकी वह माता है। गोरक्षाका अर्थ है भगवानकी समस्त मूक सृष्टिकी रक्षा। प्राचीन ऋषियोने, भले वे कोई भी हो, गायसे इसका आरम्भ किया। निम्न श्रेणीके प्राणियोकी पुकार इसलिए और भी प्रबल है कि वे मूक है।

यग इडिया, ६-१०-२१

जो हिन्दू गायकी रक्षा करता है, उसे हरएक पशुकी रक्षा करनी चाहिये। परन्तु सब बातोका विचार करते हुए हम सिर्फ इसलिए उसकी गोरक्षामे दोष न निकाले कि वह दूसरे जानवरोको नही बचा पाता। इसलिए विचारणीय प्रश्न केवल यह है कि उसका गोरक्षा करना ठीक है या नही। और उसका ऐसा करना गलत नही है, यदि अहिंसामे विश्वास रखनेवालेका आम तौर पर जानवरोको न मारना कर्तव्य समझा जा सकता हो। और प्रत्येक हिन्दू, बल्कि प्रत्येक धार्मिक पुरुष, ऐसा ही करता है। आम तौर पर जानवरोको न मारनेका और इसलिए उन्हें बचानेका कर्तव्य निर्विवाद सत्य माना जाना चाहिये। तब तो यह हिन्दू धर्मके लिए तारीफकी बात है कि उसने गोरक्षाको कर्तव्य समझकर अपनाया है। और वह व्यक्ति हिन्दू धर्मका घटिया नमूना है, जो दूसरे पशुओकी रक्षा करनेकी क्षमता रखते हुए भी केवल गायकी रक्षा करके ही सतोष मान लेता है। गाय केवल एक प्रतीक है। और गायकी रक्षाका काम तो कमसे कम है, जिसे करनेकी उससे आशा रखी जाती है।

यग इडिया, ११-११-२६

गोरक्षाका सूक्ष्म अथवा आध्यात्मिक अर्थ है सभी जीवोकी रक्षा करना। हमारे ऋषियोने यह आश्चर्यजनक आविष्कार किया (और मैं प्रतिदिन इसकी सचाईका अधिकाधिक कायल होता जा रहा हू) कि जितना ज्यादा मनुष्य अहिंसा और सत्यके आचरणमे प्रगति करता है, उतना ही अधिकाधिक ईश्वर-प्रेरित धर्मसूत्रो और शास्त्र-वचनोका सत्य प्रगट होता है। सत्य और अहिंसाकी जितनी अनुभूति होगी उतना ही ज्ञान बढ़ेगा।

इन्ही ऋषियोंने घोषित किया है कि गोरक्षा एक हिन्दूका परम धर्म है और उसके पालनसे मोक्ष मिलता है। लेकिन मैं यह माननेको तैयार नहीं हूँ कि केवल स्थूल गायकी रक्षा करनेसे मोक्ष प्राप्त हो सकता है। मोक्षके लिए मोह, द्वेष, क्रोध और ईर्ष्या आदि विकारोको पूरी तरह जीतना पड़ता है। इसलिए निष्कर्ष यह निकलता है कि मोक्षकी भाषामे गोरक्षाका अर्थ जितना आम तौर पर माना जाता है उससे कहीं अधिक व्यापक और विस्तृत होना चाहिये। जिस गोरक्षासे मोक्ष प्राप्त हो सकता है, उसमें स्वभावतः प्रत्येक चेतन प्राणीकी रक्षा शामिल होनी चाहिये। इसलिए मेरी रायमे अहिंसा-सिद्धान्तका छोटेसे छोटा भग — जैसे किसी भी स्त्री, पुरुष या बालकको कठोर द्राणी द्वारा दुःख पहुँचाना और ससारके दुर्बलसे दुर्बल और तुच्छसे तुच्छ जीवको भी पीड़ा पहुँचाना — गोरक्षाके सिद्धान्तका भग होगा, गोमास-भक्षणके पापके समान होगा। उसमें कोई फर्क होगा तो मात्राका ही होगा, प्रकारका नहीं।

यग इडिया, २९-१-२५

२

पशुओंके प्रति अहिंसा

क्रोध या स्वार्थवश किसी प्राणीका जी दुखाना, बुरा चाहना या प्राण लेना हिंसा है। इसके विपरीत, शान्त और स्पष्ट विचारके बाद किसी जीवको शुद्ध और निःस्वार्थ हेतुसे उसके आध्यात्मिक अथवा शारीरिक लाभकी दृष्टिसे मार डालना या पीड़ा पहुँचाना शुद्धसे शुद्ध प्रकारकी अहिंसा है। ऐसे हर मामले पर अलग अलग और गुण-दोषका विचार करके निर्णय होना चाहिये। हिंसा या अहिंसाकी अंतिम कसौटी तो आखिर उस कृत्यके पीछे रहा हेतु ही होगा।

यग इडिया, ४-१०-२८

मेरी अहिंसा अपने ही ढगकी है। मैं जानवरोको न मारनेका सिद्धान्त पूरी तरह स्वीकार नहीं कर सकता। जो पशु मनुष्यको खा जाते हैं या

नुकसान पहुंचाते हैं, उनकी जान बचानेकी मुझमें कोई भावना नहीं है। उनकी वशवृद्धिमें सहायक होना मैं अनुचित समझता हूँ। इसलिए मैं चींटियों, बदरो या कुत्तोको नहीं खिलाऊंगा। उनके प्राण बचानेके लिए मैं किसी मनुष्यके प्राणोका कभी बलिदान नहीं करूंगा।

इस ढंगसे विचार करते हुए मैं इस परिणाम पर पहुंचा हूँ कि जहा बदर मनुष्यके कल्याणके लिए खतरा बन गये हैं, वहा उनका सफाया कर देना क्षम्य है। इस प्रकारका सहार कर्तव्य हो जाता है। यह सवाल उठ सकता है कि यह नियम मानव-प्राणियों पर क्यों नहीं लागू होना चाहिये। वह इसलिए लागू नहीं हो सकता है कि कितने ही बुरे हो तो भी वे हमारे ही जैसे हैं। जानवरको भगवानने बुद्धि नहीं दी, मनुष्यको दी है।

हरिजन, ५-५-'४६

३

विश्व-बन्धुत्व

हिन्दू धर्मके शुद्धतम रूपमें तो ब्राह्मण, चींटी, हाथी और श्वपाक सबका दर्जा समान माना गया है। हिन्दू धर्म न केवल मनुष्य-मात्रके, बल्कि प्राणिमात्रके बन्धुत्वका आग्रह करता है। यह कल्पना ऐसी है कि इससे मनुष्य चकरा जाता है, मगर हमें इस पर अमल करना है। जिस क्षण हम मनुष्य मनुष्यके बीच सच्ची और सजीव समानता फिरसे स्थापित कर लेंगे, उसी क्षण हम मनुष्य और सारी सृष्टिके बीच समानता स्थापित कर सकेंगे। जब वह दिन आयेगा तब ससारमें शान्ति और मनुष्योंमें सद्भावनाका राज्य फैल जायगा।

हरिजन, २८-३-'३६

पशुबलि

इसकी कोई परवाह नहीं कि वेदोमें पशुबलिके लिए स्थान बताया जाता है। हमारे लिए इतना काफी है कि इस प्रकारकी बलि सत्य और अहिंसाकी मौलिक कसौटी पर नहीं टिक सकती। वेदोके पांडित्यके विषयमें मैं अपनी अयोग्यता तुरत स्वीकार कर लेता हूँ। परन्तु जहाँ तक इस विषयका सबध है, मुझे अपनी अयोग्यताकी चिन्ता नहीं, क्योंकि यदि पशुबलिकी प्रथा वैदिक समाजका अंग भी सिद्ध कर दी जाय, तो भी अहिंसाके पुजारीके लिए वह कोई उदाहरण नहीं बन सकता।

मगल-प्रभात, १९४५, पृ० ५३-५४

पांचवां विभाग : राजनीतिक व्यवस्था

क — सर्वोदयी राज्य

१

चरित्र आधार होगा

स्वराज्यका सच्चा अर्थ आत्म-सयम है। आत्म-सयम वही रख सकता है, जो सदाचारके नियमोंका पालन करता है, किसीको धोखा नहीं देता, सत्यका त्याग नहीं करता और अपने माता-पिता, पत्नी, बच्चों, नौकरो और पड़ोसियोंके प्रति अपना फर्ज अदा करता है। ऐसा आदमी, भले कहीं भी रहे, स्वराज्यका सुख भोगता है। जो राज्य बड़ी सख्यामें इस तरहके भले नागरिकोंके होनेका गर्व कर सकता है, वह स्वराज्यका उपभोग करता है।

स्वराज्य* विशालकाय कारखाने खड़े करनेसे प्राप्त नहीं हो सकता। सोना-चादी इकट्ठा किया जा सकता है, मगर उससे स्वराज्यकी स्थापना नहीं होगी। रस्किनने यह सोलह आने साबित कर दिया है। पाश्चात्य सभ्यता अभी निरी दुधमुही बच्ची है। उसकी आयु केवल सौ या पचास वर्षकी है। फिर भी उसने यूरोपकी दुर्दशा कर दी है। हम प्रार्थना करे कि जो हाल यूरोपका हुआ उससे भगवान भारतको बचाये। यूरोपके राष्ट्र तो एक-दूसरे पर हमला करनेको तुले बैठे हैं और केवल शस्त्रास्त्रके संग्रहके कारण ही चुप हैं। किसी न किसी दिन विस्फोट होगा, और तब यूरोप पृथ्वी पर सचमुच नरक बन जायगा। हर यूरोपीय राज्य

* सच्चा लोकतंत्र या जनताका राज्य अर्थात् सर्वोदय। — सं०

अ-गोरी जातियोंको अपना उचित शिकार मानता है। जहा मनुष्योंके हृदयोमे लोभकी ही प्रधानता है, वहा और क्या आशा रखी जा सकती है? नये भूभागो पर यूरोपीय ऐसे टूट पडते हैं, जैसे मास पर चील-कौवे। मेरा यह विचार है कि इसका कारण बडे पैमाने पर उत्पादन करनेवाले कारखाने है।

भारतको स्वराज्य अवश्य लेना चाहिये, लेकिन शुद्ध और पवित्र उपायोसे। हमारा स्वराज्य वास्तविक स्वराज्य होना चाहिये, जो न हिंसासे प्राप्त किया जा सकता है और न उद्योगीकरणसे। भारत किसी वक्त स्वर्णभूमि था, क्योंकि उस समय भारतवासियोंका हृदय सोनेका था। भूमि वही है, मगर रेगिस्तान है, क्योंकि हम भ्रष्ट हो गये हैं। वह फिरसे स्वर्णभूमि तभी बन सकती है, जब हमारे वर्तमान राष्ट्रीय चरित्रकी घटिया धातु स्वर्णमे बदल जाय। जिस पारस-मणिसे यह परिवर्तन हो सकता है, वह दो अक्षरोका छोटासा शब्द है—सत्य। यदि प्रत्येक भारतवासी सत्य पर डटा रहे, तो स्वराज्य अपने-आप हमारे पास चला आयेगा।

(गाधीजीज कक्लुजन टु हिज पैराफ्रेज ऑफ 'अन्टु दिस लास्ट'
पृ० ६१-६४)

सच्चा लोकतंत्र या जनसाधारणका स्वराज्य असत्य और हिंसापूर्ण उपायोसे कभी नहीं आ सकता। इसका सीधा कारण यह है कि इनको काममे लेनेका स्वाभाविक परिणाम यह होगा कि विरोधियोंका दमन या विनाश करके सारा विरोध हटा दिया जायगा। इससे व्यक्तिगत स्वतंत्रता पनप नहीं सकती। व्यक्तिगत स्वतंत्रता विशुद्ध अहिंसाके शासनमे ही पूरी तरह काम कर सकती है।

हरिजन, २७-५-'३९

सर्वोदयी लोकतंत्र

ऐसा समाज अनगिनत गावोंका बना होगा। उसका फैलाव एकके ऊपर एकके ढगका नहीं, बल्कि लहरोकी तरह एकके बाद एककी शकलमें होगा। जीवन मीनारकी शकलमें नहीं होगा, जहां ऊपरकी तग चोटीको नीचेके चौड़े पाये पर खड़ा रहना पडता है। वहां तो जीवन समुद्रकी लहरोकी तरह एकके बाद एक घेरेकी शकलमें होगा, जिसका केन्द्र व्यक्ति होगा। व्यक्ति गावके लिए और गाव ग्राम-समूहके लिए मर मिटनेको हमेशा तैयार रहेगा। इस तरह अन्तमें सारा समाज ऐसे व्यक्तियोंका बन जायगा, जो अहंकारमें आकर कभी किसी पर हमला नहीं करेंगे, बल्कि सदा विनीत रहेंगे और उस समुद्रके गौरवके हिस्सेदार बनेंगे, जिसके वे अविभाज्य अंग हैं।

इसलिए सबसे बाहरका घेरा अपनी शक्तिका उपयोग भीतरवालोंको कुचलनेमें नहीं करेगा, बल्कि भीतरवाला सबको ताकत पहुंचायेगा और स्वयं उनसे बल ग्रहण करेगा। मुझ पर यह कटाक्ष किया जा सकता है कि यह सब खयाली पुलाव है और इसलिए जरा भी विचारणीय नहीं है। युक्लिडकी परिभाषाका बिन्दु भलेही मनुष्य खींच न सके, तो भी उसका शाश्वत मूल्य तो है। इसी तरह मेरे इस चित्रका भी मानव-जातिके जीवित रहनेके लिए अपना मूल्य है। इस तसवीर तक पूरी तरह पहुंचना संभव नहीं है, फिर भी इस सही तसवीर तक पहुंचना भारतकी जिन्दगीका मकसद होना चाहिये। हमें क्या चाहिये, इसका सही चित्र तो हमारे पास होना ही चाहिये। तब हमें उससे मिलती-जुलती कोई चीज प्राप्त हो सकती है। यदि कभी भारतके प्रत्येक गावमें एक एक गणतंत्र स्थापित हुआ, तो मेरा दावा है कि मैं इस चित्रकी सचाई सिद्ध कर सकूंगा -- जिसमें सबसे आखिरी और सबसे पहला दोनों बराबर होंगे या दूसरे शब्दोंमें कहे तो न कोई पहला होगा, न आखिरी।

हरिजन, २८-७-'४६

सच्चे लोकतंत्रका सचालन केन्द्रमें बैठे हुए बीस आदमियोंसे नहीं हो सकता। उसका सचालन नीचेसे प्रत्येक गावके लोगो द्वारा करना होगा।

हरिजन, १८-१-'४८

यदि हम चाहते हैं कि स्वराज्यकी रचना अहिंसाके आधार पर की जाय, तो हमें गावोंको उनका उचित स्थान देना होगा।

हरिजन, २०-१-'४०

३

ध्येय

अहिंसाके आधार पर खड़े स्वराज्यमें कोई किसीका शत्रु नहीं होता, सभी सामान्य ध्येयके लिए अपने अपने उचित हिस्सेका काम करते हैं, सब पढ़-लिख सकते हैं और उनका ज्ञान दिनोदिन बढ़ता रहता है। रोग और बीमारी कमसे कम होती है। कोई दरिद्र नहीं होता और मजदूरोंको हमेशा काम मिल जाता है। ऐसे राज्यमें जुए, शराबखोरी, दुराचार या वर्ग-द्वेषके लिए कोई स्थान नहीं होता। धनवान अपना धन बुद्धिमानीसे और उपयोगी ढंग पर खर्च करेंगे, अपनी शान-शौकत और सासारिक सुखोंको बढ़ानेमें उसे बरबाद नहीं करेंगे। यह नहीं होना चाहिये कि मुट्ठीभर अमीर लोग तो रत्न-जटित महलमें रहे और करोड़ों लोग वायु और प्रकाशहीन गन्दे झोपड़ोंमें रहे। हिन्दू-मुस्लिम झगड़े, अस्पृश्यता और ऊच-नीचके भारी भेद आदि बातें उसमें नहीं होनी चाहिये।

[गांधीजी द्वारा राजकोटके लोगोंके नाम निकाली गई एक अपीलसे।]

हरिजन, २५-३-'३९

हिन्दुस्तानी गवर्नर

१ हिन्दुस्तानी गवर्नरको चाहिये कि वह खुद पूरे सयमका पालन करे और अपने आसपास सयमका वातावरण खडा करे। इसके बिना शराबबन्दीके बारेमे सोचा भी नही जा सकता।

२ उससे और उसके आसपासके वातावरणसे यह प्रमाण मिलना चाहिये कि हाथ-कताई भारतके करोडो मूक लोगोके साथ तादात्म्य सिद्ध करनेका तथा गरीर-श्रमकी आवश्यकताका प्रत्यक्ष चिह्न है, और जिस सगठित हिंसा पर आजके समाजका आधार दिखाई देता है, उसके मुकाबलेमे वह सगठित अहिंसाका प्रतीक है।

३ अगर गवर्नरको अच्छी तरह काम करना है, तो उसे ऐसी ष्टियामे रहना चाहिये जो लोगोकी निगाहसे बची हुई होने पर भी सबकी पहुचके भीतर हो। अग्रेज गवर्नर कुदरती तौर पर अग्रेजी ताकतका प्रतिनिधि था। उसके और उसके स्वजनोके लिए एक सुरक्षित निवासस्थान — एक महल बनाया जाता था, जिसमे वह और उसके साम्राज्यको टिकाये रखनेवाले उसके बहुसंख्यक सेवक रह सके। भारतीय गवर्नर भी कुछ शान-शौकतवाली इमारते राजाओ और ससारके राजदूतोके स्वागतके लिए रख सकता है। गवर्नरके मेहमान बननेवाले लोगोको उसके व्यक्तित्व और आसपासके वातावरणसे 'ईवन अन्टु दिस लास्ट' (सर्वोदय) — सबके साथ समान बरताव — की सच्ची शिक्षा मिलनी चाहिये। उसके लिए देशी या विदेशी महंगे फर्नीचरकी जरूरत नही होनी चाहिये। 'सादा जीवन और उच्च विचार' उसका आदर्श-वाक्य होना चाहिये, जो केवल उसके द्वारकी शोभा न बढाये, बल्कि दैनिक जीवनमे कार्यान्वित हो।

४ उसके लिए किसी भी रूपमे न तो अस्पृश्यता हो सकती है और न जाति, धर्म या रंगका भेद हो सकता है। वह समस्त धर्मों और पूर्व या पश्चिमकी सब बातोके उत्तम तत्त्वोका प्रतिनिधि हो। भारतका नागरिक

होनेके कारण उसे ससारका नागरिक होना चाहिये। हम पढते हैं कि खलीफा उमर, जिनके चरणोमे दुनियाकी दौलत लोटती थी, इसी प्रकार सादगीसे रहते थे, इसी तरहका जीवन प्राचीन कालमे राजा जनकका था। मैंने देखा कि एटनके आचार्य अपने घरमे ब्रिटिश टापुओके उमरावो और नवाबोके लडकोके बीच और उनसे घिरे हुए इसी तरह सादगीसे जीवन बिताते थे। तब क्या करोडो भूखे भारतीयोके गवर्नर सादगीसे नही रहेंगे?

५ वह जिस प्रान्तका गवर्नर होगा, उसकी भाषा और नागरी या उर्दू लिपिमे लिखी जानेवाली राष्ट्रभाषा हिन्दुस्तानी बोलेगा। वह न तो सस्कृतमयी हिन्दी है और न फारसी-प्रधान उर्दू। हिन्दुस्तानी अवश्य ही वह भाषा है, जो विन्ध्य पर्वतमालाके उत्तरमे करोडो लोगो द्वारा बोली जाती है।

एक भारतीय गवर्नरमे जो गुण होने चाहिये, उन सबकी यह पूरी सूची नही है। यह तो केवल दृष्टान्तके लिए है।

हरिजन, २४-८-४७

५

राजनीतिक सत्ता

मेरी दृष्टिमे राजनीतिक सत्ता कोई साध्य नही है, परन्तु जीवनके प्रत्येक विभागमे लोगोके लिए अपनी हालत सुधार सकनेका एक साधन है। राजनीतिक सत्ताका अर्थ है राष्ट्रीय प्रतिनिधियो द्वारा राष्ट्रीय जीवनका नियमन करनेकी शक्ति। अगर राष्ट्रीय जीवन इतना पूर्ण हो जाता है कि वह स्वयं आत्म-नियमन कर ले, तो किसी प्रतिनिधित्वकी आवश्यकता नही रह जाती। उस समय ज्ञानपूर्ण अराजकताकी स्थिति हो जाती है। ऐसी स्थितिमे हरएक अपना राजा होता है। वह इस ढंगसे अपने पर शासन करता है कि अपने पडोसियोके लिए कभी बाधा नही बनता। इसलिए आदर्श अवस्थामे कोई राजनीतिक सत्ता नही होती, क्योंकि कोई राज्य नही होता। परन्तु जीवनमे आदर्शकी पूरी सिद्धि

कभी नहीं होती। इसीलिए थोरों ने कहा है कि सबसे कम शासन करे वही उत्तम सरकार है।

यग इंडिया, २-७-३१

मैं राज्यकी सत्ताकी वृद्धिको बहुत ही भयकी दृष्टिसे देखता हूँ। क्योंकि जाहिरा तौर पर तो वह शोषणको कमसे कम करके लाभ पहुँचाती है, परन्तु मनुष्यके व्यक्तित्वको नष्ट करके वह मानव-जातिको बड़ीसे बड़ी हानि पहुँचाती है, जो सब प्रकारकी उन्नतिकी जड़ है।

राज्य केन्द्रित और सगठित रूपमें हिंसाका प्रतीक है। व्यक्तिके आत्मा होती है, परन्तु चूँकि राज्य एक आत्मा-रहित मशीन होता है, इसलिए उससे हिंसा कभी नहीं छुड़वाई जा सकती, उसका अस्तित्व ही हिंसा पर निर्भर है।

मेरा यह पक्का विश्वास है कि अगर राज्य हिंसासे पूजावादको दबा देगा, तो वह स्वयं हिंसाकी लपेटमें फस जायेगा और किसी भी समय अहिंसाका विकास नहीं कर सकेगा।

मैं स्वयं तो यह अधिक पसन्द करूँगा कि राज्यके हाथोंमें सत्ता केन्द्रित न करके ट्रस्टीशिपकी भावनाका विस्तार किया जाय। क्योंकि मेरी रायमें व्यक्तिगत स्वामित्वकी हिंसा राज्यकी हिंसासे कम हानिकारक है। किन्तु अगर यह अनिवार्य हो, तो मैं कमसे कम राजकीय स्वामित्वका समर्थन करूँगा।

मुझे जो बात नापसन्द है वह है बलके आधार पर बना हुआ सगठन, और राज्य ऐसा ही सगठन है। स्वेच्छापूर्ण सगठन जरूर होना चाहिये।

मॉडर्न रिव्यू, १९३५, पृ० ४१२

मैंने जिस लोकतंत्र — अहिंसा द्वारा स्थापित लोकतंत्र — की कल्पना की है, उसमें सबके लिए समान स्वतंत्रता होगी। हरएक अपना स्वामी होगा।

गांधीजीज़ कॉरस्पोंडेन्स विथ दि गवर्नमेंट, १९४२-४४, पृ० १७३

६

स्वशासन

जैसे हर देश खाने, पीने और सास लेनेके योग्य है, वैसे ही प्रत्येक राष्ट्र अपना प्रबध आप करनेके योग्य है, चाहे वह प्रबध कितना ही खराब हो।

यग इडिया, १५-१०-'३१

स्वशासनका अर्थ है सरकारी नियंत्रणसे स्वतंत्र होनेका सतत प्रयत्न, फिर सरकार विदेशी हो चाहे राष्ट्रीय। स्वराज्य-सरकार एक हास्यास्पद चीज बन जायगी, अगर जीवनकी हर छोटी बातके नियमनके लिए लोग उसके मुहकी तरफ देखने लगे।

यग इडिया, ६-८-'२५

स्वराज्यसे मेरा मतलब भारतके लोगोकी स्वीकृतिसे होनेवाले शासनसे है। वह स्वीकृति बालिग आवादीकी बडीसे बडी सख्या द्वारा निश्चित होनी चाहिये और उसमे देशमे पैदा हुए या बाहरसे आकर बसे हुए वे सब स्त्री-पुरुष शामिल होने चाहिये, जिन्होंने शरीर-श्रम द्वारा राज्यकी सेवामे भाग लिया हो और अपना नाम मतदाताओकी सूचीमे लिखवानेका कष्ट उठाया हो। मैं यह दिखा देनेकी आशा रखता हूँ कि स्वराज्य चढ़ आदमियोके सत्ता प्राप्त करनेसे नहीं आयेगा, परन्तु सत्ताका दुरुपयोग होने पर उसका मुकाबला करनेकी सबमे क्षमता उत्पन्न होनेसे आयेगा। दूसरे शब्दोमे, स्वराज्य जनसाधारणको सत्ताका नियमन और नियंत्रण करनेकी उनकी शक्तिका भान करानेसे प्राप्त होगा।

यग इडिया, २९-१-'२५

राजनीतिक स्वाधीनतासे मेरा मतलब यह नहीं कि ब्रिटिश पार्लियामेन्ट या रूसके सोवियट शासन या इटलीके फासिस्ट राज्य या जर्मनीकी नाजी

हुकूमतकी नकल की जाय। उनकी प्रणालिया उनकी प्रकृतिके अनुकूल है। हमें अपनी प्रकृतिके अनुकूल प्रणाली अपनानी चाहिये। वह क्या हो सकती है, यह बताना मेरे बूतेकी बात नहीं। मैंने उसे रामराज्य कहा है, अर्थात् उसमें शुद्ध नैतिक सत्ताके आधार पर आम जनताकी सर्वोपरि सत्ता होगी।

हरिजन, २-१-'३७

७

अल्पसंख्यकोंका अधिकार

बहुमतके नियमका सकुचित उपयोग है, अर्थात् तफसीलकी बातोमें बहुमतको मानना चाहिये। लेकिन बहुमत जो भी निर्णय कर दे, उसे मानना दासता है। लोकतंत्र ऐसी रचना नहीं है, जिसमें लोग भेड़ोंकी तरह आचरण करे। लोकतंत्रमें व्यक्तिके विचारों और कार्यकी स्वतंत्रताकी सावधानीसे रक्षा की जाती है। इसलिए मेरा विश्वास है कि अल्पमत जब तक कांग्रेसके नाम पर काम नहीं करता, तब तक उसे बहुमतसे भिन्न आचरण करनेका पूरा हक है।

यग इंडिया, २-३-'२२

अन्तरात्मासे सम्बन्ध रखनेवाली बातोमें बहुमतके कानूनका कोई स्थान नहीं।

यग इंडिया, ४-८-'२०

८

मताधिकार

गांधीजी २१ वर्ष या १८ वर्षसे भी ऊपरके सभी बालिग स्त्री-पुरुषोके मताधिकारके पक्षमे हैं। वे अपने जैसे बूढ़े आदमियोको इससे वंचित रखना चाहते हैं। वे लोग मतदाताओके रूपमे निकम्मे हैं। भारत और शेष ससार उनके लिए नहीं है, जो मौतके किनारे बैठे हैं। उनके लिए मृत्यु है और युवकोके लिए जीवन। इस प्रकार जैसे वे १८ वर्षसे कमके युवक-युवतियोके लिए मनाही करना चाहते हैं, वैसे ही ५० वर्षसे ऊपरकी उम्रवालोके लिए भी मनाही करना चाहते हैं।

बालिग मताधिकारके साथ साथ या उससे भी पहले वे सबकी शिक्षाके पक्षमे हैं। यह जरूरी नहीं कि शिक्षा साहित्यकी ही हो। वह पूरकके रूपमे दी जा सकती है। लेकिन वे सबको उन सपन्न भाषाओका पर्याप्त ज्ञान देना चाहते हैं, जिन पर किसी भी देशको गर्व हो सकता है। हममे ईमानदारी और लगन हो तो नागरिकताके अधिकारोको समझनेकी शिक्षा थोडे दिनोका काम है।

हरिजन, २-३-१४७

९

प्रान्तीयता

गांधीजीकी राय है कि सब प्रान्तोके लोग भारतके हैं और भारत सबका है। शर्त एक ही है कि कोई दूसरे प्रान्तमे जाकर इसलिए नहीं बस सकता कि उसका शोषण करे, उस पर शासन करे या उसके हितोको किसी प्रकार हानि पहुंचाये। सब भारतके सेवक हैं और सेवाकी भावनासे ही रहते हैं।

हरिजन, ७-९-१४७

जो गैर-बिहारी बिहारमे बसता है, उसे बिहारकी सेवाके लिए ही ऐसा करना चाहिये, न कि उसका शोषण करनेके लिए।

८६

सरकारी नौकरियोंका क्या हो ? ऐसा लगता है कि अगर सभी प्रान्तोंको सब दिशाओमें समान प्रगति करनी हो, तो सरकारी नौकरियां, सारे भारतकी तरक्कीके खयालसे, अधिकतर सम्बन्धित प्रान्तोंके निवासियोंके लिए सीमित होनी चाहिये ।

बाहरसे आकर किसी भी प्रान्तमें बसनेवाले लोगोंके बारेमें गांधीजीने कहा अवश्य ही उन्हें विदेशियोंकी भांति अपनी अलग बस्ती नहीं बना लेनी चाहिये । ' रोममें रोमवालोंकी तरह रहो ' यह कहावत जहां तक रोमन बुराइयोंसे दूर रहती है, वहां तक समझदारीसे भरी और फायदा पहुंचानेवाली है । धीरे-धीरे एक-दूसरेके साथ घुलमिल जानेकी क्रियामें बुरी बातें छोड़ देने और अच्छी बातें पचा लेनेका ध्यान रखना चाहिये । मैं बगालमें रहनेवाला गुजराती हूँ, तो बगालमें जो भी अच्छाई है वह सब मुझे तुरत हजम कर लेनी चाहिये और जो बुराई है उसे कभी छूना भी नहीं चाहिये । मुझे सदा बगालकी सेवा करनी चाहिये । स्वार्थी बन कर कभी उसका शोषण नहीं करना चाहिये । दूसरोंसे बिलकुल अलग रहनेवाली हमारी प्रान्तीयता जीवनको बरबाद करनेवाली चीज है । मेरी कल्पनाके प्रान्तकी सीमा सारे भारतकी सीमा तक फैली हुई होगी, ताकि अन्तमें उसकी सीमा विश्वकी सीमा तक फैल जाय । अन्यथा उसका नाश हो जायगा ।

हरिजन, २१-९-'४७

१०

राज्य धर्म-निरपेक्ष हो

बेशक राज्यको धर्म-निरपेक्ष होना चाहिये । उसमें रहनेवाले हर नागरिकको बिना किसी रुकावटके अपना धर्म माननेका हक होना चाहिये, जब तक वह देशके आम कानूनको मानता हो ।

हरिजन, २४-८-'४७

ख — उसके वैदेशिक सम्बन्ध

१

ब्रिटेनके साथ साझेदारी

मैं तो ब्रिटेनके साथ बराबरीका साझेदार बनकर उसके सुख-दुखमें शरीक होना पसन्द करूंगा। मगर वह साझा समानताके आधार पर होना चाहिये।

प्र० — क्या आपके विचारसे भारत अपने भाग्यको ब्रिटेनके साथ अविच्छेद्य रूपसे मिला देगा ?

उ० — हा, जब तक वह साझेदार रहेगा। परन्तु यदि उसे यह पता चले कि यह साझेदारी दानव और वामनके बीचकी साझेदारी है या ससारकी दूसरी जातियोंके शोषणके लिए इसका उपयोग होता है, तो वह इसे भग कर देगा। ध्येय यह है कि पृथ्वीके तमाम राष्ट्रोंका एकसा कल्याण हो, और अगर वह सिद्ध नहीं हो सकता, तो मुझमें इतना धीरज है कि किसी भी तरह अस्वाभाविक साझेदारीका नाता जोड़ लेनेके बजाय मैं युगो तक प्रतीक्षा करता रहू।

यग इडिया, १२-११-'३१

साझेदारीका यह अर्थ होना चाहिये कि शोषण बन्द हो जायगा। और अगर ग्रेट ब्रिटेन उसे बन्द न करे, तो भारतको यह सम्बन्ध तोड़ देना चाहिये।

दक्षिण अफ्रीकाके उपनिवेशके बारेमें क्या हो ? मैं हमारी साझेदारीके लिए पहलेसे इस शर्तका आग्रह नहीं करूंगा कि ब्रिटेन उसके साथ अपने सम्बन्धोंमें कायापलट कर ले। परन्तु मैं उन दक्षिण अफ्रीकी जातियोंकी मुक्तिके लिए अवश्य कोशिश करूंगा, जिनके लिए मैं अनुभवसे कह सकता हू कि वे शोषणकी चक्कीमें पिसी जा रही हैं। हमारी मुक्तिका

अर्थ उनकी मुक्ति होना चाहिये। परन्तु यह न हो सके तो मुझे ब्रिटेनके साथ साझेदारीका सबध कायम करनेमें कोई दिलचस्पी नहीं होगी, भले उससे भारतका लाभ ही होता हो। व्यक्तिगत रूपमें मैं कहूंगा कि जिस साझेदारीमें शोषण-मुक्त ससारका वचन दिया गया होगा, वह मेरे राष्ट्रके लिए गौरवकी वस्तु होगी और मैं सदा उसे कायम रखूंगा। परन्तु भारत शोषणकी किसी भी नीतिसे किसी तरह सहमत नहीं होगा।

यग इडिया, १९-११-३१

२

दूसरे राष्ट्रोंके साथ सम्बन्ध

मेरे देगप्रेममें दूसरे देशोंके बहिष्कारका भाव नहीं है। इसका उद्देश्य इतना ही नहीं है कि किसी दूसरे राष्ट्रको हानि न पहुँचाई जाय, प्रत्युत यह भी है कि सच्चे अर्थमें सबको लाभ पहुँचाया जाय। मेरी कल्पनाकी भारतकी स्वतंत्रता ससारके लिए कभी खतरा नहीं बन सकती।

यग इडिया, ३-४-२४

मैं भारतको स्वतंत्र और बलशाली इसलिए देखना चाहूंगा कि दुनियाकी भलाईके लिए वह अपना स्वेच्छापूर्ण और शुद्ध बलिदान दे सके। शुद्ध होने पर व्यक्ति परिवारके लिए, परिवार गावके लिए, गाव जिलेके लिए, जिला प्रान्तके लिए, प्रान्त राष्ट्रके लिए और राष्ट्र सारे ससारके लिए अपनेको कुर्बान करता है।

यग इडिया, १७-९-२५

पूर्ण स्वराज्यकी मेरी कल्पना अलग-थलग स्वतंत्रताकी नहीं, बल्कि स्वस्थ और गौरवपूर्ण परस्परावलम्बनकी है।

यग इडिया, २६-३-३१

स्वराज्यके जरिये हम सारे विश्वकी सेवा करेंगे।

यग इडिया, १६-४-३१

राज्य द्वारा बनाई गई सीमाओके बाहर अपने पड़ोसियोंकी सेवा करनेकी कोई मर्यादा नहीं है। ईश्वरने उन सीमाओका कभी निर्माण नहीं किया।

यम इडिया, ३१-१२-'३१

३

आन्तर-राष्ट्रीय शान्तिसंघ

आन्तर-राष्ट्रीय संघ तभी बनेगा जब उसे बनानेवाले छोटे-बड़े सभी राष्ट्र पूर्ण स्वतंत्र हो। जिस हृद तक सम्बन्धित राष्ट्रोंने अहिंसाको पचा लिया होगा, उसी हृद तक वे स्वतंत्र होंगे। एक बात निश्चित है। अहिंसाके आधार पर निर्मित समाजमें छोटेसे छोटा राष्ट्र अपनेको बड़ेसे बड़ा महसूस करेगा। ऊच-नीचका विचार बिलकुल मिट जायगा।

हरिजन, ११-२-'३९

प्र० — क्या आपको यह सभावना दिखाई देती है कि ससार एक केन्द्रीय शासन-संस्थाके अधीन एक हो जायगा, जिसमें सब सदस्य-राष्ट्रोंके प्रतिनिधि होंगे ?

उ० — इसी एक शर्त पर तो दुनिया जिन्दा रह सकती है।

हरिजन, ८-६-'४७

छठा विभाग : बुराईका विरोध

क — सत्याग्रहकी पद्धति

१

प्रेमका प्याला

तलवारको छोड़ देनेके बाद मेरे पास प्रेमके प्यालेके सिवा और कोई चीज नहीं, जिसे मैं अपने विरोधियोंके सामने पेश कर सकूँ। वह प्रेमका प्याला पेश करते ही मैं उन्हें अपने नजदीक लानेकी आशा रखता हूँ।

यग इंडिया, २-४-'३१

मेरा ध्येय सारी दुनियाके साथ मित्रताका सम्बन्ध कायम करना है और मैं बड़ेसे बड़े प्रेमके साथ अन्यायके बड़ेसे बड़े विरोधका मेल बैठा सकता हूँ।

यग इंडिया, १०-३-'२०

‘दुष्टताके विरुद्ध सब प्रकारकी सच्ची लड़ाईका परित्याग’ अहिंसा नहीं है। इसके विपरीत, मेरी कल्पनाकी अहिंसा प्रतिशोधकी अपेक्षा अधिक सक्रिय और दुष्टताके खिलाफ सच्ची लड़ाई है, क्योंकि प्रतिशोध कृदरती तौर पर दुष्टताको बढ़ाता है। मेरा इरादा अनाचारोका मानसिक और इसलिए नैतिक विरोध करनेका है। मैं अत्याचारीकी तलवारको बिलकुल भोथरी कर देना चाहता हूँ। यह काम मैं तुलनामे अधिक तेज तलवारका उपयोग करके नहीं, बल्कि उसे इस बातमे निराश करके करूँगा कि मैं उसका शारीरिक विरोध करनेवाला हूँ। मैं आत्मा द्वारा जो प्रतिरोध करूँगा वह उसे घबडा देगा। पहले तो

उसे इससे चकाचौध होगी और अन्तमें वह उसे मान लेनेको मजबूर हो जायगा, ऐसा करके वह जलील नहीं होगा, बल्कि ऊँचा उठेगा।

यग इडिया, ८-१०-'२५

२

सत्याग्रह

सत्याग्रहमें विरोधीको हानि पहुँचानेकी जरा भी कल्पना नहीं है। सत्याग्रहका नियम यह है कि स्वयं कष्ट उठाकर विरोधी पर विजय प्राप्त की जाय।

('साबरमती' - १३ से १५ जनवरी, १९२८को साबरमतीमें हुए आन्तर-राष्ट्रीय फेलोशिप सघके सम्मेलनकी रिपोर्टसे, पृ० १७९)

क्रोध या द्वेषरहित कष्ट-सहनके सूर्योदयके सामने कठोरसे कठोर, हृदय और घोरसे घोर अज्ञान भी विलीन हो जायगा।

यग इडिया, १९-२-'२५

सक्रिय अहिंसाका अर्थ ज्ञानपूर्वक कष्ट-सहन है। इसका मतलब यह नहीं कि दुराचारीकी मरजीके सामने चुपचाप गरदन झुका दी जाय, परन्तु इसका मतलब यह है कि अत्याचारीकी मरजीके विरुद्ध अपनी आत्माकी सारी शक्तको लगा दिया जाय। जीवनके इस धर्मका आचरण करते हुए एक अकेले व्यक्तिके लिए भी यह सभव है कि वह अपने सम्मान, अपने धर्म और अपनी आत्माकी रक्षाके लिए एक अन्यायी साम्राज्यकी सारी ताकतका मुकाबला करे और उस साम्राज्यके पतन या पुनरुद्धारकी बुनियाद डाले।

यग इडिया, ११-८-'२०

सत्याग्रहीका मार्ग साफ है। उसे सब प्रकारकी विरोधी धाराओके बीच अचल खड़ा रहना चाहिये। न उसे अधी कट्टरताके प्रति अधीर होना चाहिये और न दबे हुए लोगोके अविश्वास पर चिढना चाहिये।

उसे जानना चाहिये कि उसका कष्ट-सहन कट्टरसे कट्टर धर्मान्धके कठोरसे कठोर हृदयको भी पिघला देगा। उसे मालूम होना चाहिये कि जब राहतकी थोड़ी भी आशा नहीं होगी, तब कहींसे राहत मिल जायगी। कारण निर्दय-दयालु भगवानकी ऐसी ही लीला है कि वह अपने भक्तोको आगकी भट्टीमें झोककर उनकी परीक्षा लेता है और उन्हें धूलके समान नष्ट बनानेमें उसे आनन्द आता है।

यग इंडिया, ४-६-२५

३

कायरताकी गुंजाइश नहीं

मेरा अहिंसा-धर्म एक सक्रिय बल है। इसमें कायरताकी या दुर्बलताकी भी गुंजाइश नहीं है। किसी हिंसक मनुष्यके किसी दिन अहिंसक बननेकी आशा हो सकती है, मगर बुजदिलके लिए ऐसी कोई आशा नहीं होती। इसलिए मैंने इस पत्रमें अनेक बार कहा है कि यदि हमें कष्ट-सहनकी शक्तिसे अर्थात् अहिंसासे अपनी स्त्रियोंकी और अपने पूजास्थानोकी रक्षा करना नहीं आता, तो हममें — अगर हम मर्द हैं — कमसे कम लडकर इन सबकी रक्षा करनेकी शक्ति तो होनी चाहिये।

यग इंडिया, १६-६-२७

बचावके दो रास्ते हैं। सबसे अच्छा और सबसे कारगर तो यह है कि बिलकुल बचाव न किया जाय, बल्कि अपनी जगह पर कायम रहकर हर तरहके खतरेका सामना किया जाय। दूसरा उत्तम और उतना ही सम्मानपूर्ण तरीका यह है कि आत्मरक्षाके लिए बहादुरीसे शत्रु पर प्रहार किया जाय और अपने जीवनको बड़ेसे बड़े खतरेमें डाला जाय।

यग इंडिया, १८-१२-२४

अहिंसा और कायरताका कोई मेल नहीं है। मैं पूरी तरह शस्त्र-सज्जित मनुष्यके हृदयसे कायर होनेकी कल्पना कर सकता हूँ। हथियार

रखना कायरता नहीं तो कुछ डरका होना तो जाहिर करता ही है। परन्तु सच्ची अहिंसा शुद्ध निर्भयताके बिना असंभव है।

हरिजन, १५-७-'३९

मैं यह जरूर मानता हूँ कि जहाँ केवल कायरता और हिंसाके बीच ही चुनाव करना हो, वहाँ मैं हिंसाकी सलाह दूँगा। मैं चाहूँगा कि भारत अपनी इज्जतकी रक्षा करनेके लिए भले ही शस्त्रोका आश्रय ले, मगर कायर बनकर अपनी बेइज्जतीका निःसहाय साक्षी न बने या न रहे।

परन्तु मेरा विश्वास है कि अहिंसा हिंसासे कहीं श्रेष्ठ है, क्षमामे सजासे अधिक बहादुरी है। क्षमा वीरका भूषण है। परन्तु दण्ड देनेकी शक्ति होने पर भी दण्ड न देना सच्ची क्षमा है। जब कोई निःसहाय प्राणी क्षमा करनेका दम करता है तब वह निरर्थक है। परन्तु मैं भारतको निःसहाय नहीं मानता। बल शारीरिक क्षमतासे नहीं आता। वह अजेय सकल्प-शक्तिसे आता है।

यग इंडिया, ११-८-'२०

४

दबाव नहीं

सत्याग्रहीका अन्यायीको परेशान करनेका इरादा कभी नहीं होता। वह उसे डराना भी नहीं चाहता, हमेशा उसके हृदयसे अपील करता है। यही होना भी चाहिये। सत्याग्रहीका उद्देश्य अन्याय करनेवालेको दबाना नहीं, बल्कि उसका हृदय-परिवर्तन करना होता है। उसे अपने तमाम कामोमे कृत्रिमतासे बचना चाहिये। वह स्वाभाविक रूपमे और भीतरी विश्वाससे कर्म करता है।

हरिजन, २५-३-'३९

ज्यो ही हम वस्तुओके बारेमे उसी प्रकार विचार करने लगते हैं जैसे हमारे विरोधी करते हैं, त्यो ही हम उनके साथ पूरा न्याय करनेकी

स्थितिमें आ जाते हैं। मैं जानता हूँ कि इसके लिए अनासक्त मनोदशाकी आवश्यकता होती है और यह अवस्था प्राप्त करना बहुत कठिन है। फिर भी सत्याग्रहीके लिए यह नितान्त आवश्यक है। अगर हम खुदको अपने शत्रुकी स्थितिमें रखकर उसके दृष्टिकोणको समझे, तो ससारके तीन-चौथाई दुःख-दर्द और गलतफहमियाँ मिट जाय। तब या तो हम अपने शत्रुके साथ जल्दी सहमत हो जायेंगे या उसके बारेमें उदारतापूर्वक विचार करेंगे।

मैंने देखा है कि जहाँ पूर्वग्रह युगो पुराने और कल्पित धार्मिक प्रमाणोंके आधार पर खड़े होते हैं, वहाँ केवल बुद्धिको अपील करनेसे काम नहीं चलता। बुद्धिको कष्ट-सहनका बल अवश्य मिलना चाहिये और कष्ट-सहनसे समझकी आखे खुलती है। इसलिए हमारे काममें जबर-दस्तीका लवलेश भी नहीं होना चाहिये। हमें अधीर नहीं बनना चाहिये, और हम जिन साधनोंको अपना रहे हैं, उनमें हमारी अटल श्रद्धा होनी चाहिये।

यग इंडिया, १९-३-'२५

हमारा आदर्श यह होना चाहिये कि विरोधीको प्रेमपूर्वक समझा कर और हमेशा उसके दिल और दिमाग पर असर डालकर उसका हृदय-परिवर्तन किया जाय। इसलिए हमें उन लोगोके प्रति, जो हमसे सहमत न हों, सदा शिष्टता और धीरजका बरताव करना चाहिये।

यग इंडिया, २९-९-'२१

सत्याग्रही भयको सदाके लिए तिलाजलि दे देता है। इसलिए विरोधी पर विश्वास करनेमें वह कभी नहीं डरता। विरोधी उसे बीस बार धोखा दे तो भी सत्याग्रही उस पर इक्कीसवीं बार भरोसा करनेको तैयार रहता है, क्योंकि मानव-स्वभावमें संपूर्ण विश्वास रखना उसके अहिंसा-धर्मका प्राण है।

('साबरमती' — साबरमती आश्रममें हुए आन्तर-राष्ट्रीय फेलोशिप सघके सम्मेलनकी १९२८ की रिपोर्टसे, पृ० २४६)

सत्याग्रहका बल कैसे बढ़ता है

विश्वासकी शक्ति ऐसी है कि अन्तमे मनुष्य वैसा ही बन जाता है जैसा वह अपनेको समझता है। अगर हम सत्याग्रही हैं और अपनेको बलवान मानकर सत्याग्रह करते हैं, तो इसके दो स्पष्ट परिणाम निकलते हैं। बलके विचारको पोषित करते हुए हम दिनोदिन अधिक बलवान बनते हैं। हमारी शक्तिमे वृद्धि होनेके कारण हमारा सत्याग्रह भी अधिक कारगर बन जाता है और हम उसे छोड़ देनेका मौका कभी नहीं ढूँढते।

साबरमती, पृ० १७८

अनुभवने मुझे सिखाया है कि क्रमिक वृद्धिका कानून प्रत्येक पवित्र युद्ध पर लागू होता है। परन्तु सत्याग्रहके मामलेमे तो वह स्वयंसिद्ध सत्य है। जैसे जैसे सत्याग्रह-संग्राम आगे बढ़ता है, वैसे वैसे बहुतसे दूसरे तत्त्व उसका जोर बढ़ानेमे मदद देते रहते हैं, और उसके जो परिणाम आते हैं उनकी सतत वृद्धि होती रहती है। वास्तवमे यह अनिवार्य है और सत्याग्रहके प्रथम सिद्धान्तोसे इसका चोली-दामनका सम्बन्ध है। कारण, सत्याग्रहमे अल्पतम अधिकतम भी होता है और चूँकि वह कभी घट न सकनेवाला अल्पतम होता है, इसलिए पीछे हटनेका सवाल ही नहीं होता, कोई गति सम्भव हो तो वह केवल आगे ही बढ़नेकी हो सकती है। दूसरे युद्धोमे — भले वे पवित्र और अच्छे ध्येयके लिए लड़े जाते हो — हमारी मांग सही हो तो भी वह पहले जरा बढ़ाकर रखी जाती है, ताकि आगे चलकर उसे घटानेकी गुजाइश रहे, इसलिए उन सब पर निरपवाद रूपसे क्रमिक वृद्धिका कानून लागू नहीं होता।

साबरमती, पृ० ३१९

६

सत्याग्रहियोंके लिए नियम

- १ सत्याग्रहियोंमे सामान्य ईमानदारी अवश्य होनी चाहिये।
- २ उन्हें अपने सेनापतिके आदेशोका दिलसे पालन करना चाहिये, कोई बात मनमे छिपाकर नहीं रखनी चाहिये।
- ३ उन्हें न सिर्फ अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता, न केवल अपनी सम्पत्ति, जमीन, नकद पैसा वगैरा ही, बल्कि अपने घरवालोकी आजादी और सम्पत्ति — सब कुछ खोनेको तैयार रहना चाहिये, और गोलियों, सगीनो या उत्पीडन द्वारा धीरे-धीरे मृत्यु तकका प्रसन्नतापूर्वक सामना करनेकी उनकी तैयारी रहनी चाहिये।
- ४ उन्हें 'शत्रु' के प्रति या आपसमे मन, वचन या कर्मसे कोई हिंसाका भाव नहीं रखना चाहिये।

हरिजन, २२-१०-'३८

७

नम्रता

असहयोगी अगर नम्र नहीं है तो कुछ नहीं है। जो नम्रता और धर्मकी भावनासे थोडासा त्याग करता है, वह उसकी अल्पताको जल्दी ही अनुभव कर लेता है। एक बार त्यागके मार्ग पर अग्रसर हो जाने पर हम अपनी स्वार्थ-परायणताकी मात्राका पता लगा लेते हैं, और फिर हमे लगातार अधिक बलिदान करते रहना चाहिये और जब तक सपूर्ण आत्म-समर्पण न हो जाय तब तक सतोष नहीं मानना चाहिये।

यग इंडिया, २९-९-'२१

९७

उपवास

आमरण अनशन सत्याग्रहके कार्यक्रमका अभिन्न अंग है और खास परिस्थितियोंमें वही सत्याग्रहके शस्त्रागारका सबसे बड़ा और रामबाण शस्त्र है। लेकिन अच्छी तरह तालीम पाये बिना हर कोई ऐसा अनशन करनेके योग्य नहीं होता।

मैं उन परिस्थितियोंका, जिनमें उपवासका आश्रय लिया जा सकता है, और उसके लिए जरूरी तालीमका विवेचन करके इस लेखको बढ़ाना नहीं चाहता। परोपकारके अपने रचनात्मक अर्थमें (मैं 'प्रेम' शब्द काममें नहीं ला रहा हूँ, क्योंकि वह बबनाम हो गया है) अहिंसा सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि उसमें अन्यायीको कोई शारीरिक या भौतिक हानि पहुंचाये बिना या पहुंचानेका इरादा रखे बिना आत्म-पीडनकी बेहद गुजा-इश रहती है। इस आत्म-पीडनका लक्ष्य सदा यह रहता है कि इसके द्वारा अन्यायीके उत्तम गुणोंको जगाया जाय। आत्म-पीडनसे उसके दैवी स्वभावको जगाया जाता है, जब कि प्रतिशोध उसकी आसुरी वृत्तियोंको जगाता है। उचित परिस्थितियोंमें उपवास इस प्रकारकी उत्तम अपीलका काम देता है। अगर राजनीतिज्ञोंको राजनीतिक मामलोंमें इसकी उपयोगिता दिखाई नहीं देती, तो इसका कारण यह है कि इस बहुत बढ़िया हथियारका यह अनोखा प्रयोग है।

हरिजन, २६-७-'४२

अहिंसाके पुजारीके शस्त्रागारमें उपवास आखिरी हथियार है। जब मानव-बुद्धि काम नहीं देती, तब वह उपवास करता है। उपवाससे प्रार्थनाकी वृत्ति तेजीसे जाग्रत होती है, अर्थात् उपवास एक आध्यात्मिक कर्म है और इसलिए उसका रुख ईश्वरके प्रति होता है। लोगोंके जीवन पर ऐसे कर्मका प्रभाव यह होता है कि अगर उपवास करनेवाला उनका परिचित हो, तो उनका सोया हुआ अन्त करण जाग उठता है। परन्तु इसमें यह खतरा रहता है कि लोग अपने प्रियजनकी जान बचानेके लिए गलत

सहानुभूतिमें अपनी इच्छाके विरुद्ध कार्रवाई कर सकते हैं। इस खतरेका सामना करना पड़ेगा। जब हमें अपने सही रास्ते पर होनेका विश्वास हो, तो हमें सही कर्म करनेसे विचलित नहीं होना चाहिये। उससे केवल सावधानी ही बढ सकती है। इस प्रकारका उपवास अन्त करणकी आज्ञाको मानकर किया जाता है और इसलिए उसमें जल्दबाजीका डर कम होता है।

हरिजन, २१-१२-'४७

९

धरना न दिया जाय

कुछ विद्यार्थियोने धरना देनेके पुराने जगलीपनको फिरसे जिन्दा किया है। मैं इसे 'जगलीपन' इसलिए कहता हू कि यह दबाव डालनेका भद्दा ढंग है। इसमें कायरता भी है, क्योंकि जो धरना देता है वह जानता है कि उसे कुचलकर कोई नहीं जायगा। इस कृत्यको हिंसात्मक कहना तो कठिन है, मगर यह उससे भी बदतर जरूर है। अगर हम अपने विरोधीसे लडते हैं, तो कमसे कम उसे बदलेमें वार करनेका मौका तो देते हैं। लेकिन जब हम उसे अपनेको कुचलकर निकलनेकी चुनौती देते हैं—यह जानते हुए कि वह ऐसा नहीं करेगा—तब हम उसे एक अत्यंत विषम और अपमानजनक स्थितिमें रख देते हैं। मैं जानता हू कि धरना देनेके अत्यधिक जोशमें विद्यार्थियोने कभी सोचा भी नहीं होगा कि यह कृत्य जगलीपन है। परन्तु जिससे यह आशा की जाती है कि वह अन्त करणकी आवाज पर चलेगा और भारी विपत्तियोका अकेले दम सामना करेगा, वह विचारहीन नहीं बन सकता। इसलिए असहयोगियोको हर काममें पहलेसे ही सचेत रहना चाहिये। उनके काममें कोई अधीरता, कोई जगलीपन, कोई गुस्ताखी और कोई अनुचित दबाव नहीं होना चाहिये।

यग इडिया, २-२-'२१

जबरदस्ती या असहिष्णुता नहीं

हमारा अत्याचार, अगर हम अपनी इच्छा दूसरो पर लादे, उन मुट्ठीभर अग्रेजोके अत्याचारसे हजार गुना खराब होगा, जिन्होंने नौकर-शाहीको जन्म दिया है। उनका आतकवाद एक ऐसे अल्पमतका लादा हुआ है, जो विरोधके बीचमे अपने अस्तित्वके लिए सघर्ष करता है। हमारा आतकवाद बहुमतका लादा हुआ होगा, इसलिए वह उससे ज्यादा बुरा और सचमुच ज्यादा दानवी होगा। इसलिए हमें अपने सभ्राममे से हर प्रकारकी जबरदस्तीको निकाल देना चाहिये। अगर हम असहयोगके सिद्धान्त पर स्वतंत्रतापूर्वक डटे रहनेवाले थोड़े ही लोग हो, तो हमें दूसरोको अपने विचारका बनानेकी कोशिशमे मरना पड सकता है। मगर यह तो कहा जायगा कि हमने अपने पक्षका बचाव और प्रतिनिधित्व सचाईके साथ किया। लेकिन अगर हम अपने झंडेके नीचे दबावसे लोगोकी भरती करेगे, तो हम अपने ध्येयसे और ईश्वरसे इनकार करेगे, और अगर हम थोड़े समयके लिए इसमे कामयाब भी होते दिखाई दे, तो भी यही कहा जायगा कि हमने ज्यादा बुरा आतकवाद कायम करनेमें कामयाबी हासिल की है।

अगर हम असहिष्णुतासे दूसरोके मतका दमन करेगे, तो हमारा पक्ष पिछड जायगा। कारण, उस सूरतमे हमें यह कभी मालूम नहीं हो पायेगा कि कौन हमारे साथ है और कौन हमारे विरुद्ध। इसलिए सफलताकी अपरिहार्य शर्त यह है कि हम अधिकसे अधिक मत-स्वातंत्र्यको प्रोत्साहन दें। अपने मौजूदा 'स्वामियो' से हमें कमसे कम इतना सबक तो सीख ही लेना चाहिये। उनके जाब्ता फौजदारीमे उनके खिलाफ राय रखनेके लिए सख्त सजाए रखी गयी है। और उन्होने हमारे देशवासियोमे से कुछ अत्यंत उदात्त व्यक्तियोको अपनी राय जाहिर करनेके कारण गिरफ्तार किया है। हमारा असहयोग इस प्रणालीके विरुद्ध एक खुला विद्रोह है।

मत पर लगाये गये इस प्रतिबन्धके विरुद्ध लडनेमे हमे वही प्रतिबन्ध दूसरो पर लगानेका अपराधी नही बनना चाहिये ।

यग इडिया, २७-१०-'२१

११

सत्याग्रह कौन करे ?

सत्याग्रहका मर्म यह है कि जिन्हे अत्याचार सहना पडे सिर्फ वे ही सत्याग्रह करे । ऐसे मामलोकी कल्पना की जा सकती है, जिनमें सहानुभूतिपूर्ण कहा जा सकनेवाला सत्याग्रह करना उचित हो । सत्याग्रहकी जडमे विचार यह है कि अन्यायीका हृदय-परिवर्तन किया जाय, उसमे न्यायबुद्धि जाग्रत की जाय और उसे भी यह दिखा दिया जाय कि पीडित पक्षके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहयोगके बिना अन्यायी मनचाहा अन्याय नही कर सकता । दोनो ही स्थितियोमे अगर लोग अपने ध्येयके लिए कष्ट सहनेको तैयार न हो, तो सत्याग्रहके रूपमे किसी बाहरी सहायतासे उनकी सच्ची मुक्ति नही हो सकती ।

हरिजन, १०-१२-'३८

Accession No 050827

Shantarakshita Library

१२ Tibetan Library-Sarnau

सत्याग्रहका ढंग

सत्याग्रहके आन्दोलनमे लडाईका तरीका और रणनीतिका चुनाव — अर्थात् आगे बढे या पीछे हटे, सविनय कानून-भंग करे या रचनात्मक कार्य तथा शुद्ध निस्वार्थ मानव-सेवाके द्वारा अहिंसक बल सगठित करे, आदि बातोका निर्णय — परिस्थितिकी विशेष आवश्यकता-ओके अनुसार किया जाता है । सत्याग्रहीके लिए जो भी योजना बना दी जाय उस पर उसे ठडे निश्चयके साथ अमल करना चाहिये, न उसे उत्तेजित होना चाहिये और न निराश होना चाहिये ।

हरिजन, २७-५-'३९

१०२

सर्वोदय

अहिंसात्मक रणनीतिमे अनुशासनकी जगह तो होती ही है, लेकिन और भी बातोंकी जरूरत होती है। सत्याग्रहकी सेनामे हरएक आदमी सिपाही और सेवक होता है। परन्तु विषम स्थितियोंमे प्रत्येक सिपाहीको अपना सेनापति और नेता भी आप ही हो जाना पडता है। केवल अनुशासनसे नेता नहीं बना जा सकता। इसके लिए श्रद्धा और दृष्टि भी चाहिये।

हरिजन, २८-७-'४०

१३

संख्याका महत्त्व नहीं

हरएक बड़े ध्येयके लिए जूझनेवालोंकी संख्याका महत्त्व नहीं होता, जिन गुणोंसे वे बने होते हैं वे ही गुण निर्णायक होते हैं। ससारके महानसे महान पुरुष हमेशा अपने ध्येय पर अकेले ही डटे रहे हैं।

यग इडिया, १०-११-'२९

१४

सत्याग्रह — अन्तिम उपाय

चूँकि सत्याग्रह सीधी कार्रवाईके अत्यंत बलशाली उपायोंमे से एक है, इसलिए सत्याग्रही सत्याग्रहका आश्रय लेनेसे पहले और सब उपाय आजमा कर देख लेता है। इसके लिए वह सदा और निरंतर सत्ता-धारियोंके पास जायगा, लोकमतको प्रभावित और शिक्षित करेगा, जो उसकी बात सुनना चाहते हैं उन सबके सामने अपना मामला शान्ति और ठंडे दिमागसे रखेगा और जब ये सब उपाय वह आजमा चुकेगा तभी सत्याग्रहका आश्रय लेगा। परन्तु जब उसे अन्तर्नादकी प्रेरक पुकार सुनाई देती है और वह सत्याग्रह छोड़ देता है, तब वह अपना सब कुछ दाव पर लगा देता है और पीछे कदम नहीं हटाता।

यग इडिया, २०-१०-'२७

ख — आर्थिक असमानता

१

असहयोग

अगर मैं पूजीपति और मजदूरकी मूलभूत समानताको मान लेता हूँ, जैसा कि मुझे करना चाहिये, तो मुझे पूजीपतिके विनाशका लक्ष्य नहीं रखना चाहिये। मुझे उसके हृदय-परिवर्तनकी कोशिश करनी चाहिये। मेरे असहयोगसे उसकी आखे खुल जायगी और वह अपने अन्यायको समझ लेगा। यह आसानीसे प्रत्यक्ष सिद्ध किया जा सकता है कि पूजीपतिके विनाशका परिणाम अतमे मजदूरका विनाश ही होगा, और जिस तरह कोई मनुष्य इतना बुरा नहीं होता कि कभी सुघर ही न सके, उसी तरह कोई मनुष्य इतना पूर्ण भी नहीं होता कि जिसे वह भूलसे बिलकुल बुरा मान लेता है उसका नाश उसके हाथो उचित ठहराया जा सके।

यग इडिया, २६-३-३१

अंग्रेजीमे एक बडा शक्तिशाली शब्द है और वह फ्रेचमे भी है, ससारकी सभी भाषाओमे है—वह शब्द है 'नहीं', और हमे जो रहस्य हाथ लगा है वह यह है कि जब पूजीपति चाहते हैं कि मजदूर 'हा' कहे तब मजदूर उच्च स्वरसे 'नहीं' चिल्लाते हैं, अगर वे 'नहीं' कहना चाहते हैं। ज्यो ही मजदूरको यह ज्ञान हो जाता है कि वे जब चाहे तब 'हा' और जब चाहे तब 'नहीं' कह सकते हैं, त्यो ही वे पूजीपतिके पजेसे मुक्त हो जाते हैं और पूजीपतिको उन्हें मनाना पडता है। पूजीपतिके पास तोप-बन्दूक और जहरीली गैस हो, तब भी कोई परवाहकी बात नहीं। अगर मजदूर अपने 'नहीं' पर अमल करके अपने गौरवको कायम रखे,

तो पूजापति इन सबके होते हुए भी असहाय रहेगा। मजदूरोको बदलेमें वार करनेकी जरूरत नहीं होती, बल्कि वे गोलिया खाते और जहरीली गैस सहते हुए भी विरोधमें डटे रहते हैं और अपने 'नहीं' का आग्रह नहीं छोड़ते।

मजदूर अकसर असफल क्यों होते हैं? इसका सारा कारण यह है कि पूजाको अशक्त बना देनेके बजाय, जैसा मैंने सुझाया है, मजदूर (और मैं स्वयं मजदूरकी हैसियतसे बोल रहा हूँ) स्वयं पूजाको हथिया लेना चाहते हैं और ज्यादा बुरे अर्थमें पूजापति बन जाना चाहते हैं। इसलिए पूजापति, जो अच्छी तरह सुरक्षित और संगठित है, यह देखकर कि मजदूरोंमें भी उस पदके कुछ उम्मीदवार हैं, उनमें से कुछका उपयोग मजदूरोंको दबानेमें करते हैं। अगर हम पर सचमुच इस जादूका असर न हो, तो हम सब स्त्री-पुरुष इस अटल सत्यको बिना किसी कठिनाईके समझ और मान लेंगे।

इंडियाज केस फॉर स्वराज, पृ० ३९४

समान वितरणके सिद्धान्तकी जड़में यह सिद्धान्त होना चाहिये कि अमीरोंके पास जो अनावश्यक दौलत है उसके वे सरक्षक हैं। कारण, इस सिद्धान्तके अनुसार वे अपने पड़ोसीसे ज्यादा एक रुपया भी नहीं रख सकते। यह स्थिति कैसे पैदा की जाय? अहिंसक ढंगसे? या धनवानोंसे उनकी संपत्ति छीन ली जाय? ऐसा करनेके लिए कुदरती तौर पर हमें हिंसाका आश्रय लेना पड़ेगा। इस हिंसात्मक कार्रवाईसे समाजका फायदा नहीं हो सकता। समाज इससे ज्यादा कगाल ही बनेगा, क्योंकि ऐसा करके वह उस आदमीकी बुद्धिसे वंचित हो जायगा जो धन इकट्ठा करना जानता है। इसलिए स्पष्ट ही अहिंसात्मक तरीका श्रेष्ठ है। इसमें धनिकके पास उसका धन रहने दिया जायगा, वह उसमें से अपने लिए उतना ही खर्च करेगा जितनेकी उचित रूपमें उसे जरूरत होगी और बाकी धनका सरक्षक बन जायगा, जिसका समाजके लिए उपयोग होगा। इस तर्कमें सरक्षककी प्रामाणिकताको मान लिया गया है।

लेकिन अगर पूरी कोशिशके बावजूद धनी लोग सच्चे मानीमे गरीबोके सरक्षक नही बनते और गरीब अधिकाधिक कुचले जाते और भूखो मरते है, तो क्या किया जाय ? इस पहेलीका हल ढूढते हुए मुझे यह सूझा है कि अहिंसात्मक असहयोग और सविनय आज्ञाभंग इसके सही और अचूक उपाय है। समाजमे अमीर लोग गरीबोके सहयोगके बगैर दौलत जमा नही कर सकते। अगर यह ज्ञान गरीबोको हो जाय और उनमे फैल जाय, तो वे बलवान बन जायेगे और यह जान जायेगे कि जिन भयकर असमानताओके कारण वे भुखमरीके किनारे पहुच गये है, उनसे अहिंसा द्वारा कैसे वे अपनेको मुक्त कर सकते है।

हरिजन, २५-८-'४०

ज्यो ही काश्तकार अपनी ताकतको पहचान लेगे, त्यो ही जमीदारीकी बुराई खतम हो जायगी। अगर वे कह दे कि हम तब तक जमीन नही जोतेगे, जब तक हमे अच्छी तरह खाने, पहनने तथा अपनेको और अपने बच्चोको पढाने-लिखानेके काफी साधन नही मिल जाते, तो बेचारा जमीदार क्या कर सकता है ? वास्तवमे मेहनतकश जो कुछ पैदा करता है उसका वही मालिक है। अगर मेहनत-मशक्कत करनेवाले बुद्धिपूर्वक एक हो जाय, तो उनकी ताकतका कोई मुकाबला नही कर सकता। यही कारण है कि जिससे मुझे वर्ग-विग्रहकी आवश्यकता दिखाई नही देती। अगर मुझे वह अनिवार्य मालूम होता, तो उसका प्रचार और उपदेश करनेमे मैं सकोच न करता।

हरिजन, ५-१२-'३६

वर्ग-विग्रह

वर्ग-विग्रह भारतकी मूल प्रकृतिके विपरीत है, जो सबके साथ समान न्यायके बुनियादी अधिकारोके आधार पर साम्यवादका विकास करनेकी क्षमता रखता है। मेरी कल्पनाके रामराज्यमे राजा और रक दोनोके अधिकारोकी समान रूपसे रक्षा की जायगी।

आप विश्वास रखिये कि मैं वर्ग-विग्रहको रोकनेके लिए अपनी सारी शक्ति लगा दूंगा।

पश्चिमके समाजवाद और साम्यवादका आधार कुछ ऐसे विचारो पर है, जो हमारे विचारोसे बुनियादी तौर पर भिन्न है। उनमे से एक विचार तो उनका यह विश्वास है कि मनुष्य-स्वभाव मूल रूपमे स्वार्थी है। मैं इसे नही मानता, क्योंकि मैं जानता हू कि मनुष्य और पशुमे मौलिक भेद यह है कि मनुष्य अपनी आत्माकी पुकारसे प्रभावित हो सकता है, जो विकार उसमे और पशुमे समान रूपसे विद्यमान है, उनसे ऊपर उठ सकता है और इसलिए वह स्वार्थ और हिंसासे भी ऊपर उठ सकता है—क्योकि ये लक्षण उसके पशु-स्वभावके है, न कि उसकी अमर आत्माके। हिन्दू धर्मका यह बुनियादी विचार है, जिसकी इस सत्यकी खोजके पीछे बरसोकी तपस्या और साधना है। यही कारण है कि हमारे यहा ऐसे अनेक साधु-सत हो गये है, जिन्होने आत्माके रहस्योकी खोजमे अपने शरीर सुखा दिये और प्राण तक अर्पण कर दिये। इसलिए हमारे समाजवाद और साम्यवादका आधार अहिंसा पर तथा मजदूर और पूजीपति, जमीदार और किसान सबके प्रेमपूर्ण सहयोग पर होना चाहिये।

अमृतबाजार पत्रिका, २-८-'३४

विद्यार्थियोके उठाये हुए एक सवालके जवाबमे गाधीजीने कहा

मैं जमीदार और पूजीपतिका उपयोग गरीबोकी सेवामे करना चाहूंगा। हमे पूजीपतियोके लिए गरीबोके हितोका बलिदान हरगिज नही

करना चाहिये। हमे उनका खेल नही खेलना चाहिये। लेकिन हमे उन पर उस हद तक तो भरोसा करना ही चाहिये, जिस हद तक वे अपना लाभ गरीबोकी सेवामे अर्पित करनेकी क्षमता रखते है। वे ऊचे दर्जेकी अपीलसे अछूते नही रह सकते। मेरा सदा ही यह अनुभव रहा है कि सद्भाव-पूर्ण बात कही जाय, तो वह उनके दिलो पर जरूर असर करती है। अगर हम उनका विश्वास प्राप्त कर ले और उन्हें निश्चिन्त कर दे, तो हम देखेंगे कि वे गरीबोको धीरे-धीरे अपनी दौलतमे हिस्सेदार बनानेके विरुद्ध नही है।

इसके सिवा, हमे अपने दिलसे भी पूछना चाहिये कि हमने गरीबोके साथ अपनेको कहा तक एक कर लिया है। क्या हमारे और करोडो लोगोके बीचकी खाई हमने पाट ली है? हमे काचके महलमे बैठकर दूसरो पर पत्थर नही फेकने चाहिये। आप गरीबोके जीवनमे कहा तक हिस्सा लेते है? मैं स्वीकार करता हू कि मेरे लिए तो अभी तक यह एक क्लृप्तिकाक्षा ही रही है। खुद हमने जीवनकी वे आदते, जिनके लिए हम पूजीपतियोको बदनाम मानते है, पूरी तरह नही छोडी है।

वर्ग-विग्रहका विचार मुझे अपील नही करता। भारतमे वर्ग-विग्रह न सिर्फ अनिवार्य नही है, बल्कि वह परिहार्य भी है, यदि हमने अहिंसाका सन्देश समझ लिया है। जो वर्ग-विग्रहके अनिवार्य होनेकी बात करते है, उन्होने अहिंसाके गूढ अर्थ नही समझे है या केवल ऊपर ऊपरसे ही समझे है।

हमे पश्चिमसे आये हुए लुभावने नारोको अपने पर हावी नही होने देना चाहिये। क्या हमारी कोई स्वतंत्र पूर्वीय परंपरा नही है? क्या हम पूजी और श्रमके प्रश्नका अपना ही हल नही खोज सकते? वर्णश्रम व्यवस्था ऊच-नीचके भेदो और पूजी तथा श्रमके भेदोके बीच सामंजस्य कायम करनेका उपाय नही तो और क्या है? इस विषयमे जो भी चीज पश्चिमसे आती है, उस पर हिंसाका रंग चढा हुआ होता है। मुझे उस पर आपत्ति इसलिए है कि मैंने वह बरबादी देखी है, जो अन्तमे इस मार्ग पर चलनेसे होती है। आजकल पश्चिमके भी अधिक विचारशील लोग जिस गहरी खाईकी ओर यह प्रणाली तेजीसे जा रही है, उसे

देखकर स्तम्भित रह जाते हैं। और मेरा पश्चिममें अगर कोई असर है तो वह एक ऐसा हल दूढनेके मेरे सतत प्रयत्नके कारण है, जिसमें हिंसा और शोषणके कुचक्रसे निकलनेकी आशा निहित है। मैं पश्चिमकी समाज-व्यवस्थाका सहानुभूतिपूर्ण विद्यार्थी रहा हूँ और मैंने यह बात पाई है कि पश्चिमकी आत्मा जिस ज्वरसे पीडित है, उसकी जड़में सत्यकी अविश्रान्त खोज है। मैं पश्चिमकी इस भावनाका आदर करता हूँ। हमें अपनी पूर्विय सस्थाओका वैज्ञानिक खोजकी इसी भावनासे अध्ययन करना चाहिये। फिर हम एक ऐसे सच्चे समाजवाद और साम्यवादका विकास कर लेंगे, जिसकी ससारने अभी तक कल्पना भी नहीं की होगी। यह मान लेना निश्चित ही गलत है कि जनसाधारणकी गरीबीके विषयमें पश्चिमी समाजवाद या साम्यवादने जो कह दिया वह ब्रह्मवाक्य है।

अमृतबाजार पत्रिका, ३-८-'३४

समस्या एक वर्गको दूसरे वर्गसे भिडा देनेकी नहीं है, मगर मजदूरोंकी शिक्षा देकर अपने गौरवका भान करानेकी है। आखिर तो धनवानोंकी सख्या ससारमें आटेमें नमकके बराबर ही है। ज्यों ही मजदूर अपनी ताकतको पहचान लेंगे और पहचान कर भी न्यायपूर्ण व्यवहार करेंगे, त्यों ही पूजीपतियोंका व्यवहार भी न्यायपूर्ण हो जायगा। मजदूरोंको धनवानोंके विरुद्ध भडकाना वर्गद्वेषको और उससे होनेवाले सारे बुरे परिणामोंको चिरस्थायी बनाना है। यह संघर्ष ऐसा कुचक्र है, जिसे हर कीमत पर टालना चाहिये। यह अपनी कमजोरीको कबूल करना है, अपनेको हीन समझनेकी निशानी है। जिस क्षण मजदूर अपना गौरव पहचान लेंगे, उसी क्षण पैसेको अपना उचित स्थान मिल जायगा—अर्थात् वह मजदूरोंके लिए धरोहर बन जायगा, क्योंकि श्रम पैसेसे बड़ा है।

हरिजन, १६-१०-'४५

मैं आम लोगोंको यह नहीं सिखाता कि वे पूजीपतियोंको अपना शत्रु समझे, परन्तु यह सिखाता हूँ कि वे खुद अपने शत्रु हैं।

यग इडिया, २६-११-'३१

मजदूर-संगठन

मजदूरोंको संगठित करनेकी जरूरत

मजदूरोंमें भाषण देते हुए गांधीजीने कहा कि बरसोंसे जो बात मैं कहता रहा हूँ, वह यह है कि श्रम पूँजीसे कहीं ज्यादा श्रेष्ठ है। मैं श्रम और पूँजीका ब्याह कर देना चाहता हूँ। वे दोनों मिलकर आश्चर्यजनक काम कर सकते हैं। परन्तु यह तभी हो सकता है जब मजदूर इतने समझदार हो जाय कि वे आपसमें सहयोग करे और फिर सम्मानपूर्ण समानताकी शर्तों पर पूँजीपतियोंके साथ सहयोग करे। पूँजीपति मजदूरों पर नियंत्रण इसलिए करते हैं कि वे मेलकी कला जानते हैं। बिखरी हुई पानीकी बूँदें यों ही सूख जाती हैं, लेकिन वे एक-दूसरेसे मिलकर महासागर बनाती हैं, जिसकी चौड़ी छाती पर बड़े-बड़े जहाज चलते हैं। इसी तरह अगर ससारके किसी भागमें सारे मजदूर आपसमें मिल जाय, तो वे ऊँची मजदूरीके लालचमें नहीं फसेंगे या लाचार होकर थोड़ेसे पैसोंकी तरफ आकर्षित नहीं होंगे। मजदूरोंका सच्चा और अहिंसक संगठन ऐसे चुम्बकका काम करेगा, जो सारी आवश्यक पूँजीको अपनी ओर खींच लेगा। फिर तो पूँजीपति संरक्षक बनकर ही रह सकेंगे। जब वह सुखद दिन आयेगा तब पूँजीपति और मजदूरमें कोई भेद नहीं रहेगा। तब मजदूरोंको काफी भोजन, अच्छे और साफ-सुथरे मकान, उनके बच्चोंको हर प्रकारकी जरूरी शिक्षा, स्व-शिक्षाके लिए काफी अवकाश और उचित डॉक्टरोंकी सहायता मिलेगी।

हरिजन, ७-९-'४७

एक शब्द नीतिके विषयमें कहूँ। वह पूँजीपति-विरोधी नहीं है। विचार यह है कि पूँजीपतियोंसे मजदूरोंका वाजिब हिस्सा लिया जाय, अधिक न लिया जाय, और वह भी पूँजीपतियोंको निर्बल और लाचार

बनाकर नहीं, बल्कि मजदूरोंमें भीतरसे सुधार करके और उनकी अपनी ही आत्म-जागृतिसे, गैर-मजदूर नेताओंकी चालाकी और चालबाजियोंसे भी नहीं, बल्कि मजदूरोंको यह शिक्षा देकर कि वे स्वयं अपने ही नेतृत्वका और अपने ही आत्म-निर्भर और स्वावलम्बी संगठनका विकास करें। उसका सीधा लक्ष्य राजनीतिक विलकुल नहीं है। उसका प्रत्यक्ष ध्येय भीतरी सुधार और भीतरी बलका विकास है। जब यह विकास संपूर्ण हो जायगा, तो उसका अप्रत्यक्ष राजनीतिक परिणाम कुदरती तौर पर जबरदस्त होगा।

इसलिए मजदूर जब स्वावलम्बी इकाई बन जायेंगे, तब किसी प्रथम श्रेणीके महत्त्वकी प्रत्यक्ष राजनीतिक सत्ताके लिए उनका उपयोग करने या उन्हें संगठित करनेका मेरा कोई दूरका भी विचार नहीं है। मेरी रायमें मजदूरोंको राजनीतिज्ञोंके हाथोंमें राजनीतिक शतरजका मोहरा नहीं बनना चाहिये। उन्हें केवल अपने ही बलके आधार पर उस शतरज पर अपना प्रभुत्व कायम करना चाहिये।

(‘इज इंडिया डिफरेंट?’ में दिये गये १० मई, १९२७ के एक पत्रसे, यह एस० सकलतवाला और गांधीजीके बीचका पत्रव्यवहार है, इसे ग्रेट ब्रिटेनके साम्यवादी दलने १६, किंग स्ट्रीट, लंदनसे १९२७ में प्रकाशित किया था, पृ० २५)

मिल-मजदूरोंके लिए सहायक धंधे

मिल-मजदूरका जीवन सदा उतार-चढ़ावसे भरा रहता है। बचत और किरफायत बेशक इसका एक उपाय है और उसकी उपेक्षा करना अपराध होगा। परन्तु इस तरह की हुई बचतसे समस्या हल नहीं होती, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे मिल-मजदूर हमेशा मुश्किलसे पेट भर पाते हैं। इसके सिवा, हडताल या बेकारीके दिनोंमें घर पर बेकार बैठे रहनेसे मजदूरका काम कभी नहीं चल सकता। उसके आत्म-विश्वास और स्वाभिमानके लिए मजदूरन् बेकार रहनेसे बढकर हानिकारक और कोई चीज नहीं। मजदूर-वर्गको तब तक न तो सुरक्षितता अनुभव होगी और न उनमें आत्म-विश्वास और बलकी भावनाका विकास होगा, जब

तक उन लोगोके पास सकट-कालमे आजीविकाका कोई अचूक सहायक साधन न होगा।

मिल-मजदूरोके लिए सहायक धधेका विचार मुझे पहले-पहल तब सूझा था, जब १९१८ मे अहमदाबादके मिल-मजदूरोकी तेईस दिनकी ऐतिहासिक हड़ताल हुई थी। मुझे उस समय यह सूझा था कि अगर हड़तालको सफल बनाना है, तो मिल-मजदूरोके पास कोई ऐसा धधा होना ही चाहिये, जिससे वे पूरा या अधूरा गुजारा कर सकें। उन्हें दान पर निर्भर नहीं रहना चाहिये। हड़तालके दिनोमे उनमे से कई लोग मामूली मजदूरी पर लगा दिये गये थे। उसी तरह मैंने अपना यह सुझाव रखा था कि मिल-मजदूरोको कोई सहायक धधा सिखाया जाय। लेकिन मेरा सुझाव दूसरी हड़तालके आने तक खटाईमे ही पडा रहा। तब कुछ शुरुआत की गई। परन्तु सहायक धधे सिखलानेके लिए कोई कारगर सगठन एकदम पैदा कर लेना कठिन था। दूसरी हड़ताल खतम होनेके साथ अनुकूल धधे जुटाने और सिखानेका प्रयत्न भी समाप्त हो गया।

अब (अहमदाबादका) मजदूर-सघ इस दिशामे सगठित और व्यवस्थित प्रयत्न कर रहा है। मिल-मजदूरोको ऐसे धन्धे चुनना सिखाया जा रहा है, जिन्हे वे फुरसतके समय घरमे बैठकर कर सकें और जिनसे उन्हें बेकारीके समय ठोस राहत मिल सके। वे धधे हैं कपासकी ओटाई, सफाई, कताई और बुनाई, दर्जीका काम, साबुन और कागज बनाना, टाइप जमाना वगैरा।

मेरा यह मत है कि मजदूर-वर्गके लिए कई तरहके धधोका व्यावहारिक ज्ञान वैसा ही है, जैसा पूजीपतियोके लिए रुपया-पैसा। परन्तु मुश्किल यह है कि जहा आज पूजीपति सगठित हैं और उनकी जड खूब जमी हुई दिखाई देती है, वहा मजदूरोका यह हाल नहीं है। मजदूरकी बुद्धि उसके जड और यान्त्रिक धधेसे कुठित हो जाती है, क्योंकि उसमे उसे अपने मस्तिष्कका विकास करनेकी बहुत कम गुजाइश या मौका मिलता है। इस कारण उसे अपने बल और सपूर्ण गौरवका भान नहीं हुआ है। उसे यह मानना सिखाया गया है कि उसकी मजदूरी पूजीपति तय करेगे, वह खुद अपनी शर्तों पर मजदूरीकी माग नहीं कर सकता। वह केवल सही

तरीकेसे सगठित हो जाय, अपनी बुद्धिको तीक्ष्ण बना ले और कई तरहके धंधे सीख ले, तो वह अपना सिर ऊंचा रखकर चल सकेगा और उसे गुजारेके साधनके अभावका कभी डर नहीं रहेगा।

हरिजन, ३-७-'३७

४

सरकारी कार्रवाई

कानून द्वारा जब्ती

मेरे खयालसे भारत वर्षों तक ऐसे कानून पास करनेमें लगा रहेगा, जिनसे पद-दलित और पतित लोगोका उस दलदलसे उद्धार हो सके, जिसमें पूजापतियोने, जमीदारोने, तथाकथित उच्च वर्गोने और बादमें वैज्ञानिक ढंगसे अंग्रेज शासकोने उन्हें फसा दिया है। अगर हमें इन लोगोका इस दलदलसे उद्धार करना है, तो अपने घरको व्यवस्थित करनेके लिए भारतकी राष्ट्रीय सरकारका यह अनिवार्य कर्तव्य होगा कि इन लोगोको लगातार तरजीह दे और वे जिस भारसे कुचले जा रहे हैं उससे उन्हें मुक्त करे। और अगर जमीदारो, धनवानो और जो लोग आज विशेषाधिकार भोग रहे हैं उनको — मुझे इसकी चिन्ता नहीं कि वे यूरोपीय हैं या हिन्दुस्तानी — ऐसा मालूम हो कि उनके साथ भेदभाव बरता जा रहा है, तो मेरी उनके साथ हृदयी होगी। मगर मैं उनकी, सभव हो तो भी, मदद नहीं कर सकूंगा। क्योंकि इस प्रक्रियामें मैं उनकी सहायता चाहूंगा, और उनकी सहायताके बिना इन लोगोको दलदलसे निकालकर ऊंचा उठाना सभव नहीं होगा।

आप अछूतोकी ही हालतको ले लीजिये। अगर कानून उनकी मदद करके मीलोका क्षेत्र उनके लिए अलग रख दे तो कैसा अच्छा हो? अभी तो उनके पास कोई जमीन नहीं है। वे सर्वथा तथाकथित उच्च वर्गोकी दया पर और मैं यह भी कहूंगा कि राज्यकी दया पर

जीते हैं। वे एक मुहल्लेसे दूसरे मुहल्लेमें हटाये जा सकते हैं, और न तो इसकी कोई शिकायत हो सकती है, न वे कानूनकी मदद ले सकते हैं। तो धारासभाका पहला काम यह देखना होगा कि कुछ हद तक समताकी स्थिति लानेके लिए इन लोगोको खुले हाथो सहायता दी जाय।

यह सहायता किसकी जेबसे निकलेगी? स्वर्गसे तो नहीं टपक पड़ेगी। स्वर्गसे राज्यके खातिर रुपया नहीं बरसेगा। कुदरती तौर पर सहायताके लिए रुपया रुपयेवाले वर्गोंसे आयेगा और उनमें यूरोपीय भी शरीक होंगे।

मेरे पास दूसरा फार्मूला भी है, जो जल्दीमें तैयार किया गया है। क्योंकि मैंने इसका मसौदा लार्ड रीडिंग और सर तेजबहादुर सप्रूको सुनते-सुनते बनाया है। यह वर्तमान अधिकारोके सम्बन्धमें है:

“ऐसे किसी मौजूदा हितमें, जो उचित रूपमें प्राप्त किया गया है और जिसका आम तौर पर राष्ट्रके उत्तम हितोंसे विरोध नहीं है, दखल नहीं दिया जायगा, और अगर दिया जायगा तो उन हितों पर लागू होनेवाले कानूनके अनुसार ही दिया जायगा।”

अवश्य ही मेरे दिमागमें वह चीज है, जो आप कांग्रेसके प्रस्तावमें देखेंगे। उसका सम्बन्ध उन जिम्मेदारियोंमें है, जिन्हें आज ब्रिटिश सरकार पूरा कर रही है और जिन्हें कलकी आनेवाली सरकार अपने सिर लेगी। जैसे हमारी यह माग है कि इन जिम्मेदारियोंको हम ले इससे पहले उनकी निष्पक्ष अदालतसे जाच करा ली जाय, ठीक वैसे ही जरूरत पड़ने पर मौजूदा हितोंकी भी अदालती जाच होनी चाहिये। इसलिए प्रश्न उनको खारिज कर देनेका नहीं, परन्तु सिर्फ जाचके बाद स्वीकार करनेका है। यहा हममें कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने यूरोपीयोको प्राप्त विशेषाधिकारो और एकाधिकारोका अध्ययन किया है। परन्तु केवल यूरोपीयोकी ही बात नहीं है, भारतीय भी है—और मेरे खयालमें नि सन्देह ऐसे कई भारतीय हैं—जिनके पास आज ऐसी जमीन है जो उन्हें किसी राष्ट्रसेवाके लिए नहीं दी गई है। मैं तो यह भी नहीं कह सकता कि वह सरकारकी किसी सेवाके बदलेमें उन्हें दी गई है, क्योंकि मेरे खयालसे

उनकी सेवासे सरकारको कोई लाभ नहीं हुआ है। वह केवल किसी सरकारी अधिकारीकी सेवाके बदलेमे उन्हें दे दी गई है। और अगर आप मुझे यह कहे कि इन रियायतों और विशेषाधिकारोंकी जाच करना राज्यका काम नहीं है, तो मैं फिर आपसे कहूंगा कि तब महारूमों और वचिंतोंके हितमें सरकारी तंत्रको चलाना असंभव हो जायगा। इससे आप समझ लेंगे कि यहाँ कोई बात केवल यूरोपीयोंके सम्बन्धमें नहीं कही गई है। दूसरा फार्मूला भी जितना भारतीयों पर, उदाहरणार्थ सर पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास और सर फीरोज सेठना पर, लागू होता है, उतना ही यूरोपीयों पर होता है। उन्हें जो रियायतें मिली हुई हैं, वे अगर इसलिए मिली हैं कि उन्होंने राज्यके तत्कालीन अधिकारियोंकी कोई सेवा की थी और इसलिए उन्हें मीलों जमीन मिल गई है, तो मेरे हाथमें सरकार आने पर मैं तुरन्त उनसे वे रियायतें और जमीनें छीन लूंगा। उस समय मैं यह लिहाज नहीं रखूंगा कि वे भारतीय हैं। उतनी ही मुस्तैदीसे मैं सर ह्यूबर्ट कार या मि० बन्थलसे उनकी संपत्ति छीन लूंगा, भले वे कितने ही भले और मेरे प्रति मित्रभाव रखनेवाले क्यों न हों। कानून किसी भी व्यक्तिका लिहाज नहीं रखेगा। मैं आपको यह आश्वासन देता हूँ। इससे आगे मैं नहीं जा सकता। तो 'उचित रूपमें प्राप्त किया गया' का वस्तुतः यह अर्थ है कि प्रत्येक हित निष्कलक होना चाहिये, सीजरकी पत्नीकी तरह सदेहसे परे होना चाहिये। इसलिए हम यह आशा रखेंगे कि जब ये चीजे सरकारके ध्यानमें लायी जायगी, तब इन सबकी जाच की जायगी।

इसके बाद आपके सामने 'जिसका राष्ट्रके उत्तम हितोंसे विरोध नहीं है' वाली बात है। मेरे ध्यानमें कुछ ऐसे एकाधिकार हैं, जो प्राप्त तो बेशक उचित रूपमें ही किये गये हैं, मगर वे राष्ट्रके उत्तम हितोंके विरुद्ध हैं। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, जिससे आपका कुछ मनोरंजन तो होगा, मगर उसका आधार स्वाभाविक है। आप इस सफेद हाथी (देश पर भारी बोझ डालनेवाली चीज) को ही लीजिये, जिसे नई दिल्ली कहा जाता है। इस पर करोड़ों रुपये खर्च किये गये हैं। मान लीजिये कि भावी सरकार इस नतीजे पर पहुँचती है कि जब यह सफेद

हाथी हमारे पास है ही, तो इसका कोई उपयोग कर लिया जाय। कल्पना कीजिये कि पुरानी दिल्लीमें प्लेग या हैजा फैला हुआ है और हमें गरीब लोगोके लिए अस्पताल चाहिये। तब हम क्या करेगे? क्या आप समझते हैं कि राष्ट्रीय सरकार अस्पताल बगैरा बना सकेगी? ऐसा नहीं हो सकेगा। हम इन इमारतो पर अधिकार कर लेंगे और इन प्लेग-पीडित लोगोको वहा रखकर अस्पतालोकी तरह उनका उपयोग करेगे, क्योंकि मेरा दावा है कि ये इमारते राष्ट्रके उत्तम हितोके विरुद्ध हैं। वे करोडो भारतीयोका प्रतिनिधित्व नहीं करती। वे उन धनवानोका प्रतिनिधित्व कर सकती हैं, जो यहा मेज पर बैठे हैं, वे नवाब साहब भोपाल या सर पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास या सर फीरोज सेठना या सर तेजबहादुर सप्रूका प्रतिनिधित्व कर सकती हैं। मगर वे उन लोगोका प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती, जिन्हें सोनेके लिए कोई जगह और खानेके लिए रोटीका एक टुकडा भी नसीब नहीं होता। अगर राष्ट्रीय सरकार इस परिणाम पर पहुचे कि वह स्थान अनावश्यक है, तो वह छीन लिया जायगा — भले वह किन्ही भी लोगोके हाथमें हो। और मैं आपको बता दू कि बगैर किसी मुआवजेके छीन लिया जायगा। क्योंकि अगर आप इस सरकारसे क्षतिपूर्ति करवाना चाहेगे, तो उसे अहमदको लूटकर महमदको देना होगा, जो उसके लिए असभव होगा।

अगर कांग्रेसकी कल्पनाकी सरकार अस्तित्वमें आती है, तो यह कडवा घूट पीना ही पड़ेगा।

[लदनमें गोलमेज परिषद्के सामने दिये गये एक भाषणसे]

दि नेशनल् व्हाइस, १९३२, पृ० ७१

ग — सामाजिक अव्यवस्था

१

दंगे

शान्ति-सेना

दंगोको अहिंसक ढंगसे शान्त करनेके लिए दिलमे सच्ची अहिंसा होनी चाहिये, ऐसी अहिंसा जो दोषी दगाईका भी प्रेमपूर्वक आलिंगन करती है। ऐसी वृत्ति एकाएक नहीं पैदा हो सकती। वह तभी आ सकती है जब उसके लिए धीरजके साथ लम्बा प्रयत्न किया जाय। और वह प्रयत्न शान्तिकालमे किया जाना चाहिये। शान्ति-सेनाके भावी सिपाहीको अपने पडोसके तथाकथित गुडोके गहरे सम्पर्कमे आना और उनसे परिचय बढ़ाना चाहिये। वह सबसे और सब उससे परिचित होने चाहिये और उसे अपनी प्रेमपूर्ण और नि स्वार्थ सेवा द्वारा सबके हृदय जीत लेने चाहिये। समाजका कोई हिस्सा इतना तुच्छ और हलका न माना जाय, जिससे वे घुलमिल न सके। गुडे आकाशसे नहीं टपक पडते और न वे भूतोकी तरह जमीनसे निकल आते हैं। वे समाजकी कुव्यवस्थाकी ही उपज हैं और इसलिए उनके अस्तित्वके लिए समाज जिम्मेदार है। दूसरे शब्दोमे, वे हमारे समाजके रोगकी निशानी समझे जाने चाहिये। रोगको दूर करनेके लिए पहले हमें उसके असली कारणका पता जरूर लगाना चाहिये। उसके बाद इलाजका पता लगाना ज्यादा आसान काम हो जायगा।

हरिजन, १५-९-४०

ऊपरके कथनसे कोई यह न समझे कि अहिंसक सेना (शान्ति-सेना) उन्हीके लिए खुली है, जो अपने जीवनमे अहिंसाके भीतर रहे तमाम अर्थोका कडाईसे पालन करते हैं। यह उन सबके लिए खुली है,

जो उन अर्थोंको स्वीकार करते हैं और उन पर अमल करनेका अधिकाधिक प्रयत्न करते हैं। पूर्ण अहिंसक लोगोकी शान्ति-सेना कभी नहीं बनेगी। वह उन्ही लोगोकी होगी, जो अहिंसाके पालनकी ईमानदारीसे कोशिश करेंगे।

हरिजन, २१-७-'४०

अहिंसक सेना (शान्ति-सेना) सशस्त्र लोगोकी तरह नहीं है। वह शान्ति और दगोके समय काम करती है। ये लोग सतत ऐसी रचनात्मक प्रवृत्तियोमें लगे रहेंगे, जिनसे दगे असभव हो जाते हैं। उनका कर्तव्य होगा कि दोनो लड़नेवाली जातियोको इकट्ठा करनेके मौके ढूँढे, शान्तिका प्रचार करते रहे और ऐसे कामोमें लगे रहे जिनसे अपने-अपने क्षेत्रमें वे हरएक स्त्री-पुरुष, बच्चे और बालिगके सम्पर्कमें आवे और बने रहे। ऐसी सेनाको किसी भी सकटका सामना करनेके लिए तैयार रहना चाहिये और भीडके क्रोधको शान्त करनेके लिए काफी सख्यामें प्राणोकी बाजी लगा देनी चाहिये। इस प्रकारकी कुछ सौ या कुछ हजार शुद्ध मृत्युएँ दगोको हमेशाके लिए खतम कर देगी। अवश्य ही इस प्रकारके पागलपनसे निपटनेके लिए पुलिस और फौजके प्रदर्शन और उनके उपयोगकी अपेक्षा कुछ सौ नौजवान स्त्री-पुरुषोका इरादतन् अपने-आपको क्रोधित भीडके हवाले कर देना कही सस्ता और बहादुराना तरीका होगा।

हरिजन, २६-३-'३८

कुछ समय हुआ, मैंने ऐसी शान्ति-सेना बनानेका सुझाव रखा था, जिसके सदस्य खास तौर पर साम्प्रदायिक दगोसे निपटनेके लिए अपने प्राणो तककी बाजी लगा देनेको तैयार हो। विचार यह था कि इस सेनाको पुलिसका ही नहीं, फौजका भी स्थान ले लेना चाहिये।

इसलिए हम देखे कि प्रस्तावित शान्ति-सेनाके सदस्योकी क्या योग्यताएँ होनी चाहिये।

१ शान्ति-सेनाका सदस्य पुरुष हो या स्त्री, अहिंसामें उसकी सजीव श्रद्धा होनी चाहिये। यह ईश्वरमें सजीव श्रद्धा हुए बिना असभव है।

अहिसक मनुष्य ईश्वरकी कृपा और शक्तिके बिना कुछ नहीं कर सकता। इसके बगैर उसमें क्रोध, भय और प्रतिशोध-रहित होकर मरनेका साहस नहीं आयेगा। यह साहस इस विश्वाससे आता है कि ईश्वर सबके हृदयोमें निवास करता है और ईश्वरके होते हुए किसीका डर नहीं होना चाहिये। ईश्वरकी सर्व-व्यापकताके ज्ञानका यह भी अर्थ है कि जो विरोधी या गुडे कहे जा सकते हैं, उनके प्राणोका भी आदर किया जाय। यह प्रस्तावित हस्तक्षेप ऐसी क्रिया है, जिससे क्रुद्ध मनुष्य पर जब शैतान सवार हो जाता है, तब उसे शान्त किया जा सकता है।

२ शान्तिके इस दूतमें ससारके सब मुख्य धर्मोंके लिए समान आदरभाव होना चाहिये। इस प्रकार यदि वह हिन्दू है, तो वह भारतमें प्रचलित दूसरे धर्मोंका आदर करेगा। इसलिए उसे इस देशमें माने जानेवाले भिन्न-भिन्न धर्मोंके सामान्य सिद्धान्तोकी जानकारी होनी चाहिये।

३ आम तौर पर शान्तिका यह कार्य स्थानीय लोग अपने-अपने मुहल्लोमें ही कर सकते हैं।

४ काम अकेले या समूहोमें भी किया जा सकता है। इसलिए किसीको साथियोके लिए ठहरनेकी जरूरत नहीं। फिर भी लोग अपने-अपने मुहल्लोमें कुदरती तौर पर साथी जुटा लेंगे और स्थानीय सेना बना लेंगे।

५ यह शान्तिदूत व्यक्तिगत सेवा द्वारा अपने मुहल्ले या चुने हुए हल्लकेमें लोगोसे ऐसा सम्पर्क स्थापित कर लेगा कि जब वह खराब परिस्थितियोका मुकाबला करनेके लिए सामने आये तब दगाइयोको वह ऐसा अजनबी न लगे, जिसे शककी नजरसे देखा जाय या अवाछनीय व्यक्ति माना जाय।

६ यह कहनेकी जरूरत नहीं कि शान्तिदूतका चरित्र निष्कलक होना चाहिये और वह अपनी कठोर निष्पक्षताके लिए मशहूर होना चाहिये।

७ आम तौर पर आनेवाले तूफानोकी चेतावनी पहलेसे मिल जाती है। अगर चेतावनी मिल जाय तो शान्ति-सेना आगके भडक उठने तक बाट देखती न रहे, बल्कि पहलेसे ही स्थितिको सभालनेकी कोशिश करे।

८ अगर यह आन्दोलन फैल जाय, तो पूरा समय लगानेवाले कुछ कार्यकर्ताओंका होना अच्छा रहेगा। लेकिन ऐसा होना नितान्त आवश्यक नहीं है। विचार यह है कि अधिकसे अधिक अच्छे और सच्चे स्त्री-पुरुष रखे जाय। यह तभी हो सकता है कि जब स्वयंसेवक उन लोगोमें से आये, जो जीवनके विविध कार्योंमें लगे हुए हैं, परन्तु जिनके पास इतना अवकाश है कि वे अपने-अपने क्षेत्रोंमें रहनेवाले लोगोके साथ मैत्री-पम्बन्ध कायम कर सकें और ऐसी सब योग्यताएँ रखते हों जो शान्ति-सेनाके सदस्यमें होनी चाहिये।

९ प्रस्तावित सेनाके लोगोके पहननेकी खास पोशाक होनी चाहिये, ताकि धीरे-धीरे उन्हें जरा भी कठिनाईके बिना पहचाना जा सके।

ये केवल साधारण मुझाव है। प्रत्येक केन्द्र यहा बताये हुए आधार पर अपना-अपना विधान तैयार कर सकता है।

हरिजन, १८-६-'३८

कुछ समय पहले मेरे कहने पर शान्तिदल बनानेका प्रयत्न किया गया था। मगर उसका कोई नतीजा नहीं निकला। फिर भी उससे यह सीखनेको मिला कि शान्तिदल बड़े पैमाने पर काम नहीं कर सकते। साधारणतः बलके आधार पर बने किसी बड़े स्वयंसेवक-दलको अच्छी तरह चलानेमें अनुशासन भंग होने पर बल-प्रयोगकी गुजाइश मानी जाती है। ऐसी सस्थाओंमें मनुष्यके चरित्र पर कोई जोर नहीं दिया जाता। शारीरिक योग्यता ही मुख्य चीज होती है। अहिंसक दलमें उलटी बात होती है। उसमें चरित्र या आत्मबल सब-कुछ होना चाहिये और शरीरको गौण स्थान मिलना चाहिये। ऐसे बहुतसे आदमियोंका मिलना कठिन है। इसलिए अहिंसक दलको यदि कारगर बनना है, तो वह छोटा ही होना चाहिये। ऐसे दल सब जगह बिखरे हुए हो सकते हैं, हर एक गाव या मुहल्लेके लिए एक दल हो सकता है। दलके सदस्य एक-दूसरेसे भलीभांति परिचित होने चाहिये। प्रत्येक दल अपना मुखिया आप ही चुन लेगा। सब सदस्योंका दर्जा एकसा होगा। मगर जहा हर एक व्यक्ति वहीं काम करता हो वहा एक आदमी ऐसा होना ही चाहिये जिसके अनुशासनमें सब रहे, नहीं तो कामकी हानि होगी। जहा दो या अधिक दल हो, वहा

नेताओको आपसमे सलाह करके कामकी एकसी दिशा तय करनी चाहिये। यही सफलताकी कुजी है।

अगर इस ढंग पर अहिंसक स्वयसेवक-दल बनाये जाय, तो वे आसानीसे झगडोको बन्द कर सकते हैं। इन दलोके लिए अखाडोमे दी जानेवाली पूरी शारीरिक तालीमकी जरूरत नहीं होगी, परन्तु उसका कुछ भाग आवश्यक होगा।

किन्तु इन तमाम शान्तिदलोमे एक बात सामान्य होनी चाहिये, और वह है ईश्वरमे अनन्य श्रद्धा। वही एकमात्र सच्चा साथी और कर्ता है। उसमे श्रद्धा हुए बिना ये शान्तिदल निर्जीव होंगे। हम ईश्वरको किसी भी नामसे पुकारे, हमे यह महसूस करना चाहिये कि हम उसीके बल पर काम कर सकते हैं। ऐसा आदमी कभी किसी दूसरेकी जान नहीं लेगा। जरूरत पडने पर वह अपनी जान दे देगा और इस प्रकार मृत्यु पर विजय पाकर अमर बन जायगा।

जिस मनुष्यके जीवनमे यह धर्म सजीव सत्य बन जाता है, उसे सकटमे घबराहट नहीं होती। उसे काम करनेका सही रास्ता अन्त प्रेरणासे मालूम हो जायगा।

परन्तु मैंने जो कुछ ऊपर कहा है उसके बावजूद मैं स्वयं अपने अनुभवसे कुछ चुने हुए नियम यहा दे देना पसन्द करूंगा

१. स्वयसेवकके पास कोई हथियार न रहे।
२. शान्तिदलके आदमी आसानीसे पहचाने जा सकने चाहिये।
३. प्रत्येक स्वयसेवकके पास प्रारम्भिक सहायता करनेके लिए पट्टिया, कैंची, सुई-डोरा, चीर-फाडका चाकू आदि होने चाहिये।
४. उसे घायलोको उठाकर ले जाते आना चाहिये।
५. उसे यह मालूम होना चाहिये कि आग कैसे बुझाई जाती है, जले बिना आगके क्षेत्रमे कैसे घुसते हैं, लोगोको बचानेके लिए ऊंची जगहो पर कैसे चढते हैं और बचाये हुए आदमीको साथ लेकर या बिना लिये कैसे उतरते हैं।

६. उसे अपने मुहल्लेके सब लोगोसे अच्छी तरह परिचित होना चाहिये। यह स्वयं एक सेवा है।

७ उसे अपने हृदयमें सदा रामनाम रटते रहना चाहिये और जिनका विश्वास हो उनको भी ऐसा ही करनेको समझाना चाहिये।

मनुष्य अकसर तोतेकी तरह रामनाम रटता है और वैसा करके फलकी आशा रखता है। सच्चे मुमुक्षुको ऐसी सजीव श्रद्धा रखनी चाहिये, जो न केवल उसके हृदयसे बल्कि दूसरोके हृदयोसे भी तोतेकी तरह रामनाम रटनेके असत्यका नाश कर दे।

हरिजन ५-५-'४६

साम्प्रदायिक हत्याओके खिलाफ

खूनका बदला खूनसे या मुआवजेसे कभी नहीं लिया जा सकता। खूनका बदला लेनेका एकमात्र उपाय यह है कि बदला लेनेकी कोई इच्छा न रखकर हम खुशीसे अपनेको बलिदान कर दे। बदले या मुआवजेसे व्यक्तिको कुछ सतोष मिल सकता है। मगर मेरी यह स्पष्ट राय है कि उससे समाजमें न कभी शान्ति स्थापित हो सकती है और न समाजका उत्थान हो सकता है।

हरिजन, १८-८-'४६

पुलिस-बल

अहिंसक राज्यमें भी पुलिसकी जरूरत हो सकती है। मैं स्वीकार करता हू कि यह मेरी अपूर्ण अहिंसाका चिह्न है। मुझमें फौजकी तरह पुलिसके बारेमें भी यह घोषणा करनेका साहस नहीं है कि हम पुलिसकी ताकतके बिना काम चला सकते हैं। अवश्य ही मैं ऐसे राज्यकी कल्पना कर सकता हू और करता हू, जिसमें पुलिसकी जरूरत नहीं होगी, परन्तु यह कल्पना सफल होगी या नहीं, यह तो भविष्य ही बतायेगा।

परन्तु मेरी कल्पनाकी पुलिस आजकलकी पुलिससे बिलकुल भिन्न होगी। उसमें सभी सिपाही अहिंसामें माननेवाले होंगे। वे जनताके मालिक नहीं, सेवक होंगे। लोग स्वाभाविक रूपमें ही उन्हें हर प्रकारकी सहायता देंगे और आपसके सहयोगसे दिन-दिन घटनेवाले दगोक आसानीसे सामना कर लेंगे। पुलिसके पास किसी न किसी प्रकारके हथियार तो होंगे, परन्तु उन्हें क्वचित् ही काममें लिया जायगा। असलमें तो

पुलिसवाले सुधारक बन जायेंगे। उनका काम मुख्यत चोर-डाकुओं तक सीमित रह जायगा। मजदूरो और पूजीपतियोंके झगडे और हडताले अहिंसक राज्यमें यदाकदा ही होगी, क्योंकि अहिंसक बहुमतका असर इतना अधिक रहेगा कि समाजके मुख्य तत्त्व उसका आदर करेंगे। इसी तरह साम्प्रदायिक दगोकी भी गुजाइश नहीं रहेगी।

हरिजन, १-९-'४०

२

चोरियां

एक शस्त्र-सज्जित मनुष्य आपका माल चुरा ले जाता है। आपको उसके कृत्यका खयाल सताता रहता है, आप क्रोधसे भर जाते हैं, आप तर्क करते हैं कि आप उस बदमाशको सजा देना चाहते हैं—अपने ही खातिर नहीं, किन्तु अपने पडोसियोंकी भलाईके खातिर, आप हथियार-बन्द आदमियोंकी टोली जमा करते हैं और उसके घर पर धावा बोलना चाहते हैं, उसे इसकी बाकायदा सूचना दे दी जाती है। वह भाग जाता है। वह भी उत्तेजित होता है। वह अपने डाकू भाइयोंका जमा करता है और आपको मुकाबलेका पैगाम भेजता है कि वह दिन-दहाडे आपके घरमें डाका डालेगा। आप सबल हैं, उससे नहीं डरते और उसका स्वागत करनेको तैयार रहते हैं। इस बीच यह डाकू आपके पडोसियोंको तग करता है। वे आपसे इसकी शिकायत करते हैं। आप जवाब देते हैं, मैं तुम्हारे लिए सब-कुछ तैयार कर रहा हूँ। आप अपना माल चोरी जानेकी परवाह नहीं करते। आपके पडोसी उत्तर देते हैं कि डाकूने हमको पहले कभी नहीं सताया, उसने लूट-खसोट तभी शुरू की, जब आपने उससे लडाई ठानी। आप दुविधामें पड जाते हैं। आपको इन गरीबों पर दया आती है। उनका कहना सच है। आप क्या करें? अब यदि आप डाकूको यो ही छोड देते हैं, तो आपका अपमान होता है। इसलिए आप इन गरीबोंसे कहते हैं, “कोई परवाह नहीं। मेरा धन तुम्हारा ही है। मैं तुम्हें हथियार दूंगा और उनसे काम लेना भी

सिखाऊगा। तुम्हें ऐसे बदमाशकी मरम्मत करनी चाहिये। उसे यो ही मत छोड़ो।” इस प्रकार लडाई बढती है। डाकुओकी सख्यामे वृद्धि होती है, आपके पडोसी जान-बूझकर असुविधा मोल लेते हैं। इस तरह डाकुसे बदला लेनेकी इच्छाका परिणाम यह होता है कि आपने अपनी शान्ति भंग कर ली, आपको सदा डाका पडने और हमला होनेका डर रहने लगा, आपके साहसका स्थान कायरताने ले लिया। अगर आप धीरजसे इस तर्ककी परीक्षा करेगे, तो आप देख लेंगे कि मने कोई बढा-चढाकर चित्र नहीं खीचा है। यह एक तरीका हुआ।

अब दूसरे तरीकेको जांचे। आप उस सशस्त्र डाकुको एक अज्ञान भाई मान लेते हैं। आप उचित अवसर पर उसे समझानेका विचार करते हैं, आप यह तर्क करते हैं कि आखिर तो वह हमारा एक मानव-वधु ही है, आप नहीं जानते कि उसे चोरीकी प्रेरणा कैसे हुई। इसलिए आप यह निर्णय करते हैं कि जब सभव होगा आप उस आदमीके चोरीके हेतुको ही नष्ट कर देंगे। आप अपने मनमे यह बहस कर रहे होंगे, उसी बीच वह आदमी फिर चोरी करने आ जाता है। उस पर क्रोध करनेके बजाय आप उस पर दया करते हैं। आप सोचते हैं कि यह चोरीकी आदत अवश्य ही उसकी एक बीमारी है। इसलिए आइदा आप अपने दरवाजे और खिडकिया खुली रखते हैं, अपने सोनेकी जगह बदल लेते हैं और अपना सामान ऐसी जगह रखते हैं कि जहा उसकी पहुच बहुत आसानीसे हो जाय। डाकु फिर आता है और घबरा जाता है, क्योंकि ये सब बाते उसके लिए नई होती हैं। फिर भी वह आपका सामान ले जाता है। परतु उसके मनमे उथल-पुथल मच जाती है। वह आपके बारेमे गावमे पूछताछ करता है, उसे आपके उदार और प्रेमपूर्ण हृदयका हाल मालूम होता है, उसे पछतावा होता है, वह आपसे क्षमा-याचना करता है, आपका सामान लौटा देता है और चोरीकी आदत छोड देता है। वह आपका सेवक बन जाता है और आप उसके लिए इज्जतका काम जुटा देते हैं। यह दूसरा तरीका है। इस प्रकार आप देखते हैं कि अलग-अलग तरीकोके बिलकुल अलग-अलग परिणाम होते हैं। इससे मैं यह निष्कर्ष नहीं निकालता कि डाकु इसी प्रकारका आचरण

करेगे या सभीमे आपकी तरह दया और प्रेम होगा। परन्तु मैं यह दिखा देना चाहता हूँ कि अच्छे उपायोसे ही अच्छे परिणाम निकल सकते हैं और सबमे नहीं तो कमसे कम अधिकांश मामलोमे प्रेम और दयाका बल शस्त्रबलसे कहीं बड़ा होता है। पशुबलके प्रयोगमे हानि है, मगर दयाबलके प्रयोगमे कभी नहीं।

हिन्द स्वराज्य, १९४६ (१९०९ मे लिखित), पृ० ५३-५४

प्र० — जब किसी नौकरको चोरीकी लत पड जाय और प्रेमसे समझान या मार-पीटसे भी वह न सुधरे, तो मालिक क्या करे ?

उ० — मेरी सलाह मालिकको यह होगी कि चोरके रास्तेमे से वह सारे प्रलोभन हटा ले, उसके साथ अपने सगे भाईका-सा बरताव करे और जब वह कितने ही दयापूर्ण व्यवहारसे भी ठीक न हो तो उसे निकाल दे। मालिक सदा अपने मनसे पूछे कि ऐसी स्थितिमे वह अपने सगे भाईके साथ भी ऐसा ही व्यवहार करेगा या नहीं ?

हरिजन, २१-७-'४६

उरुलीमे शामकी प्रार्थनाके बाद बोलते हुए गाधीजीने कहा कि चोर या अपराधीके प्रति दुर्भाव रखने या उसे सजा दिलवानेकी कोशिश करनेके बजाय हमे उसके हृदयके भीतर प्रवेश करनेका प्रयत्न करना चाहिये, जिस कारणसे वह अपराध करने लगा हो उसे समझना चाहिये और उसका इलाज करनेका प्रयत्न करना चाहिये। उदाहरणार्थ, हमे उसे कोई घधा सिखा देना चाहिये और उसे ऐसा रोजगार दिला देना चाहिये, जिससे वह ईमानदारीसे अपना गुजर कर सके। इस प्रकार हमे उसके जीवनका कायापलट कर देना चाहिये। हमे समझ लेना चाहिये कि चोर या अपराधी हमसे भिन्न प्रकारका प्राणी नहीं है। असलमे अगर हम आत्म-निरीक्षण करे और अपनी ही आत्माओको ध्यानसे देखे, तो हमे पता लगेगा कि हममे और उनमे अन्तर केवल मात्राका ही है।

हरिजन, ११-८-'४६

स्त्रियों पर हमले

जहा अहिंसक वातावरण है, जहा अहिंसाकी सतत शिक्षा दी जाती है, वहा स्त्री अपनेको आश्रित, कमजोर या नि सहाय नहीं समझेगी। जब वह शुद्ध होती है तब लाचार हो ही नहीं सकती। उसकी शुद्धता ही उसका बल, उसका कवच है। मेरी सदासे यह राय रही है कि किसी भी स्त्री पर उसकी इच्छाके विरुद्ध बलात्कार करना शारीरिक दृष्टिसे असभव है। यह अत्याचार उस पर तभी होता है, जब या तो वह डरके मारे झुक जाती है या अपने नैतिक बलका उसे भान नहीं होता। अगर वह आक्रमणकारीके शरीर-बलका सामना नहीं कर सकती, तो उसकी शुद्धता उसे वह बल देगी जिससे वह मर जायगी, मगर जीतेजी अपना सतीत्व नष्ट नहीं होने देगी। सीताका ही उदाहरण ले लीजिये। रावणके सामने शरीर-बलमे वह कुछ भी नहीं थी, मगर उसकी पवित्रता रावणकी राक्षसी ताकतसे भी कहीं बढकर थी। रावणने तरह तरहके प्रलोभन करके उसे मनाना चाहा, मगर उसकी मरजीके विना उसके शरीरको वह छू भी नहीं सका। इसके विपरीत, अगर कोई स्त्री अपने ही शरीर-बल या अपने पासके हथियार पर निर्भर रहती है, तो जब उसकी ताकत खतम हो जायगी तब वह अवश्य हार जायगी।

भाई, पिता या मित्र अपनी सरक्षित स्त्री और उस पर हमला करनेवालेके बीचमे खडा हो जायगा। फिर वह या तो आक्रमणकारीको समझा-बुझाकर उसके दुष्ट हेतुसे पराङ्मुख कर देगा या उसे रोकनेमे स्वयं मर जायगा। इस प्रकार प्राण देकर वह न सिर्फ अपना फर्ज अदा करेगा, बल्कि अपनी सरक्षित स्त्रीको नया बल प्रदान करेगा, जिससे उसे अपने शीलकी रक्षा करनेका उपाय मिल जायगा।

हरिजन, १-९-'४०

यह मेरा दृढ विश्वास है कि किसी भी स्त्रीकी, जो निडर है और जिसे यह ज्ञान है कि उसकी पवित्रता उसके सतीत्वकी उत्तम ढाल है, लाज कभी नहीं लूटी जा सकती। पुरुष कितना ही पशु क्यो न बन

जाय, स्त्रीकी तेजोमय पवित्रताके सामने वह शर्मके सारे सिर झुका लेगा। आजके समयमें भी ऐसी स्त्रियोंके उदाहरण मिलते हैं, जिन्होंने इस प्रकार अपने सतीत्वकी रक्षा की है। जब मैं यह लिख रहा हूँ, तब मुझे ऐसी दो मिसालें याद आ रही हैं। इसलिए जो स्त्रियाँ यह लेख पढ़ें, उनसे मेरी सिफारिश है कि वे अपनेमें इस प्रकारका साहस पैदा करनेकी कोशिश करें। अगर वे आजकी भाँति आक्रमणोंके विचारमात्रसे काप जाना छोड़ सकें, और छोड़ दें, तो वे बिलकुल निर्भय बन जायगी। माता-पिताओं और पतियोंको स्त्रियोंको निर्भय बननेकी कला सिखानी चाहिये। वह ईश्वरमें सजीव श्रद्धा रखनेसे बहुत अच्छी तरह सीखी जा सकती है। यद्यपि ईश्वर अदृश्य है, फिर भी वह हमारा अचूक रक्षक है। जिसमें यह श्रद्धा है वह सबसे ज्यादा निर्भय है।

परन्तु ऐसी श्रद्धा या साहस एक दिनमें नहीं प्राप्त किया जा सकता। तब तक हमें दूसरे उपाय ढूँढनेकी कोशिश जरूर करनी चाहिये। जब किसी स्त्री पर हमला होता है तब वह हिंसा-अहिंसाका विचार करनेको नहीं ठहर सकती। उस समय आत्मरक्षा ही उसका मुख्य कर्तव्य है। उसे अपने शीलकी रक्षा करनेके लिए जो भी उपाय या तरीका सूझे, उसे अपनानेकी स्वतंत्रता है। ईश्वरने उसे नाखून और दाँत दिये हैं। उसे अपनी तमाम ताकतके साथ इन्हें काममें लेना चाहिये और जरूरत हो तो इस प्रयत्नमें मर जाना चाहिये। जो पुरुष या स्त्री मौतका सारा डर छोड़ देती है, वह न सिर्फ अपनी ही रक्षा कर लेगी, बल्कि अपने प्राण देकर दूसरोंको भी बचा लेगी।

यह तो हुई स्त्रीके कर्तव्यकी बात। परन्तु जिस पुरुषके सामने इस प्रकारके अपराध हो वह क्या करे? इसका उत्तर उपरोक्त विवेचनमें आ जाता है। उसे निष्क्रिय साक्षी हरगिज नहीं बनना चाहिये। उसे स्त्रीकी रक्षा करनी ही चाहिये। उसे पुलिसकी मददके लिए नहीं दौडना चाहिये। उसे रेलगाडीमें जजीर खीचकर ही सतोष नहीं मान लेना चाहिये। अगर उसमें अहिंसा-पालनका सामर्थ्य होगा, तो वह ऐसा करते हुए मर जायगा और इस प्रकार स्त्रीको सकंटेसे बचा लेगा। अगर अहिंसामें उसका विश्वास न हो या वह उस पर अमल नहीं कर

सके, तो उसे अपनी सारी ताकत लगाकर स्त्रीको बचानेकी कोशिश करनी चाहिये। दोनों ही हालतोमे उसे अपने प्राण निछावर करनेकी तैयारी तो रखनी ही चाहिये।

हरिजन, १-३-'४२

घ — राजनीतिक बुराइया

१

बुरा राज्य

सविनय आज्ञाभंग

कट्टर असहयोगी तो राज्यसत्ताकी बिलकुल उपेक्षा ही करता है। वह विद्रोही बन जाता है और राज्यके हरएक अनैतिक कानूनकी परवाह न करनेका दावा करता है। उदाहरणार्थ, वह कर देनेसे इनकार कर सकता है और अपने दैनिक व्यवहारमे राज्यसत्ताको माननेसे इनकार कर सकता है। वह अनधिकार प्रवेशके कानूनको माननेसे इनकार करके सैनिकोसे बात करनेके लिए फौजी बैरकोमे धुसनेका दावा कर सकता है और धरना देनेके तरीके पर लगाई गई मर्यादाओको तोडकर निर्धारित क्षेत्रके भीतर धरना दे सकता है। ये सब बाते करनेमे वह कभी बलका प्रयोग नहीं करता और जब उसके विरुद्ध बलका उपयोग किया जाता है, तो उसका कभी विरोध नहीं करता। सच पूछा जाय तो वह कारावासको और अपने विरुद्ध दूसरे प्रकारके बल-प्रयोगको निमन्त्रण देता है। ऐसा वह इसलिए करता है कि उसे जो शारीरिक स्वतन्त्रता जाहिरा तौर पर प्राप्त है, वह उसे असह्य भार प्रतीत होने लगती है। वह अपने मनमे यह तर्क करता है कि राज्य व्यक्तिगत स्वतन्त्रता तभी तक देता है, जब तक नागरिक उसके नियमोको मानता है। नागरिक अपनी व्यक्तिगत स्वतन्त्रताका मूल्य राज्यके कानूनके सामने झुक कर चुकाता है। इसलिए राज्यके किसी पूरी तरह या बहुत हद तक अन्यायपूर्ण कानूनको मानना स्वतन्त्रताका अनैतिक विनिमय है। जो

नागरिक राज्यके बुरे स्वरूपको अच्छी तरह समझ लेता है, वह उसकी दया पर जीनेसे सतुष्ट नहीं होता, और जब वह राज्यको नैतिकताका भंग किये बिना अपनेको गिरफ्तार करनेके लिए मजबूर करनेकी कोशिश करता है तब जो लोग उसके विश्वासमें शरीक नहीं हैं उन्हें वह समाजके लिए कण्टक दिखाई देता है। इस प्रकार सोचा जाय तो असहयोग आत्माकी पीडाको प्रगट करनेका अत्यंत शक्तिशाली साधन है और एक बुरे राज्यके जारी रहनेका जोरदार विरोध है। और चूंकि बदला लेनेकी वृत्ति न होनेके कारण असहयोगी सेना विकारोसे मुक्त होती है या होनी चाहिये, इसलिए उसमें सैनिकोकी कमसे कम सख्याकी जरूरत होती है। असलमें तो बुराईके विरुद्ध भलाईकी लड़ाईको जीतनेके लिए एक ही सच्चा असहयोगी काफी है।

यग इंडिया, १०-११-२१

सविनय आज्ञाभंगका काम वही लोग हाथमें ले सकते हैं, जो राज्य द्वारा लादे गये असुविधाजनक कानूनको भी तब तक खुशीसे माननेमें विश्वास रखते हैं, जब तक वे कानून उनकी अन्तरात्मा या धर्मको चोट न पहुंचाते हों, और उतनी ही खुशीसे सविनय आज्ञाभंगकी सजा भुगतनेको तैयार होते हैं। आज्ञाभंग सविनय होनेके लिए सर्वथा अहिंसक होना चाहिये। क्योंकि उसके पीछे मूल सिद्धान्त यह है कि कष्ट सहन करके अर्थात् प्रेमसे विरोधीको जीता जाय।

यग इंडिया, ३-११-२१

हिंसाके बावजूद सविनय आज्ञाभंग

भीतरसे ऐसी पुकार आ सकती है, जिसकी उपेक्षा करनेका हमारा साहस नहीं हो — भले उसके लिए हमें कितना ही त्याग क्यों न करना पड़े। मुझे ऐसा समय साफ आता हुआ दिखाई देता है, जब रक्तपातकी पक्की सभावना होते हुए भी मुझे राज्यके बनाये हुए एक एक कानूनको माननेसे इनकार करना पड़ेगा। जब ऐसी पुकारकी उपेक्षा करनेका अर्थ ईश्वरसे इनकार करना हो जाय, तब सविनय आज्ञाभंग सुनिश्चित कर्तव्य हो जाता है।

यग इंडिया, ४-८-२१

जब कभी मैंने सविनय आज्ञाभंग स्थगित किया है, तब हिंसाके भडक उठनेके कारण नहीं किया है, बल्कि ऐसी हिंसाका पता लगने पर किया है जिसे कांग्रेसियोने शुरू किया या प्रोत्साहन दिया था — जिन्हें ज्यादा समझदारीसे काम लेना चाहिये था। उदाहरणके लिए, मोपला उपद्रव जैसे किसी हिंसाकाण्डसे सविनय आज्ञाभंग मुलतवी न होता। परन्तु चौरीचौरासे हो गया। इसका सीधा-सा कारण यही है कि उसमें कांग्रेससे सबध रखनेवाले लोगोका हाथ था।

यग इडिया, २९-१०-'२५

करबन्दी

लोगोकी तरफसे अनुकूल उत्तर मिलनेकी सभावनासे ही हमें करबन्दीका आश्रय नहीं लेना चाहिये। यह तैयारी एक घातक प्रलोभन है। ऐसी करबन्दी सविनय या अहिंसक नहीं होगी, बल्कि एक अपराध होगी और उसमें हिंसाकी अधिकसे अधिक सभावना रहेगी। जब तक किसानोको सविनय करबन्दीका कारण और गुण समझनेकी तालीम न मिल जाय और वे अपनी जमीनोकी जब्ती और अपने मवेशियो और दूसरे सामानके नीलामको शान्ति और 'ईश्वरेच्छा बलीयसी' की भावनासे सहनेको तैयार न हो जाय, तब तक उन्हें कर न चुकानेकी सलाह नहीं दी जा सकती।

यग इडिया, २६-१-'२२

कैद

सत्याग्रही अधिकारियोको परेशान करनेके लिए जेल नहीं जाता, बल्कि अपनी निर्दोषताका प्रत्यक्ष प्रमाण देकर उनका हृदय-परिवर्तन करनेके लिए जाता है। आपको अच्छी तरह समझ लेना चाहिये कि जब तक आपने अपने भीतर जेल जानेकी वह नैतिक योग्यता पैदा नहीं कर ली है जो सत्याग्रहका कानून चाहता है, तब तक आपका जेल जाना व्यर्थ होगा और उससे अन्तमें निराशाके सिवा और कुछ आपके हाथ नहीं लगेगा।

हरिजन, ५-११-'३८

क्या जनसाधारण अहिंसक रह सकते हैं ?

प्र० — आप यह कैसे मानते हैं कि जनसाधारण अहिंसाका पालन कर सकते हैं, जब हम जानते हैं कि वे सब क्रोध, घृणा और दुर्भावके शिकार रहते हैं ? यह तो जानी हुई बात है कि वे अत्यंत छोटी-छोटी चीजोंके लिए भी लड़ बैठते हैं।

उ० — यह ठीक है, फिर भी मैं मानता हूँ कि वे सबकी भलाईके लिए अहिंसा पर अमल कर सकते हैं। क्या आप मानते हैं कि जिन हजारों स्त्रियोंने गैर-कानूनी नमक इकट्ठा किया, उनकी किसीके प्रति दुर्भावना थी ? वे जानती थीं कि कांग्रेसने या गांधीजीने उन्हें कुछ बातें करनेको कहा है, और उन्होंने श्रद्धा और आशासे वे बातें कीं। वे बुद्धिसे अहिंसामें विश्वास नहीं करती थीं, जैसे बहुत लोगोंको जमीनके गोल होनेके बारेमें विश्वास नहीं होता। मगर अपने नेताओंमें उनका हार्दिक विश्वास था और इतना उनके लिए काफी था। नेताओंकी बात दूसरी है। अहिंसामें उनका विश्वास बुद्धिजनित होना चाहिये और उन्हें इस विश्वासके अर्थोंको जीवनमें उतारना चाहिये।

हरिजन, ४-११-'३९

२

बाहरी हमला

हथियार हो या न हों ?

मेरी कल्पनाके स्वराज्यमें हथियारोंकी कोई जरूरत नहीं होगी। परन्तु मैं यह आशा नहीं रखता कि वर्तमान प्रयत्नके फलस्वरूप मेरा यह सपना पूरी तरह सफल होगा। इसका पहला कारण तो यह है कि मौजूदा प्रयत्न उसे तात्कालिक ध्येय मानकर किया ही नहीं जा रहा है। दूसरे, मैं अपने-आपको इतना आगे बढ़ा हुआ नहीं समझता कि इस प्रकारकी तैयारीके लिए राष्ट्रको कोई ब्यौरेवार कार्यक्रम दे सकूँ। मैं स्वयं अभी तक विकारों और मानव-स्वभावकी दुर्बलताओंसे इतना भरा

हू कि न तो मुझे वह पुकार महसूस होती है और न उसकी क्षमता । इसलिए मैं राष्ट्रको फिलहाल संपूर्ण और व्यावहारिक अहिंसाका मार्ग नहीं दिखा सकता ।

यग इंडिया, १७-११-'२१

क्या अहिंसासे हमला रोका जा सकता है ?

युद्धके सैनिको और अहिंसाके सैनिकोमे दो बातें समान होती हैं । मैं स्विट्जरलैंडका नागरिक और वहाके सघराज्यका राष्ट्रपति होता, तो मैं यह करता कि आक्रमणकारी सेनाको रसद न देकर उसका रास्ता रोक देता । दूसरे, स्विट्जरलैंडमे दूसरी थर्मिपॉलीको दोहराकर आप स्त्री-पुरुषो और बच्चोकी जिन्दा दीवार खड़ी कर देते और आक्रमणकारियोसे कहते कि वे आपकी लाशो पर होकर गुजर जाय । आप कह सकते हैं कि ऐसी चीज मनुष्यके अनुभव और सहन-शक्तिके बाहर है । मैं कहता हू कि ऐसा नहीं है । यह बिलकुल संभव है । पिछले साल गुजरातमे स्त्रिया लाठी-प्रहारोके सामने अचल खड़ी रही और पेशावरमे हजारो लोगोने हिंसाका आसरा लिये बिना बहादुरीसे गोलियोकी वर्षाका सामना किया । कल्पना कीजिये कि ये पुरुष और स्त्रिया एक ऐसी फौजके सामने खड़े हैं, जो दूसरे देशमे जानेको सलामत रास्ता चाहती है । आप कह सकते हैं कि सेना हैवान बनकर उन परसे निकल जायगी । तब मैं यह कहूंगा कि आप अपना विनाश होने देकर भी अपना कर्तव्य पूरा करेगे । जो सेना निर्दोष स्त्री-पुरुषोकी लाशो परसे गुजरनेका साहस करेगी, वह दुबारा यह प्रयोग नहीं कर सकेगी । आप चाहे तो स्त्री-पुरुषोके बहुत बड़े समूहोमे ऐसा साहस होनेमे विश्वास न रखे, मगर उस हालतमे आपको यह मानना पडेगा कि अहिंसा कोई ऐसी-वैसी चीज नहीं है । उसकी कल्पना कमजोरोके हथियारके रूपमे कभी नहीं की गई है, परन्तु मजबूतसे मजबूत हृदयोके अस्त्रके रूपमे की गई है ।

यग इंडिया, ३१-१२-'३१

प्र० — ऐसी एक खबर है कि आपने अहिंसक असहयोगके द्वारा विदेशी आक्रमणसे हिन्दुस्तानकी रक्षा करनेके लिए कोई नई योजना

तैयार की है, जिसे आप 'हरिजन' के किसी लेखमें प्रकट किया चाहते हैं। क्या आप हमें उसकी कुछ कल्पना दे सकेंगे ?

उ० — यह खबर गलत है। मेरे मनमें ऐसी कोई योजना नहीं है। होती तो आपको बता देता। लेकिन जब मैं यह कह चुका हूँ कि विशुद्ध अहिंसात्मक असहयोग होना चाहिये, तब मेरे खयालसे और कुछ कहनेकी आवश्यकता नहीं रह जाती। अगर सारे भारतसे अनुकूल उत्तर मिले और सब लोग एकदिलसे असहयोग करें, तो मैं दिखा दूँ कि रक्तकी एक बूद भी गिराये बिना जापानियोंके शस्त्रास्त्रोंकी या किसी भी संगठित शस्त्रबलकी शक्तिको बेकार बनाया जा सकता है। इसके लिए भारतका यह दृढ निश्चय होना जरूरी है कि वह किसी भी हालतमें थोड़ा भी अपनी बातसे पीछे नहीं हटेगा और लाखों मनुष्योंकी आहुति देनेको तैयार रहेगा। मगर मैं इस कीमतको बहुत सस्ती और इस कीमत पर पाई हुई विजयको शानदार समझूंगा। यह हो सकता है कि भारत यह मूल्य चुकानेको तैयार न हो। मुझे आशा है कि यह सच नहीं है। परन्तु किसी भी देशको, जो अपनी स्वाधीनता कायम रखना चाहता है, कुछ ऐसी कीमत तो चुकानी ही पडती है। आखिर तो रूसियों और चीनियों द्वारा किये गये बलिदान भी जबरदस्त ही हैं और वे अपना सब-कुछ दाव पर लगानेको तैयार हैं। यही बात दूसरे मुल्कोंके लिए भी कही जा सकती है, चाहे वे आक्रमण करनेवाले हों या आत्मरक्षा करनेवाले। उन्हें भारी कीमत चुकानी पड रही है। इसलिए अहिंसक कार्यप्रणालीमें मैं भारतको उससे ज्यादा खतरा उठानेको नहीं कह रहा हूँ, जो दूसरे देश उठा रहे हैं और जो भारतको भी उठाना पडेगा, अगर वह सशस्त्र मुकाबला करे।

हरिजन, २४-५-'४२

सातवां विभाग : कार्यकर्ता और कार्यक्रम

क — कार्यकर्ता

१

सर्वोदयी कार्यकर्ताकी योग्यताएं

[सत्याग्रहियोंके लिए गांधीजी द्वारा बतायी हुई कुछ योग्यताएं निम्नलिखित हैं । परन्तु चूकि सर्वोदयी कार्यकर्ताको भी उनकी रायमें सच्चा सत्याग्रही होना चाहिये, इसलिए ये योग्यताएं सर्वोदयी कार्यकर्ताओं पर भी लागू होनेवाली मानी जा सकती हैं। — सं०]

१ उसकी ईश्वरमें सजीव श्रद्धा होनी चाहिये, क्योंकि वही उसका एकमात्र आधार है ।

२ उसे धर्मके रूपमें सत्य और अहिंसामें विश्वास होना चाहिये और इसलिए उसे मानव-स्वभावकी जन्मजात अच्छाईमें श्रद्धा होनी चाहिये । क्योंकि उसे यह आशा होती है कि अपने कष्ट-सहन द्वारा प्रगट होनेवाले अपने सत्य और प्रेमसे वह उस अच्छाईको जगा सकेगा ।

३ उसका जीवन शुद्ध होना चाहिये और अपने लक्ष्यके लिए अपना जान-माल कुर्बान कर देनेकी उसकी तैयारी होनी चाहिये ।

४ वह आदतन् खादी पहनने और सूत कातनेवाला होना चाहिये । भारतके लिए यह अत्यावश्यक है ।

५ वह सर्वथा निर्व्यसनी हो, ताकि उसकी बुद्धि सदा स्वच्छ और उसका मन सदा स्थिर रहे ।

६ समय समय पर अनुशासनके जो भी नियम बनाये जाय, उन सबका उसे हृदयसे पालन करना चाहिये ।

यह न समझ लेना चाहिये कि इनमें सारी योग्यताएं आ जाती हैं । ये तो केवल दिशादर्शक ही हैं ।

हरिजन, २५-३-३९

नम्रता

अगर हम अहंकारकी जजीरे तोड़ डाले और मानवताके महासागरमे विलीन हो जाय, तो हम उसके गौरवके हिस्सेदार बन जाते हैं। यह समझना कि हम भी कुछ हैं, ईश्वरके और अपने बीचमे दीवार खड़ी कर लेना है, 'हम भी कुछ हैं' की भावनाको छोड़कर हम ईश्वरके साथ एक हो जाते हैं। समुद्रमे बूदको भले ही इसका भान न हो, फिर भी वह अपने पिताके गौरवकी हिस्सेदार होती है। मगर ज्यो ही वह समुद्रसे बिछुड़कर अलग अस्तित्व रखने लगती है त्यों ही सूख जाती है।

सेवामय जीवनमे नम्रता होनी ही चाहिये। जिसे दूसरोके खातिर अपना जीवन उत्सर्ग करनेकी इच्छा हो, उसे अपने लिए कोई बड़ी जगह सुरक्षित रखनेका समय ही कहा मिलेगा ?

मगल-प्रभात, १९४५, पृ० ४६-४७

सतत कार्य

सच्ची नम्रताका यह अर्थ है कि केवल मानव-सेवाकी दिशामे ही अत्यन्त कठोर और सतत प्रयत्न किया जाय। ईश्वर एक क्षणका भी विश्राम न लेकर निरन्तर काम करता रहता है। अगर हम उसकी सेवा करना या उसमे मिल जाना चाहते हो, तो हमारा कार्य भी उसीकी तरह अथक और निरन्तर होना चाहिये। जो बूद समुद्रसे अलग हो जाती है, उसके लिए क्षणभरका आराम हो सकता है, परन्तु जो बूद समुद्रके भीतर है, उसके लिए आराम नहीं है। क्योंकि समुद्रको आराम कहा ? हमारे लिए भी यही बात है। ज्यो ही हम ईश्वररूपी समुद्रमे समा जाते हैं, हमारे लिए आराम नहीं रह जाता और न हमें आरामकी जरूरत रहती है। हमारी नीद भी एक कर्म ही है, क्योंकि हम अपने हृदयोमे ईश्वरका विचार रखकर सोते हैं। यह अविश्रान्त अवस्था ही सच्ची विश्रान्ति है। इस अनन्त अशान्तिमे ही अनिर्वचनीय शान्तिकी कुजी है।

मगल-प्रभात, १९४५, पृ० ४७-४८

मौन

सत्यके पुजारीके लिए मौनका सेवन उचित है। जाने-अनजाने भी मनुष्य अकसर अतिशयोक्ति करता है, अथवा जो कहने योग्य है उसे छिपाता है, या भिन्न रूपमें कहता है। ऐसे सकटोसे बचनेके लिए भी अल्पभाषी होना आवश्यक है। थोड़ा बोलनेवाला बिना विचारे न बोलेगा, वह अपन प्रत्येक शब्दको तौलेगा।

आत्मकथा १९५१, पृ० ७९

शुद्धता

कोई भी कार्यकर्ता, जिसने काम-वासनाको जीत नहीं लिया है, हरिजनो, साम्प्रदायिक एकता, खादी, गोसेवा या ग्राम-पुनर्रचनाके ध्येयके लिए कोई सच्ची सेवा नहीं कर सकता। ऐसे बड़े ध्येयोकी सेवा केवल बौद्धिक तैयारीसे ही नहीं हो सकती। उनके लिए आध्यात्मिक प्रयत्न या आत्मबलकी जरूरत होती है। आत्मबल केवल ईश्वरकी कृपासे ही मिलता है और ईश्वरकी कृपा उस आदमी पर कभी नहीं उतरती जो वासनाका दास है।

हरिजन, २१-११-'३६

श्रद्धा

ससारको सजीव श्रद्धा—न कि निर्जीव परंपरागत श्रद्धा, जिसे ससार ग्रहण नहीं करेगा—भेट करनेमें आपको अगुआ बनना चाहिये।

विथ गाधीजी इन सीलोन, १९२८, पृ० ११२

दुनियामे कोई बड़ा काम सजीव श्रद्धाके बिना नहीं हुआ।

हरिजन, ९-१०-'३७

आम जनतासे तादात्म्य

पहले हमें उनके (आम लोगोके) साथ और उनके बीचमें काम करके उनके साथ सजीव सपर्क स्थापित करना चाहिये। हमें उनके दुःखोमें शरीक होना चाहिये, उनकी कठिनाइया समझनी चाहिये और उनकी जरूरतें पहलेसे जान लेनी चाहिये। हमें अछूतोके साथ अछूत बन जाना चाहिये और देखना चाहिये कि उच्च वर्गोके पाखाने साफ

करना और उनकी जूठन खाना हमे कैसा लगता है। हमे देखना चाहिये कि बम्बईके मजदूरोकी जिन सन्दूको-जैसी झोपडियोको घरोका गलत नाम दिया जाता है, उनमे रहना हमे कैसा लगता है। हमे उन देहातियोके साथ एक होना चाहिये, जो अपनी झुकी हुई पीठ पर कडी धूप सहकर कडी मेहनत करते है और देखना चाहिये कि जिस पोखरमे गाववाले नहाते, अपने कपडे और बरतन धोते और उनके मवेशी पानी पीते और लोटते है, उसका पानी पीना हमे कहा तक पसन्द आता है। तभी — उससे पहले नही — हम गरीबोके सच्चे प्रतिनिधि बनेगे और वे हमारी प्रत्येक पुकारका अनुकूल उत्तर देगे। यह उतना ही निश्चित है जितना इस समय मेरा यह लेख लिखना है।

यग इडिया, ११-९-'२४

व्यवहारके लिए उत्तम नियम यह है कि जो चीज लाखो लोगोको मयस्सर न हो, उसे लेनेसे हम दृढतापूर्वक इनकार कर दे। इनकार करनेकी शक्ति हममे एकाएक नही आ जायगी। पहला काम अपने भीतर यह मनोवृत्ति पैदा करना है कि जो सम्पत्ति या सुविधा लाखो लोगोको नही मिलती उसे हम न ले और दूसरी तुरत करने लायक चीज यह है कि हम अपने जीवनको जल्दीसे जल्दी इस मनो-वृत्तिके साचेमे ढाल ले। इस प्रकारके त्यागी और दृढनिश्चयी कार्य-कर्ताओकी बहुत बडी सेनाके बिना मेरी रायमे जनसाधारणकी सच्ची उन्नति होना असभव है।

यग इडिया, २४-६-'२६

समाजवाद पहले ही समाजवादीसे शुरू हो जाता है। अगर ऐसा एक भी आदमी हो तो आप उस पर सिफर लगाते जाइये। पहले सिफरसे सख्या दस गुनी हो जायगी और फिर हरएक सिफर जोडनेसे सख्या उत्तरोत्तर दस गुनी होती जायगी। लेकिन अगर पहला सिफर ही हो अर्थात् कोई भी प्रारभ नही करे, तो सिफर बढाते जानेसे भी उनका मूल्य सिफर ही रहेगा। और सिफर लिखनेमे लगाया गया समय और कागज बेकार ही जायेगे।

हरिजन, १३-७-'४७

स्वेच्छापूर्वक अपनाई हुई दरिद्रता

उन्हे (सर्वोदयी कार्यकर्ताओको) त्याग और स्वेच्छापूर्वक अपनाई जानेवाली दरिद्रताकी कला और सुन्दरता सीख लेनी चाहिये। उन्हे राष्ट्रका निर्माण करनेवाली प्रवृत्तियोमे लगे रहना चाहिये — जैसे, स्वयं हाथसे कात-बुनकर खादीका प्रचार करना, जीवनके हर क्षेत्रमे एक-दूसरेके प्रति शुद्ध व्यक्तिगत आचरण करके हार्दिक साम्प्रदायिक एकता फैलाना, अपने निजी व्यवहारमे हर प्रकारकी अस्पृश्यता मिटा देना, और दुर्ब्यसनोमे फसे हुए व्यक्तियोसे व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करके तथा आम तौर पर व्यक्तिगत शुद्धता बढाकर नशीली चीजोका पूरा बहिष्कार कराना आदि। ये सेवाएँ एसी हैं जिनमे गरीबोकी-सी आजीविका मिल सकती है। जिनके लिए गरीबोकी-सी आजीविका अनुकूल न हो, उन्हे राष्ट्रीय महत्त्वके छोटे सगठित उद्योगोमे स्थान ढूढ लेना चाहिये, जहा ज्यादा अच्छी मजदूरी मिलती है।

अमृतवाजार पत्रिका, ८-४-'३४

ख — कार्यक्रम

विस्तृत रचनात्मक कार्यक्रम मेरी पुस्तिका^१ मे और डॉ० राजेन्द्र-प्रसादकी पुस्तिका^२ मे मिलेगा, जो उस पर एक सरसरी टीका है। यह याद रखना चाहिये कि वह सपूर्ण नहीं, उदाहरणके तौर पर ही है। स्थानीय परिस्थितियोको देखते हुए कई और मुद्दे ऐसे सूझ सकते हैं, जिनका छपे हुए कार्यक्रममे उल्लेख नहीं है। ये पुस्तिकाएँ किसी अखिल भारतीय कार्यक्रम पर लिखी गईं पुस्तिकाके क्षेत्रसे बाहर हैं। उन मुद्दोकी खोज करके उचित कार्रवाई करना अवश्य ही स्थानीय कार्यकर्ताओका काम है।

१ रचनात्मक कार्यक्रम — उसका रहस्य और स्थान, नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद — १४।

२ रचनात्मक कार्यक्रम — कुछ सुझाव (अग्नेजीमे), नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद — १४।

मैंने तो यहा कुछ खास मुद्दों * का ही संकेत कर दिया है, ताकि इस कार्यक्रमके प्रकाशित होनेके बाद जो अनुभव प्राप्त हो, उसके अनुसार उन पर अधिक जोर दिया जा सके।

१

किसान

किसान या कार्तकारका स्थान पहला है, चाहे वह भूमिहीन मजदूर हो, चाहे मेहनत-मजदूरी करनेवाला भूस्वामी हो। खेती किसान पर ही निर्भर है, इसलिए न्यायकी दृष्टिसे जमीनका मालिक वही है या होना चाहिये, न कि गैर-हाजिर जमींदार। परन्तु अहिंसक प्रणालीमें मजदूर गैर-हाजिर जमींदारको जबरन् बेदखल नहीं कर सकता। उसे इस तरह काम करना चाहिये कि जमींदारके लिए उसका शोषण करना नामुमकिन हो जाय। किसानोमें घनिष्ठ सहयोग निहायत जरूरी है। इसके लिए जहा न हो वहा विशेष सगठन करनेवाली संस्थाए या समितिया बनाई जाय और जो पहलेसे मौजूद है उन्हें जहा जरूरत हो वहा सुधारा जाय। किसान ज्यादातर निरक्षर हैं। परन्तु प्रौढो और पाठशाला जानेकी उम्रवाले नौजवान लोगोको शिक्षा दी जानी चाहिये। यह बात स्त्री-पुरुष दोनो पर लागू होती है। जब वे भूमिहीन मजदूर हो तो उनकी मजदूरीको ऐसे स्तर पर ले आना चाहिये, जिससे उनके लिए अच्छा जीवन निश्चित हो जाय। इसका अर्थ यह है कि उन्हें सतुलित भोजन, रहनेके मकान

* इस पुस्तिकामे दिये गये मुद्दोकी सूची यह है

१ कौमी एकता, २ अस्पृश्यता-निवारण, ३ मद्य-निषेध, ४ खादी, ५ दूसरे ग्रामोद्योग, ६ गावोकी सफाई, ७ बुनियादी तालीम, ८ बडोकी तालीम, ९ स्त्रिया, १० आरोग्यके नियमोकी शिक्षा, ११. प्रान्तीय भाषाए, १२ राष्ट्रभाषा, १३ आर्थिक समानता; १४ किसान, १५ मजदूर, १६ आदिवासी, १७ कुष्ठरोगी, १८. विद्यार्थी; और १९ पशु-सुधार।—स०

और कपडा इस प्रकार मिले कि स्वास्थ्यकी जरूरते पूरी हो जाय। भूमि-सबधी कानूनकी जाच होनी चाहिये। किसानकी कर्जदारीकी समस्यामे खोजके लिए असीम क्षेत्र पडा है।

२

श्रम

किसान-कार्यसे गहरा सबध रखनेवाला काम मजदूरोका है। यहा मजदूरोसे मतलब औद्योगिक मजदूर है, जिनका क्षेत्र संगठित, केन्द्रित और अधिक सीमित है। साथ ही, उनका आसानीसे राजनीतिक उपयोग किया जा सकता है।

शहरो तक सीमित होनेके कारण मजदूरोका काम किसान-कार्यकी अपेक्षा कार्यकर्ताओको अधिक आकर्षित कर लेता है। रचनात्मक कार्यके रूपमे उसका मुख्य लक्ष्य मजदूरोको उनका उचित स्थान दिला देना है। इसलिए मजदूर-कार्यकर्ताओका ध्येय यह होना चाहिये कि मजदूरोकी नैतिक और बौद्धिक ऊचाईको बढाये और इस प्रकार केवल गुणोके बल पर उन्हे इस योग्य बना दे कि वे न सिर्फ अपनी माली हालत सुधार ले, बल्कि आजकी तरह उत्पादनके साधनोके गुलाम न रहकर उनके मालिक बन जाय। पूजीको मजदूरोका सेवक होना चाहिये, न कि स्वामी। मजदूरोको अपने कर्तव्योका भान कराना चाहिये, क्योंकि उनका पालन करनेसे अपने-आप अधिकार मिल जाते हैं। ठोस रूपमे कहा जाय तो

(क) मजदूरोके अपने ही सध होने चाहिये।

(ख) स्त्री-पुरुष दोनोकी साधारण और वैज्ञानिक शिक्षा रात्रि-पाठशालाओ द्वारा नियमित रूपसे होनी चाहिये।

(ग) मजदूरोके बच्चोको बुनियादी तालीमकी पद्धतिसे शिक्षा मिलनी चाहिये।

(घ) प्रत्येक केन्द्रके साथ एक-एक अस्पताल, शिशु-सुवर्धन-गृह और प्रसूति-गृह होना चाहिये।

(ड) हडतालके दिनोमे मजदूरोको स्वावलम्बी बनना चाहिये। (मजदूरोको सफल अहिसक हडताल करनेका विज्ञान सिखाना चाहिये।)

मैंने जिस कार्यका उल्लेख किया है, वह सब कलम (क) मे बताये हुए सघो द्वारा ही किया जा सकता है। जहा तक मैं जानता हूँ, अहमदाबादके मजदूर-सघकी व्यवस्था उत्तम है। इसका यह अर्थ नहीं कि वह मेरे आदर्श तक पहुच गया है। पर वह उस दिशामे प्रयत्न कर रहा है। यदि तमाम मजदूर-सघ इसी दिशामे काम करे, तो आजकी अपेक्षा मजदूरोकी हालत कही अच्छी हो जाय। अगर मजदूर ऐक्यबद्ध और नैतिक तथा बौद्धिक दृष्टिसे तालीम पाये हुए हो, तो वे सदा ही पूजीसे श्रेष्ठ है।

हिन्दुस्तान स्टैण्डर्ड, २८-१०-'४४

३

ग्रामसेवा

ग्रामसेवकके जीवनका केन्द्रबिन्दु चरखा होगा। खादीकी तहमे विचार यह है कि वह खेतीका सहायक और उसके साथ चलनेवाला उद्योग है। जब तक हम अपने देहातोसे आलस्य और बेकारी दूर न कर दे और प्रत्येक गावमे घर-घर काम-धधा न होने लगे, तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि चरखा हमारे जीवनमे उसके उचित स्थान पर प्रस्थापित हो गया है।

ग्रामसेवक केवल नियमित रूपसे कातेगा ही नहीं, बल्कि अपनी रोटीके लिए जरूरतके मुताबिक बसूला, फावडा या जूता बनानेका फर्मा लेकर काम करेगा। सोने और आराम करनेके आठ घटोके अलावा उसका सारा वक्त किसी न किसी काममे लगा रहेगा। व्यर्थ खोनेको उसके पास कोई समय नहीं होगा। वह न तो स्वयं आलस्य करेगा, न दूसरोको करने देगा। उसका जीवन उसके पडोसियोके लिए अविश्रात और सुखद उद्योगका सतत पाठ देता रहेगा। हमारी लाचारी या स्वेच्छासे पैदा हुई बेकारी अवश्य मिटनी चाहिये। वह नहीं मिटेगी तो कोई रामबाण दवा काम नहीं देगी और अधभूखे लोगोकी शाश्वत समस्या वैसी ही बनी

रहेगी। जो दो मुट्ठी खाता है उसे चार मुट्ठी पैदा करना चाहिये। जब तक यह धर्म सार्वत्रिक न मान लिया जाय, तब तक जनसंख्यामें कितनी ही कमी हो जाय, तो भी उससे समस्या हल नहीं होगी। अगर इस कानूनको मान कर उसका पालन किया जाय, तो हमारे यहाँ अभी तो अन्य लाखों आदमियोंके लिए भरण-पोषणकी गुंजाइश है।

इस प्रकार ग्रामसेवक उद्यमकी साक्षान् मूर्ति होगा। वह कपास बोनो और चुननेसे लेकर बुनाई तककी खादीकी तमाम क्रियाओका निष्पात होगा और अपना सारा ध्यान उन्हे पूर्ण बनानेमें लगायेगा। अगर वह इसे एक विज्ञान समझेगा, तो इससे ऊब नहीं जायगा, बल्कि ज्यो ज्यो इसकी महान सभावनाओको अच्छी तरह समझने लगेगा, त्यो त्यो उसे नित-नया आनन्द प्राप्त होगा। वह देहातमें जितना शिक्षक बनकर जायेगा, उतना ही विद्यार्थी बनकर भी जायेगा। उसे जल्दी ही मालूम हो जायगा कि भोलेभाले ग्रामीणोंसे उसे बहुत-कुछ सीखना है। वह ग्राम-जीवनकी हर बातमें घुसेगा, देहाती उद्योगोंका पता लगायेगा और उनके विकास और सुधारकी सभावनाओकी जाच करेगा। संभव है, खादीके संदेशके प्रति गाववाले उसे बिलकुल उदासीन जान पड़े, परन्तु वह अपने सेवामय जीवनसे उनकी दिलचस्पी और ध्यान आकर्षित कर लेगा। अवश्य ही उसे अपनी मर्यादाओको भूलकर किसानोंके कर्जकी समस्या हल करनेके काममें, जो उसके लिए व्यर्थ है, नहीं पडना चाहिये।

सफाई और तन्दुरुस्तीके काम पर वह काफी ध्यान देगा। न सिर्फ उसका घर और आसपासकी जगह ही सफाईका नमूना पेश करेगा, बल्कि वह झाड़ू-टोकरी लेकर सारे गावमें सफाई रखवानेमें भी मदद देगा।

वह देहाती दवाखाना खोलने या देहाती डॉक्टर बननेकी कोशिश नहीं करेगा। यह सब जाल है, जिससे उसे बचना ही चाहिये। अपनी हरिजन-यात्राके दौरानमें मेरा एक ऐसे गावसे साबका पडा था, जहाँ हमारे एक कार्यकर्ताने, जिन्हे अधिक समझदारीसे काम लेना चाहिये था, एक आलीशान इमारत बनाकर उसमें दवाखाना खोल दिया था और आसपासके देहातोंमें मुफ्त दवाइया बाटना शुरू कर दिया था। असलमें तो स्वयंसेवक लोग ही दवाइया ले जाकर घर-घर बाटते थे और औषधालयके

वर्णनमे गर्वके साथ कहा गया था कि हर महीने १,२०० मरीजोंको दवा दी जाती है। कुदरती तौर पर मुझे इसकी कड़ी आलोचना करनी पड़ी। मैंने उन्हें बताया कि देहातमें काम करनेका यह ढंग नहीं है। आपका कर्तव्य यह है कि गाववालोंको सफाई और तदुद्दुस्तीके पाठ पढाये और इस तरह रोगोंका इलाज करनेके प्रयत्नके बजाय रोगोंसे बचनेका मार्ग बताये। मैंने उनसे कहा कि उस भवनको छोड़ दीजिये और उसे लोकल बोर्डको किराये पर देकर फूसके झोपडेमें बस जाइये। दवाके तौर पर कुछ रखना है तो केवल कुनैन, अण्डीका तेल, आयोडीन या ऐसी ही अन्य कुछ चीजे रखी जाय। कार्यकर्ताको अपनी शक्ति इसी पर केन्द्रित करनी चाहिये कि लोग अपने शरीर और गावकी स्वच्छताका महत्त्व अच्छी तरह समझ लें और उसे हर हालतमें बनाये रखें।

इसके बाद वह गावके हरिजनोकी भलाईमें दिलचस्पी लेगा। उसका घर उनके लिए खुला रहेगा। वास्तवमें वे अपने झगडो और कठिनाइयोंमें मददके लिए कुदरती तौर पर उसीके पास आयेगे—अगर गाववालोंको यह सहन न हो कि वह उनकी बस्तीमें रहते हुए हरिजनोको अपने घरमें आने दे, तो उसे अपना निवासस्थान हरिजन मुहल्लेमें बना लेना चाहिये।

एक बात अक्षर-ज्ञानके बारेमें। उसका स्थान तो है, मगर मैं आपको चेतावनी दे देता हू कि उस पर गलत जोर न दीजिये। यह मानकर न चलिये कि बच्चों या प्रौढोंको लिखना-पढना सिखाये बिना आप ग्राम-शिक्षा शुरू नहीं कर सकते। वर्णमालाको छूनेसे पहले बहुतसा उपयोगी ज्ञान मौजूदा हालत, इतिहास, भूगोल और प्रारम्भिक अकगणितके बारेमें जबानी दिया जा सकता है। हाथोंसे पहले आखों, कानों और जबानका नम्बर आता है। लिखनेसे पहले पढनेका और वर्णमालाके अक्षर बनानेसे पहले ड्राइंगका स्थान है। यदि यह स्वाभाविक रीति काममें ली जाय, तो बच्चोंकी समझका विकास अधिक होगा। बच्चोंकी शिक्षाका प्रारम्भ वर्णमालाके साथ करनेसे उनका विकास रुक जाता है।

ग्रामसेवकका जीवन ग्राम-जीवनके साथ एकराग होगा। वह अपनी पुस्तकोंमें डूबा हुआ पंडित बननेका ढोंग नहीं करेगा और उसे रोजमर्राकी

जिन्दगीकी छोटी छोटी बातें सुननेसे अरुचि नहीं होगी। इसके विपरीत, लोग जब भी उससे मिलेंगे तब उसे अपने औजारोंसे — चरखे, करघे, बसूले या फावड़े आदिसे — काम करता हुआ और सदा उनके छोटेसे छोटे प्रश्नों पर ध्यान देता हुआ पायेंगे। वह सदा अपनी रोजीके लिए काम करनेका आग्रह रखेगा। ईश्वरने सबको अपनी दैनिक आवश्यकताओंसे अधिक उत्पन्न करनेकी शक्ति दी है, और अगर वह केवल सूझ-बूझसे काम ले तो उसे ऐसे घघेका अभाव नहीं रहेगा, जो उसकी योग्यताके अनुकूल हो, चाहे वह योग्यता कितनी ही कम क्यों न हो। अधिक सभावना यही है कि लोग खुशीसे उसके गुजारेका प्रबंध कर देंगे, लेकिन यह भी असंभव नहीं कि कुछ स्थानों पर उसकी उपेक्षा की जाय। मगर फिर भी वह कोई उद्योग करके अपना गुजारा कर लेगा। संभव है कि कुछ गावोंमें हरिजनोकी तरफदारीके कारण उसका बहिष्कार किया जाय। उस सूरतमें वह हरिजनोके पास जाय और उनसे भोजनकी आशा रखे। काम करनेवालेको खाना तो हमेशा मिलना ही चाहिये। और इसलिए यदि वह ईमानदारीसे हरिजनोकी सेवा करता है, तो उनसे भोजन लेनेमें उसे सकोच नहीं रखना चाहिये। शर्त हमेशा यही हो कि जितना ले उससे अधिक दे दे। बेशक, शुरूकी हालतमें जहां संभव हो वहां थोडासा पैसा वह अपने गुजारेके लिए किसी केन्द्रीय कोषसे ले सकता है।

याद रखिये हमारे हथियार आध्यात्मिक हैं। यह वह ताकत है जो अदृश्य रूपमें काम करती है, मगर उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इसकी प्रगति जोड़के नियमसे नहीं, गुणाकारके नियमसे होती है। जब तक उसके पीछे कोई प्रेरक शक्ति होती है, तब तक वह कभी बन्द नहीं होती। इसलिए आपकी सारी प्रवृत्तियोंकी पृष्ठभूमि आध्यात्मिक होनी चाहिये। चरित्र और व्यवहारकी पूर्ण शुद्धता इसीलिए जरूरी है।

आप मुझसे यह न कहिये कि यह असंभव कार्यक्रम है और आपमें इसकी योग्यता नहीं है। आप अब तक इसे पूरा नहीं कर सके, इससे आपके मार्गमें बाधा नहीं आनी चाहिये। अगर वह आपके हृदय और बुद्धिको जचता है, तो आपको हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिये। आप

प्रयोगसे घबराये नहीं। स्वयं प्रयोगसे ही आपको अधिकाधिक प्रयत्न करनेका प्रेरणा-बल मिलेगा।

[गुजरात विद्यापीठके कार्यकर्ताओमें दिये गये एक प्रवचनसे।]
हरिजन, ३१-८-३४

एक आदर्श भारतीय गाव इस ढंगसे बनाया जायगा कि उसमें पूरी सफाई रखी जा सके। उसमें ऐसी कुटिया होगी जिनमें काफी हवा और रोशनी रहेगी और जो पाच मीलके घेरेमें प्राप्त होनेवाली सामग्रीसे बनी होगी। कुटियोंके आगन होंगे, जिनमें घरवाले घरू इस्तेमालकी साग-भाजी उगा सके और अपने मवेशी रख सकें। गावकी गलियो और रास्तोमें यथासभव धूल नहीं होगी। उसमें गावकी जरूरतके अनुसार कुए होंगे और उनसे सब पानी ले सकेंगे। वहाँ सबके लिए पूजास्थान होंगे, एक आम सभास्थान होगा, पशु चरानेके लिए एक सम्मिलित चरागाह होगा, एक सहकारी दुग्धालय होगा, प्राथमिक और माध्यमिक पाठशालाएँ होंगी- जिनमें औद्योगिक शिक्षा मुख्य वस्तु होगी और झगडे निपटानेके लिए पचायत होगी। वह अपना अनाज, अपनी सागभाजी, अपने फल और अपनी खादी आप तैयार कर लेगा। मोटे रूपमें आदर्श ग्रामकी मेरी यह कल्पना है। मौजूदा हालतमें उसकी झोपडिया थोड़ेसे सुधारके साथ जैसी है वैसी ही रहेगी। जहाँ जमींदार भला होगा या लोगोमें सहयोग होगा, वहाँ आदर्श कुटियोंके सिवा लगभग सारे कार्यक्रम पर सरकारी सहायताके बिना उतने ही खर्चसे अमल किया जा सकता है, जो जमींदारके या जमींदार-सहित गाववालोके साधनोके भीतर होगा। सरकारी मददसे तो गावकी पुनर्रचनाका काम इतना बढ़ाया जा सकता है जिसकी कोई हद नहीं। परन्तु अभी तो मेरा काम यह पता लगाना है कि देहातियोंमें आपसमें सहयोग हो और वे सबकी भलाईके लिए स्वेच्छापूर्वक श्रमदान करे, तो वे खुद अपनी क्या सहायता कर सकते हैं। मेरा दृढ़ विश्वास है कि यदि उन्हें बुद्धिमानीसे रास्ता बताया जाय, तो वे गावकी आमदनी दुगुनी कर सकते हैं। व्यक्तिगत आयकी बात अलग है। हमारे देहातोमें असीम साधन हैं, जो व्यवसायके लिए तो नहीं, परन्तु स्थानीय कामोके लिए

लगभग हर हालतमें काफी है। सबसे बड़ी दुखकी बात तो यह है कि ग्रामीण लोग अपनी हालत सुधारनेके लिए बिलकुल तैयार नहीं हैं।

ग्रामसेवकको सबसे पहली समस्या सफाईकी हल करनी होगी। जिन समस्याओंसे कार्यकर्ता चकराते हैं और जिनसे ग्रामवासियोंका स्वास्थ्य जर्जर हो जाता है तथा दीमारिया पैदा होती है, उन सबमें अधिकसे अधिक उपेक्षा इस समस्याकी की जाती है। अगर कार्यकर्ता स्वेच्छा-पूर्वक भगी बन जाय, तो वह मलमूत्र इकट्ठा करके उसका खाद बना लेगा और गावके रास्तों पर झाड़ू लगा देगा। वह लोगोंको बतायेगा कि कैसे और कहा उन्हें शौच जाना चाहिये। वह उन्हें सफाईका महत्त्व और उसकी उपेक्षा करनेसे होनेवाली महान हानि समझायेगा। गाववाले उसकी सुने या न सुने, कार्यकर्ता अपना काम जारी रखेगा।

हरिजन, ९-१-'३७

अगर ग्राम-पुनर्रचनामें देहातोंकी सफाईको शामिल न किया गया, तो हमारे देहात जैसे आज कूड़ा-करकटके ढेर हैं वैसे ही बने रहेंगे। गावकी सफाई देहाती जीवनका प्राण है और जितनी महत्त्वपूर्ण है उतनी ही कठिन भी है। चिरकालीन गदगीको मिटानेके लिए वीरोचित प्रयत्नकी आवश्यकता है। जो ग्रामसेवक ग्राम-सफाईके विज्ञानसे अनभिज्ञ हैं, जो सफल मेहतर नहीं हैं, वह ग्रामसेवाके योग्य नहीं हो सकता।

यह आम तौर पर मान लिया गया दीखता है कि नई या बुनियादी तालीमके बगैर भारतमें करोड़ों बच्चोंकी शिक्षा लगभग नामुमकिन है। इसलिए ग्रामसेवकको उसमें प्रवीण होकर स्वयं बुनियादी तालीमका एक शिक्षक बन जाना चाहिये।

बुनियादी शिक्षाके बाद प्रौढ-शिक्षा अपने-आप आ जायगी। जहाँ इस नई तालीमकी जड़ जम जाती है, वहाँ बच्चे खुद अपने मा-बापके शिक्षक बन जाते हैं। कुछ भी हो, ग्रामसेवकोंको प्रौढ-शिक्षाका काम भी हाथमें लेना पड़ेगा।

स्त्रीको पुरुषकी अर्धांगिनी बताया गया है। जब तक कानूनसे स्त्रीको पुरुष जैसे ही अधिकार नहीं मिल जाते और जब तक लड़कीके

जन्मका वैसे ही स्वागत नहीं होने लगता जैसा लडकेके जन्मका होता है, तब तक हमें समझ लेना चाहिये कि भारत एक हृद तक पक्षाघातसे पीडित रहेगा। स्त्रीका दमन अहिंसासे इनकार करना है। इसलिए प्रत्येक ग्रामसेवक हर स्त्रीको स्थितिके अनुसार अपनी माता, बहन या पुत्री समझेगा और उसे आदरकी दृष्टिसे देखेगा। ऐसे ही कार्यकर्ता पर ग्रामीण लोगोका विश्वास रहेगा।

किसी भी अस्वस्थ जातिके लिए स्वराज्य लेना असंभव है। इसलिए हमें अपनी जनताके स्वास्थ्यकी उपेक्षा करनेका अपराधी नहीं बनना चाहिये। प्रत्येक ग्रामसेवकको स्वास्थ्यके सामान्य सिद्धान्तोका ज्ञान होना ही चाहिये।

एक सामान्य भाषाके बिना कोई राष्ट्र नहीं बन सकता। ग्रामसेवक हिन्दी, हिन्दुस्तानी और उर्दूके विवादकी झंझटमें न पडकर राष्ट्रभाषाका ज्ञान प्राप्त कर लेगा। राष्ट्रभाषा ऐसी होनी चाहिये, जिसे हिन्दू और मुसलमान दोनों समझ सकें।

हमारे अंग्रेजीके पीछे पागल हो जानेके कारण हम प्रान्तीय भाषाओके प्रति वफादार नहीं रहे। और कुछ नहीं तो इस बेवफाईके प्रायश्चित्तके तौर पर ही ग्रामसेवकोको देहातियोमें अपनी भाषाका प्रेम पैदा करना चाहिये। उनमें भारतकी दूसरी भाषाओके प्रति समान आदरभाव होना चाहिये। और जिस प्रदेशमें वे काम कर रहे हैं, वहाकी भाषा सीखकर देहातियोको अपनी ही भाषाके प्रति आदरभाव रखनेकी प्रेरणा देनी चाहिये।

किन्तु यह सारा कार्यक्रम बालू पर महल बनाने जैसा होगा, अगर इसकी रचना आर्थिक समानताकी ठोस बुनियाद पर नहीं की जायगी। आर्थिक समानताका यह अर्थ कभी नहीं मान लेना चाहिये कि सबके पास सांसारिक सम्पत्ति समान मात्रामें होगी। परन्तु इसका मतलब यह जरूर है कि हरएकके पास रहनेको उपयुक्त घर होगा, खानेको काफी और सतुलित आहार होगा और तन ढकनेको पर्याप्त खादी होगी। इसके यह मानी भी होंगे कि जो निर्दय असमानता आज मौजूद है, वह शुद्ध अहिंसक उपायोसे ही मिटाई जायगी।

हरिजन, १८-८-'४०

गावके लिए लक्ष्य

ग्राम-स्वराज्यकी मेरी कल्पना यह है कि प्रत्येक गाव सपूर्ण गण-राज्य होना चाहिये, जो अपनी जीवन-सबधी आवश्यकताओके लिए अपने पडोसियोसे स्वतत्र हो और फिर भी अन्य बहुतसी बातोमे जिनमे आश्रितता जरूरी है, वे एक-दूसरे पर निर्भर रहे । इस प्रकार प्रत्येक गावका पहला काम यह होगा कि वह खानेके लिए अपना अनाज और कपडेके लिए अपनी कपास उगाये । पशुओके लिए उसका अपना चरागाह होना चाहिये और बालिगो तथा बच्चोके लिए मनोरजन और खेल-कूदके स्थान होने चाहिये । इसके बाद अगर और जमीन उपलब्ध हो, तो वह रुपया पैदा करनेवाली **उपयोगी** फसले उगायेगा और इस प्रकार गाजा, अफीम, तम्बाकू वगैरका बहिष्कार करेगा । गावकी अपनी ग्रामनाटक-शाला, पाठशाला और अपना सभा-भवन होगा । उसकी अपनी पानीकी योजना होगी, जिससे साफ पानी मिलता रहेगा । यह प्रबध नियन्त्रित कुओ और तोलाबोसे किया जा सकता है । बुनियादी पाठ्यक्रमके अन्त तक शिक्षा अनिवार्य होगी । जहा तक सम्भव होगा सब काम सहकारी ढंगसे किये जायगे । उसमे आज जैसी ऊपरसे नीचे तक छुआछूतवाली जातिप्रथा नहीं होगी । अहिंसा और उसके साधन-रूप सत्याग्रह और असहयोग इस ग्राम-समाजके बल होंगे । ग्राम-रक्षकोको गावकी चौकीका काम अपनी बारीके अनुसार अनिवार्य रूपसे करना होगा । इसके लिए योग्य ग्रामवासियोके नाम गावके रजिस्टरमे दर्ज रहेगे । गावका शासन पाच आदमियोकी पचायत करेगी, जो गावके ऐसे वयस्क स्त्री-पुरुषो द्वारा हर साल चुनी जायगी जिनकी कमसे कम निश्चित योग्यता होगी । उसके पास सारी आवश्यक सत्ता और न्यायाधिकार होगा । चूकि प्रचलित अर्थमे कोई दड-व्यवस्था नहीं होगी, इसलिए पचायतको एक साथ कानून बनाने, न्याय करने और प्रबधके अधिकार अपने वर्षभरके कार्यकालके लिए प्राप्त होंगे । आज भी कोई गाव इस प्रकारका गणतत्र बन सकता है और उसमे किसीका — सरकारका भी — दखल नहीं होगा, क्योकि उसका देहातके साथ एकमात्र कारगर सबध लगान-वसूलीका है । मैने यहा पडोसके गावोके साथ और कोई केन्द्रीय सरकार हो तो उसके साथके सबधोके

प्रश्नका विवेचन नहीं किया है। मेरा उद्देश्य ग्राम-शासनका नकशा पेश करना है। इस शासन-व्यवस्थामें व्यक्तिगत स्वतंत्रताके आधार पर पूर्ण लोकतंत्र है। व्यक्ति अपने शासनका आप ही निर्माता है। उस पर और उसकी सरकार पर अहिंसाके कानूनका राज्य होता है। उसमें और उसके गावमें दुनियाभरकी ताकतका सामना करनेका सामर्थ्य होता है, क्योंकि प्रत्येक ग्रामीणके लिए मुख्य धर्म यह है कि वह अपनी और अपने गावकी इज्जतकी रक्षामें अपने प्राण दे दे।

हरिजन, २६-७-'४२

४

खादी और कताई

खादी देशमें सबकी आर्थिक स्वतंत्रता और समानताके प्रारम्भका चिह्न है। उसे उसके सारे फलितार्थों सहित स्वीकार करना चाहिये। उसका अर्थ है सपूर्ण स्वदेशी मनोवृत्ति रखना और जीवनकी सारी आवश्यक वस्तुएँ भारतमें ही और वह भी देहातियोंकी मेहनत और बुद्धिसे प्राप्त करना। देहात अधिकतर बातोमें आत्म-निर्भर होंगे और भारतके शहरो और बाहरी दुनिया तककी स्वेच्छापूर्वक सेवा करेंगे, जहा तक उससे दोनो पक्षोको लाभ होता रहेगा।

इसके लिए बहुतसे लोगोकी मनोवृत्ति और रुचियोमें क्रान्तिकारी परिवर्तनकी आवश्यकता है। यद्यपि कई बातोमें अहिंसक मार्ग सरल है, मगर बहुतसी बातोमें वह बड़ा कठिन भी है। वह प्रत्येक भारतीयके जीवनके मर्मको स्पर्श करता है, उसे अपने भीतर छुपी हुई ताकत होनेका भान कराता है और उसे इस बातका गर्व महसूस कराता है कि उसका भारतीय जनताके महासागरकी प्रत्येक बूदके साथ तादात्म्य है।

मेरे लिए खादी भारतीय मानव-समाजकी एकता, उसकी आर्थिक स्वतंत्रता और समानताका प्रतीक है और इसलिए अन्तमें वह जवाहरलाल नेहरूके काव्यमय शब्दोंमें 'हिन्दुस्तानकी आजादीकी वर्दी' है।

इसके सिवा, खादी मनोवृत्तिका अर्थ है जीवनके आवश्यक पदार्थोंके उत्पादन और वितरणका विकेन्द्रीकरण। इसलिए अब तक जो सूत्र बन पाया है वह यह है कि प्रत्येक गाव अपनी जरूरतकी तमाम चीजे पैदा कर ले और शहरोकी आवश्यकताओके लिए कुछ फीसदी उत्पत्ति और भी कर ले।

खादीके फलितार्थ समझा चुकने पर मुझे यह बताना चाहिये कि खादीके प्रचारके लिए कांग्रेसजन क्या कर सकते हैं और उन्हें क्या करना चाहिये। खादीके उत्पादनमें कपास उपजाना, चुनना, लोढना, साफ करना, धुनना, पूनिया बनाना, कातना, माड लगाना, रगना, ताना-बाना तैयार करना, बुनना और धोना शामिल है। रगाईके सिवा ये सब आवश्यक प्रक्रियाएँ हैं। ये सब गावोंमें सफलतापूर्वक की जा सकती हैं और भारतके जिन गावोंमें चरखा-सघ काम कर रहा है वहा की जा रही है।

अगर कांग्रेसजन खादी-सबधी कांग्रेसकी पुकारके प्रति सच्चे हो, तौ वे चरखा-सघकी समय समय पर जारी की हुई उन हिदायतों पर अमल करेगे, जिनमें बताया जाता है कि खादी-योजनामें वे क्या भाग अदा कर सकते हैं। यहा तो थोडेसे व्यापक नियम ही दिये जा सकते हैं

१ जिस किसी परिवारके पास जमीनका टुकडा हो, वह कमसे कम घरके उपयोगके लिए कपास उगा सकता है। कपास उगानेकी प्रक्रिया आसान है। बिहारमें किसानोंको अपनी ३/२० खेतीके योग्य जमीनमें नील उगानेके लिए कानून मजबूर किया जाता था। यह विदेशी निलहोके हितमें होता था। तो फिर हम राष्ट्रके लिए स्वेच्छापूर्वक अपनी जमीनके एक निश्चित भागमें कपास क्यों नहीं उगा सकते? पाठक देखेगे कि विकेन्द्रीकरण खादीकी प्रक्रियाओके प्रारम्भसे ही शुरू होता है। आजकल कपासकी फसल केन्द्रित है और भारतके दूर दूरके भागोंमें भेजी जाती है। लडाईसे पहले वह मुख्यत ब्रिटेन और जापान भेजी जाती थी। वह पहले भी सपया पैदा करनेवाली फसल थी और अब भी है, इसलिए उसके भावोंमें उतार-चढाव होते रहते हैं। खादी-योजनाके अनुसार कपास उगानेमें इस अनिश्चितता और जुएकी गुजाइश नहीं रहती। उगानेवाला उतनी ही कपास उगाता है जितनीकी उसे जरूरत है। किसानको यह

जानना चाहिये कि उसका पहला काम अपनी ही आवश्यकताके लिए पैदा करना है। जब वह ऐसा करेगा तो बाजारकी मदीसे उसके बरबाद होनेकी सभावना कम हो जायगी।

२ प्रत्येक कातनेवाला लोढनेके लिए काफी कपास खरीद लेगा, अगर उसके पास अपनी कपास नहीं है। लोढनेका काम वह चरखीके बिना भी आसानीसे कर सकता है। वह अपने हिस्सेकी कपास सलाई और पटरीसे लोढ सकता है। जहा यह अब्यावहारिक समझा जाय, वहा हाथकी ओटी हुई कपास खरीद कर धुन लेना चाहिये। अपने लिए धुनाई एक छोटीसी पीजनसे बहुत परिश्रम किये बिना ही अच्छी तरह की जा सकती है। श्रम जितना विकेन्द्रित होगा, औजार उतने ही सस्ते और सादे होंगे। पूनिया बनते ही कताईकी प्रक्रिया शुरू हो जाती है।

जरा कल्पना तो कीजिये कि सारा राष्ट्र कताई तककी प्रक्रियाओमें एक साथ भाग ले, तो एकता और शिक्षाकी दृष्टिसे उसका कितना असर होगा। साथ साथ श्रम करनेसे गरीब-अमीरको बराबर करनेवाला जो परिणाम होगा उस पर विचार कीजिये।

अगर कांग्रेसजन दिलसे इस काममे जुट जाय, तो वे औजारोमें सुधार कर लेंगे और अनेक आविष्कार करेंगे। हमारे देशमें श्रम और बुद्धिमें सबध-विच्छेद रहा है। नतीजा यह हुआ कि हम जहाके तहा रह गये। अगर दोनोमें अविच्छेद्य सबध हो और वह भी यहा सुझाये गये तरीके पर हो, तो उसके परिणामस्वरूप होनेवाली भलाईका हिसाब नहीं लगाया जा सकता।

यज्ञके रूपमें राष्ट्रव्यापी कताईकी इस योजनामें मैं यह आशा नहीं रखता कि औसत स्त्री या पुरुष इस कामके लिए एक घटा रोजसे ज्यादा वक्त देंगे।

रचनात्मक कार्यक्रम, १९४५; पृ० ११-१४

चरखेका संदेश

चरखेका सन्देश उसकी परिधिसे कही ज्यादा व्यापक है। वह सादगी, मानव-सेवा व अहिंसामय जीवनका तथा गरीब और अमीर,

पूजी और श्रम, राजा और किसानके बीच अविच्छेद्य सबध स्थापित करनेका सन्देश देता है।

यग इडिया, १७-९-'२५

‘सर्वोदय’ शब्दके जो फलितार्थ निकलते हैं, उनकी मैं हिमायत करता हूँ। हमें छोटेसे छोटे मनुष्यके साथ वैसा ही बरताव करना चाहिये, जैसा हम चाहते हैं कि दुनिया हमारे साथ करे। सबको समान अवसर मिलना चाहिये। अवसर मिलने पर सभी मनुष्य आध्यात्मिक विकास कर सकते हैं। चरखा इसी बातका प्रतीक है।

हरिजन, १७-११-'४६

यज्ञके रूपमें कताई

‘मुझे खानेके लिए काम करनेकी जरूरत ही नहीं है, तो फिर मैं क्यों कातू?’ यह सवाल पूछा जा सकता है। चूकि जो चीज मेरी नहीं है उसे मैं खा रहा हूँ, इसलिए मुझे कातना चाहिये। मैं अपने देशवासियोंकी लूट पर गुजर कर रहा हूँ। पता लगाइये कि आपकी जेबमें एक एक पाई जो आती है, वह कैसे और कहासे आती है। तब मैं जो लिख रहा हूँ उसकी सचाई आपकी समझमें अच्छी तरह आ जायगी।

मुझे नगोको जिन कपडोंकी उन्हें जरूरत नहीं वे कपडे देकर और जिस कामकी उन्हें अत्यंत आवश्यकता है वह काम न देकर उनका अपमान नहीं करना चाहिये। मैं उन पर कृपा करनेका पाप नहीं करूंगा। परंतु यह जान लेने पर कि उन्हें दरिद्र बनानेमें मैंने भी मदद की है, मैं न तो उन्हें टुकड़े डालूंगा और न उतरे हुए कपडे दूंगा, बल्कि अपना अच्छेसे अच्छा भोजन-वस्त्र उन्हें दूंगा और उनके साथ काममें शरीक होऊंगा।

ईश्वरने इन्सानको अपने भोजनके लिए काम करनेको बनाया है और कहा है कि जो लोग काम किये बिना खाते हैं वे चोर हैं।

यग इडिया, १३-१०-'२१

सेवाकी जडमें जब तक प्रेम या अहिंसा न हो तब तक सेवा नहीं हो सकती। सच्चा प्रेम महासागरकी भांति असीम होता है और हमारे

भीतर ही भीतर उठता और उमड़ता हुआ बाहर फैल जाता है तथा सारी सीमाओं और सरहदोंको पार करता हुआ पूरी दुनियाको व्याप्त कर लेता है। साथ ही यह सेवा शरीर-श्रमके बिना भी असंभव है, जिसे गीताने दूसरे शब्दोंमें यज्ञ कहा है। जब कोई स्त्री या पुरुष सेवाके खातिर शरीर-श्रम करता है, तभी उसे जीनेका हक मिलता है।

यग इडिया, २०-९-'२८

मेरे विचारसे यज्ञके रूपमें कताई ही सबसे उपयुक्त और अपनाये लायक शरीर-श्रम हो सकता है। मैं इससे अधिक पवित्र या राष्ट्रीय अन्य किसी वस्तुकी कल्पना नहीं कर सकता कि हम सब घटेभर रोज वही परिश्रम करें जो गरीबोंको करना पड़ता है और इस प्रकार हम उनके साथ और उनके द्वारा सारी मानव-जातिके साथ एक हो जाय। मैं इससे अच्छी ईश्वर-पूजाकी कल्पना नहीं कर सकता कि उसके नाम पर गरीबोंके लिए मैं भी उसी तरह श्रम करूँ जैसे वे करते हैं। चरखेमें दुनियाकी दौलतका अधिक न्यायपूर्ण बटवारा निहित है।

यग इडिया, २०-१०-'२१

मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि गरीबोंके लिए छोटासा यज्ञ करके उन्हें कुछ तो बदला दीजिये। कारण, गीता कहती है कि जो यज्ञ किये बिना खाता है वह चोरी करता है। हमारे युगका और हमारे लिए यह यज्ञ चरखा ही है। मैं नित्य इसकी चर्चा करता हूँ और इसके विषयमें लिखता रहता हूँ।

यग इडिया, २०-१-'२७

ग्रामीण अर्थ-व्यवस्थामें कताईका स्थान

जब हम एक (खादीके) उद्योगका पुनरुद्धार कर लेंगे, तो और सब उद्योगोंका उद्धार अपने-आप ही जायगा। मैं चरखेको आधार बनाकर सम्यक् ग्राम-जीवनकी रचना करना चाहूँगा, मैं चरखेको केन्द्र बना कर ऐसी व्यवस्था करूँगा कि उसके चारों ओर दूसरे उद्योग पनपते रहें।

यग इडिया, २१-५-'२५

चरखा प्रत्येक घरके लिए एक उपयोगी और अनिवार्य वस्तु है। वह राष्ट्रकी खुशहाली और इसलिए आजादीका निशान है। वह व्यावसायिक युद्धका नहीं, परन्तु व्यावसायिक शान्तिका प्रतीक है। उसमें ससारके राष्ट्रोंके प्रति दुर्भावका नहीं, बल्कि सद्भाव और स्वावलम्बनका सदेश है। उसे ससारकी शान्तिके लिए खतरा पैदा करनेवाली और उसके साधनोंका शोषण करनेवाली जलसेनाकी जरूरत नहीं है, परन्तु करोड़ों लोगोंके इस धार्मिक सकल्पकी आवश्यकता है कि जैसे वे आजकल अपने-अपने घरोंमें अपना खाना पका लेते हैं, वैसे ही अपने-अपने घरोंमें अपना सूत भी कात लें।

यग इंडिया, ८-१२-२१

हाथ-कताईका यह उद्देश्य नहीं है कि वह किसी मौजूदा ढाँके उद्योगका स्थान लेनेके लिए उससे स्पर्धा करे, और न वह ऐसी स्पर्धा करती ही है। उसका यह लक्ष्य नहीं कि एक भी सशक्त आदमीको, जो कोई दूसरा काम करके अच्छी रोजी कमा सकता है, उसकी जगहसे हटाया जाय। उसकी तरफसे तो केवल एक ही दावा किया जाता है कि भारतके सामने जो सबसे बड़ी समस्या है, उसका कोई तुरत काममें आने लायक और स्थायी हल सिर्फ वही पेश करती है। वह समस्या यह है कि भारतकी आबादीका बहुत बड़ा भाग वर्षमें लगभग छह महीने मजबूरन् बेकार रहता है, क्योंकि खेतीके उद्योगके साथ उसके पास कोई सहायक घघा नहीं है और इससे जनसाधारणमें भुखमरीका रोग पुराना हो गया है।

यग इंडिया, २१-१०-२६

भूखो मरनेवाले इन्सानको सबसे पहले पेटकी सूझती है। वह रोटीके टुकड़ेके लिए अपनी आजादी और सब-कुछ बेच देगा। भारतके करोड़ों लोगोंका यही हाल है। उनके लिए स्वतंत्रता, ईश्वर और ऐसे तमाम शब्द निरे अक्षर हैं, जो किसी भी अर्थके बिना यो ही जोड़कर रख दिये गये हैं। ये उन्हें खटकते हैं। अगर हमें उन लोगोंमें स्वतंत्रताकी भावना पैदा करनी है, तो हमें उन्हें ऐसा काम जुटाकर देना होगा, जिसे

वे अपने वीरान घरोंमें आसानीसे कर सके और जिससे कमसे कम उनका गुजर तो हो जाय। यह काम चरखे द्वारा ही किया जा सकता है। और जब वे स्वावलंबी बन जायेंगे और अपना गुजर स्वयं करने योग्य हो जायेंगे, तब हम उनसे आजादी और कांग्रेस वगैराकी चर्चा करनेकी स्थितिमें होंगे। इसलिए जो लोग उन्हें काम और रोटीका टुकड़ा मिलनेके साधन दिलायेंगे, वे उनके उद्धारक होंगे और वे ही उनमें आजादीकी भूख जगानेवाले लोग होंगे। इसलिए चरखेका बड़ा राजनीतिक महत्त्व है।

यग इंडिया, १८-३-२६

इसके लिए कार्यकर्ताओंको जनसाधारणके साथ अत्यंत गहरा संपर्क रखकर एक हो जानेकी जरूरत होगी। अगर यह काम सफल हो गया, तो इसका फल यह होगा कि विदेशी कपड़ा बिलकुल नहीं रहेगा और भारतकी वर्तमान शासन-व्यवस्था पर विदेशी पूंजीका जो जहरीला असर है, वह बिलकुल नष्ट न हुआ तो भी कम जरूर हो जायगा। यह उसका बहुत महत्त्वपूर्ण राजनीतिक परिणाम होगा।

यग इंडिया, ५-५-२७

खादीका आदर्श सदा ही ग्रामोंके पुनरुद्धारका सबसे बढ़िया साधन रहा है। इसके जरिये गरीबोंमें सच्ची शक्ति पैदा होगी, जिससे स्वराज्य अपने-आप आ जायगा।

(‘स्वराज थ्रू चरखा’—कनु गांधी द्वारा सकलित, १९४५, पृ० ८)

मुझे अपना अनुभव बताता है कि खादीको शहरो और गावों दोनोंमें सर्वव्यापी बनानेके लिए यह जरूरी है कि वह सूतके बदलेमें ही मिले। मुझे आशा है कि जैसे जैसे समय बीतेगा लोग स्वयं यह आग्रह करेंगे कि सूतके सिक्केके द्वारा खादी खरीदे। लेकिन ऐसा न हुआ और लोगोंने सूत अनिच्छासे पैदा किया, तो मुझे डर है कि अहिंसाके द्वारा स्वराज्य असंभव हो जायगा।

यह निश्चित है कि मिलो और शहरोकी सख्या बढ़नेसे हिन्दुस्तानके करोड़ों लोगोंकी खुशहालीमें मदद नहीं मिलेगी। उलटे, उससे बेकारोंकी

गरीबी और बढ़ जायगी और भूखसे पैदा होनेवाले तमाम रोग फैल जायेंगे। अगर इस दृश्यको शहरोंमें रहनेवाले लोग शान्तचित्त होकर देख सकें, तो कहनेको कुछ नहीं रह जाता। वैसी सूरतमें भारतमें सत्य और अहिंसाका राज्य न होकर हिंसाका बोलबाला हो जायगा। और हमें मान लेना पड़ेगा कि कुदरती तौर पर खादीके लिए यहाँ कोई स्थान नहीं है। फिर तो सबके लिए फौजी तालीम लाजिमी हो जायगी। परन्तु हमें करोड़ों भूखोंकी दृष्टिसे सोचना चाहिये। अगर उन्हें फिरसे जीवन-दान देना है, उन्हें जिन्दा रखना है, तो चरखेको मुख्य प्रवृत्ति बनाना पड़ेगा और लोगोंको स्वेच्छासे कातना होगा।

स्वराज श्रू चरखा, १९४५, पृ० ५

५

शिक्षा और संस्कृति

शिक्षा

अहिंसक प्रतिरोध सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा है। वह बच्चोंको मिलनेवाली साधारण अक्षर-ज्ञानकी शिक्षाके बाद नहीं, पहले होनी चाहिये। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि बच्चोंको, वह वर्णमाला लिखें और सांसारिक ज्ञान प्राप्त करें उसके पहले, यह जानना चाहिये कि आत्मा क्या है, सत्य क्या है, प्रेम क्या है और आत्मामें क्या क्या शक्तियाँ छुपी हुई हैं। शिक्षाका जरूरी अंग यह होना चाहिये कि बालक जीवन-संग्राममें प्रेमसे घृणाको, सत्यसे असत्यको और कष्ट-सहनसे हिंसाको आसानीके साथ जीतना सीखे। इस सत्यका बल अनुभव करनेके कारण ही मैंने सत्याग्रह-संग्रामके उत्तरार्धमें पहले टॉल्स्टॉय फार्ममें और बादमें फिनक्स आश्रममें बच्चोंको इसी ढंगकी तालीम देनेकी भरसक कोशिश की थी।

स्पीचेज़ एण्ड राइटिंग्स ऑफ महात्मा गांधी, चौथा संस्करण;
पृ० १८९

मेरी रायमें बुद्धिकी सच्ची शिक्षा शरीरकी स्थूल इन्द्रियो अर्थात् हाथ, पैर, आख, कान, नाक वगैराके ठीक ठीक उपयोग और तालीमके द्वारा ही हो सकती है। दूसरे शब्दोंमें, बच्चे द्वारा इन्द्रियोका बुद्धिपूर्वक उपयोग उसकी बुद्धिके विकासका उत्तम और जल्दसे जल्द तरीका है। परन्तु शरीर और मस्तिष्कके विकासके साथ आत्माकी जागृति भी उतनी ही नहीं होगी, तो केवल बुद्धिका विकास घटिया और एकागी वस्तु ही साबित होगा। आध्यात्मिक शिक्षासे मेरा मतलब हृदयकी शिक्षा है। इसलिए मस्तिष्कका ठीक ठीक और सर्वांगीण विकास तभी हो सकता है, जब साथ साथ बच्चेकी शारीरिक और आध्यात्मिक शक्तियोंकी भी शिक्षा होती रहे। ये सब बातें अविभाज्य हैं। इसलिए इस सिद्धान्तके अनुसार यह मान लेना धीरे कुतर्क होगा कि उनका विकास अलग अलग या एक-दूसरेसे स्वतंत्र रूपमें किया जा सकता है।

हरिजन, ८-५-'३७

शिक्षासे मेरा अभिप्राय यह है कि बच्चे और मनुष्यके शरीर, बुद्धि और आत्माके सभी उत्तम गुणोंको प्रगट किया जाय। पढना-लिखना शिक्षाका अन्त तो है ही नहीं, वह आदि भी नहीं है। वह पुरुष और स्त्रीको शिक्षा देनेके साधनोंमें से केवल एक साधन है। साक्षरता स्वयं कोई शिक्षा नहीं है। इसलिए मैं तो बच्चेकी शिक्षाका प्रारंभ इस तरह करूंगा कि उसे कोई उपयोगी दस्तकारी सिखाई जाय और जिस क्षणसे वह अपनी तालीम शुरू करे उसी क्षणसे उसे उत्पादनका काम करने योग्य बना दिया जाय।

मेरे मतानुसार इस प्रकारकी शिक्षा-पद्धतिमें मस्तिष्क और आत्माका उच्चतम विकास संभव है। इतनी ही बात है कि आजकलकी तरह प्रत्येक दस्तकारी केवल यांत्रिक ढंगसे न सिखाकर वैज्ञानिक ढंगसे सिखानी पड़ेगी। अर्थात् बच्चेको प्रत्येक प्रक्रियाका कारण जानना चाहिये।

हरिजन, ३१-७-'३७

मैं चाहता हू कि सारी शिक्षा किसी दस्तकारी या उद्योगके द्वारा दी जाय।

आपको यह ध्यानमें रखना चाहिये कि इस प्रारंभिक शिक्षामें सफाई, तन्दुरुस्ती, भोजनशास्त्र, अपना काम आप करने और घर पर माता-पिताको मदद देने वगैरके मूल सिद्धान्त शामिल होंगे। मौजूदा पीढ़ीके लड़कोंको स्वच्छता और स्वावलंबनका कोई ज्ञान नहीं होता और वे शरीरसे कमजोर होते हैं। इसलिए मैं सगीतमय कवायदके जरिये उनको अनिवार्य शारीरिक तालीम दिलवाऊंगा।

हरिजन, ३०-१०-'३७

इस प्रकार कताई और धुनाई जैसे ग्रामोद्योगों द्वारा प्राथमिक शिक्षा देनेकी मेरी योजनामें कल्पना यह है कि यह एक ऐसी शान्त सामाजिक क्रान्तिकी अप्रदूत बने, जिसमें अत्यंत दूरगामी परिणाम भरे हुए हैं। इससे नगर और ग्रामके सबधोका एक स्वास्थ्यप्रद और नैतिक आधार प्राप्त होगा और समाजकी मौजूदा अरक्षित अवस्था और वर्गोंके परस्पर विषाक्त सबधोकी कुछ बड़ीसे बड़ी बुराइयोंको दूर करनेमें बहुत सहायता मिलेगी। इससे हमारे देहातोका दिन-दिन बढ़नेवाला ह्रास रूक जायगा और एक ऐसी अधिक न्यायपूर्ण व्यवस्थाकी बुनियाद पड़ेगी, जिसमें गरीब-अमीरका अप्राकृतिक भेद न हो और हरएकके लिए गुजरके लायक कमाई और स्वतंत्रताके अधिकारका आश्वासन हो। और यह सब किसी भयकर और रक्तरजित वर्गयुद्ध अथवा बहुत भारी पूंजीके व्ययके बिना ही हो जायगा। भारत जैसे विशाल देशका यंत्रीकरण किया गया, तो इन दोनों बातोंमें से एक तो जरूर होगी। मेरी योजनामें विदेशोंसे मंगाई हुई मशीनरी या वैज्ञानिक और यांत्रिक दक्षता पर भी लाचार होकर निर्भर करनेकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आखिरी बात यह है कि बड़े बड़े विशेषज्ञोंकी बुद्धिकी जरूरत न होनेके कारण एक तरहसे जनसाधारणके भाग्यका निपटारा स्वयं उन्हींके हाथमें रहेगा।

हरिजन, ९-१०-'३७

शिक्षाका ध्येय

प्र० — जब भारतको स्वराज्य मिल जायगा तब शिक्षाका आपका क्या ध्येय होगा ?

उ० — चरित्र-निर्माण । मैं साहस, बल, सदाचार और बड़े लक्ष्यके लिए काम करनेमें आत्मोत्सर्गकी शक्तिका विकास करानेकी कोशिश करूंगा । यह साक्षरतासे ज्यादा महत्त्वपूर्ण है, किताबी ज्ञान तो उस बड़े उद्देश्यका एक साधनमात्र है ।

प्र० — क्या शिक्षाके जरिये आप किसी खास तरहका सामाजिक सगठन पैदा करनेका प्रयत्न करेंगे ?

उ० — मेरा खयाल है कि अगर व्यक्तिका चरित्र-निर्माण करनेमें हम सफल हो जायेंगे, तो समाज अपना काम आप सभाल लेगा । इस प्रकार जिन व्यक्तियोंका विकास हो जायगा, उनके हाथोंमें समाजके सगठनका काम मैं खुशीसे सौंप दूंगा ।

('रीमेकर्स ऑफ मेनकाइण्ड', लेखक — काल्टन वाशबर्न, १९३२, पृ० १०४-०५)

दूसरी सस्कृतियोंका ज्ञान

मैं चाहता हू कि उस भाषा (अंग्रेजी) में और इसी तरह ससारकी अन्य भाषाओंमें जो ज्ञान-भंडार भरा पडा है, उसे राष्ट्र अपनी ही देशी भाषाओंके द्वारा प्राप्त करे । मुझे रवीन्द्रनाथकी अपूर्व रचनाओंकी खूबिया जाननेके लिए बगला सीखनेकी जरूरत नहीं । वे मुझे अच्छे अनुवादोंसे मिल जाती हैं । गुजराती लडको और लडकियोंको टॉल्स्टॉयकी छोटी-छोटी कहानियोंसे लाभ उठानेके लिए रूसी भाषा सीखनेकी आवश्यकता नहीं । वे तो उन्हें अच्छे अनुवादोंके जरिये सीख लेते हैं । अंग्रेजीको यह गर्व है कि ससारमें जो उत्तम साहित्य उत्पन्न होता है, वह प्रकाशित होनेके एक सप्ताहके भीतर सीधी-सादी अंग्रेजीमें उस राष्ट्रके हाथोंमें आ जाता है । शेक्सपीयर और मिल्टनने जो कुछ सोचा या लिखा है, उसके उत्तम भागको प्राप्त करनेके लिए मुझे अंग्रेजी सीखनेकी जरूरत क्यों हो ?

यह अच्छी मितव्ययिता होगी यदि हम विद्यार्थियोंका एक अलग वर्ग ऐसा रख दे, जिसका काम यह हो कि ससारकी भिन्न-भिन्न भाषाओंमें से सीखनेकी उत्तम बातें वह जान ले और उनके अनुवाद देशी भाषाओंमें करके देता रहे ।

हरिजन, ९-७-३८

सांस्कृतिक विकास

यह बात मेरे विचारमे भी नहीं आ सकती कि हम कूपमडूक बन जाय या अपने चारो ओर दीवारे खडी कर ले। मगर मेरा नम्रतापूर्वक यह कथन जरूर है कि दूसरी सस्कृतियोंकी समझ और कद्र स्वय अपनी सस्कृतिकी कद्र होने और उसे हजम कर लेनेके बाद होनी चाहिये, पहले हरगिज नहीं। मेरा दृढ मत है कि कोई सस्कृति इतने रत्न-भण्डारसे भरी हुई नहीं है जितनी हमारी अपनी सस्कृति है। हमने उसे जाना नहीं है। हमें तो उसके अध्ययनको तुच्छ मानना और उसका मूल्य कम करना सिखाया गया है। हमने उसके अनुसार जीवन बिताना छोड दिया है। उसका ज्ञान भी हो, मगर उस पर अमल न किया जाय, तो वह मसालेमे रखी हुई लाश जैसी है, जो शायद दीखनेमे सुन्दर हो, परन्तु उससे कोई प्रेरणा या पवित्रता प्राप्त नहीं होती। मेरा धर्म जहा यह आग्रह रखता है कि स्वय अपनी सस्कृतिको हृदयाकित करके उसके अनुसार आचरण किया जाय—क्योकि वैसा न किया जाय तो उसका परिणाम सामाजिक आत्महत्या होगा—वहा वह दूसरी सस्कृतियोंको तुच्छ समझने या उनकी उपेक्षा करनेका निषेध भी करता है।

यग इडिया, १-९-'२१

भारतकी भावी सस्कृति

कोई सस्कृति जिन्दा नहीं रह सकती, अगर वह दूसरोका बहिष्कार करनेकी कोशिश करती है। इस समय भारतमे शुद्ध आर्य सस्कृति जैसी कोई चीज मौजूद नहीं है। आर्य लोग भारतके ही रहनेवाले थे या जबरन् यहा आ घुसे थे, इसमे मुझे बहुत दिलचस्पी नहीं है। मुझे जिस बातमे दिलचस्पी है वह यह है कि मेरे पूर्वज एक-दूसरेके साथ बडी आजादीके साथ मिल गये और मौजूदा पीढीवाले हम लोग उस मिलावटकी ही उपज है।

हरिजन, ९-५-'३६

मैं नहीं चाहता कि मेरे घरके चारो ओर दीवारे खडी कर दी जाय और मेरी खिडकिया बन्द कर दी जाय। मैं चाहता हू कि सब

देशोकी सस्कृतियोंकी हवा मेरे घरके चारो ओर अधिकसे अधिक स्वतंत्रताके साथ बहती रहे। मगर मैं उनमे से किसीके झोकेमे उड नहीं जाऊंगा। मैं चाहूंगा कि साहित्यमे रुचि रखनेवाले हमारे युवा स्त्री-पुरुष जितना चाहे अंग्रेजी और ससारकी दूसरी भाषाएँ सीखे और फिर उनसे यह आशा रखूंगा कि वे अपनी विद्वत्ताका लाभ भारत और ससारको उसी तरह दे जैसे बौस, राय या स्वयं कविवर दे रहे हैं। लेकिन मैं यह नहीं चाहूंगा कि एक भी भारतवासी अपनी मातृभाषाको भूल जाय, उसकी उपेक्षा करे, उस पर शर्मिन्दा हो या यह अनुभव करे कि वह अपनी खुदकी देशी भाषामे विचार नहीं कर सकता या अपने उत्तम विचार प्रकट नहीं कर सकता। मेरा धर्म कैदखानेका धर्म नहीं है।

यग इडिया, १-६-'२१

वह उन भिन्न-भिन्न सस्कृतियोंके सामजस्यकी प्रतीक है, जिनके हिन्दुस्तानमे पैर जम गये हैं, जिनका भारतीय जीवन पर प्रभाव पड चुका है और जो स्वयं भी भारतीय जीवनसे प्रभावित हुई हैं। यह सामजस्य कुदरती तौर पर स्वदेशी ढगका होगा, जिसमे प्रत्येक सस्कृतिके लिए अपना उचित स्थान सुरक्षित होगा। वह अमरीकी ढगका सामजस्य नहीं होगा, जिसमे एक प्रमुख सस्कृति बाकीकी सस्कृतियोंको हजम कर लेती है और जिसका लक्ष्य मेलकी तरफ नहीं है, बल्कि कृत्रिम और जबर-दस्तीकी एकताकी ओर है।

यग इडिया, १७-११-'२०

आरोग्य और आरोग्यशास्त्र

रोगोका इलाज

जो चीज हमें सब तक पहुचानी है, सादगी उसकी खास निशानी होनी चाहिये। जिस चीजमें करोडो लोगोके लाभका हेतु हो, उसमें बहुत पांडित्यकी आवश्यकता नहीं होती। पांडित्य तो चन्द लोग ही प्राप्त कर सकते हैं और इसलिए उसका लाभ अमीरोको ही मिल सकता है। परन्तु भारतवर्ष तो अपने सात लाख गावोंमें रहता है, जो अज्ञात, छोटे-छोटे और दूर-दूर बसे हुए हैं और जिनकी आबादी कही कही तो मुश्किलसे दो चार सौसे ज्यादा होती है और अकसर चालीस-पचास भी नहीं होती। यही असली हिन्दुस्तान है, यही मेरा भारत है, जिसके लिए मैं जी रहा हूँ। इन गरीब लोगोके पास आप बड़े बड़े डॉक्टरोको और दवा-दारूके सामानको नहीं पहुचा सकते। उनकी एकमात्र आशा तो सीधे-सादे प्राकृतिक इलाज और रामनाममें है।

हरिजन, ७-४-'४६

मेरी रायमें जहा व्यक्तिगत, पारिवारिक और सार्वजनिक सफाईके नियमोका पालन किया जाता है और भोजन तथा व्यायामके मामलेमें उचित सावधानी रखी जाती है, वहा बीमारी या रोगका कोई अवसर नहीं आना चाहिये। जहा सपूर्ण शुद्धता, भीतरी और बाहरी दोनों तरहकी शुद्धता होती है, वहा बीमारी असभव हो जाती है।

हरिजन, २६-५-'४६

और यदि बीमारीको दूर करनेके लिए प्रकृतिके तमाम नियमोका पालन करते हुए भी बीमारी आ जाती है, तो फिर उसकी रामबाण औषधि रामनाम है। परन्तु यह रामनाम-चिकित्सा पलभरमें सार्वत्रिक नहीं बन सकती। रोगीको विश्वास दिलानेके लिए चिकित्सकको रामनामकी शक्तिकी

जिन्दा मिसाल बनना पडता है। तब तक प्रकृतिके पचतत्त्वोसे जो कुछ मिल जाय उसे अवश्य स्वीकार और इस्तेमाल करना चाहिये। वे तत्त्व हैं पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि और वायु। मेरे खयालसे यह निसर्गोपचारकी सीमा है। इसलिए उरुलीकाचनमे मेरा प्रयोग इतना ही है कि देहातियोको स्वच्छ और स्वस्थ जीवन बिताना सिखा दिया जाय और पचतत्त्वोके ठीक उपयोग द्वारा बीमारोको अच्छा करनेकी कोशिश की जाय। जरूरी हो तो स्थानीय जडी-बूटिया भी काममे ली जा सकती है। अवश्य ही लाभदायक और सतुलित आहार प्राकृतिक चिकित्साका अनिवार्य अंग है।

हरिजन, ११-८-'४६

७

शराब और नशीले पदार्थोकी बुराई

इन अभागो मनुष्योको, जो इस व्यसनके गुलाम बन गये हैं, अपने-आपसे वचानेकी जरूरत है। उनमे से कुछ तो ऐसी मदद चाहते भी है। आप इस झूठे तर्कके धोखेमे न आइये कि भारतको जबरन् निर्ब्यसनी नही बनाना चाहिये और जो शराब पीना चाहते है उन्हे पीनेकी सुविधाए अवश्य मिलनी चाहिये। राज्य अपनी प्रजाके दुर्ब्यसनोके लिए इतजाम नही करता। हम वेद्यालयोका नियमन नही करते और उनके लिए परवाने नही देते। हम चोरोको अपनी चोरीकी कुटेव जारी रखनेके लिए सहूलियते मुहैया नही करते। मै शराबखोरीको चोरी और शायद व्यभिचार करनेसे भी अधिक निन्दनीय मानता हू। क्या वह अकसर इन दोनोकी जननी नही होती? मेरा अनुरोध है कि आप शराबकी आमदनीका अस्तित्व मिटा देने और शराबखानोको उठा देनेके काममे देशका साथ दे।

यग इडिया, ८-६-'२१

शराब और नशीले द्रव्य, जिन्हे उनका व्यसन है और जो उनका रोजगार करते है, दोनोको गिराते है। शराबी आदमी पत्नी माता और

बहनका भेद भूल जाता है और ऐसे गुनाह कर डालता है, जिन पर वह अपनी शान्त अवस्थामे लज्जा अनुभव करता है। जिसका मजदूरोसे कुछ भी सबध आया है, वह जानता है कि जब वे शराबके पैशाचिक प्रभावके अधीन होते हैं, तब उनकी क्या दशा होती है। दूसरे वर्गोंके व्यक्तियों पर भी उसका प्रभाव ऐसा ही होता है। मैंने एक जहाजके कप्तानको नशेकी हालतमे बेसुध होते देखा है। जहाजकी जिम्मेदारी उसकी इस हालतके कारण प्रधान अधिकारीको सौंप देनी पडी थी। बैरिस्टरोको शराब पीनेके बाद नालियोंमे लुढ़कते देखा गया है।

यग इंडिया, ४-२-'२६

शराब और नशीले द्रव्य — ये शैतानके दो हाथ हैं, जिनके प्रहारोसे वह अपने असहाय गुलामोको बेभान और विमूढ बना डालता है।

यग इंडिया, २२-४-'२६

मैं मानता हू कि भूखसे पीडित स्त्री-पुरुष जो छोटी-मोटी चोरिया करते हैं और जिनके कारण उन पर मुकदमे चलाये जाते हैं और सजाये दी जाती है, उनके बनिस्बत भारतमे मद्यपान ज्यादा बडा अपराध है। प्रेमकी शक्तकी पूरी उपलब्धि न होनेके कारण मैं दण्ड-विधानकी प्रथाको उसके सयत रूपमे — अनिच्छापूर्वक और लाचारीसे — स्वीकार करता हू। और जब तक मैं उसे स्वीकार करता हू तब तक मैं इस बातकी हिमायत करना अपना कर्तव्य मानता हू कि जो लोग इस विनाशक पेयका निर्माण करते हैं और जो बार-बार चेतावनी देने पर भी उसका व्यसन छोड़ते नहीं हैं, उन्हें बिना लबी चौडी कार्रवाई किये तडातड सजाये दी जाय। मैं अपने बच्चोको आगमे या गहरे पानीमे जानेसे जबरन् रोकनेमे कोई सकोच नहीं करता। शराबरूपी लाल पानीमे जा पडना घघकती भट्टी या बाढमे जा पडनेसे भी ज्यादा खतरनाक है। भट्टी या बाढ तो केवल शरीरका ही नाश करती है, लेकिन शराब शरीर और आत्मा दोनोका नाश कर डालती है।

यग इंडिया, ८-८-'२९

अगर मुझे घटेभरके लिए भारतका सर्वाधिकारी बना दिया जाय, तो मैं सबसे पहले तमाम शराबखाने मुआवजा दिये बिना बन्द करा दूंगा और कारखानोके मालिकोको मजबूर करूंगा कि वे अपने मजदूरोके लिए मानवोचित स्थितिया पैदा करे और जलपान तथा मनोरजन-घर खोले, जहा इन मजदूरोको निर्दोष पेय और उतने ही निर्दोष मनोरजन प्राप्त हो सके।

यग इडिया २५-६-'३१

खानगी कोशिशोकी जरूरत

मद्यपान-निषेधका काम मुख्यत हमीको करना होगा। सरकार इस मामलेमे अधिकसे अधिक यह कर सकती है कि ताडीके परवाने देना बन्द कर दे, परन्तु वह शराबीसे उसका दुर्न्यसन शायद ही छुडवा सकती है। कामका यह हिस्सा तो खानगी कोशिशोसे ही पूरा करना होगा।

यग इडिया, १३-९-'२८

अगर हमे अहिंसक प्रयत्नसे अपने लक्ष्य तक पहुचना है, तो जो लाखो स्त्री-पुरुष नशीली चीजोके अभिशापके शिकार बने हुए हैं, उनके भाग्यको हम भावी सरकारके भरोसे नहीं छोड सकते।

इस बुराईको मिटानेमे डॉक्टर लोग बहुत कारगर हाथ बटा सकते हैं। उन्हे मदिरा और अफीमके व्यसनियोको इस अभिशापसे मुक्त करनेके तरीके ढूढ निकालने होंगे।

इस सुधारको आगे बढ़ानेके काममे स्त्रियो और विद्यार्थियोके लिए विशेष अवसर है। प्रेमपूर्ण सेवाके अनेक कार्योंसे वे व्यसनियो पर ऐसा काबू पा सकते हैं, जिससे इस बुरी आदतको छोड देनेकी उनकी पुकार सुननेको वे मजबूर हो जाय।

काग्रेस कमेटिया विश्राम-घर खोल सकती है, जहा थके हुए मजदूर आराम कर सकते हैं, उन्हे स्वास्थ्यप्रद और सस्ता जलपान तथा उपयुक्त खेल खेलनेको मिल सकते हैं। ये सब काम मनोहर और ऊचा उठानेवाले

है। स्वराज्यका अहिंसक तरीका नया ही तरीका है। इसमें पुराने मूल्योंका स्थान नये मूल्य ले लेते हैं। हिंसक मार्गमें ऐसे सुधारोंके लिए स्थान नहीं हो सकता। उस मार्गमें विश्वास रखनेवाले अधीरतामें और मैं तो यह भी कहूंगा कि अज्ञानमें इन चीजोंको कयामतके लिए मुलतवी कर देते हैं। वे भूल जाते हैं कि स्थायी और लाभदायक मुक्ति भीतरसे अर्थात् आत्मशुद्धिसे होती है। रचनात्मक कार्यकर्ता कानून द्वारा मदिरा-निषेधका मार्ग तैयार नहीं करते, तो भी वे उसे आसान और सफल जरूर बनाते हैं।

रचनात्मक कार्यक्रम, १९४१, पृ० १०-११

जुआ

गुजरातके गावोंमें जुएसे जो सत्यानाश हो रहा है उसकी दुःखद कथाएँ सरदार और उनके स्वयंसेवकोंने मुझे सुनाई हैं। यह बीमारी आधीवाली रातके दावानलकी तरह फैल रही है। हरएकको मेहनत किये बिना धनवान बननेकी जल्दी मची हुई है। जुआरी यह तर्क करता है कि किसी न किसीने तो आजके बाजार-भावोंका ठीक अनुमान लगाया ही होगा, तब मैं स्वयं क्यों न लगाऊँ ? और फिर वह अपने विनाशकी ओर दौड़ता है। जहाँ किसी समय गुजरातके घरोंमें सुखका साम्राज्य था, वहाँ अब उनकी शान्ति नष्ट हो रही है।

इसमें शक नहीं कि नाम कुछ भी दीजिये, यह जुआ अनादि-कालसे चला आ रहा है, रूप और नाम भले ही बदले हों, चीज बिलकुल नहीं बदली है।

कानून तो इस जुएके विरुद्ध होना ही चाहिये। परन्तु यदि उसे लोकमतका समर्थन प्राप्त नहीं है तो उससे कुछ नहीं होगा। इसलिए कार्यकर्ताओंके लिए वैसे ही सचेष्ट होनेकी आवश्यकता है, जैसे वे प्लेगके दिनोंमें हुए थे या भूकंपके कष्ट-निवारणके समय रहे हैं। उन्हें तब तक चैन नहीं लेना चाहिये, जब तक इस बुराईका उन्मूलन न हो जाय। एक तरहसे यह प्लेग या भूचालसे भी बुरी है, क्योंकि यह आत्माका नाश करती है। आत्माहीन व्यक्ति पृथ्वी पर भारस्वरूप होता है। निःसन्देह

जुएके विरुद्ध लडाई इतनी सीधी-सादी चीज नहीं, जितनी प्लेग या भूकंपके कष्ट-निवारणकी लडाई है। इन लडाइयोमें पीड़ितोकी तरफसे थोडा या बहुत सहयोग मिलता है। जुएके मामलेमें तो उसके शिकार स्वयं कष्ट मोल लेते हैं और उनसे चिपटे रहना चाहते हैं। जुआरीसे उसकी बदी छुडाना वैसा ही है, जैसा शराबीसे शराबकी लत छुडाना। इसलिए जुएके विरुद्ध लडना बहुत कठिन काम है। परन्तु उसे करना ही होगा।

हरिजन, १५-६-'३५

घुडदौडके बारेमें मैं कुछ नहीं जानता। इसके साथ जो चीजे लगी हुई हैं उनके कारण मैंने इसे बहुत खतरनाक माना है। मुझे मालूम है कि अनेक लोग घुडदौडके मैदानमें बरबाद हो गये हैं।

यग इडिया, २७-४-'२१

जहा तक मैं जानता हूँ, घुडदौडका जुआ अन्य बहुतसी चीजोकी तरह पश्चिमसे आयी हुई वस्तु है, और मेरा बस चले तो घुडदौडके जुएको कानूनका जितना सरक्षण प्राप्त है उसे भी मैं वापस ले लूँ। मैंने यह दलील सुनी है कि घोडोकी अच्छी नस्ल पैदा करनेके लिए घुडदौड जरूरी है। इसमें सचाई हो सकती है। क्या जुएके बिना घुडदौड नहीं हो सकती? या जुएसे भी घोडोकी अच्छी नस्ल पैदा करनेमें सहायता मिलती है?

हरिजन, ४-९-'३७

८

स्त्रियां

स्त्रीको रिवाज और कानूनके अनुसार, जिनका निर्माण पुरुषने किया है और जिनके बनानेमें स्त्रीका कोई हाथ नहीं रहा, दबाकर रखा गया है। अहिंसाके आधारवाली जीवन-योजनामें स्त्रीको अपने भाग्य-निर्माणका उतना ही अधिकार है जितना पुरुषको है। परन्तु चूँकि अहिंसक समाजमें प्रत्येक अधिकार कर्तव्य-पालनसे उत्पन्न होता है, इसलिए यह निष्कर्ष निकलता है कि सामाजिक आचरणके नियम आपसके सहयोग और जलाहसे ही बनाये जाने चाहिये। वे बाहरसे हरगिज नहीं थोपे जा सकते। पुरुषोंने स्त्रियोंके प्रति अपने व्यवहारमें इस सच्चाईको पूरी तरह महसूस नहीं किया है। उन्होंने अपनेको स्त्रियोंके मित्र और साथी न मानकर उनके भ्रू और स्वामी समझा है। कांग्रेसजनोका यह विशेषाधिकार है कि वे भारतकी महिलाओको हाथ पकड़कर ऊँचा उठाये। स्त्रियोंकी किसी हद तक उन प्राचीन गुलामोकी-सी हालत है, जो यह नहीं जानते थे कि वे कभी आजाद हो सकते हैं या उन्हें आजाद होना है, और जब आजादी आ गई तब क्षण भरके लिए उन्हें लाचारी महसूस हुई। स्त्रियोंको सिखाया गया है कि वे अपनेको पुरुषोकी दासी समझे। यह कांग्रेसजनोका काम है कि वे स्त्रियोंको अपना पूरा दर्जा प्राप्त कराये और उन्हें पुरुषकी बराबरीका हिस्सा अदा करने योग्य बना दे।

अगर निश्चय कर लिया जाय तो यह क्रान्ति आसान है। कांग्रेसजन अपने ही धरोसे कार्यारम्भ कर दे। पत्नियोंको गुडिया और भोगकी वस्तु न समझकर उनके प्रति सेवाकार्यके सम्मान्य साथीका बरताव करना चाहिये। इसके लिए जिन स्त्रियोंको सांस्कृतिक शिक्षा प्राप्त नहीं हुई है, उन्हें अपने पतियोंसे यथासंभव यह शिक्षा मिलनी चाहिये। आवश्यक परिवर्तनोके साथ यही बात माताओ और पुत्रियोंके लिए भी लागू होती है।

यह बताना शायद ही जरूरी है कि मैंने भारतकी स्त्रियोंकी असहाय अवस्थाका इकतरफा चित्र खींचा है। मुझे यह बात अच्छी तरह मालूम

है कि देहातोमे आम तौर पर वे अपने मर्दोंकी बराबरीका दर्जा रखती है और कुछ मामलोमे उन पर शासन भी करती है। परन्तु निष्पक्ष बाहरी आदमियोंकी नजरमे कानून और रिवाजके अनुसार स्त्रियोंका दर्जा सर्वत्र काफी खराब है और उसमे मौलिक परिवर्तनकी जरूरत है।

रचनात्मक कार्यक्रम, १९४१, पृ० १७-१८

९

साम्प्रदायिक एकता

इस एकताकी आवश्यकताके बारेमे सब सहमत हैं। परन्तु सबको यह मालूम नहीं है कि एकताका अर्थ राजनीतिक एकता नहीं है, जो ऊपरसे थोपी जा सकती है। उसका अर्थ है न टूटनवाली हार्दिक एकता। ऐसी एकता पैदा करनेके लिए पहली जरूरी चीज हर कांग्रेसजनके लिए यह है कि उसका धर्म कुछ भी हो, उसको अपने खुदके व्यवहारमे हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, पारसी और यहुदी वगैराका अर्थात् प्रत्येक हिन्दू और अहिन्दूका प्रतिनिधि बन जाना चाहिये। उसे हिन्दुस्तानके करोड़ो निवासियोंमे से प्रत्येकके साथ एकता महसूस करनी चाहिये। ऐसा अनुभव करनेके लिए प्रत्येक कांग्रेसजन अपने धर्मके सिवा दूसरे धर्मवालोके साथ व्यक्तिगत मित्रता पैदा करेगा। उसके दिलमे दूसरे धर्मोंका वैसा ही आदर होना चाहिये, जैसा उसका अपने धर्मके लिए है।

रचनात्मक कार्यक्रम, १९४१, पृ० ८

अस्पृश्यता-निवारण

अस्पृश्यता न सिर्फ हिन्दू धर्मका अविभाज्य अंग नहीं है, बल्कि एक ऐसा अभिशाप है जिसके साथ युद्ध करना प्रत्येक हिन्दूका पवित्र कर्तव्य है। इसलिए ऐसे सब हिन्दुओंको, जो इसे पाप समझते हैं, इसके लिए प्रायश्चित्त करना चाहिये। इसके लिए उन्हें अछूतोंके साथ भाईचारा रखना चाहिये, प्रेम और सेवाकी भावनासे उनके साथ सबंध स्थापित करना चाहिये, ऐसे कार्योंसे अपनेको पवित्र हुआ मानना चाहिये, उनके कष्ट दूर करने चाहिये उन्हें युगोकी दासतासे उत्पन्न हुई जहालत और दूसरी वुराइयो पर विजय प्राप्त करनेमें धीरजपूर्वक मदद देनी चाहिये और दूसरे हिन्दुओंको वैसा ही करनेकी प्रेरणा देनी चाहिये।

मगल-प्रभात, १९४५, पृ० ३२

अब हिन्दू धर्मके इस कलक और अभिशापको मिटानेकी आवश्यकता पर विवेचन करना गैर-जरूरी है। कांग्रेसजनोंने इस मामलेमें बेशक बहुत-कुछ किया है। परन्तु मुझे यह कहते दुःख होता है कि बहुतेसे कांग्रेसजनोंने इसे केवल राजनीतिक आवश्यकता ही समझा है और जहा तक हिन्दुओंका सबंध है उन्होंने इसे हिन्दू धर्मके अस्तित्वके लिए कोई अनिवार्य चीज नहीं माना। अगर हिन्दू कांग्रेसजन इस कार्यको शुद्ध भावसे हाथमें ले लें, तो अब तक उन्होंने कथित सनातनियों पर जितना प्रभाव डाला है उससे कहीं व्यापक प्रभाव आइदा उनका पडेगा। उन्हें सनातनियोंके पास किसी युद्धवृत्तिसे नहीं जाना चाहिये, परन्तु अपनी अहिंसाको शोभा देनेवाले मित्रभावसे पहचाना चाहिये। और जहा तक हरिजनोका ताल्लुक है, हर हिन्दूको उनके कामको अपना ही काम समझ लेना चाहिये और उनके भयकर बहिष्कारमें उनके मित्र बन जाना चाहिये—ऐसा बहिष्कार जिसे दुनियाने भारतमें जिस राक्षसी रूपमें देखा है उस रूपमें कभी कहीं नहीं देखा। मुझे अनुभवसे

मालूम है कि यह काम कितना मुश्किल है। परन्तु यह तो स्वराज्य-भवनके निर्माण-कार्यका ही एक अंग है।

रचनात्मक कार्यक्रम, १९४१, पृ० ९-१०

११

आर्थिक समानता

यह आखिरी चीज अहिंसात्मक स्वाधीनताकी कुजी है। आर्थिक समानताके लिए काम करनेका अर्थ पूजा और श्रमके शाश्वत सघर्षको मिटा देना है। इसका अर्थ यह है कि एक तरफ जिन मुट्ठीभर धनवानोके हाथोमे राष्ट्रकी अधिकांश संपत्ति इकट्ठी हो गई है उनका स्तर घटाया जाय और दूसरी ओर करोडो भूखे-नगे लोगोका स्तर बढ़ाया जाय। जब तक धनवानो और करोडो भूखे लोगोके बीचकी चौड़ी खाई बनी हुई है, तब तक स्पष्ट है कि कोई अहिंसक शासन-प्रणाली कायम नहीं हो सकती।

मेरे सरक्षकताके सिद्धान्तकी खूब खिल्ली उड़ाई गई है, फिर भी मैं उस पर कायम हूँ। यह सच है कि उसे सिद्ध करना कठिन है। अहिंसाकी भी यही बात है।

यह अहिंसात्मक प्रयोग अभी चल ही रहा है। प्रत्यक्ष प्रमाणके रूपमे अभी तक हमारे पास दिखानेको कोई खास चीज नहीं है। परन्तु यह निश्चित है कि धीरे-धीरे ही सही, फिर भी यह तरीका समताकी दिशामे काम करने लगा है। और चूकि अहिंसा विचार-परिवर्तन करनेकी एक प्रक्रिया है, इसलिए अगर यह परिवर्तन हो गया तो वह स्थायी होगा।

वह (अहिंसात्मक स्वराज्य) किसी दिन अकस्मात् स्वर्गसे टपक नहीं पड़ेगा। परन्तु उसका निर्माण हम सबको सम्मिलित प्रयत्नसे एक एक ईंट रखकर करना पड़ेगा। हम इस दिशामे काफी आगे बढ़ चुके हैं। परन्तु अभी बहुत लंबा और थका देनेवाला फासला तय करना

बाकी है। तब कही हमे स्वराज्य (सर्वोदय) के गौरवमय और भव्य दर्शन होंगे।

रचनात्मक कार्यक्रम, १९४१, पृ० २१-२२

हमे विचार करना चाहिये कि अहिंसाके द्वारा समान वितरण कैसे सपादन किया जा सकता है। उसकी दिशामे पहला कदम यह है कि जिस व्यक्तिये इस आदर्शको अपने जीवनका अंग बना लिया है, वह अपनी निजी जिन्दगीमे उसके अनुसार जरूरी परिवर्तन करेगा। वह भारतकी दरिद्रताको ध्यानमे रखकर अपनी जरूरते कमसे कम कर लेगा। उसकी कमाईमे कही बेईमानी न होगी। वह सट्टेकी इच्छा छोड देगा। उसके रहनेका स्थान उसकी नवीन जीवन-प्रणालीके अनुरूप होगा। जीवनके हर क्षेत्रमे वह आत्म-सयम रखेगा। जब वह अपने खुदके जीवनमे जो कुछ सभव है वह सब कर लेगा, तभी इस आदर्शका क्षणमे साथियो और पडोसियोमे उपदेश करनेकी उसकी स्थिति होगी।

हरिजन, २५-८-'४०

अहिंसाका साधन

मै अहिंसाके द्वारा, धृणाके विरुद्ध प्रेमकी शक्तिका उपयोग करके लोगोको अपने विचारका बनाकर, आर्थिक समता सम्पादन करूंगा। मै तब तक ठहरा नही रहूंगा जब तक सारे समाजको बदल कर अपने खयालका न बना लू। मै तो सीधे अपने जीवनसे इसकी शुरुआत कर दूंगा। कहना न होगा कि अगर मै पचास मोटर गाडियो अथवा दस बीघा जमीनका भी मालिक हू, तो मै अपनी कल्पनाकी आर्थिक समानता सिद्ध करनेकी आशा नही रख सकता। इसके लिए मुझे गरीबसे गरीब आदमीके स्तर पर आ जाना पडेगा। पिछले पचास या उससे ज्यादा वर्षोंसे मै यही करनेका प्रयत्न कर रहा हू।

हरिजन, ३१-३-'४६

अशुद्ध साधनसे साध्य भी अशुद्ध हो जाता है। इसलिए राजाका सिर काट लेनेसे राव और रक बराबर नही हो जायेंगे। मालिक और

मजदूर भी सिर काटनेकी इस प्रक्रियासे बराबर नहीं हो जायेंगे। असत्यसे हम सत्यको प्राप्त नहीं कर सकते।

इसलिए केवल सत्यपरायण, अहिंसक और शुद्ध-हृदय समाजवादी ही भारत और ससारमे समाजवादी समाज कायम कर सकेंगे।

हरिजन, १३-७-'४७

उपसंहार : हम आगे बढ़ें

अभी तक हम पानी जैसे रोजमर्राके कामकी एक चीजके असख्य गुणोका भी पूरा पता नहीं लगा सके हैं। उसके कुछ गुणोसे हम आश्चर्य-चकित हो जाते हैं। इसलिए हमें अहिंसा जैसी अत्यंत सूक्ष्म प्रकारकी शक्तिको तुच्छ नहीं मानना चाहिये। हमें उसकी गुप्त शक्तिका धीरज और श्रद्धासे पता लगानेकी कोशिश करनी चाहिये। थोड़ेसे समयमें हमन इस शक्तिके उपयोगका एक बड़ा प्रयोग काफी सफलताके साथ कर लिया है। आप जानते हैं कि मैंने इसे बहुत महत्त्व नहीं दिया है। बल्कि मैंने तो इसे अहिंसाका प्रयोग कहनेमे भी सकोच किया है। परन्तु जैसे पुराणोकी कथाके अनुसार रामके नामसे पत्थर भी तैरते थे, वैसे ही अहिंसाके नामसे किये गये आन्दोलनसे देशमे बड़ी जाग्रति आई है और हमारी प्रगति हुई है। जब लोग अटल श्रद्धासे इस प्रयोगको आगे बढ़ायेंगे, तब कौन कह सकता है कि इसके क्या परिणाम होंगे ?

हरिजन, २८-७-'४०

सर्वोदय

दूसरा भाग

विनोबा भावे और अन्य लोग

आठवाँ विभाग : नई क्रान्ति

१

नई क्रान्ति

लोग क्रान्तिकारी कार्यक्रम चाहते हैं और समझते हैं कि क्रान्ति रक्तपातके बिना नहीं हो सकती। मैं आपको बता दू कि मुझे यह विचार स्वीकार नहीं है। जो यह समझते हैं कि खून बहाये बिना क्रान्ति नहीं हो सकती, वे सचमुच क्रान्तिकारी हैं ही नहीं। वे जैसे-थे-वादी हैं। उनके सामने ध्येय क्रान्तिका नहीं, परन्तु वर्तमान सुखी और दुखी लोगोंके स्थानोकी अदला-बदली करनेका है। क्या यह क्रान्ति है? इसमें इसके सिवा क्या परिवर्तन हुआ कि जो सुखी है वे दुखी हो गये और जो दुखी है वे सुखी बन गये? क्या उन्होंने दुखको सर्वथा मिटा दिया? इसीलिए मैं इसे जैसे-थे-वाद कहता हूँ। क्रान्तिका अर्थ यही है कि निरपवाद रूपमें सर्वत्र सुख ही सुख हो। सर्वोदय-वादी अर्थात् सद्के सुखके लिए कोशिश करनेवाला होनेके कारण मैं क्रान्तिकारी होनेका दावा करता हूँ। जो समाजको दो वर्गोंमें बाट देना चाहते हैं, वे अपनेको साम्यवादी या और कुछ-वादी कह सकते हैं, परन्तु मेरी नम्र सम्मतिमें वे सब सम्प्रदायवादी हैं। जहाँ पाश्चात्य मस्तिष्कको अधिकसे अधिक लोगोकी अधिकसे अधिक भलाईकी दृष्टिसे सोचनेकी तालीम दी जाती है, वहाँ भारतीय मानसको बचपनसे ही सबके भलेका, विश्वमैत्रीका, 'वसुधैव कुटुम्बकम्' का विचार करनेकी शिक्षा मिलती है। उसे सबसे प्रेम करनेकी तालीम दी जाती है, भले वह थोड़ेमें ही लोगोकी सेवा कर पाये। एक समय था जब मुट्ठीभर लोग बहुसंख्यक जनताकी मेहनतके बल पर सुख भोगते थे। आज बहुसंख्यक लोग अल्प-संख्यक लोगोको हानि पहुँचाकर सुखी होना चाहते हैं। परन्तु भारतमें इसके बिलकुल विपरीत हमें यह सिखाया जाता है कि हम दूसरोके साथ वैसा ही बरताव करें जैसा हम अपने साथ चाहते हैं। गीताकी भाषामें इसे

‘आत्मौपम्य’ कहा जाता है। मैं सारे समाजका कायापलट इसी आधार पर करना चाहता हूँ और इन्हीं कारणोंसे मेरा तरीका क्रान्तिकारी है। क्या मधुमक्खी फूलोंको कुछ भी नुकसान पहुँचाये बिना शहद इकट्ठा नहीं कर लेती है? मैं भी दूसरोंको बहुत कष्ट पहुँचाये बिना लक्ष्यसिद्धि चाहता हूँ। यह तभी हो सकता है जब हृदय-परिवर्तनके सिद्धान्तके प्रति हमारी श्रद्धा हो। इसलिए मैं कोई नई चीज नहीं कर रहा हूँ, परन्तु जो कुछ ऋषियोंने हमें सिखाया है उसी पर अमल कर रहा हूँ। मुझे जरा भी सन्देह नहीं कि अगर अहिंसात्मक क्रान्ति भारतमें नहीं हुई, तो वह और कहीं नहीं हो सकती।

हरिजन, १५-१२-’५१

बहुमतका शासन आजका नियम-सा बन गया है। इसकी कोई परवाह नहीं करता कि बहुमत विवेकशील और चरित्रवान है या नहीं। क्या बहुमतका राज्य केवल पशुबल नहीं है? आप सेनाके शासन या रुपयेके शासनमें और बहुमतके शासनमें कैसे भेद कर सकते हैं? वह पशुबल नहीं तो और क्या है?

हरिजन, १७-१-’५३

विनोबाने कहा, हम लोगोंको परमेश्वरसे प्रार्थना करनी चाहिये कि हे भगवान, मेरी इच्छा मुझ पर ही चले। उस इच्छाका बोझ दुनियामें और किसी पर लादा न जाय। मेरी इच्छा जिसे पसन्द आये वह उसके मुताबिक चले। वह उसकी मर्जीकी बात है, और उससे हमें सतोष होना चाहिये। लेकिन किसी भी कारणसे—भले वह कारण नैतिक ही क्यों न हो—हमारी इच्छा दूसरे किसीके सिर पर लादी न जाय, बिना समझे उसका अमल दुनियामें कहीं न हो। जब यह प्रार्थना हमको नहीं सूझती और हमको लगता है कि जल्दीसे जल्दी, चाहे लोग समझे या न समझे, फलानी चीज हो ही जानी चाहिये, तब समझ लेना चाहिये कि हमारे विचारमें हिंसा भरी है और साम्राज्यवाद भरा है। महायुद्धके बीज उसमें बोये हुए हैं, ऐसा समझना चाहिये।

जब कभी लोग जनताको शिक्षण देनेमें हार जाते हैं, तो वे कहते हैं कि शिक्षण देते-देते कितना समय लग जायगा? इससे बेहतर तो यह है कि एक व्यवस्था बनाओ और उसे लोगों पर कायम करो। इससे

लोग उसके अनुसार चलने लग जायेंगे, तो दूसरा शिक्षण देनेका काम हम आहिस्ता आहिस्ता कर लेंगे। तो शिक्षण देनेमें हम हार खाते हैं और उसके बदले शास्त्रास्त्र बनानेमें उत्साह रखते हैं।

व्यवस्थासे काम हो जाता है, ऐसा आभास तो होता है। लेकिन क्योंकि वह व्यवस्था लोगोंको शिक्षण देकर नहीं बनाई गई थी, इसलिए उस व्यवस्थासे लोगोंमें असंतोष पैदा होता है और लोग कहने लगते हैं कि नई व्यवस्था पैदा होनी चाहिये। यह नई व्यवस्थाकी मांग नित्य हुआ करती है। इसलिए थोड़े दिनोंमें जैसे व्यवस्था हो जाती है वैसे ही थोड़े दिनोंमें अव्यवस्थाका आरंभ हो जाता है और नई व्यवस्थाकी आवश्यकता मालूम होती है।

इसलिए बेहतर है कि ऐसे मोहमें हम न रहे और केवल व्यवस्था करके कोई चीज हमें हासिल होगी और हम घात हो जायेंगे और बादमें शिक्षण देते रहेंगे ऐसी आशा हम न करें। बल्कि शिक्षण देनेकी ही हिम्मत रखें। और जब तक लोगोंको शिक्षण मिलता है तब तक धीरज रखें। तो हमारा काम जल्दसे जल्द हो जायगा। चाहे दिखनेमें ऐसा लगे कि इसमें ५० साल लग गये, लेकिन वही कमसे कम समय होगा जो ऐसी समस्याओंको सुलझानेमें लग सकता है। मतलब इसका यह है कि किसी भी मनुष्यको कोई चीज बिना समझे-बूझे नहीं करनी है। और केवल हमारी मुरव्वतके कारण या हमारे आदरके लिए या हमारी आज्ञाके वश होकर या किसी दडके भयके कारण या ऐसे ही किसी दबावके कारण लोग अच्छी बात भी क्यों न करें, उससे हमें खुशी नहीं होनी चाहिये। अच्छी बात भी समझ-बूझकर ही की जाय। और जैसे गीताके अन्तमें भगवानने अर्जुनसे कह दिया कि 'यथेच्छसि तथा कुरु' — तू सोच ले और सारा सोचकर जैसा तुझे लगे वैसा आचरण कर, वैसा ही हमारा विश्वास होना चाहिये। किसी तरहके दबावमें हमारा जरा भी विश्वास नहीं होना चाहिये। तब हम वह राज्य ला सकेंगे, जो अहिंसाका राज्य होगा और जिसके आनेके बाद स्थायी शांतिकी आशा हम कर सकते हैं।

हरिजनसेवक, १४-७-'५१

विनोबा

नवां विभाग : आर्थिक समानता

१

आर्थिक समानता

भगी, माता, अध्यापक और इसी प्रकारके अनेक दूसरे लोगोकी सेवाओका मूल्य पैसेमे हो ही नहीं सकता। इसलिए नियम यह होना चाहिये जो मनुष्य समाजकी निष्ठापूर्वक सेवा करता है, वह अपनी रोजीका हकदार हो जाता है। इसी तरह अगर राष्ट्रपति, बुद्धिसे ही सही, देशकी उतने ही उत्साहसे सेवा करता है, तो उसे उसके गुजरके लायक मजदूरी मिलनी ही चाहिये। राष्ट्रपतिके वेतनका भी आधार वही होना चाहिये, जो किसान या मेहतरका है। मैंने समाजकी अध्यापक, न्यायाधीश, किसान, लेखक, सम्पादक वगैरा कई हैसियतसे सेवा की है। मगर मुझे यह कभी महसूस नहीं हुआ कि एक तरहका काम दूसरी तरहके कामसे कुछ ऊंचा है। मैंने उन सबसे एकसा मानसिक संतोष और आनन्द अनुभव किया है। लेकिन यह सच है कि मुझे सब कामोमे एकसे शरीर-श्रमका अनुभव नहीं हुआ। परन्तु इससे मानसिक संतोषकी मात्रामे कोई फर्क नहीं पडता। जब मुझे कोई मेरी जरूरतसे ज्यादा देता है तो मैं घबरा जाता हू। मैं उसे स्वीकार नहीं कर सकता। मुझे जितने दहीकी जरूरत है उससे अधिक क्यो लेना चाहिये? और मुझे यह समझमे नहीं आता कि कोई देता है, सिर्फ इसीलिए मैं उसे क्यो ले लू? सच्चा सिद्धान्त यह है सबको अपनी रोजकी रोटी मिल जानी चाहिये, कलके लिए भी नहीं मिलनी चाहिये। और प्रत्येक कामका आर्थिक, सामाजिक और आध्यात्मिक मूल्य समान होना चाहिये। साम्य-योग इसी तरह कायम किया जा सकता है।

मैं यह नहीं कहता कि खेतीके लायक कुल जमीनका सबको बराबर हिस्सा मिलना चाहिये। मुझे गणितकी समानता नहीं चाहिये,

मैं तो न्याय चाहता हूँ या हाथकी पाच उगलियो जैसी समानता चाहता हूँ। ये पाचो उगलिया आकारमे बराबर नहीं है, मगर वे सब पूरे सहयोगके साथ काम करती हैं और मिलकर असख्य कार्य सपादन करती हैं। साथ ही उनकी असमानता इतनी बेहिसाब भी नहीं है कि एक तो एक इंच लम्बी हो और दूसरी एक फुट लंबी हो। इससे शिक्षा यह मिलती है कि अगर पूरी समानता नहीं हो सकती, तो भयकर असमानता भी नहीं होनी चाहिये, परन्तु तुल्यता होनी चाहिये। पाचो उगलियोकी अलग अलग क्षमता है। इसी तरह प्रत्येक मनुष्यमे क्षमता अलग अलग होती है। हरएक आदमीकी इन जन्मजात शक्तियोका विकास होना चाहिये। इसे ही पचायत धर्म कहते हैं।

विनोबा

(उत्तर प्रदेशीय सर्वोदय सम्मेलनमे ता० १-११-'५१ को दिये गये भाषणसे)

हरिजन, २६-१-'५२

२

न्यायपूर्ण मजदूरी

पूजीवादी अर्थशास्त्रमे श्रमको क्रय-विक्रयकी वस्तु माना गया है। इसलिए मजदूरी इस मानवीय वस्तुकी कीमतके रूपमे सामने आती है। उसमे मानवताके मूलभूत विचारोसे कोई सम्बन्ध नहीं होता। एक उद्योगपति जिस भावनासे फौलादकी मशीने खरीदता है, उसी भावनासे मानव-श्रमको खरीदता है। इसलिए वह कुदरती तौर पर कीमतोको घटाकर सौदेसे अधिकसे अधिक लाभ उठान पर तुला रहता है। शोषणकी यही प्रणाली है और जब तक मानव-श्रम एक जड़ वस्तु समझा जायगा, तब तक वह प्रणाली बदली नहीं जा सकती।

जहा हम मनुष्यको मनुष्य समझकर चलना चाहते हैं, वहा विचारका आधार सामाजिक मूल्यों पर होना चाहिये। मानव-श्रमकी जो कीमत हम चुकाना चाहते हैं, उसका हिसाब इस आधार पर नहीं लगाना चाहिये कि कोई पदार्थ उत्पन्न किया जायगा तो बाजारमे उसके क्या दाम आयेगे। उसका आधार यह होना चाहिये कि उत्पादन-कतकि गुजरके लिए कितने द्रव्यकी जरूरत होगी। अगर ताडका रस निकालनेवाले मजदूरको और सब मनुष्योंकी तरह सतुलित आहारकी जरूरत हे और उसे हवा-पानी आदिसे बचानेवाले ऐसे घरकी भी आवश्यकता है, जिसमे वह सफाई और तदुरुस्तीकी परिस्थितियोमे रह सके और जिसमे इतनी सुख-सुविधाए हो कि वह अपने बच्चोका एक योग्य नागरिककी भाति लालन-पालन कर सके, तो उस आदमीके परिवारके लिए ऐसा ही जीवन-स्तर तय करना चाहिये। और यह स्तर उसके श्रमका न्यूनतम मूल्य होना चाहिये। मान लीजिये उसकी जरूरतें आजकलकी १५० रुपये मासिक आयके बराबर हैं, तो हमे यह हिसाब लगाना चाहिये कि ताड-उद्योगका कुशल और ईमानदार मजदूर अपने परिश्रमसे महीने भरमे बिक्रीके लायक कितने पदार्थ पैदा करेगा और उसकी आमदनीको उन पदार्थोंकी बाजारकी कीमत पर फैला देना चाहिये। यह भी कल्पना की जा सकती है कि ऐसा करके हम गुडका भाव बढाकर १।। रुपया सेर कर देगे। मगर हमारा उद्देश्य सामाजिक न्याय सिद्ध करना हो, तो हमे ऊचे भावोसे डरना नहीं चाहिये। सच बात यह है कि जब सरकार भाव नियत करेगी और पदार्थोंकी बिक्रीका काम हाथमे ले लेगी, तो बहुतेसे मध्यवर्ती लोग और बीचके कमीशन मिट जायगे। एक बार इस ढंगसे भाव मुकर्रर हो जाय तो सरकारको चाहिये कि पूजीपतियो और उद्योगपतियोकी तरफसे और बाहरसे आनेवाले मालके कारणसे होनेवाली विविध स्पर्धाको बन्द कर दे। वास्तवमे इसी तरह हम अपने यहाके उत्पादकोका जीवन-स्तर कभी ऊचा करनेकी आशा रख सकते हैं।

इसे अव्यावहारिक सुझाव समझकर खारिज कर देनेकी जरूरत नहीं। रूसी सामाजिक न्यायकी प्रेरणाके असरमे रहनेवाला लगभग

एक-तिहाई ससार इन्ही विचारोके अनुसार भाव-नियत्रण करके अपने जीवन-स्तरका नियमन कर रहा है।

जे० सी० कुमारप्पा

ग्रामोद्योग पत्रिका, जुलाई १९५३, पृ० ४१

३

विवेकपूर्ण समानता

समानताका यह मतलब नहीं कि हरएकके पास पाच एकड भूमि होनी चाहिये और एक ही तरहके मकान और उतने ही गज कपडा होना चाहिये। हम यही चाहते हैं कि हवा, पानी और जमीन जैसी चीजे, जो जीवनके लिए आवश्यक हैं, सबको समान रूपमे उपलब्ध होनी चाहिये। जब ये चीजे सबको पर्याप्त मात्रामे मिल जाती हैं, तो बाकी बची हुईको कोई ज्यादा ले लेगा तो भी दूसरोको ईर्ष्या नहीं होगी।

हम विवेकयुक्त समानता चाहते हैं। मा अपने बच्चोको गणितका हिसाब लगाकर बराबर खाना नहीं बाटती। सबसे छोटेको वह केवल दूध देती है, उससे बडेको थोडासा दूध और थोडीमी रोटी और बडे बच्चोको सिर्फ रोटी देती है। इसी प्रकार समाजमे भी भोजन-सामग्रीका वितरण करनेमे हम विवेकसे काम लेगे और हरएककी भूखकी तीव्रता और पाचन-शक्तिका खयाल रखेगे। जहा बलात् समता सिद्ध की जाती है, वहा तो सबको मजबूरन् एक ही साचेमे ढाला जाता है। हम इस प्रकार सबको एक ही साचेमे ढालना बिलकुल पसन्द नहीं करते। हम विवेकके आधार पर आध्यात्मिक समानताका लक्ष्य रखते हैं।

हरिजन, २०-१२-५२

विनोबा

समानता और दया

कुछ लोग झटसे कह देते हैं कि जिस दयाभावकी पुराने कवियों, धर्मों और प्राचीन गुरुओंने प्रशंसा की है, उसमें हमारी दिलचस्पी नहीं है। हम समानता चाहते हैं, दया नहीं; क्योंकि दयासे अहंकार उत्पन्न होता है। परन्तु मैं चेतावनी देता हूँ कि यदि आप दयाका निषेध करके समानता स्थापित करना चाहते हो, तो आप एक महान आध्यात्मिक बलसे वंचित रहेंगे और अनावश्यक वैरभाव उत्पन्न करेंगे। आपको समझ लेना चाहिये कि विरोध समानता और असमानतामें है, न कि समानता और दयामें। इसलिए समानताका प्रयत्न इस ढंगसे होना चाहिये कि उसके लिए उन सब लोगोंकी नैतिक और आध्यात्मिक शक्तिका लाभ मिल जाय, जिनमें दयाभावका विकास हुआ है। हमें दयाके विरोधमें खड़े होनेकी जरूरत नहीं है, परन्तु यह समझनेकी आवश्यकता है कि जिस दयाका हमने अब तक पालन किया है उसके द्वारा हमें यह पता लगा है कि सच्ची दया समानताकी स्थापनामें है। असमानताको व्यवस्थामें थोड़ीसी दयाका पालन करना अच्छा है, इससे आत्माको कुछ सान्त्वना मिलती है। परन्तु इतना काफी नहीं है; इसमें सच्ची दयामें कमी रह जाती है। सच्ची दयाका निर्माण तो समानताकी स्थापनासे ही हो सकता है। अगर यह हथकपटी अपनाया जाय, तो दयाके विकासके लिए किये गये हमारे पूर्वजोंके कठिन परिश्रमका लाभ हमें उत्तराधिकारमें मिल सकेगा और हम उसका उपयोग समानताका नया प्रयत्न निर्माण करनेमें कर सकेंगे। इसलिए हमें दयाके विकासकी पुरानी परम्पराको नष्ट करके समानताके विचारकी स्थापना इस तरह करनेकी भूल नहीं करनी चाहिये, मानो वह कोई नई और प्राचीन परम्पराके विरुद्ध चीज है।

वर्तमान युगके लोग वास्तविक जीवनमें समानता सिद्ध करनेके लिए एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसा करनेमें हमें अपने पूर्वजोंके

महान सम्मिलित प्रयत्नका बल अपने साथ लेकर आगे बढ़ना चाहिये, क्योंकि उन्होंने इस पर बड़े धैर्यपूर्वक विचार किया है। हमें भी इस आदर्श पर सतत विचार करना चाहिये। हमने विकास-क्रममें एक नई मजिल शुरू की है। यह किसी पुस्तकका नया अध्याय आरम्भ करने जैसी बात है। इसलिए हमें इस गुणका उतना ही सावधानीपूर्वक विकास करना चाहिये, जितनी सावधानीसे कोई लेखक अपनी पुस्तकका नया प्रकरण लिखता है। हम जानते हैं कि दया कैसे मिथ्या हो सकती है तथा एक तरफ अहंभाव पैदा कर सकती है और दूसरी तरफ दरिद्रता और दीनताको जन्म दे सकती है। अगर हम जागरूक नहीं रहेंगे तो यही हाल समताका हो सकता है और हम सदसद्-विवेककी शक्तिसे वंचित हो सकते हैं। अगर समतासे विवेक-शक्ति नष्ट हो जाय, तो वह स्वयं चिरस्थायी नहीं हो सकती और वह मिथ्या सिद्ध होगी। और अगर समता विवेक खोकर सपादित की जायगी, तो फिर विवेकको पुनः प्राप्त करनेके लिए हमें कई सदियों तक कोशिश करनी होगी। इसलिए हमें ऐसी समताका विकास करना चाहिये, जिसके साथ सदसद्-विवेक जुड़ा हुआ हो और उसमें पूर्ण रूपसे विकसित दयाका समावेश हो। इसके लिए सतत आत्म-निरीक्षण करने और जिस मलिनतासे मनमें अधकार पैदा होता है उसे पूरी तरह हटा देनेकी जरूरत होगी। जिस अहंकारसे असमानता और ऊच-नीचकी भावना पैदा होती है, उसका लवलेश भी जड़से उखाड़कर निकाल देना पड़ेगा। अगर हम इस कामका बीड़ा नम्रता और सचाईके साथ उठा लें, तो हमें यह देखकर आश्चर्य होगा कि हम सबको आदर्शके निकट पहुँचनेके लिए बहुत-कुछ करना पड़ेगा। मेरे पास व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है, इसलिए शायद यह माना जाता होगा कि मुझे, जहां तक आर्थिक समानताका सम्बन्ध है, समताके क्षेत्रमें ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। परन्तु मुझे भी बहुत-कुछ करना बाकी दिखाई देगा। अपने मनकी गहरी परीक्षासे पता चलेगा कि मुझे भी बहुत-कुछ प्रगति करनी होगी। साथ ही ऐसी असमानताएँ भी होती हैं, जिनका कारण शारीरिक भिन्नताएँ होती हैं। उन्हें भी मिटाना ही पड़ेगा।

एक और बात भी है, जो किसी विचारकी सफलताके लिए महत्वपूर्ण है। हम समाजमें जितनी समानता लाना चाहते हैं, उससे सौ गुनी समानता हमें अपने व्यक्तिगत जीवनमें पैदा करनी होगी। जब तक ऐसा नहीं किया जायगा, तब तक सफलताकी कोई सभावना नहीं हो सकती। मानव-शरीर ९८ डिग्रीका तापमान इसीलिए कायम रख सकता है कि सारी गरमीके उद्गम अर्थात् सूर्यकी उष्णता अनंत है। आप भलीभांति कल्पना कर सकते हैं कि अगर सूर्य मानव-शरीरसे ज्यादा गरम न हो, अर्थात् उसका तापमान ९८ डिग्री ही हो, तो हमारे शरीरका क्या हाल होगा? इसलिए सेवकोंका धर्म है कि वे इस मामलेमें समाजसे बहुत ज्यादा आगे रहे। तभी उनकी उदात्त आकाक्षाएँ और उनके कार्य सफल होंगे।

हरिजन, ३०-६-'५१

विनोबा

५

साम्यवाद और सर्वोदयमें भेद

साम्यवाद और सर्वोदयमें साध्यका भेद नहीं, साधनका भेद है। गांधीजी स्वयं कई बार कह चुके हैं कि मैं हिंसा-रहित साम्यवादी हूँ। उन्होंने यह कहकर इस भेदको स्पष्ट भाषामें प्रकट कर दिया है कि मैं साम्यवादका प्रचार नहीं करता, परन्तु साम्यधर्मका प्रचार करता हूँ। अपने जीवनके अन्त तक उनका प्रयत्न इस धर्मका पालन करनेका रहा। उन्होंने नीचेसे नीचेके वर्गके भारतीयोंके साथ एकता साधकर रहनेकी कोशिश की। वे ऐसे परिवारमें पैदा हुए थे जो कुछ पीढ़ियोंसे राजकाजका ही धंधा करता आ रहा था। यद्यपि वे इस कामसे न बच सके, फिर भी उन्होंने राजनीतिको नहीं, बल्कि उससे दूसरे नम्बरकी चीज अर्थात् वकालतका पेशा अस्तित्थार किया। इस बीचमें उन्होंने रस्किनका 'अन्टु दिस लास्ट' (सर्वोदय) पढ़ा, तो उन्हें पता चला कि

अगर वकालत की जाय तो उसे अपने लिए दौलत जमा करनेका साधन बना लेना उचित नहीं। इसलिए उन्होंने अपनी तमाम व्यक्तिगत सम्पत्तिका त्याग कर दिया। टॉल्स्टॉय और गीताका अध्ययन करने पर वे इस नतीजे पर पहुँचे कि वकालतका धधा कोई 'उत्पादक' धधा नहीं है और उन्हें स्वयं अपने ही शरीर-श्रमसे कोई चीज पैदा करके अपनी आजीविका उपार्जन करनी चाहिये। इस प्रकार वे वकालतसे जमीनकी तरफ मुड़े और अपनेको किसान बताने लगे। परन्तु किसानके पास कुछ न कुछ सम्पत्ति होती है और कारीगरोसे उसकी सामाजिक और आर्थिक हैसियत ऊँची होती है। इसलिए वे जुलाहा बन गये। मगर जुलाहेकी हालत खेतीके मजदूरसे बेहतर होती है और मजदूर भी भगीसे कहीं ऊँचा होता है। क्योंकि भगीके पास न तो औजार होते हैं, न कला-विज्ञानका कौशल होता है, न ज्ञान होता है और न समाजमे उसकी कोई प्रतिष्ठा होती है। इसलिए गाधीजी अपनेको भगी कहने लगे, उन्हींमे रहने लगे, उनके मित्र बन गये और उन्होंने अपने इन गरीब श्रमियोंकी स्थितिको सुधारनेका प्रयत्न किया।

वे जितना ही समानताका पालन करने लगे, उतना ही यह अनुभव करने लगे कि उस पर अमल करना कितना मुश्किल है। वे यह नहीं कह सकते थे कि उन्हें इसमे पूरी सफलता मिल गई। इसलिए वे इस ध्येयकी प्राप्तिके लिए बड़ी लगनसे प्रयत्न करते रहे। लेकिन वैसा न करनेवालेके प्रति उनके मनमे कभी रोष न आया। उन्होंने देखा कि मौजूदा समाज-रचनामे यह बात मनुष्यके सस्कारमे उतर गई है कि आर्थिक और सामाजिक शोषण और असमानता मानो कुदरती नियम हो। जिस तरह मनुष्य गाय-बैलका अपने फायदेके लिए उपयोग कर लेता है और उनके तथा अपने बीचकी असमानताको कुदरती मानता है, उसी तरह मनुष्य-मनुष्यके बीचके शोषण और असमानताको भी स्वयंसिद्ध मानना दुनियाका पुराना सस्कार है। देशके गरीबसे गरीब नागरिकके जीमे भी पूजीवादी विचार जमा हुआ है। सभव हो तो सभी किसी दिन जमींदार या पूजीपति बनना और ऐसी स्थिति पैदा कर लेना चाहते हैं, जिससे उन्हें अपनी रोजीके लिए काम न करना पड़े—

कमसे कम शरीर-श्रम तो न करना पड़े। आरामका और शरीर-श्रम-रहित जीवन व्यतीत करनेका अवसर प्राप्त करनेकी इस आकाक्षाके कारण ही लोग एक तरफ जीवन और दर्जेकी असमानताका विरोध करना छोड़ देते हैं और दूसरी ओर उन लोगोसे ईर्ष्या करते हैं जिन्होंने उनसे पहले यह आकाक्षा पूरी कर ली है। चूँकि उनमें से किसीका भी सादे, कठोर और परिश्रमी जीवनमें विश्वास नहीं होता, इसलिए भले ही एकको पूजीपति और दूसरेको साम्यवादी कहा जाय, मगर दोनों ऐश-आरामकी एक ही गद्दीके प्रतिद्वंद्वी दावेदार हैं। जब तक मनुष्य आराम और काम न करनेको जीवनकी नियामत मानता है, तब तक वह अपने उद्देश्यकी प्राप्तिके लिए हिंसाका आश्रय लिये बिना नहीं रह सकता।

अगर अहिंसा और शरीर-श्रमको साम्यवादी आन्दोलनका अभिन्न अंग मान लिया जाय, तो उसके साथ झगड़ेका कोई कारण नहीं रह जाता। साम्यवादके प्रति सहानुभूति होनेका परिणाम यह होना चाहिये कि सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थामें साम्यवादी लोग जो परिवर्तन हिंसा द्वारा करना चाहते हैं, उन्हींके लिए हम उचित अहिंसक उपाय ढूँढें।

हरिजन, ५-६-४९

कि० घ० मशरूवाला

दसवां विभाग : आधार रुपया नहीं, श्रम

१

श्रमका गौरव

लोगोंके दिलोमे यह विचार गहरी जड पकड चुका है कि जो लोग हाथ-पैरसे काम करते हैं वे नीचे हैं। श्रमका गौरव और महत्त्व जाता रहा। ऐसी ही परिस्थितियोंमे विदेशियोंने हमारे देश पर विजय प्राप्त की थी।

इस परिस्थितिका अन्त करना होगा और जो लोग उत्पादनका काम करते हैं उन सबको देशके सच्चे नागरिक समझना होगा। उनका समाजमे आदर होना चाहिये और उन्हें सभ्य जीवनके योग्य मजदूरी मिलनी चाहिये। उनका जीवन इतना सुखी बना देना चाहिये कि दूसरे उनसे ईर्ष्या करने लगे।

विनोबा

(१८-१०-'५१ को दिल्लीमे दिये गये भाषणसे)

हरिजन, १९-१-'५२

२

मध्यमवर्गके लोगोंसे

दूसरोकी मेहनत पर निर्भर रहना पूरी तरह छोडा न जा सके तो भी उसे कम करनेका सकल्पपूर्ण प्रयत्न तुरत शुरू हो जाना चाहिये। अपना जीवन सादा बनाओ और हर काम खुद करनेकी कोशिश करो। स्त्री-पुरुष दोनोंको कौटुम्बिक जीवनमे इस अप्रिय नुस्खे पर अमल करना चाहिये। इस परिवर्तनसे काफी असुविधा महसूस हो सकती है, खासकर जब वह केवल प्रतीकके रूपमे नही बल्कि पूरी लगनके साथ किया जायगा।

१८७

परन्तु ज्यो ज्यो जीवनका नया ढग आगे बढेगा त्यो त्यो ऐसे आनन्द प्रगट होंगे, जिनका पहले कभी अनुभव नहीं हुआ था। पश्चिममे मध्यम-वर्गके लोग इम नुस्खे पर अब भी गर्व और हर्षके साथ अमल करते हैं। परन्तु उनके यहा श्रम बचानेवाले अनेक यत्र है, जो हमारे देशमे नहीं है। किसी भी बातमे हमारी और उनकी एकसी स्थितिकी आशा नहीं की जा सकती। लेकिन हमारे अपने देशकी अधिक बडी कठिनाई और परिस्थितियोंके बावजूद हमे उनसे सबक सीखना चाहिये और सीखे हुए सिद्धान्तो पर अमल करनेकी कोशिश करनी चाहिये। साथ ही श्रम बचानेवाले यत्रोमे एक सभावना यह रहती है कि सूक्ष्म रूपमे वे हममे एक तरहकी पराधीनता पैदा करते हैं और उनका नतीजा भी सीधी-सादी पराधीनताकी तरह कामके ठप्प हो जानमे आ सकता है। इसलिए हमे चिन्तामे घुलते न रहकर दैनिक जीवनमे सच्ची स्वाधीनताके लिए अर्थात् दूसरो पर निर्भर न रहनेके लिए काम करना चाहिये। सच्चे सुखके लिए न राजनीतिक स्वाधीनता काफी है और न राजनीतिक लोकतत्र ही काफी है। हमे सब बातोमे समानता साधनी होगी। जब तक हम सब शारीरिक श्रम नहीं करेगे, तब तक हम लोकतत्रको स्थिर नहीं बना सकेगे। काममे दर्जोका कोई भेद नहीं होना चाहिये। सभी कामोको समान रूपमे ऊचे, पवित्र और गृहदेवताओको अर्पण की जानेवाली पवित्र अजलि समझना चाहिये। नहीं तो हमे उन लोगोका शासन स्वीकार करना पडेगा जो काम करनेको तैयार हैं और हमारे जीवन उनकी दया पर निर्भर रहेगे। एक नया और आवश्यक मध्यमवर्ग पैदा होगा, जिसका आधार जन्म नहीं होगा। वह हाथ-पैरोसे काम करनेवाले मजदूरोका सच्चा मध्यमवर्ग होगा, जिन्होंने काम और विद्या द्वारा कुशलता और प्रतिष्ठा प्राप्त की होगी, जो योजना बनाने, पथ-प्रदर्शन करने और शिक्षा देनेमे समर्थ होंगे, जो बुद्धि, परिश्रम या परिस्थितिके अनुसार नीचे या ऊपर जाते रहेगे और जिन्हे केवल जन्मके कारण ऊचे पद नहीं मिलेगे।

जन्मके आधार पर बने हुए 'मध्यमवर्ग' का अब अन्त हो ही जाना चाहिये। यह काम स्वेच्छासे सम्पन्न हो सकता है, और यही ज्यादा अच्छा होगा। यह कार्य हम ऐसे कामोके द्वारा शुरू कर दे, जो तमाम

स्कूलों और कालेजोंमें आडंबर और मिथ्याभिमानको मौका न देनेवाले शिक्षकोंकी देखरेखमें कराये जाय ।

हरिजन, ९-२-५२

च० राजगोपालाचार्य

३

उत्पादक श्रमकी आवश्यकता

हमारी समस्याओका कारण क्या है? मेरे खयालसे यह कारण शरीर-श्रमके प्रेमका अभाव है। मैं नहीं समझता कि हमारी आबादी बड़ी होने पर भी इतनी बड़ी है, जिसका देशमें पालन न किया जा सके। मरनेवाले मुह बहुत ज्यादा है, तो कमानेवाले हाथ भी बहुत ज्यादा है। परन्तु हाथ प्रेमके साथ काम नहीं करते, वे कामको सौभाग्य न समझकर आफत समझते हैं। इसलिए हाथ अधिकसे अधिक पैदा न करके उतना ही काम करते हैं जितना अनिवार्य हो। सब मुहके लिए अपना पूरा हिस्सा चाहते हैं, मगर हाथोंसे अपने हिस्सेका पूरा काम नहीं करते। काफी पैदावार न होनेसे अधिक बड़ी विपत्ति इस प्रकारकी श्रमनिष्ठाका अभाव है।

मैं इसे हमारा चिरकालीन दोष मानता हूँ। काम बन्द रखनेका बहाना ढूढनेमें हम कभी नहीं चूकते। रामनवमी या और कोई पर्व हो तो हमें छुट्टी चाहिये, कोई दिवाली आदि त्योहार हो, घरमें शादी हो या बालकका जन्म हुआ हो या गांधीजीका जन्मदिन हो, तो भी हम काम बन्द कर देंगे। किसी घरवालेकी मौत हो जाय या गांधीजीका ही मृत्यु-दिवस हो, तो भी हम काम करना नहीं चाहते। घरमें कोई अतिथि या शहरमें कोई बड़ा नेता आ जाय, तो काम बन्द कर देनेके लिए इतना कारण काफी है। गरज यह कि अपने हाथ-पैरोंको बेकार रखनेके लिए हमें कोई मौका मिल जाय, तो हम किसी भी बहानेको हाथसे नहीं जाने देंगे।

गाधीजीने केवल खदर तैयार करनेके लिए ही कताई पर अत्यधिक जोर नहीं दिया था। कताईसे खदर तो तैयार होती ही, परन्तु उनका जोर उस क्रान्ति पर था, जो उत्पादक श्रमका आग्रह रखनेसे होनेवाली है। उन्होंने राष्ट्रके सामने इस ढगका उत्पादक काम रखा, जो सपत्ति उत्पन्न करनेके साथ साथ ऐसा भी है, जिसे बूढ़े और बालक दोनों समान रूपमें कर सकते हैं। उत्पादक श्रम ऐसी चीज नहीं है, जिससे किसीको भी — जो कुछ न कुछ काम कर सकता है — मुक्त होनेकी इच्छा करनी चाहिये। जो लोग चीजोंकी खपतमें हिस्सा बटाते हैं, उन्हें उनके उत्पादनमें भी भाग लेना चाहिये। कोई न्यायाधीश या शिक्षक यह नहीं कह सकता कि वह समाजकी कोई और सेवा कर रहा है। चूँकि वह सिर्फ पुस्तकों और कागजों पर ही गुजर नहीं करता, उसे भोजन भी चाहिये और दूसरे सब लोगोंकी भाँति कपडा भी चाहिये, इसलिए उसे उनके उत्पादनमें भी सीधा हिस्सा लेना ही चाहिये।

परन्तु दुर्भाग्यसे कांग्रेस गाधीजीको नहीं समझ सकी और उसने सूतकी अपेक्षा चार आने देनेका अधिक महत्त्व माना। उसने सपत्ति और पैसेके बीच हमेशाका घोटाला कर दिया। यह महसूस नहीं किया गया कि हाथ-कते सूतके रूपमें चन्दा देनेसे नई सपत्तिका उत्पादन होता है, जो पैसे देनेसे नहीं होता। पैसा तो इस समय हमारे पास बहुत है, परन्तु समृद्धिको सूचित करनेवाली सपत्ति घट गई है। अगर हम पैसेकी प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं, तो श्रमकी प्रतिष्ठा अपने-आप घट जाती है। गाधीजीकी योजनामें कांग्रेसको एक लाख रुपया देनेवाला व्यक्ति उसका दाता तो समझा जाता, मगर वह मत देनेका हकदार सदस्य नहीं माना जाता। लेकिन हाथ-कता सूत देनेवाला मतदाता बन जाता। यह एक क्रान्तिकारी विचार था, जिसे कांग्रेस समझ नहीं सकी।

(१०-३-४९ को दिये गये प्रार्थना-प्रवचनसे)

विनोबा

हरिजन, १७-४-४९

खादी — स्वावलम्बी श्रमका प्रतीक

खादी गांधीजीके रचनात्मक कार्यक्रमका न सिर्फ हिन्दुस्तानके ही लिए, बल्कि सारी दुनियाके लिए केन्द्र है। यह याद रखना चाहिये कि खादी रुईके कपडे तक ही सीमित नहीं है। हाथ-कता हाथ-बुना ऊनी और रेगमी कपडा भी खादी है। और सर्वोदयके आदर्शका पूरा विचार करने पर यह समझ लेना कठिन नहीं है कि जीवनकी इस आवश्यक वस्तुके बारेमे न सिर्फ भारतमे ही, बल्कि यूरोप और अमेरिकाके अत्यंत यत्र-प्रधान और उद्योग-प्रधान देशोमे भी प्रत्येक घरको यथासभव स्वावलम्बी बनना चाहिये। वास्तवमे, जैसा श्री विनोबाने कुछ माह पहले बताया था, किसी सभ्य समाजमे मनुष्यकी सबसे पहली जरूरत रोटी नहीं, कपडा है। आप कुछ दिन तक भूखे रहकर तो दुनियामे कही भी घूम सकते हैं और आपको शरमिन्दा होनेकी जरूरत नहीं होगी, मगर आधुनिक सभ्य समाज आपको अपने घरके किसी भी हिस्सेमे नगे घूमनेकी इजाजत नहीं देता। इसलिए सभव है कि हर आदमी अपनी खुराक खुद ही पैदा न कर सके, मगर उसे कमसे कम अपना कपडा तो आप ही तैयार कर लेना चाहिये। और सौभाग्यसे खुराकके उत्पादनसे यह काम बहुत आसान और हरएकके बृतेका भी है। इसके सिवा, नैतिक दृष्टिसे देखे तो खादी खास तौरसे शान्तिपूर्ण और अहिंसक व्यवस्थाकी प्रतीक है। वह परिश्रमशीलता, शरीर-श्रम, अशोषण और आत्माभिव्यक्तिकी सूचक है। पता नहीं यह बात सर्वोदय आन्दोलनके प्रशासक कहा तक अनुभव कर सकेगे, परन्तु जैसी श्री काकासाहब कालेलकरने साहसपूर्वक भविष्यवाणी की थी, एक दिन ऐसा आयेगा जब यह विचार शायद स्पष्ट रूपसे मान लिया जायगा और विदेश जानेवाले भारतवासी ससारके अत्यंत उद्योग-प्रधान लोगोके सामने चरखा और हाथ-करघा रखनेमे सकोच नहीं करेगे।

हरिजन, २७-३-४९

कि० घ० मशरूवाला

शरीर-श्रम

रूपये-वैसेका कमसे कम उपयोग करनेके लिए विनोबाजी आजकल अपने परमधाम आश्रम, पवनारमे एक महान प्रयोग कर रहे हैं। उनकी रायसे लेन-देनके एकमात्र साधनके रूपमे रूपयेने ससारमे जितना नुकसान और सत्यानाश किया है, उतना और किसी चीजने नही किया। वे अपने थोडेसे साथियो-सहित इस काममे डूबे हुए हैं कि अत्यंत सीधे-सादे औजारोसे और जमीन जोतनेके लिए बैलो पर भी निर्भर न रहकर जमीनकी पैदावार कैसे बढ़ाई जा सकती है। वे यह देखना चाहते हैं कि मौजूदा परिस्थितियोमे, जद्य कि पम्प, मशीने और ट्रैक्टर ही खेतोके नयेसे नये और वैज्ञानिक औजार माने जाते हैं, केवल शरीर-श्रमसे खेतीमे क्या सफलता मिल सकती है।

शिवरामपल्लीमे उन्होने जव भी मौका मिला यह मत प्रतिपादित किया कि श्रमकी पवित्रता स्वीकार की जाय और उसके द्वारा सारे रचनात्मक कार्यक्रमको नयी दिशा दी जाय। आचार्य विनोबाके मतानुसार, सीधे-सादे शरीर-श्रमकी शुद्धता और वर्तमान सभ्य जीवनके सब मूल्योका इस नये मूल्यके प्रकाशमे पुनर्मूल्यांकन हमारी तमाम बुराइयो और कठिनाइयोका एकमात्र रामबाण इलाज है। अगर हम रूपयेका चलन उठा दे और श्रमको नई श्रद्धा, नये उत्साह और नई पवित्रताके साथ अपना ले, तो ससारकी स्थितिमे कायापलट हो जाय। इस समय सबसे बड़ी आवश्यकता इस नये आदर्शके साथ निरंतर पैदावार बढ़ानेकी है। विनोबाने बार बार बताया है कि अगर हम अपने पासके सादेसे सादे औजारोकी मददसे अपने हाथोका पूरी तरह उपयोग करे, तो हमारी जरूरते आसानीसे पूरी हो जायगी। अगर हम शरीर-श्रमको इस दृष्टिकोणसे देखना सीख जाय, तो अशोषण, विकेन्द्रित समाज, सादगी, जीवनका पवित्र सौन्दर्य और आर्थिक समानता अवश्य प्राप्त हो जायगी।

हरिजन, २८-४-५१

६

पैसेसे मुक्ति

राजघाट, दिल्लीके अपने प्रार्थना-प्रवचनमे विनोबाजीने कहा कि पैसेकी व्यवस्था उठ जानेके बाद ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था श्रमके आधार पर खड़ी की जानी चाहिये। कुछ लोगोकी कल्पना है कि मैं फिरसे पुरानी बार्टर (वस्तुओकी अदला-बदली) पद्धति लाना चाहता हू। मेरी यह योजना कतई नहीं है। मैं सिक्केके विरुद्ध नहीं हू। असलमे मैं धातुके सिक्कोसे कागजके सिक्केको तरजीह देता हू। परन्तु मैं तो श्रमका सिक्का चाहता हू। वह किसी शासकके हुकमसे नासिकमे छपा हुआ नहीं होना चाहिये। वह सिक्का खुद गाववालोका अपने ही उपयोगके लिए स्वीकार किया हुआ होना चाहिये। इस सिक्केमे उधारका कोई सवाल नहीं होना चाहिये।

हरिजन, २९-१२-'५१

विनोबा

७

अपरिग्रह और संस्थाएं

कुछ लोग अपने लिए परिग्रह नहीं करते, परन्तु सस्थाओके लिए कर लेते हैं। यह उस आदमीकी-सी बात है जो अपने खातिर हिंसा नहीं करता, मगर किसी ध्येयके नामसे या देशके लिए हिंसा करता है। मेरी रायमे दोनो तरहके परिग्रह समान रूपसे बुरे हैं और असगति-दोष उत्पन्न करते हैं। उदाहरणार्थ, चरखा-संघके पास बचा हुआ रुपया होता है, जिसे वह बैंकोमे जमा रखता है। यह इसलिए किया जाता है कि ब्याज मिले। स्पष्ट है कि चरखेके उद्देश्यके लिए वह जितना खर्च कर सकता है, उससे अधिक रुपया उसके पास है। परन्तु बैंक ब्याज कैसे दे सकते हैं? वे इन रुपयोको विविध प्रकारके लाभप्रद उद्योगोमे लगाते हैं। अब देखिये, यह कितनी परस्पर विरोधी बात है। रुपया चरखेके कामके लिए ही दिया गया है, इसलिए चरखा-संघ उसे गोसेवाके काममे नहीं लगा सकता, यद्यपि वह उसी रचनात्मक कार्यक्रमका एक अंग है जिसे

१९३

स-१३

चरखा-सघने स्वीकार किया है। परन्तु वही रुपया बैंकोके जरिये बड़े पैमानेके उद्योगोमे लगाया जा सकता है और लगाया जाता है। यह विरोध हमारे रुपया रखनेके लालचसे पैदा होता है, चाहे वह हमारी सस्थाओके नाम पर ही क्यों न हो। यही हाल कस्तूरबा कोषका है और यही गांधी स्मारक कोषका होगा। हमें इतना रुपया इकट्ठा करनेकी जरूरत क्या है? अगर इतनी रकमकी सचमुच आवश्यकता है, तो उसे एक या दो वर्षोंमें खर्च करना सभव होना चाहिये। परन्तु ऐसा होता नहीं है और किसीको दिखाई नहीं देता कि बैंकोमे यह रुपया रखकर कमाई करनेसे कितनी बुराई होती है। बात यह है कि हमारा लालन-पालन ऐसे समाजमे हुआ है, जिसमे ब्याज न कमाना मूर्खता माना जाता है। गीता हमसे सब प्रकारका परिग्रह छोडनेको कहती है—त्यक्त-सर्व-परिग्रह। इसमे धर्मार्थ सस्थाओका परिग्रह भी शामिल है। क्योंकि अगर हम परिग्रह किसी भी रूपमे करते हैं, तो हमें वे सारी बुराइया करनी पडती हैं, जो व्यक्तिगत उद्देश्यसे किये जानेवाले परिग्रहके साथ जुडी हुई हैं।

हरिजन, १०-४-४९

विनोबा

८

रुपयेका दान नहीं

मुझे कुछ दिनसे केवल शरीर-श्रमके आधार पर सस्थाए चलानेका पागलपन सूझा है। मेरा पक्का विश्वास है कि ऐसा किये बिना हमारी सस्थाए तेजस्वितापूर्वक काम नहीं कर सकती। यह उचित नहीं कि बापूके चले जानेके बाद लोगोसे अब भी हम दान मागे और अपना काम दानके रुपयेसे चलाये। मुझे आशा है कि गांधी स्मारक कोष गांधीजीके नाम पर एकत्रित किया गया आखिरी कोष होगा। इसके बाद अब कोई भी उनके नाम पर रुपया जमा नहीं कर सकता और न करना चाहिये। हमें अब श्रमका ही सगठन करना चाहिये, क्योंकि लोग गांधीजीके खातिर प्रेमपूर्वक पैसे तो देगे, परन्तु इससे हमारा नाश हो जायगा।

हरिजन, ५-१-५२

विनोबा

ग्यारहवां विभाग : ग्राम-सर्वोदयकी दिशामे

१

हिस्सेदारीका सिद्धान्त

हमे जीवनका समग्र रूपमे और उसके सारे विभिन्न पहलुओकी दृष्टिसे विचार करना चाहिये। तब खेती तथा दूसरे उद्योगो या घघोके बीच कडा विभाजन और उसके कारण होनेवाला हित-सघर्ष भी नही हो सकेगा। यह सभव होना चाहिये कि एक घघेमे काम करनेवाला आदमी दूसरे घघेमे भाग ले सके या दूसरे घघोकी कमाईमे हिस्सेदार बन सके। हमारा लक्ष्य समाजका इस ढगसे विकास करना होना चाहिये।

एक आदमी जमीनका मालिक और दूसरा कारतकार होता है। और उनका आपसमे भूस्वामी और किसानका या मालिक और मजदूर या गुलामका सबध होता है। इस सबधमे और उसके कारण होनेवाले तरह-तरहके अन्यायोके मूलमे उपरोक्त सर्वांगी दृष्टिका अभाव है।

किसान अपनी मेहनतसे जो पैदा करता है, उसमे जमीदारका हिस्सा चिरकालसे उचित माना जाता रहा है। परन्तु किसान जमीदारको खेतीके परिश्रमसे वचाकर जो दूसरे घघे करनेका अवकाश देता है, उनसे जमीदारको होनेवाली कमाईमे किसानको कोई हिस्सा नही मिलता।

निष्क्रिय जमींदारीकी प्रथाको खतम करके इस अन्यायका अन्त करनेकी बाते सोची जाती है। यह कहा जाता है कि या तो जमीदार खुद शुद्ध किसान बनकर जमीनमे खेती करे या उस जमीनमे उसका कोई वास्ता न रहे। लेकिन यह इस बुराईके इलाजकी सही दिशा नही मालूम होती।

भारतीय ग्रामोके सम्यक् उत्थानके लिए यह महत्वकी बात है कि ग्रामवासीको केवल किसान, केवल चरवाहा या केवल व्यापारी नही होना चाहिये। आम तौर पर इनमे से कोई भी घघा सालके ३६५ दिन

लगातार पूरा काम नहीं देता । अगर इन सबका विकास इस प्रकार किया भी जा सके कि उनमें लगे हुए लोगोको पूरा काम मिल जाय, तो भी यह जरूरी है कि उन्हें अपने मुख्य धंधेके साथ कोई दस्तकारीका घधा करना चाहिये । निरे किसानका अकसर पूरा बौद्धिक विकास नहीं होता । निरा दुकानदार या निरा कारीगर शारीरिक दुर्बलता और नैतिक कायरताका शिकार हो जाता है ।

गावकी आवश्यकताओके कारण कारीगर-वर्गकी उत्पत्ति हुई । जहा स्थानीय कारीगर पैदा नहीं किये जा सके, वहा दूसरी जगहसे बुला लिये गये । इन्ही जरूरतोके कारण निरा किसान व्यापारीके नियंत्रणमें आया । कृषक-वर्गमें से भी कुछ लोग, जो दूसरोसे ज्यादा बुद्धिशाली या चालाक थे, व्यापारका घधा करने लगे । उन्हें अपनी जमीने छोडनेकी जरूरत नहीं पडी । पहले वे लोग मजदूरी देकर और बादमें सालाना करार पर काश्तकारोसे खेती कराने लगे ।

इस प्रकार श्रम-विभाजन तो हुआ । मगर कमाईके बटवामें व्यापारीने जमीनकी पैदावार और कारीगरकी मेहनत दोनोमें से हिस्सा चाहा, जब कि अपने व्यापारकी आमदनीमें से किसीको भी हिस्सा देना मजूर नहीं किया । इसी तरह जमींदारने मजदूरकी पसीनेकी कमाईमें से हिस्सा लिया और कारीगरको गुजरमात्रसे जरा भी अधिक न देकर उसकी कुशलताका भी अनुचित लाभ उठाया, मगर खुद उसने दूसरी जमीनो या घघोसे होनेवाली अपनी कमाईमें से मजदूर या कारीगरको कोई हिस्सा नहीं दिया । इस प्रकार खेतीके मजदूर और कारीगरको ज्यादासे ज्यादा मेहनत करनी पडती और कमसे कम मेहनताना मिलता ।

अब जो सुधार किये जा रहे हैं, उनका उद्देश्य यह है कि जमींदार और 'बिचौनियो' (अर्थात् दुकानदार या दलाल) को हटा दिया जाय और कारीगरो और खेतीके मजदूरोको 'स्वतंत्र' वर्ग बनाकर इस लायक बना दिया जाय कि उन्हें अपने परिश्रमके फलका उचित भाग मिलता रहे ।

चूँकि बडे उद्योगोको बन्द करनेका किसीका साहस नहीं होता, इसलिए राष्ट्रकी अर्थ-व्यवस्थामें उद्योगपतिका सम्मानपूर्ण स्थान सुरक्षित है ।

सम्मिलित हिन्दू परिवारकी प्रथाका आधार रक्त-संबन्ध था। किसी समय एक एक परिवारमे दो-दो अढाई-अढाई सौ आदमी होते थे। इस कारण खेती करना, पशुओकी देखभाल करना, भिन्न भिन्न चीजे तैयार करना, मालको बाजारमे बेचना वगैरा कामोका परिवारके अलग अलग व्यक्तियोमे विभाजन किया जा सकता था। सब एक ही कुटुम्बके आदमी थे और इसलिए सबकी कमाईमे हरएकका हिस्सा होता था। वह प्रथा तो अब मिट गई और उसी रूपमे उसे फिरसे जारी नहीं किया जा सकता। परन्तु उस प्रथाका यह उसूल बडा कीमती है कि सबकी कमाईमे सबका हिस्सा हो। उसका लाभ अब केवल बहुविध कामोके लिए बननेवाली सहकारी समितियो द्वारा ही उठाया जा सकता है। सारे कानून और सुधार अब ऐसी समितियोकी वृद्धिके लिए ही होने चाहिये।

काश्तकारी कानूनका भी यही उद्देश्य होना चाहिये। कथित जमींदार, किसान, काश्तकार, खेतीका मजदूर, देहाती कारीगर, दुकानदार और प्रवासी — जो थोडे समय कमाईके लिए बाहर चला जाता है, सबको एक सम्मिलित समाजमे इस प्रकार गूथ देना चाहिये कि सबको सबकी कमाईका हिस्सा मिलता रहे और कोई बेकार न रहने पाये। अवश्य ही सबको जीवन-वेतन मिलेगा। लोगोको ऐसे सामाजिक और आर्थिक जीवनका मार्ग बताया जाय और शिक्षा दी जाय, जिसका आधार इस प्रकारकी सर्वांगी सहकारी समितिया हो।

अगर जमीन-मालिक अपनी दूसरी सारी कमाईमे काश्तकार और खेती-मजदूरको हिस्सेदार बनानेके लिए तैयार हो, तो जमीनका स्वामित्व उसीके पास रहने देनेमे कोई हर्ज नहीं।

इसमे भी कोई आपत्ति नहीं कि व्यापारी अपनी बचतका रुपया जमीनमे लगा दे और उसे मजदूरो या काश्तकारोसे जुतवाकर उसकी पैदावारका हिस्सा ले, अगर वह अपनी दूसरी आमदनीमे अपने काश्तकारो और मजदूरोको हिस्सेदार बनानेके लिए तैयार हो।

किसी सम्मिलित हिन्दू परिवारका कोई साहसी नौजवान विदेश जाकर रुपया कमाता है। उसे उसमे से परिवारके दूसरे लोगोको

उसी प्रकार हिस्सा देना पडता है, जिस प्रकार उसकी अनुपस्थितिमें होनेवाली घरकी कमाईमें स्वयं उसको हिस्सा मिलता है। तो फिर परिवारकी सीमाको बढाकर उसमें काश्तकार और मजदूरको, बल्कि सारे गावको शामिल क्यों न कर लिया जाय? उस सूरतमें ईष्यिके लिए कोई कारण नहीं रह जायगा, बल्कि विदेशोंमें अपने साहसके लिए उसे सहायता और प्रोत्साहन मिलेगा। यह सहकारी सिद्धान्तके आधार पर ही हो सकता है। जब यह बात हो जायगी तब निष्क्रिय जमींदारी, बिना मेहनतकी कमाई और शोषण आदि शब्दोंका प्रयोग ही उठ जायगा।

नि सन्देह ५० एकड़के खेतोंसे १०० या २०० एकड़वाले बड़े खेतोंमें काश्त करना ज्यादा फायदेमन्द है और इसी तरह छोटे-छोटे पशु-समूहोंकी अपेक्षा बड़े बड़े पशु-समूहोंका पालन अधिक उत्पादक है। शर्त यही है कि यह काम हमेशा सहकारी पद्धतिसे किया जाय।

अगर नये काश्तकारी कानूनमें इस प्रकारकी सहकारी समितियोंकी वृद्धिकी अनुकूलता नहीं है, तो यह खामी उचित ढंगसे जरूर दूर कर ली जानी चाहिये। कानूनको इस बातका स्वागत करना और उसे प्रोत्साहन देना चाहिये कि अभी तक जमींदार माने जाते रहे लोग अपनी जमीनमें ज्यादा दिलचस्पी ले, अपने देहातको लौट जाय, खुद खेती करने लगे, खेतीका सुधार करे और अपने गावोंके उद्योगोंकी उन्नति करे। मगर यह सब इस ढंगसे होना चाहिये कि तमाम धंधे और सारी कमाईको सम्मिलित माना जाय और काश्तकार, कारीगर और मजदूर सबको सम्मिलित कमाईका हिस्सा मिले।

किसानको अपनी जमीनसे बड़ा मोह होता है और उसे वह आसानीसे नहीं छोड़ेगा। वह कानूनसे बचनेकी भरसक कोशिश करेगा। इसलिए सबके हितमें बेहतर यह होगा कि उसे न्याय और सर्वोदयके मार्ग पर चलनेको राजी कर लिया जाय।

गांवकी व्यवस्था

विनोबाने समझाया कि दिल्लीमें जो सरकार स्थापित हुई है, उससे यह आशा नहीं रखी जा सकती कि आपके गावमें आकर वह सुखकी वर्षा कर देगी। आपके गावमें आग लग जायगी, तो हैदराबादसे आकर लोग उसे नहीं बुझा सकते। यह मानव-शक्तिके बाहरकी बात है कि कोई मनुष्य या मनुष्य-समूह एक जगह बैठ कर इतने बड़े मुल्कके शासनकी देखभाल कर सके। इसलिए लोग प्रत्येक गावके इतजामके लिए अपनी ही कमेटी बना ले। इस कमेटीको गावकी आवश्यकताओका अध्ययन करके यथासंभव गावमें ही उन्हें पूरा करनेका प्रयत्न करना चाहिये। कमेटी लोगोको शराबकी बुराईसे भी छुड़ाये। आपको यह भी सावधानी रखनी चाहिये कि कस्बो और शहरोमें कांग्रेसियो, समाजवादियो और दूसरे दलवालोके जैसे झगडे पैदा हो गये है वैसे आपके गावमें न घुस जाय। लोग चुनावके समय जिसे चाहे मत दे सकते है। लेकिन अगर बाहर-वाले आकर गावमें राजनीतिक फूट फैलानेकी कोशिश करे, तो आपको शिष्टता किन्तु स्पष्टताके साथ उन्हें कह देना चाहिये कि हमें आपके राजनीतिक झगडो और मतोंसे कोई सरोकार नहीं, और जहा तक हमारे कामकाजका सबध है, हम न तो कांग्रेसी है और न समाजवादी या साम्यवादी है। हम सब शुद्ध हिमायतनगरवाले ही है। मैं आपको चेता देता हू कि राजनीतिक लोग आपके पास आकर गरीबोको अमीरोके खिलाफ, नौकरोको मालिकोके खिलाफ और एकको दूसरेके खिलाफ भडकायेगे। आपको उनसे कह देना चाहिये कि हमारा गाव एक है, हम सबका परिवार एक है और जैसे दूसरे लोग सारे देशकी समस्याओके बारेमें विचार करते है, वैसे हम भी गावकी समस्याओ पर विचार करना चाहते है। अगर ग्रामवासी दृढ रहकर बाहरकी बुराइयोको अपने गावमें घुसने नहीं देगे, तो वे अपने गावकी बुराइया एक एक करके दूर कर मकेगे।

(हैदराबादके हिमायतनगर गावमें दिये गये भाषणसे) **विनोबा**

हरिजन, २०-१०-'५१

सर्वोदयी शिक्षा

थोड़ी देर पहले मैं लडकोके साथ खेल रहा था, तो मेरे मनमें प्रश्न उठा कि इन बालकोके लालन-पालनकी जिम्मेदारी उनके अपने माता-पिता पर रहनी चाहिये या सारे गाव पर? अमीरके घर पैदा हुए पुत्रमें और गरीबके यहा पैदा हुए पुत्रमें कोई फर्क नहीं। दोनों ही ईश्वरके समान रूप हैं और दोनों ही अपने घरोंमें प्रकाश फैलाते हैं। अगर सारा गाव मिलकर माता-पिताकी भावनासे अपने यहाके छोटे बच्चोंकी देखभालका भार सभाल ले, तो सारे गावकी प्रगति होगी। सामाजिक प्रगतिका यही उपाय है और मैं इसे आपके विचारार्थ पेश कर रहा हूँ।

बच्चोंकी कोई जाति नहीं होती और न वे गरीब और अमीरका भेद जानते हैं। वे सब ईश्वरकी समान प्रजा हैं। परन्तु धनवान आदमीने अपने ही स्वार्थका ध्यान रखा और गावके विशाल हितोंकी उपेक्षा की तथा अपने लडकोको शिक्षाके लिए शहरमें भेज दिया। लडका शहरी हो गया और ग्रामीण जीवनसे घृणा करना सीखकर स्थायी तौर पर शहरमें ही बस गया। वह देहातियोंका मित्र नहीं बन सका और न उसने गावमें काम किया। वह केवल फसलके वक्त अपना हिस्सा लेनेके लिए गावमें शकल दिखाने आ जाता था। मगर चूँकि वह गावमें नहीं रहा और खेतीके काममें उसने ध्यान नहीं दिया, इसलिए जितना उसे मिलना चाहिये था या मिलता उतना वह प्राप्त नहीं कर सका। इससे उसमें और गाववालोंमें दुर्भाव पैदा हो गया। और अगर गाववाले मिलकर उसके विरोधमें हो गये, तो उसने घबडाकर पुलिसकी मदद लेनी चाही। उसने सोचा कि लोग सब साम्यवादी बन गये हैं और मुझे नुकसान पहुंचाने पर तुले हुए हैं। पुलिसका परिस्थितिसे निपटनेका अपना ही ढग होता है। वह प्रेमका ढग तो हरगिज नहीं होता। पुलिसका जोर अपने पासके डडेमें होता है। अन्तमें गावको बरबादी और मुसीबते देखनी पडी और देहातमें द्वेषकी राक्षसीका

बोलबाला हो गया। इसलिए अगर लोग सुखी ग्रामका निर्माण करना चाहते हों, तो उन्हें गावके तमाम बच्चोकी शिक्षाका प्रबन्ध गावमे ही करनेका निश्चय करना चाहिये।

विनोबाने समझाया कि गावके लडके साथ-साथ बडे होंगे, तो वे खेतीका काम भी मिलकर करेगे। उनमे न डर होगा, न दुर्भाव। जैसे कृष्ण अपने साथी ग्वालोको बुलाकर उन्हें अपना मक्खन और दही खिलाते थे, वैसे ही ये लडके भी अपने मित्रोके साथ प्रेमसे रहेंगे और उन्हें अपनी खुशियोमे शरीक होनेको निमन्त्रित करेगे। ऐसा गाव गोकुल बन जायगा, पृथ्वी पर स्वर्ग हो जायगा। गोकुलमे क्या था? यही कि सब लोग मिलकर गावकी संपत्तिका उपभोग करते थे, चाहे वह सम्पत्ति दूध-मक्खन हो, शहद या गन्नेका रस हो, या चावल और जुवार हो। जब कोई आदमी अकेला चोरकी तरह खाने बैठता है, तो उसकी खुराक पर केवल मक्खिया ही भिनभिनाती है। लेकिन अगर वह अपने मित्रोमे बैठकर प्रेमसे खाता है, तो खाना ज्यादा मीठा लगता है। आदमी अपने मित्रोसे प्रेम कर सकता है, मक्खियोसे नहीं कर सकता। इसलिए उसकी प्रेमकी स्वाभाविक भावना तृप्त नहीं होती और वह बहुतसी भेदी बातें करने लगता है। वह कुत्ते-बिल्ली पालता है और उन पर अपना अतृप्त प्रेम बरसानेका व्यर्थ प्रयत्न करता है। इस प्रकार जहा एक बार लोग गुमराह हुए कि समस्या दिन-दिन पेचीदा होती चली जाती है। स्पष्ट है कि वह सीधी और हल तभी हो सकती है, जब लोग सम्मिलित जीवनकी कलाका अभ्यास करे अर्थात् एक ही पाठशालामे एक साथ पढे-लिखे और अध्ययन करे।

फिर विनोबा यह समझाने लगे कि गावके लिए किस तरहकी पाठशाला होनी चाहिये। उन्होने कहा कि मैं जो पाठशाला स्थापित करूंगा, उसमे सबको काम करना होगा। शिक्षक और विद्यार्थी खुशीसे किसी न किसी तरहके उत्पादक श्रममे लगेगे और कामके जरिये उनके लिए जो कुछ उपयोगी होगा वह सीखेंगे। आजकल सपन्न मा-बापके लडके, जो पाठशाला जाते हैं, काम करनेकी क्षमता खो देते हैं। यह शिक्षाका विपर्यास है, क्योंकि इसके परिणाम-स्वरूप हमारी स्वाभाविक शक्तिया घट जाती

है। इसलिए गांधीजीने कहा है कि हमारी पाठशालाओमें तरह तरहकी उपयोगी प्रवृत्तिया गूजती रहनी चाहिये। लडकोको वहा खेत जोतना चाहिये, सूत कातना चाहिये और उसका कपडा बुनना चाहिये। और कामके साथ तथा उसके द्वारा पढाई भी करनी चाहिये। अमीर और गरीब लडकोको, ब्राह्मण और शूद्र लडकोको, सबको पाठशालामे साथ-साथ काम करना चाहिये और साथ-साथ पढना चाहिये। ऐसी पाठ-शालासे एक ऐसे नये समाजका शिलान्यास होगा, जो सामाजिक और आर्थिक असमानतासे मुक्त होगा।

(२६ अप्रैल, १९५१ को तेलगानामे दिये गये एक भाषणसे)

हरिजन, २-२-'५२

शिक्षासे दो बातोंकी आशा रखी जाती है। विद्यार्थियोंको मिलने-वाली शिक्षासे उनमें इतनी कार्यक्षमता आनी चाहिये कि वे अपनी शिक्षाका लाभ लोगोंको दे सकें। उन्हें जितना प्राप्त हुआ हो उससे दस गुना उन्हें लौटाना चाहिये। शिक्षा बीज बोनेकी क्रियाकी तरह है। अच्छे बीज और बोनेकी सही पद्धतिका परिणाम यह होता है कि कई गुना अधिक बीज उत्पन्न होता है। यही बात शिक्षासे होनी चाहिये। उस पर जितना रुपया और श्रम खर्च हुआ हो, उससे कई गुना फल मिलना चाहिये। शिक्षासे एक यह आशा की जाती है।

दूसरी आशा शिक्षासे यह रखी जाती है कि विद्यार्थियोंको इस उम्रमें अपने विकासके लिए जितना भोजन चाहिये वह सब उससे मिल जाय। उनके मस्तिष्कमें जो शक्तिया छुपी पडी है, उनके विकासमें शिक्षासे मदद मिलनी चाहिये। ज्ञानवान मनुष्योंने हमें बता दिया है कि प्रधान सत्य हमें यह सीखना है कि हम शरीर, मन और बुद्धिसे भिन्न हैं। यदि शिक्षा हमें यह नहीं सिखाती तो वह व्यर्थ है, क्योंकि वह अपना मुख्य हेतु पूरा नहीं करती। शिक्षाको जो मुख्य लक्ष्य अपने सामने रखना चाहिये वह यह है कि उसके द्वारा विद्यार्थी यह देख सकें कि वह सच्ची प्रगति कर रहा है या नहीं — अर्थात् वह मनुष्यको उत्तराधिकारमें मिली हुई समस्त उदात्त शक्तियोंका सचमुच विकास कर रहा है या नहीं, अपनेको

भौतिक वातावरण तथा शरीररूपी साधनसे भिन्न समझता है या नहीं और उन पर अपना काबू रख सकता है या नहीं। उपनिषदोमें हम देखते हैं कि जब तक विद्यार्थी जीवन और भीतरी विकासकी दृष्टिसे शिक्षाके लक्ष्यकी पूर्ति आचरणमें नहीं कर लेता था, तब तक सारी विद्या प्राप्त कर लेने पर भी वह स्नातक नहीं माना जाता था। उसे विद्यामें ही नहीं, इच्छा पर सयम रखनेमें भी पारगत होना पडता था। अपने-आप पर प्रभुत्व प्राप्त कर लेनेके प्रमाणस्वरूप उसमें अपने व्रतोका पालन करनेकी क्षमता आनी चाहिये। कुशल सवारकी तरह उसका अपने शरीर, बुद्धि और मन पर पूरा काबू होना चाहिये। आत्म-दमन, आत्म-नियमन और आत्मशक्तिका सदुपयोग—यह सबसे बडी कला है और यही शिक्षाका सबसे महत्त्वपूर्ण उद्देश्य होना चाहिये। जो इसे सिद्ध कर लेता है वह व्रत-स्नातक है, और जो पुस्तककी विद्यामें पारगत होता है वह केवल विद्या-स्नातक होता है।

जो विद्यार्थी इस परीक्षामें पास हो जाता है, वह अपने राष्ट्रकी सफल सेवाके लिए सचमुच योग्य बन जाता है। केवल वही अच्छा नागरिक बनता है। वह जहा कही जाता है और जो भी काम हाथमें लेता है, उसे विश्वास और साहसके साथ करता है। आजकल तो हम देखते हैं कि विद्यार्थीके कॉलेजसे बाहर निकलते ही उसके सामने अधिकार ही अधिकार छा जाता है। वह कही न कही काममें लग सकता है, मगर उसे वह काम नहीं मिलता जो वास्तवमें उसकी रुचिके अनुकूल है और जिसके लिए स्वाभाविक रूपमें वह योग्य है। उसने अपने सामने जो लक्ष्य रखा है उसके पास पहुंचनेकी भी कोई सूरत दिखाई नहीं देती। परिस्थितिया उसे जिघर फेकती है उधर वह जाता है। इस तरह सारा भाग्यका खेल होता है। परन्तु जो व्रत-स्नातक अर्थात् जो विद्यार्थी व्रतोका पालन कर लेता है, जो आत्म-दमन कर लेता है और जो व्यावहारिक जीवनकी कलाओमें, खेती और बुनाई इत्यादिमें प्रवीणता प्राप्त कर लेता है, वह दुखी और उदास प्राणीकी तरह सिर नीचा किये ससारमें प्रवेश नहीं करता। वह छाती खोलकर और आत्म-विश्वास तथा उत्साहपूर्ण हृदयके साथ आगे बढ़ता है।

इसका अर्थ यह नहीं कि वह घमडी और उद्धत बन जायगा। नम्रता तो उसमें होगी ही। क्योंकि जो सचमुच ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वह समझ लेता है कि ज्ञान अनन्त है और मुझे तो उसका अणुमात्र ही प्राप्त हुआ है।

परन्तु नम्रताके साथ-साथ उसमें दृढ निश्चय, आत्म-विश्वास, धैर्य और निर्भयता आदि गुण भी होंगे। अर्थात् उसमें बुद्धिके साथ धृति भी अवश्य होनी चाहिये, जिमसे वह जीवनमें सदाचारी वीर बन कर प्रवेश कर सके। शिक्षासे इस आत्म-विश्वासका विकास होनेकी आशा रखी जाती है। अगर यह उसमें है तो वह ससारकी सेवा कर सकेगा। वह जीवनको भार नहीं समझेगा। वह जो विद्या सीखता है, उससे पूरा सतोष अनुभव करेगा। भोजनकी तरह विद्यासे भी तुरन्त सतोष उत्पन्न होता है। ज्यो ही आप खाने लगते हैं, आपको सुख अनुभव होने लगता है। सुखके लिए दो तीन दिन ठहरना नहीं पडता। यही हाल ज्ञानका है। ज्यो ही मनुष्य यह महमूस करने लगता है कि मैंने सचमुच कुछ सीखा है, उसका चेहरा चमक उठता है और ज्ञानके लिए उसकी भूख बढ़ जाती है। उसे अपार आनन्द मालूम होता है। उसे ऐसा नहीं लगता कि मेरा समय नष्ट हुआ। वह उस दिनकी बात नहीं देखता रहता कि कब पढाई पूरी हो और कब उससे मेरा पिंड छूटे। असलमें एक बार मनुष्य ज्ञानस्रोतका स्वाद चख लेता है, तो सतत और आजीवन उसकी ज्ञानकी चाह बनी रहती है। वह निरतर ज्ञानकी साधना करता रहता है।

उपनिषद् विद्यार्थिसि कहते हैं कि विद्यार्थी-जीवन समाप्त हो जानेके बाद उसे गृहस्थाश्रममें अपना ज्ञान बढाते रहना चाहिये। गृहस्थ ब्रह्मचारीसे एक कदम आगे है। जो गृहस्थ अपना ज्ञान सदा बढाता रहता है, वह न केवल भरसक प्रत्यक्ष सेवा ही करेगा, बल्कि समाजको सदाचारी और धार्मिक बनानेमें भी सहायक बनेगा। अपने घरमें उसका एक पवित्र स्थान होगा और वहा वह नियमित अध्ययन करता रहेगा— 'शुचौ देशे स्वाध्यायम् अवीयान्'। इस प्रकार उपनिषदोंमें स्पष्ट कल्पना की

गई है कि नियमित शिक्षाकाल पूरा होनेके बाद भी अध्ययनका क्रम जारी रहे। ज्ञानप्राप्तिका क्रम जीवनपर्यंत बना रहना चाहिये।

विनोबाजीने आगे कहा कि ज्ञानामृतका स्वाद एक बार चख लेनेके बाद मनुष्य उसे छोड़नेका विचार ही नहीं कर सकता। उपनिषद्-कालके ऋषियोंने सीखने और सिखाने ('स्वाध्याय-प्रवचने च') का धर्म अन्य सब कर्तव्यों और सदाचारोंके साथ जोड़ दिया है। इस प्रकार उन्होंने केवल ऋत, सत्य और तपकी ही सलाह नहीं दी है, परन्तु यह उपदेश भी दिया है कि 'सदाचारी बनो और सीखो तथा सिखाओ', 'सत्यवान बनो और सीखो तथा सिखाओ', 'ससारकी सेवा करो और सीखो तथा सिखाओ', 'यज्ञाग्निकी सेवा करो तथा सीखो और सिखाओ' इत्यादि इत्यादि। इसका सार यह है कि गृहस्थसे जीवनभर ज्ञान-प्रचारका काम जारी रखनेकी आशा की जाती है।

हमने आजादी प्राप्त कर ली है, इसलिए हम पर उसके कारण अनेक जिम्मेदारियां आ पड़ी हैं। वे तभी अच्छी तरह पूरी की जा सकती हैं, जब हममें हर प्रकारके विशेषज्ञ हों। हमारा देग तभी प्रगति करेगा जब हम परिश्रम और कष्ट-सहन करके ज्ञानके भिन्न-भिन्न विभागोंकी खोजका काम करेंगे। परन्तु मुझे भारतमें परिश्रमी और कष्ट-सहिष्णु विद्वान बहुत थोड़े दिखाई देते हैं। इस दशाका मुख्य कारण हमारी वर्तमान शिक्षा-प्रणाली है। कारण, जब विद्यार्थी पाच छह वर्ष साधारण पाठ्यक्रममें बिता देता है, तो उसकी सारी दिलचस्पी मारी जाती है और वह शुष्क बन जाता है। उसकी मानसिक शक्तियां कुण्ठित हो जाती हैं, उसकी इंद्रियां दुर्बल हो जाती हैं और सबसे बुरी बात तो यह होती है कि उसकी सारी जीवन-शक्ति नष्ट हो जाती है। उसे आत्माका कुछ भी ज्ञान नहीं होता, फिर शरीरसे उसकी भिन्नताका भान तो ही कहासे? और जब उसे अपनी इंद्रियोंको वशमें रखना ही नहीं आता तब उसकी शिक्षा किस कामकी?

(सिकन्दराबादके भाषणसे)

विनोबा

हरिजन, १४-७-'५१

प्रौढ़-शिक्षा

हर गावमे शिक्षाप्रद साहित्य नियमित रूपसे पढा जाय। जैसे हमे जीनेके लिए रोज खाना जरूरी है, ठीक वैसे ही मस्तिष्कको भी खुराक अवश्य मिलनी चाहिये। रोटी शरीरका भोजन है और ज्ञान मस्तिष्कका भोजन है। देहातियोको चाहिये कि तुलसीकृत रामायण, गांधीजीकी आत्मकथा और गीता-प्रवचन (विनोबा-कृत) के पाठकी व्यवस्था करे। किसान दिनभर मेहनत करता है। उसे स्वयं पढनेका समय नहीं मिलता। वह पढता है तो उसकी आखो पर असर पडता है। इसलिए प्रत्येक गावमे सार्वजनिक वाचनकी व्यवस्था होनी चाहिये। अगर लोगोको अच्छी वाते सुननेकी आदत पड जाय, तो थोडे ही समयमे उनके गावकी हालत बदल जाय।

हरिजन, २-२-'५२

विनोबा

सर्वोदयकी रूपरेखा

मित्रोकी इच्छा थी कि विनोबा सर्वोदयकी रूपरेखा बताये। इसलिए उन्होने कहा

भारतके गावोको स्वावलम्बी बन जाना चाहिये और उन्हें जहा तक सभव हो कीमतोके उतार-चढावसे बचा लेना चाहिये। जरूरी कच्चा माल गावमे ही पैदा होता हो, तो उन्हें अपने ही गावमे अपनी जरूरतका पक्का माल तैयार कर लेना चाहिये। यत्रो पर सारे समाजका अधिकार होना चाहिये। उत्पादन और अंतिम वितरणके बीचमे कोई दलाल नहीं होने चाहिये। अहिंसाके आधार पर खडा समाज बीचके दलालोके मारफत काम नहीं कर सकता। सबको खाना मिलना चाहिये और सबको काम करना चाहिये। राष्ट्रकी अर्थ-व्यवस्थाकी योजना सम्मिलित परिवारके ढग पर होनी चाहिये। अगर चरखेसे सबको काम

मिल मके, तो उसे काममे लेना चाहिये। अगर आप सारे राष्ट्रके लिए योजना नहीं बना सकते और आपको भेदभाव करना ही पड़े, तो उस सूरतमे मैं अपनेको साम्यवादी मानकर कहता हू कि अपनी योजना बनानेमे आपको गरीबोके पक्षमे भेदभाव करना चाहिये। सक्षेपमे सर्वोदयकी मेरी रूपरेखा यही है।

हरिजन, २-८-५२

विनोबा

६

आर्थिक समताकी ओर

जमीन किसानको अस्थायी तौर पर—मिसालके तौर पर दस सालके लिए—दी जानी चाहिये। किसानने पिछली बार जितनी कृषि-सम्बन्धी योग्यता दिखाई हो, उसका खयाल करके आगेके लिए दुबारा करार किया जा सकता है, इस अर्सेके बाद फिर दस वर्षके लिए जमीन कम या ज्यादा मात्रामे दी जा सकती है। जो लोग पहले किसान थे उन सबकी छोड़ी हुई भूमि वापस ग्राम-समाजकी हो जानी चाहिये और नये उम्मीदवारोको ग्राम-समाज ही जमीन देगा। ग्राम-समाज गावकी फसलोकी योजना नीचे गावके किसानोसे व्यक्तिश सलाह करके और ऊपर जिला, प्रान्त और केन्द्रीय सरकारसे सलाह-मशविरा करके बनायेगा और व्यक्तिगत रूपमे प्रत्येक किसानको ग्राम-समाजकी योजनाके अनुसार चलना होगा। गावके प्राकृतिक साधनो और लोगोकी मुख्य आवश्यकताओका विचार करके सतुलित खेती करनी पडेगी। उसका लक्ष्य १५-२० गावोके प्रदेशके लिए आवश्यक पदार्थोमे स्वावलबन प्राप्त करना होगा और फाजिल चीजे ही अनेक कामोवाली सहकारी समितिके मारफत बेची जायगी। किसी चीजकी मानी हुई इकाईके उत्पादनमे कितने घटोका मनुष्य-श्रम लगता है, इसका विचार करके सहकारी समिति भिन्न-भिन्न पदार्थोकी लागत कीमत तय करेगी। इन कीमतोके आधार पर वस्तुओके विनिमयका अनुपात निश्चित करके सहकारी समितिके मारफत गावके व्यक्तियोमे चीजोकी अदला-बदली की जायगी।

गाव और प्रदेशका सारा आयात-निर्यात सिर्फ सहकारी समितिके द्वारा ही किया जायगा। यह समिति केवल रुपये-पैसे सम्बन्धी काम ही नहीं करेगी, परन्तु इस तरह काम करनेवाला एक सहकारी सगठन होगी, जो लोगोको विविध उद्योग और किसी उद्योगकी भिन्न-भिन्न प्रक्रियाये करनेमे प्रोत्साहन देगी और अलग-अलग तरहकी पैदावारकी विक्री और खरीदका प्रबन्ध करेगी। खाद तैयार किया जायगा, पाल बाधकर गावकी जमीनका कटना रोका जायगा, नदी-नालोमे बाध बाधकर उनसे आबपाशी की जायगी, देहातियोके ही उत्साह और मेहनतसे गावके भीतर सडके बनाई जायगी और सरकार सिर्फ सामानका खर्च उठायेगी। हमे भूमिहीन मजदूरोका सगठन करके उन्हें अपने अधिकारो और जिम्मेदारियोकी शिक्षा देनी होगी।

स्वदेशी धर्मके पालनके बारेमे यह बात है कि हमे स्वदेशीके पुराने विचारको पुनर्जीवित करना चाहिये। मगर यह ध्यान रखना होगा कि स्वदेशीका हमारा अर्थ यह है कि पहले तो हमारे पडोसमे पैदा हुई चीजे ली जाय और उसके बाद ही दूरकी मिलोमे बनी हुई वस्तुए ली जाय। विदेशी माल लोगोको जहा तक हो सके नहीं खरीदना चाहिये। यह स्वदेशीका सामान्य पालन हुआ, जिसमे विशेष कर्तृत्व नहीं है। सक्रिय भाग यह है कि सभी लोग अपना दिमाग लगाकर विदेशी मालकी जगह लेनेवाला देशी माल तैयार करे। काफ़ी प्रचारके बाद ऐसी स्थिति आ सकती है जब विदेशी मालकी होली करने आदिके सक्रिय कार्यक्रम रखे जा सके। परन्तु उससे पहले हजारो आदमियोके द्वारा लोगोमे स्वदेशीके दोनो पहलुओके बारेमे व्यापक प्रचार और कार्य हो चुकना चाहिये। इस प्रकार जब भूमिका फिरसे बटवारा हो जायगा और लोगोमे स्वदेशीकी भावना आ जायगी, तब हम सबको काममे लगा सकेगे, राष्ट्रकी आयका फिरसे न्यायपूर्ण बटवारा कर सकेगे और इस प्रकार आर्थिक समानता प्राप्त कर लेंगे।

जे० सी० कुमारप्पा

(सेलडोह, मध्यप्रदेश, मे एक शिविरमे दिये गये भाषणोसे)

हरिजन, २४-१-५३

सर्वोदयी योजना

हम भारतके विकासकी समस्याके विषयमे सर्वोदयी दृष्टिकोणके बुनियादी उसूलोका विचार करे

(१) जीवनके प्रति आदर सर्वोदयका पहला सिद्धान्त है। इस दृष्टिकोणके अनुसार भारतके विकासका अर्थ मुख्यत यह है कि भारतके प्राणियो — मानव और पशु दोनो — के जीवन और व्यक्तित्वका स्वस्थ और सर्वांगीण विकास हो। पशुओका समावेश व्यवहारमे उसी हद तक किया जायगा, जिस हद तक वे मानव-जीवनके अभिन्न अंग बन गये हो। मनुष्य-समाजमे जिनका प्रवेश हो गया है, उनमे गाय सबसे महत्त्वपूर्ण और प्रतीकरूप पशु है।

(२) इस उद्देश्यकी सिद्धिके लिए प्राकृतिक साधन अत्यंत जरूरी हैं, इसलिए उनके विकासकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। परन्तु जीव और प्रकृतिके बीचमे यह भेद होगा कि जीवका विकास साध्य रहे और प्रकृतिका विकास साधन हो। जीवको हानि पहुँचाकर प्रकृतिका विकास नहीं होना चाहिये और प्रकृतिके साधनोका अपव्यय भी नहीं होना चाहिये। इस अर्थमे मूक और निर्जीव प्रकृतिका भी 'शोषण' — दुरुपयोग नहीं किया जा सकता। यद्यपि मनुष्य पर अकसर परिस्थितियोका असर पडता है और वह उनका गुलाम भी बन जाता है, फिर भी आखिर तो वह परिस्थितियोका स्वामी और स्रष्टा है, न कि उनकी उपज, इसलिए उसके विकासको गौण और प्रकृतिके विकासको प्रधान नहीं बनाया जा सकता। प्रकृतिका विकास मनुष्यके लिए और उसकी सहायतासे करना होगा, उसे प्रकृतिके विकासका निरा हथियार नहीं बनाना है।

(३) इसलिए प्रत्येक समाज और राज्यका पहला काम यह होना चाहिये कि उसकी सीमामे रहनेवाले हरएक आदमीको वह काम दे। काम हरएकको उसकी योग्यताके अनुसार और तुरत उपलब्ध साधनोके द्वारा प्राप्त होना चाहिये। उसके लिए और उसकी मददसे काम और साधनोमे उत्तरोत्तर सुधार होता रहना चाहिये। परन्तु उसका लक्ष्य व्यक्तिका विकास होगा और उसके सहयोगसे ही उसका सपादन

करना होगा। यह उन्नति उसी हद तक जरूरी और उचित है, जिस हद तक वह प्रत्येक व्यक्तिके कल्याणकी साधक हो, यानी सर्वोदयकारी हो।

(४) जीवन-स्तर और रहन-सहनके स्तरमें भेद करना चाहिये। बुनियादी वस्तु पहली है, न कि दूसरी। रहन-सहनका स्तर ऊंचा हो जानेसे जीवनका स्तर नीचा भी हो सकता है। क्योंकि संभव है इससे मनुष्यके शारीरिक, नैतिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक मापदंड और शक्तिया घट जाये। इसलिए प्रकृतिका प्रगतिशील विकास रहन-सहनके स्तरके अनुरूप नहीं, परन्तु जीवनके स्तरकी उन्नतिके अनुरूप होना चाहिये।

(५) योजनाका काम दो उद्देश्योंसे होना चाहिये मनुष्यके विकासके मार्गसे प्राकृतिक या मानव-कृत बाधाएं दूर करना और उसके लिए साधन, प्रशिक्षण और पथ-प्रदर्शनकी व्यवस्था करना।

(६) मनुष्यके विकासमें आनेवाली बाधाएं ये हैं (क) शासन-तंत्र और संपत्तिके उत्पादनमें अधिक केन्द्रीकरण, (ख) जिस जमीनको बे खुद नहीं जोतते और इसलिए उसके निष्क्रिय जमींदार बन जाते हैं; उसका स्वामित्व और नियंत्रण मुट्ठीभर लोगोंके हाथमें अथवा सरकार या किसी कंपनी जैसी यांत्रिक संस्थाके हाथमें आ जाना, (ग) धन-प्रधान अर्थ-व्यवस्था, जिसके कारण लोग व्यापार-व्यवसाय, मुनाफा और आय वनैराके लिए काम करते हैं और अपनी तथा समाजकी आवश्यकताएं पूरी करनेके लिए काम नहीं करते, इसका परिणाम यह होता है कि परोपजीवियों या मुफ्तखोरोकी एक बड़ी जमात पैदा हो जाती है, (घ) आधुनिक ढंगकी दासत्व-प्रणाली, (ङ) ब्याजकी प्रथा और उसके साथ-साथ साहूकारों और गैर-काश्तकारोंके पास कारखानोंके रूपमें बड़ी बड़ी सम्पत्तियोंके स्वामित्वका अधिकार आ जाना, (च) एक तरफ राज्य और समाजके उन्नत वर्गों द्वारा साधारण मनुष्योंके स्वास्थ्य और शिक्षा, औजार, बीज और कच्चे मालके बारेमें नितान्त उपेक्षा-वृत्ति और दूसरी तरफ ऐसे अधिकारों और परम्पराओं पर जोर देना, ऐसे रिवाजों, आदतों, बुराईयों, फैशनो और भोग-विलासका प्रचार करना और ऐसे प्रलोभन उपस्थित करना, जिन सबके परिणामस्वरूप पीढ़ी-दर-पीढ़ी मनुष्यका क्रमशः ह्रास होता है, और (छ) ऐसी राजनीतिक, आर्थिक

और सामाजिक व्यवस्था स्थापित करना, जिसमें मनुष्य लगभग कोई हिस्सा नहीं ले सकता, अपनी इच्छासे कुछ कर नहीं सकता, परन्तु अपनेको चारो तरफसे बुरी तरह जकडा हुआ पाता है।

(७) अगर अबाधित शोषणके लिए दूसरे राष्ट्र उपलब्ध न हों, तो प्राकृतिक साधनोका कितना ही विकास क्यों न किया जाय, परन्तु इन रुकावटोको दूर किये बिना प्रत्येककी तो क्या, बहुसंख्याकी भी भलाई नहीं की जा सकेगी। खास तौर पर भारत जैसे पूरी आबादीवाले देशोमें। बेकारी और महंगाईकी और इनके कारण रहन-सहनकी अमानुषिक स्थितिया, रोग, दारिद्र्य, भूख, आम लोगोकी गुलामी, स्त्रियोके लिए अरक्षित और अवोभनीय स्थिति, डाकेजनी, लूट और शासन तथा व्यापारमें भ्रष्टाचारकी समस्याए अवश्य बनी रहेगी और बढ़ भी सकती है। मालकी और खाद्य-पदार्थोकी बहुतायत होते हुए भी अपर्याप्तता, अतृप्त आवश्यकताओ और अपनी योग्यताके उपयोगके लिए उचित अवसरके अभावकी बुराईया बनी रहेगी।

(८) अगर सरकार यथासभव इन बाधाओको दूर करनेके सिवा और कोई योजना न बनाये, तो भी लोग तेजीसे नहीं तो धीरे-धीरे ही जीवनमें उन्नति करेगे। अगर इससे आगे बढ़कर योजना द्वारा लोगोको रचनात्मक सहायताए भी देनी हो, तो उनके तात्कालिक उद्देश्य ये होने चाहिये

(क) खाद्य और पुष्टिकारक पदार्थोके मामलेमें पूरी तरह ही नहीं, बल्कि उससे भी अधिक स्वयंपूर्ण होना चाहिये। अन्तमें हमारा पूर्ण स्वराज्य पौष्टिक पदार्थोकी हमारी स्वयंपूर्णता पर ही निर्भर रहेगा, न कि हमारे शस्त्रास्त्रो पर। इसलिए इसे योजनाके अन्य सब अगोसे प्राथमिकता मिलनी चाहिये, (ख) अन्नकी केवल विपुलता ही नहीं होनी चाहिये, बल्कि वह यातायातकी अत्यधिक आवश्यकताके बिना सबको आम तौर पर सुलभ भी होना चाहिये। इसका अर्थ यह हुआ कि अधिकसे अधिक स्वयंपूर्ण इकाइया हो—सामान्य इकाई एक गावको माना जाय, (ग) खुराक आम तौर पर हरएक तदुरुस्त आदमीको इज्जतके साथ, न कि दान या सदाब्रत वगैराके रूपमें, सुलभ होनी चाहिये। इसका मतलब यह है कि कोई भी स्वस्थ मनुष्य बेकार न रहे। स्वयंपूर्णताके आधार पर खुराककी पैदावारके साथ-साथ काम देनेकी

व्यवस्था भी कार्यक्रमका अंग होना चाहिये, (घ) योजनाका दूसरा रचनात्मक अंग कुदरती तौर पर राष्ट्रके प्रशिक्षणकी व्यवस्थाका होगा और उपरोक्त उद्देश्यकी प्राप्तिकी दृष्टिसे नई तालीमके सिवा राष्ट्रकी तालीमकी और कोई प्रणाली नहीं हो सकती। बुनियादी शिक्षा इसीका एक भाग है, (ङ) डॉक्टरों उपचार, दवादारू, टीके और इजेक्शन आदिसे पहले सफाई, स्वास्थ्य-विज्ञान, सिंचाई तथा पीनेके स्वच्छ पानीकी व्यवस्था होनी चाहिये, (च) खेतीके औजार कर्जदारी पैदा किये बिना सुलभ होने चाहिये, (छ) सार्वजनिक उपयोगकी सेवाओ (डाक, तार, यातायात, ट्रेक्टर उधार देना, बीज मुहैया करना, नमक जैसे अत्यावश्यक पदार्थोंका उत्पादन-वितरण आदि) की व्यवस्था सरकार करे या सार्वजनिक सस्थाए करे या कोई खानगी व्यापारिक संस्था करे, परन्तु वह व्यवस्था मुनाफेके लिए या बचतकी दृष्टिसे नहीं होनी चाहिये, (ज) शराब, नशीले पदार्थ, चाय, लेमन आदि ठडे पेय, तम्बाकू आदिकी निकम्मी और खर्चीली आदते, जुआ, पहेलिया आदि कमाईके आसान तरीके और भद्दे खेल-तमाशे तथा गीत आदि प्रलोभनोको प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिये और न आमदनीके लिए उनके परवाने दिये जाने चाहिये, (झ) जो सरकार अपनी प्रजासे यह कहती है कि जब तक आबादी घटाई नहीं जायगी तब तक कल्याण-राज्यकी स्थापना नहीं की जा सकती और सतति-नियमनके लिए कृत्रिम साधन उपलब्ध करनेकी योजना बनाती है, वह शासन करनेके लिए उतनी ही अयोग्य है जितनी कि वह सरकार, जो साम्राज्य और युद्धके हेतुसे जबरन् आबादी बढ़ाती है। जो शिक्षा मनुष्यको अपने विकारो पर प्रभुत्व प्राप्त करनेमे असमर्थ बनाती है और आपत्तिजनक साधनो द्वारा सभोगके परिणामोसे बचनेकी सलाह देती है, वह अपनी और शासन दोनोकी असफलता प्रकट करती है। इसलिए शिक्षाकी योजनामे जडमूलसे परिवर्तन होना चाहिये।

सर्वोदयी योजनाके मूल उद्देश्योमे से कुछ यहा मैने अपनी समझके मुताबिक दिये है। योजना अल्पकालिक हो या दीर्घकालिक, उसका उद्देश्य इन्ही लक्ष्योकी पूर्ति होना चाहिये।

बारहवां विभाग : कार्यक्रम

१

पंचसूत्री कार्यक्रम

इसके साथ प्रकाशित दो आलोचनाओसे और सम्मेलनसे लौटनेवाले कुछ दर्शकोके विवरणोसे ऐसा मालूम होता है कि विनोबाजी और रचनात्मक कार्यके अन्य नेताओने राष्ट्रके सम्मुख एक पंचसूत्री कार्यक्रम रखा है। विनोबाजीने इसे अपनी सूत्रशैलीमे एक श्लोकार्धमे यो पेश किया है

‘अन्त शुद्धि, बहि शुद्धि, श्रम, शान्ति, समर्पणम्।’

१ अन्त शुद्धि वही चीज है जिसे हमने शुद्ध व्यवहार आन्दोलन कहा है। इसमे लोगोके लिए यह आदेश है कि वे धन कमाने या पदार्थ और सुख-सुविधाए जुटानेके अनुचित उपाय छोड दे और इस उद्देश्यकी सिद्धिके लिए मिलकर सामूहिक ढगसे काम करे।

२ बहि शुद्धि स्वच्छताका सर्वोदयी कार्यक्रम है। आम तौर पर हमारी यह ख्याति है कि हम व्यक्तिगत शुद्धिका बहुत आग्रह रखते हैं। सार्वजनिक सफाई और स्वच्छताका बोध जो लोग वैयक्तिक शुद्धिके लिए प्रसिद्ध है, उनमे भी अधिकसे अधिक अभी अकुरित ही हो रहा है। आम जनतामे यह समझ बहुत कम है, और लोगोमे बहुतसी बीमारियो और सक्रामक रोगोके सदा फूट निकलनेका यही मुख्य कारण है। सर्वोदयकी सिद्धिके लिए दूसरी जरूरी चीज यह है कि व्यक्तिगत और सार्वजनिक दोनो प्रकारकी बाहरी स्वच्छताका जोरदार आन्दोलन किया जाय।

३ श्रम सर्वोदयके लिए तीसरी बडी शर्त है। सदियोसे हमने श्रमके गौरव और मूल्यको नष्ट करनेके लिए सब-कुछ किया है और जो लोग पीढी-दर-पीढी कडा परिश्रम करके हमारे लिए अन्न, वस्त्र, मकान, सजावटका सामान, आभूषण और जीवनके आरामकी विविध वस्तुएं पैदा करते रहे हैं, उनकी हमने उपेक्षा ही नहीं की है, बल्कि उन्हें

दबाया और अपमानित भी किया है। जिन्होंने हमारे कपड़े और बरतन घोये, हमारी गलिया और गोशालाये बुहारी, हमारे पाखाने और पेशाब-घर साफ किये, हमारे कपड़े, बरतन और जूते वगैरा तैयार किये, वे गौरवकी हमारी कल्पनामे सबसे नीचे दर्जे पर हैं। हम उन्हें अनादरकी दृष्टिसे देखते हैं, उनके साथ गुस्ताखीसे पेश आते हैं और समाजमे उनका अपमान करते हैं, मदिरोमे भी, जहा हम प्रभुकी पूजाके लिए इकट्ठे होते हैं, उनके लिए या तो कोई स्थान ही नहीं होता या नीचा और दूरका स्थान होता है। धन, सत्ता या पोथी-पाड्डित्यको ही सारा सम्मान दिया जाता है। नतीजा यह है कि उत्पादन घट गया है भोग-विलासके जीवनकी इच्छा बढ गई है और मेहनत न करने पर भी सब आराम चाहते हैं, जो कठोर परिश्रमसे ही मिल सकता है। यह लक्ष्य असभव है। मेहनत हम अपने खाली हाथोसे करे अथवा औजारो या यत्रोकी सहायतासे करे, मेहनत हमें करनी ही चाहिये। श्रम करनेकी क्षमता और इच्छाको विकसित शरीर और सुसंस्कृत मनकी निशानी समझना चाहिये।

४ शान्ति इस कार्यक्रमका चौथा अंग है। शान्तिको यहा युद्ध-निवारणके सीमित अर्थमे नही समझना चाहिये। यहा युद्धके उन्मूलनका कोई निषेध नही है, परन्तु युद्ध उन छोटे-छोटे सघर्षोका बृहत् संस्करण है, जो हर छोटे समूहमे अकसर होते रहते हैं। अगर छोटे-छोट समूहोको आपसमे प्रेमसे रहना, छोटे-छोटे झगडोको आपसमे निपटा लेना और अपने छोटेसे ससारसे डर और ईर्ष्याको मिटा देना आ जाय, तो इससे बृहत्तर जगतमे लडाईकी जड ही कट जायगी।

५ अंतिम अंग समर्पणका है। यानी गाधीजीकी बरसीके दिन एक गुडी अपने काते हुए सूतकी देना है। अपने काते हुए सूतकी यह छोटीसी गुडी इस बातका चिह्न है कि समर्पण-कर्ताको गाधीजीके प्रति आदर है, सर्वोदयके आदर्श, शरीर-श्रम और व्यक्तिगत सेवामे श्रद्धा है, अहिंसक और अशोषक व्यवस्थामे श्रद्धा है और अमीर-गरीबके बराबरीके दर्जेमे श्रद्धा है।

समग्र सेवा

विनोबाने कहा कि समग्र सेवाका अर्थ सब चीजोंको एकसाथ हाथमे ले लेना नहीं है। इसका मतलब यह है कि किसी चुने हुए कार्यके आसपास धीरे-धीरे और स्वाभाविक रूपमे कार्यके दूसरे अंगोंकी वृद्धि और विकास होना चाहिये।

अपनी बातको अधिक समझाते हुए विनोबाको कई वर्ष पहलेकी अपनी अनन्तपुर (मध्यप्रदेश) की यात्रा याद आ गई। वहा एक कार्यकर्ता खादीका केन्द्र चलाते थे। वहाका काम बन्द हो गया था और विनोबाको उसके कारणोंकी जाच करनेके लिए कहा गया था। विनोबाने ध्यानसे उस कामकी जाच की और बताया कि कामकी वृद्धिके एक-जानेका एक कारण यह था कि कार्यकर्ताने जीवनकी और सब बातोंकी सर्वथा उपेक्षा करके केवल खादी पर ही सारी शक्ति केन्द्रित कर दी थी। उदाहरणार्थ, गाववाले खुलेमे शौच जाते थे, फिर भी इस घोर असभ्यताकी तरफ कार्यकर्ताका ध्यान नहीं गया। वह पूरी तरह खादी-कार्यमे लगा रहता था और दूसरा उसे कुछ दिखाई ही नहीं देता था। विनोबाने कहा कि यह एकाग्रता ऐसी है, जो सर्वतोमुखी जागरूकताके विपरीत है। असलमे यह एकाग्रता ही नहीं, बल्कि एक प्रकारकी एकागिता है। सकीर्णता तो वाछनीय नहीं है, मगर इसका यह अर्थ नहीं कि आप एकाग्रताको ही तिलाजलि दे दे। एकाग्रता और समग्र दृष्टि दोनों जरूरी हैं।

(एक भाषणके सारसे)

विनोबा

हरिजन, २३-६-'५१

बहिष्कार — रचनात्मक कार्यक्रमके अंगके रूपमे

जो लोग वास्तविक नई समाज-व्यवस्थाके लिए काम करनेकी महत्वाकांक्षा रखते हैं, उन्हें अच्छी तरह समझ लेना चाहिये कि जहाँ वे कोई रचनात्मक काम करे वहाँ उन्हें वर्तमान समाज-व्यवस्थाको खतम करनेके लिए भी अवश्य काम करना चाहिये। क्रान्तिका यह आवश्यक लक्षण है।

क्रान्तिकी पूर्वशर्तें

क्रान्ति या तो सरकार द्वारा की जा सकती है अथवा आम लोगो और सार्वजनिक कार्यकर्ताओ द्वारा। अगर इस प्रक्रियामे सरकार पहल करना चाहती है, तो उसे अनिवार्य रूपमे मशीनोका उत्पादन, भैंसका संरक्षण और पुरानी शिक्षा-प्रणालीको बन्द कर देना चाहिये। अगर सरकार ऐसा करनेका निश्चय नहीं करती, तो जितना भी रुपया वह, विकेंद्रित उद्योगोकी उन्नतिके लिए खर्च करती है वह सब व्यर्थ है। इसके विपरीत, यदि यह क्रान्ति सार्वजनिक सस्थाओ और जनसेवकोको करती है, तो उन्हें दोहरा कार्यक्रम अपनाना होगा — एक तरफ चरखे, ग्रामोद्योग, गोसेवा और बुनियादी तालीमकी उन्नति और दूसरी ओर यात्रिक उत्पादन, भैंस-पालन और पुरानी शिक्षाका बहिष्कार। उन्हें स्वयं अपने जीवनमे और अपनी सस्थाओके जीवनमे बहिष्कारके कार्यक्रमको अपनाना होगा और उस पर अमल करनेका व्रत लेना होगा। उन्हें दूसरे व्यक्तियो और सस्थाओको भी ऐसा ही करनेको समझाना चाहिये। और जब उन्हें मालूम हो जाय कि जनता काफी जाग्रत हो गई है, तब उन्हें बहिष्कारका व्यापक आन्दोलन शुरू कर देना चाहिये। अगर हम ऐसा नहीं कर सकते तो सामाजिक क्रान्तिकी दृष्टिसे हमारा रचनात्मक कार्य बिलकुल व्यर्थ सिद्ध होगा।

अपने दौरेमे जब कभी मैंने यह विचार अपने साथियो अथवा सस्था-संचालकोके सामने रखा है, उन्होंने इसे तुरन्त पसन्द किया है।

सिद्धान्तमें कोई मतभेद नहीं है। इसमें सब सहमत हैं कि यही ठीक काम है। परन्तु इस कार्यक्रम पर अमल करनेमें वे सब बड़ी कठिनाइयाँ बताते हैं। वे कहते हैं कि परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं हैं। अगर ऐसा है तो जब हमारी सरकार यत्रोकी पैदावार पर पाबन्दी लगानेमें असमर्थता प्रगट करती है, तब हमारे कार्यकर्ता और सस्थाएँ क्यों असतुष्ट होते हैं? चूँकि सरकारके सामने भी वही मुश्किलें हैं, इसलिए हमें उसके खिलाफ कोई शिकायत नहीं होनी चाहिये। हम क्रान्तिकी बात करते हैं, फिर भी विपरीत परिस्थितियों और कठिनाइयोंसे कायर बन जाते हैं। तब सरकार जो रवैया अख्तियार करती है, उस पर हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिये।

मुझे इस बातसे इनकार नहीं कि ऐसे अवसर आते हैं, जब परिस्थितियाँ अत्यधिक बाधक साबित होती हैं। परन्तु क्या हम ईमानदारीसे कह सकते हैं कि हमारे कार्यकर्ता और सस्थाएँ जो कुछ कर सकते हैं सो सब कर चुके हैं और अब केवल परिस्थिति ही उनके प्रयत्नोंको विफल कर रही है? मेरे खयालसे ऐसी बात नहीं है।

जरूरत है स्पष्ट दृष्टिकी, दृढ निश्चयकी और सर्वार्पण-बुद्धिकी। पहले हमें भोजन और वस्त्रके क्षेत्रमें मशीनी मालके बहिष्कारका नारा उठाना चाहिये। बादमें हम अपने नारेका विस्तार दूसरे क्षेत्रमें कर सकते हैं। हम विशेष वस्तुओंको चुन कर भी उन पर अपनी शक्ति केन्द्रित कर सकते हैं। सभव है सभी व्यक्ति और सस्थाएँ बराबर कारगर न हो सके, मगर प्रगति तो होगी। लेकिन अगर हमने इस दिशामें बुद्धिपूर्वक प्रयत्न नहीं किया, तो हमें जल्दी ही पता लग जायगा कि हम उद्देश्यहीन हैं और हमारे भाग्यमें असफलता लिखी है। हमारा त्याग और चरित्र हमें व्यक्तिगत आध्यात्मिक सात्वना और सतोष भले दे दे, मगर सामाजिक क्रान्तिका महान स्वप्न अधूरा ही रह जायगा।

हमने देख लिया कि स्वराज्य-संग्रामके ऐतिहासिक दिनोंमें हमारा स्वदेशी आन्दोलन विफल हो जाता, अगर हमने साथ-साथ विदेशी बहिष्कार न चलाया होता। इसी तरह अगर अब हम ग्रामोद्योग आदिको लोकप्रिय बनानेके आन्दोलनके साथ-साथ मशीनी मालके बहिष्कारका

आन्दोलन नहीं छेड़ सकेंगे, तो ग्रामोद्योगोंकी हमारी सारी चिल्लाहटसे कुछ जरूरतमन्द लोगोंको थोड़ीसी मदद मिल जानेसे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकेगा। अवश्य ही उससे ऐसी समाज-व्यवस्था उत्पन्न नहीं हो सकती, जो विकेंद्रित, आत्म-निर्भर और शोषण-रहित हो।

मुझे पूरी आशा है कि मेरे साथी और रचनात्मक कार्यकर्ता मेरी इस अपील पर गभीर विचार करेंगे।

हरिजन, १३-१०-'५१

धीरेन्द्र मजूमदार

परिशिष्ट

कहानी

[निम्नलिखित कहानी ईसाकी वह कहानी है, जिससे रस्किनको अपनी पुस्तकका नाम 'अन्टु दिस लास्ट' रखनेकी प्रेरणा मिली थी और जिसका अनुवाद गाधीजीने 'सर्वोदय' नामसे किया था। --सं०]

स्वर्ग उस गृहस्थकी भाति है, जो सुबह ही सुबह अपने अगूरके बगीचेके लिए मजदूर जुटाने निकला।

उसने मजदूरोंसे एक पैसा रोज मजदूरी तय कर ली और उन्हें अपने बागमें भेज दिया।

लगभग तीन घटेके बाद वह फिर निकला और कुछ अन्य लोगोंको मडीमें बेकार खड़े देखा।

उसने उनसे कहा तुम भी बागमें चले जाओ। जो उचित होगा तुम्हें दूंगा। वे चले गये।

छठे और नवे घटेके करीब वह फिर बाहर गया और उसने ऐसा ही किया।

ग्यारहवे घटेके लगभग वह फिर निकला और उसने देखा कि दूसरे कुछ लोग बेकार खड़े हैं। उसने उनसे कहा यहा दिनभर बेकार क्यों खड़े रहते हो ?

वे उससे कहने लगे क्योंकि हमे किसीने मजदूरी पर नहीं लगाया। उसने उनसे कहा तुम भी अगूरके बागमें चले जाओ; जो उचित होगा तुम्हें मिल जायगा।

इस प्रकार जब शाम हुई तो बागके उस मालिकने अपने मुनीमसे कहा मजदूरोंको यहा बुला लो और आखिरीसे शुरू करके सबसे पहले दल तकको मजदूरी चुका दो।

जब वे लोग आये, जो ग्यारहवे घटेमे रखे गये थे, तो उन्हें फी आदमी एक पैसा मिला।

जब सबसे पहले दलके लोग आये तो उन्होंने सोचा कि उन्हें ज्यादा मजदूरी मिलनी चाहिये, लेकिन उन्हें भी दूसरोकी तरह फी आदमी एक पैसा ही मिला।

जब उन्हें एक पैसा मिल गया, तो वे उस भले गृहस्थके खिलाफ बड़बड़ाने लगे।

कहने लगे इन्होंने सिर्फ एक ही घटा काम किया और तुमने इन्हे भी हमारे बराबर मजदूरी दी, हमने तो दिनभर बोझा ढोया और गरमी बरदाश्त की है।

परन्तु उस गृहस्थने उनमे से एकको उत्तर दिया और कहा भाई, मैंने तेरे साथ अन्याय नहीं किया। क्या तूने एक पैसा लेकर काम करना स्वीकार नहीं किया था ?

जो तेरा है तू ले ले और अपने रास्ते चला जा। मैं इस आखिरीं आदमीको भी उतना ही दूगा जितना मैंने तुझे दिया है।

मैथ्यू, २०, १-१४

सूची

‘अन्दु दिस लास्ट’ ३, ८, २०,
 १८४, २१९
 अपरिग्रह १५-१७, —का अर्थ
 भविष्यके लिए सग्रह न करना
 १५, —का अस्तेयके साथ
 चोली-दामनका सम्बन्ध १५
 अभय १२
 अस्तेय १४-१५
 अस्पृश्यता-निवारण ३१, ६२,
 १६९-७०
 अहमदाबाद मजदूर-सघ १११,
 १४०
 अहिंसा १०, ११, १८, ६६,
 १३१-३२, १७१-७२, —एक
 सामाजिक सद्गुण ६१, —का
 अर्थ है ज्ञानपूर्वक कष्ट-सहन
 ९२, —का निर्माण कारखानो-
 की सभ्यता पर सभव नहीं
 ४१, —का पुजारी उपयोगिता-
 वादका समर्थक नहीं ४,
 —के बिना सत्यकी खोज
 असभव १०, —पर राज्यकी
 बुनियाद हो ५५; —मे काय-
 रताकी गुजाइश नहीं ९३;

—सब धर्मोंका आदर सिखाती
 है २८, —साधन है, सत्य
 साध्य है १०
 अहिंसक घन्घा ४१, —का अर्थ ४२,
 —का प्राण शरीर-श्रम ४३,
 —के आधार पर ग्राम्य अर्थ-
 व्यवस्थाका निर्माण हो ४२
 कस्तूरबा-कोष १९४
 काकासाहब कालेलकर १६१
 कि० घ० मशरूवाला—का सबकी
 कमाईमे सबके हिस्सेका
 सिद्धान्त १९७, —की सर्वोदयी
 योजना २०९-१२, —साम्य-
 वाद और सर्वोदयका भेद
 बताते है १८४-८६
 खादी १४८, १९१, —का अर्थ
 १४८, —का आदर्श १५४,
 —का प्रतीकात्मक महत्त्व
 १४८, १९१; —मनोवृत्तिका
 अर्थ १४८-४९
 गाधीजी — और अपरिग्रह १५-
 १७, —और अस्तेय १४-
 १५, —और अस्पृश्यता-निवा-

रण ३१, —और अहिंसक
घन्वे ४१-४३, —और अहिंसा
१०-११, १८, ५५, ९४,
—और आर्थिक समानता ३८,
—और उद्योगवाद ४५-५२,
—और गोरक्षा ७२-७४,
—और ट्रस्टीशिप ५४-५५,
५६, ५७, —और धर्म २८-
३०, —और ब्रह्मचर्य १२-१३,
—और विकेन्द्रीकरण ४०-४१,
—की ग्राम-स्वराज्यकी कल्पना
१४७-४८, —विवाह-संस्थाके
बारेमें ६४-६५, —विश्व-बधु-
त्वके बारेमें ७५, —शरीर-
श्रमके बारेमें २०-२४, —
शांतिसेनाके बारेमें ११७-
१९, १२०, —स्त्री-समाजके
बारेमें ६५-६७, —स्वदेशी धर्म-
के बारेमें २४-२८, —हिन्दु-
स्तानी गवर्नरके बारेमें ८१-
८२

गांधी-स्मारक-कोष १९४

गोरक्षा ७२, ७३, ७४, —का
सूक्ष्म अर्थ ७३, —हिन्दूका
परम धर्म ७४

ग्रामोद्योग-सघ २४

चरखा ४१, ४७, १४०, १५०,
१५२, १५३, —एक कीमती
मशीन ४७, —का सन्देश

१५०-५१, —ग्रामसेवकके
जीवनका केन्द्रबिन्दु १४०,
—प्रत्येक घरके लिए अनि-
वार्य १५३

चरखा-सघ ५०, १४९, १९३

जमीदार ५७, —आदर्श कौन ?

५७, —एक प्रणालीका अस्त्र-
मात्र ५८, —को गांधीजीकी
सलाह ५८-५९

जवाहरलाल नेहरू १४८

जॉन रस्किन ३, ८, २०, ५२,
७७, १८४, २१९

जे० सी० कुमारप्पा — आर्थिक
समताके बारेमें २०७-०८;
—न्यायपूर्ण मजदूरीके बारेमें
१७९-८०

टॉलस्टॉय २०, १५८, —फार्म १५५

डेनियल हेमिल्टन ५२

तेजबहादुर सप्रू ११३, ११५

थोरो ८३

धीरेन्द्र मजूमदार — क्रान्तिके आव-
श्यक लक्षणोंके बारेमें २१६;
—द्वारा बताई क्रान्तिकी पूर्व
शर्तें २१६, —बहिष्कारको
रचनात्मक कार्यक्रमका अग
मानते हैं २१७

नरहरि परीख ५६

पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास ११४,
११५

प्राकृतिक चिकित्सा १६१-६२
प्रौढ-शिक्षा १४५, २०६, —ग्राम-
सेवाका एक अंग १४५

फीरोज सेटना ११४, ११५

बेन्थल ११४

बोन्दरेव्ह २०

ब्रह्मचर्य १२, १३, —और अहिंसा
१३, —का अर्थ १२, —पालनके
साथ अस्वादका गहरा सम्बन्ध
१२

मजदूर १०९, —के लिए सहायक
धन्ये ११०-१२, —राजनीतिक
शतरजके मोहरे न बने ११०

रमण महर्षि २४

रवीन्द्रनाथ टागोर २४, १५८
राजेन्द्रप्रसाद, डॉ० १३७, १३८,
रीडिंग, लार्ड ११३

विनोबा—आर्थिक समानताके बारे-
मे १७८-७९, १८१, —द्वयसे
मुक्तिके बारेमे १९३, —प्रौढ-
शिक्षाके बारेमे २०६, —बहु-
मतके शासनके बारेमे १७६,
—रक्तपातके बिना क्रान्तिको

संभव मानते है १७५, —श्रमके
गौरवके बारेमे १८७, —समग्र
सेवाके बारेमे २१५, —सर्वो-
दयकी रूपरेखा बताते है
२०६-०७, —सर्वोदयी शिक्षा-
के बारेमे २००-०५

शराब १६२, —चोरी और व्यभि-
चारकी जननी है १६२,
—शरीर और आत्मा दोनोका
नाश करती है १६३

शरीर-श्रम २०, —अहिंसा, सत्य
व ब्रह्मचर्य-पालनका रामबाण
उपाय २१, —ऊचनीच-भेदका
इलाज २१, —और बुद्धिमे
अविच्छेद्य सम्बन्ध होना
चाहिये १५०

शिक्षा १५५, —उद्योग द्वारा दी
जाय १५६, —का जरूरी
अंग १५६, —का ध्येय
१५८, —सच्ची (शिक्षा)
इन्द्रियोके उपयोग और
तालीम द्वारा ही संभव १५६

सत्य ९, ७८, —ईश्वरका सही
नाम है ९, —सारी प्रवृत्तियो-
का केन्द्र और जीवनका
आधार हो ९

सत्याग्रह ९२, —अंतिम उपाय
१०२, —का ढग १०१, —

का बल कैसे बढ़ता है ?
 ९६, —कौन करे ? १०१,
 —मे कायरताकी गुजाइश
 नहीं ९३, —मे विरोधीको
 हानि पहचानेकी कल्पना नहीं
 ९२
 सत्याग्रही ९२, —का उद्देश्य ९४,
 —का धर्म ९२, —के लिए
 आवश्यक नियम ९७, —के
 लिए नम्रता अनिवार्य ९७,
 —विरोधीमे पूरा विश्वास
 रखता है ९५

सरदार पटेल १६५
 स्वदेशी २४-२८, २०८, —और
 खादी २६, —की व्यापक
 व्याख्या २७-२८, —के अमल-
 से किसीकी हानि नहीं २५,
 —के उपासकका कर्तव्य २७,
 —के पालनमे सन्तुलन आव-
 श्यक २७

ह्यूबर्ट कार ११४

- 050827

Accession No.....
 Shantarekshita Library
 Tibetan Institute-Sarnath

**INPUTED
 SLIM**